इंगलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली

लेखक

हरनारायण सिंह

एम० ए०, एम० एड०

बलवन्त राजपूत कॉलिज ऑफ एजूकेशन, आगरा

विनोद पुस्तक मन्दिर

[illegible]स्पिटल रोड, आगरा

स्वर्गीय संजय

को

जिसकी स्मृति ही अब

शेष है।

स्वर्गीय संजय

का

जिसकी स्मृति ही अब

शेष है।

पुस्तक प्रकाशन मे तत्परता एवं सौजन्यता का परिचय देने वाले श्री० भोलानाथ जी अग्रवाल अध्यक्ष विनोद पुस्तक मन्दिर तथा अन्य प्रकाशन संस्था के अधिकारियों का भी लेखक आभारी है, जिन्होंने अविलम्ब प्रकाशित करके अध्यापकों का उपकार तथा लेखक का उत्साह-बर्द्धन किया है।

हरनारायण सिंह

प्राक्कथन

'तुलनात्मक शिक्षा' के अध्यापन में मैंने यह अनुभव किया है कि विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा में उपयोगी पुस्तकों के अभाव का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर अंग्रेजी में अनेक अत्यन्त अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं, परन्तु हिंदी में नहीं हैं। विद्यार्थियों को इसलिए इस विषय सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी अपनी परीक्षा में हिन्दी माध्यम रखते हैं। उनकी इस कठिनाई का ध्यान रखते हुए व समस्या का हल निकालने के लिए ही मैंने यह प्रयास किया है।

हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि 'तुलनात्मक शिक्षा' का अध्ययन एक बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है। भारत ने अभी स्वतन्त्रता प्राप्त की है और उसे अपने पुर्ननिर्माण के लिए अपनी समस्त संस्थाओं को समयानुकूल परिवर्तित करना है। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा संस्थाओं के संगठन में उसे उन देशों की शिक्षा व्यवस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं की ओर ध्यान देना होगा जिन्होंने वर्षों के अनुभव के पश्चात् अपनी संस्थाओं को सौम्य और शिक्षा संगठन को ठोस बनाया है। इङ्गलैंड एक ऐसा देश है जिसको हम उदाहरण के रूप में इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसकी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन हमारे लिए इस कारण आवश्यक नहीं है कि हम उसकी नकल करें, परन्तु इसलिए आवश्यक है कि हम उसमें से उन सिद्धान्तों व व्यवहारों को अपनावें जो हमें अपनी शिक्षा के पुर्ननिर्माण में सहायता दे सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में मैंने इस विषय पर प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण स्रोतों का अध्ययन किया है और यत्र-तत्र उनमें से उद्धरण भी लिए हैं। पुस्तक को अधिकाधिक उपयोगी बनाने के हेतु पाठ्य-वस्तु को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है और इङ्गलैंड की शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक पहलू पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। आशा है विद्यार्थी-गण पुस्तक से लाभान्वित होंगे। मैं उन सभी का बहुत आभारी हूँगा जो इस पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए मुझे कुछ सुझाव देंगे।

बलवंत राजपूत कालेज
आफ एजूकेशन, आगरा
२१ मई १९६१

हरनारायण सिंह

विषय-सूची

अध्याय ६

माध्यमिक-शिक्षा

अध्याय ७

अग्रिम-शिक्षा

अध्याय ८

विश्वविद्यालय शिक्षा

अध्याय ९

औद्योगिक-शिक्षा

अध्याय १०

अध्यापक-प्रशिक्षण

अध्याय ११

विशिष्ट सेवाएँ

अध्याय १२

१९४४ का शिक्षा-एक्ट

परिशिष्ट—१

१९४६ का शिक्षा एक्ट

परिशिष्ट—२

सन् १९४८ का शिक्षा-एक्ट

परिशिष्ट—३

परिशिष्ट—४

परिशिष्ट—५

—: ० :—

अध्याय १

तुलनात्मक-शिक्षा, उसका महत्व, अध्ययन विधियाँ

पिछले कुछ समय में तुलनात्मक-शिक्षा अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है। शिक्षकों और शासकों के मतानुसार विभिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन अपने देश की शिक्षा-प्रणाली तथा शिक्षा-समस्याओं को भली भाँति समझने, और उनको सुलझाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षा-प्रबन्धकों तथा भावी अध्यापकों को दूसरे देशों की शिक्षा-प्रणालियों तथा उनके गुणों और अवगुणों का ज्ञान होना आवश्यक है।

तुलनात्मक-शिक्षा में हमें किसी देश की केवल शिक्षा-प्रणाली, शिक्षा-संगठन, शिक्षा-व्यय तथा पाठ्य क्रम का ही अध्ययन नहीं करना है, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक-अध्ययन द्वारा हम उन सभी समस्याओं और कारणों का विश्लेषण करते हैं जिनके कारण किसी देश विशेष की शिक्षा-प्रणाली की उत्पत्ति तथा विकास हुआ है। इस प्रकार के अध्ययन में उन अन्तरों का भी विश्लेषण और तुलना की जाती है जो विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणालियों में पाये जाते हैं। अन्त में इस प्रकार के अध्ययन द्वारा हम विभिन्न देशों की शिक्षा-समस्याओं का हल भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में तुलनात्मक-विधि में सबसे पहले उन अस्पृश्य (Impalpable) आध्यात्मिक, (Spiritual), और सांस्कृतिक शक्तियों (Cultural forces) को समझने का प्रयास करते हैं

जिन पर किसी देश विशेष की शिक्षा-प्रणाली आधारित है। इस प्रकार के अध्ययन में हमें सदैव उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमियों से अवगत होना चाहिए, जिन्होंने किसी देश-विशेष की शिक्षा-प्रणाली को निर्मित किया है। शिक्षालय तथा समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध है और समाज में होने वाले परिवर्तन शिक्षालयों को सदैव प्रभावित करते रहे हैं। सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय परम्पराओं का भी शिक्षा-निर्माण में समान रूप से महत्व है।

किसी देश के मनुष्यों के जीवन का दर्शन ही वहाँ के शिक्षा-उद्देश्यों, शिक्षा-सिद्धान्त तथा शिक्षा व्यवहार को निर्धारित करता है। उनके इस जीवन-दर्शन के आधार पर शिक्षा-उद्देश्य, पाठ्य-वस्तु तथा शिक्षण-विधि निर्भर रहती है। किसी राष्ट्र की शिक्षा-प्रणाली वह जीवित वस्तु है जो राष्ट्रीय आदर्शों, भूले हुये युद्धों और संघर्षों तथा राष्ट्र की समस्याओं और कठिनाइयों की स्मृति दिलाती है। इसमें राष्ट्रीय इतिहास, परम्परा तथा राष्ट्रीय जीवन की क्रिया *अन्तर्निहित रहती है। किसी देश की शिक्षा-प्रणाली उस देश के राष्ट्रीय-चरित्र* तथा राष्ट्रीय जीवन की झाँकी है तथा राष्ट्रीय-चरित्र में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने और उसे पूर्ण करने का एक साधन है।

वास्तव में यह हास्यास्पद बात होगी कि किसी एक देश की शिक्षा-प्रणाली दूसरे देश द्वारा पूर्णरूप से अनुकरण की जाय। हर एक देश की निजी शिक्षा-प्रणाली होती है, किन्हीं दो देशों की शिक्षा-प्रणाली बिल्कुल एक प्रकार की नहीं हो सकती, यद्यपि शिक्षा-समस्याओं में कुछ समानता अवश्य हो सकती है। इसका मूल कारण है कि प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियाँ तथा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठ भूमियाँ जिसमें किसी देश की शिक्षा-प्रणाली शनैः शनैः पनपती तथा विकसित होती है भिन्न-भिन्न होती हैं। तत्पश्चात् किसी एक शिक्षा-प्रणाली का दूसरे देश में पूर्णरूप से अनुकरण या *प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता नहीं तो प्रतिरोपण की हुई शिक्षा-प्रणाली की* दशा उस मुरझाये हुये पौधे के समान होगी जो उपयुक्त भूमि और जलवायु न पाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। संसार के शिक्षा-इतिहास में एक देश से *दूसरे देश में सफल शिक्षा-प्रणाली तथा शिक्षा-पद्धति के सफल स्थानान्तरण या प्रतिरोपण के उदाहरण कुछ ही मिलते हैं। जहाँ पर यह स्थानान्तरण सफल भी हुआ, उसका मुख्य कारण केवल दोनों देशों की समान सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ थीं। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी शिक्षा-विधियाँ होती हैं जो हमें लाभदायक अनुमति देती है, जिन पर विचार करके, देश की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है।*

प्रत्येक राष्ट्र अपने जीवन-दर्शन तथा आदर्शों के अनुसार ही शिक्षा-प्रणाली का निर्माण करता है। कुछ शैक्षिक विचारों के सफल निर्यात के लिए प्रत्येक देश में क्षेत्र अवश्य हो सकता है। इसका बहुत शिक्षाप्रद उदाहरण भारत और पाकिस्तान का है। भारतीय शिक्षा का इतिहास सुविख्यात है। ब्रिटेन ने अपने भारतीय साम्राज्य में अँग्रेजी पद्धति, अँग्रेजी विचार और अंग्रेजी भाषा तक स्थानान्तरित की। अँग्रेजी के निर्देशन में बड़ी संख्या में स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। अँग्रेजी बोलने वाले एक नये अखिल भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग की सृष्टि हुई किन्तु शिक्षा-पद्धति का स्थानान्तरण सफल हुआ या नहीं इसका उत्तर देने में अँग्रेज और भारतीय दोनों संकोच करते हैं। एक दृष्टिकोण से यह सफल हुआ क्योंकि इसने भिन्न धार्मिक परम्पराओं और भिन्न भाषा-भाषी अनेक भारतीय जातियों को संगठित करके एक राष्ट्र बनाया और अन्ततः भारत सार्वभौम प्रभुता सम्पन्न देश हुआ, दूसरी ओर संगठन की नीति भारतीय साम्राज्य के भारत और पाकिस्तान दो राज्यों में विभाजन को न रोक सकी, तथा भारत के बौद्धिक नेताओं ने तो अँग्रेजी उदार-नीति और राजनैतिक लोकतन्त्रवाद की विधियों को अपना लिया, परन्तु भारतीय कृषक समूह अपढ़ और अँग्रेजी प्रभाव से अछूता बना रहा। जब से स्वाधीनता आई भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ने तेजी से अँग्रेजी गुलामी के चिह्नों को त्यागकर अपने जातीय आधार पर संस्कृति का पुनर्निर्माण करना आरम्भ किया। पाकिस्तान ने कुरान शरीफ की ओर प्रत्यावर्तित होना और इस्लामी धर्म की बुनियाद पर भविष्य-निर्माण करने का निश्चय किया। भारत ने वैदिक शिक्षा की भारतीय पद्धति को अपनाने का निश्चय किया जिसमें वास्तव में भारतीय तत्वों की अपेक्षा विदेशी तत्व कम नहीं हैं। दोनों प्रयत्न अभी विचाराधीन हैं अतः उन पर अन्तिम निर्णय देना सम्भव नहीं है।

तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। किसी देश के प्रचलित शिक्षा-सिद्धान्त तथा शिक्षा-व्यवहार का अध्ययन, उस शिक्षा-प्रणाली की दूसरे देशों की प्रणाली से तुलना और यह ज्ञात करना कि विभिन्न शिक्षा-प्रणालियाँ कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमियों से प्रभावित होती हैं, ये सभी तुलनात्मक-शिक्षा में सम्मिलित है। इससे अधिक शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन का और भी महत्व है। हम विभिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों की तुलना द्वारा ऐसे मूल सिद्धान्त, प्रक्रियायें और शिक्षा-प्रवृत्तियाँ ज्ञात कर सकते हैं जिन पर किसी देश का शिक्षा दर्शन आधारित हो सकता है और एक देश के अनुभव का लाभ दूसरे देशों को हो सकता है। दूसरे देशों द्वारा शिक्षा-क्षेत्र में जो त्रुटियाँ भूतकाल में की गईं, उनसे हम अपने

देश को बना सकते है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार विश्व की बहुत सी शिक्षा-समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

शिक्षा में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पुनर्निर्माण की बहुत सी शक्तियाँ निहित है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश की शिक्षा समस्यायें जटिल होती जाती हैं, परन्तु उनमे कुछ समानता तब भी रहती ही है। प्रत्येक देश की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन आजकल के जटिल तथा अशान्त वातावरण मे लाभदायक सिद्ध होगा। यदि हम सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से दूसरे देशो की संस्कृति, इतिहास तथा शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करे और उन विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न करें तो हमारे हृदय मे दूसरों की संस्कृति और आदर्शों के प्रति श्रद्धा तथा सद्भावना अवश्य ही उत्पन्न होगी। साथ ही हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा-परम्परा, संस्कृति और आदर्शों को भली भाँति समझ सकेंगे। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर ही तुलनात्मक शिक्षा का बहुत महत्व है। किसी देश की शिक्षा-प्रणाली एक दर्पण है जिसमें उस देश के सच्चे राष्ट्रीय चरित्र का परावर्तन होता है और इस दर्पण मे हम उस देश की बहुत सी शिक्षा-समस्याओं का प्रतिबिम्ब पा सकते हैं। वर्तमान युग मे तुलनात्मक-शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न करने का एक प्रमुख साधन है तथा आजकल संसार के संदिग्ध, विपाक्त और शीत युद्ध वातावरण मे राष्ट्रो की सार्वलौकिक शिक्षा समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना तथा सहयोग द्वारा हल करके उनको एकता के सूत्र मे बाँधा जा सकता है।

शिक्षा एक सामाजिक शक्ति तथा सामाजिक प्रक्रिया (Process) है तथा शिक्षा के क्षेत्र मे प्रत्येक देश मे शैक्षिक विचारो के आदान-प्रदान का पर्याप्त क्षेत्र है, परन्तु पूर्णरूपेण अनुकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक देश की शिक्षा समस्याओ की तुलना द्वारा ऐसे आधारभूत सिद्धान्त ज्ञात किये जा सकते हैं जो सार्वभौमिक उपयोग के हो सकते है और संसार के विभिन्न देश अपनी शिक्षा-प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए उपयोग मे ला सकते हैं। जब हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात करते है तो अन्तर्राष्ट्रीय तथा तुलनात्मक-शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। सम्पूर्ण संसार में मानव-परिवार एक ही है और उस परिवार के कल्याण के साधन शिक्षा के आधार-भूत मूल सिद्धान्तों की उपेक्षा करना उपयुक्त नहीं है। तुलनात्मक शिक्षा आजकल के संसार के अशान्त वातावरण मे शान्ति के अग्रदूत का कार्य कर सकती है और विभिन्न देशों की शिक्षा मे निहित प्रेम का संदेश विश्व के कोने-कोने में फैलाया जा सकता

है। राष्ट्रों में पारस्परिक अवबोधन, सद्भावना और शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना तुलनात्मक-शिक्षा द्वारा की जा सकती है।

तुलनात्मक-शिक्षा द्वारा अनेक लाभ हैं—

(१) अनेक देशों की शिक्षा-समस्याओं के विश्लेषण द्वारा हम उन देशों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमियाँ समझ लेते हैं। साथ ही हमें राष्ट्रों के आदर्शों का ज्ञान होता है। इससे उन राष्ट्रों के प्रति हम में सद्भावना का विकास होता है तथा हमारी विश्लेषण-शक्ति भी विकसित होती है।

(२) अपने देश की शिक्षा-प्रणाली के निर्माण, सुधार तथा उसे सशक्त बनाने लिए हम दूसरे देशों के अनुभवों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी शिक्षा-प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

(३) शिक्षा दृष्टिकोण की विशालता और व्यापकता के उत्पन्न करने में तुलनात्मक अध्ययन का अधिक महत्त्व है। पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना का विकास होता है। शिक्षा का तुलनात्मक-अध्ययन पृथक्करण तथा संकुचित दृष्टिकोण और प्रान्तीयता की भावना को नष्ट करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्व प्रथम यह कार्य लीग आफ नेशन्स (League of Nations) ने किया। अब भी प्रतिवर्ष इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ एजूकेशन (International Bureau of Education) जिनेवा प्रतिवर्ष प्रत्येक देश के शिक्षा-सम्बन्धी आँकड़ों का प्रतिवर्ष प्रकाशन करता है परन्तु यह कार्य अधिक संतोषजनक नहीं रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान सांस्कृतिक संस्था ने अब इस कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व लिया है।

संसार में द्वितीय युद्ध के बाद तुलनात्मक-शिक्षा का महत्व प्रत्येक राष्ट्र समझने लगा है। भिन्न-भिन्न देशों ने शैक्षिक-विनिमय कार्यक्रम स्थापित किये हैं जिनके द्वारा कुछ शिक्षक दूसरे देशों में जाकर वहाँ की शिक्षा-प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने शिक्षक विनिमय योजना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। उसी देश की फोर्ड तथा रौक फैलर संस्थाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता से प्रतिवर्ष विभिन्न देशों से अध्यापक तथा विद्यार्थी वहाँ की शिक्षा-प्रणाली देखने तथा अध्ययन करने जाते हैं।

तुलनात्मक शिक्षा-क्षेत्र में १६ वीं शताब्दी में ही कुछ शिक्षा-विधि में निपुण लोगों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। सर्व प्रथम सन् १८१७ ई० में मार्क एन्टोइन जूलियन डी पेरिस ने दूसरे देशों की शिक्षा-प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन की विस्तृत योजना के विषय में विचार किया। उनका उद्देश्य सभी

देशों की शिक्षा प्रणाली के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करना था। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा परिस्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन किये जा सकते थे। उनकी यह योजना बहुत समय तक ज्ञात नहीं हुई। केवल बीसवीं शताब्दी में फिर से यह प्रकाश में आई। तुलनात्मक शिक्षा अपने प्रारम्भ काल में दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों के वर्णन तक ही सीमित रही।

उन्नीसवीं शताब्दी में दूसरे देशों के *विद्यालयों तथा शिक्षा-विधियों* के विषय में वर्णन की अधिकता रही। न्यूयार्क शहर के प्रोफेसर जौन ग्रिसकौम ने शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन के लिए ग्रेट-ब्रिटेन हालैण्ड, फ्रान्स, स्विट्जर लैण्ड तथा इटली का भ्रमण किया। इन देशों की शिक्षा-प्रणाली को कार्यरूप में देखा। इस अध्ययन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने सन् १८१८ ई० में 'योरुप में एक वर्ष' नामक पुस्तक प्रकाशित की। कुछ समय पश्चात इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ। इसने फ्रान्स, इगलैंण्ड तथा अमेरिका में शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला। अमेरिका के शिक्षा-विद हौरेसमन ने ६ मास तक योरुपीय देशों का भ्रमण किया और इगलैण्ड, स्काटलैण्ड, आयरलैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी तथा हालैण्ड की शिक्षा-प्रणालियों की तुलना, शिक्षा-प्रबन्ध, तथा शिक्षण-विधियों की दृष्टि से की।

इगलैण्ड में तुलनात्मक-शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम मार्ग-दर्शन मैथ्यू आरनोल्ड ने किया। उन्होंने फ्रान्स तथा जर्मनी के शिक्षालयों को वहाँ जाकर कार्य-रूप में देखा। इसी देश के सरमाइकल सैडलर ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये। अमेरिका के शिक्षा-विधि में निपुण हैनरी बर्नार्ड का नाम भी इस क्षेत्र में समान रूप से उल्लेनीय है।

दार्शनिक दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा-अध्ययन करने के प्रथम प्रयास का श्रेय रूसी दार्शनिक तथा शिक्षक सरगियस हैसिन को है। उन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा-नीति की समस्याओं का अपने अध्ययन के लिए चयन किया। अनिवार्य शिक्षा, शिक्षालय तथा राज्य, शिक्षालय तथा चर्च तथा शिक्षालय और धार्मिक जीवन ही इन चार समस्याओं का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। हैसिन ने शिक्षा के मूल सिद्धान्तों का विश्लेषण किया और बहुत से देशों की आधुनिक कानूनी व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन इन चारों समस्याओं के विषय में किया। हैसिन ने *राष्ट्रीय प्रणालियों को ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमियों से सम्बद्ध* करने का प्रयास नहीं किया।

बीसवीं शताब्दी में प्रो० आई० एल० कंडल ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में जो नेतृत्व प्रदान किया उसे शिक्षा-संसार कभी भी नहीं भुला सकता है। तुलनात्मक-शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नत करने और इतनी ख्याति प्राप्त कराने का श्रेय उन्हीं को है। उनके विचार से किसी देश की शिक्षा-प्रणाली के निर्माण में प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का बहुत महत्व है। प्रो० कंडल के मतानुसार बहुत से देशों में शिक्षा-समस्यायें और उद्देश्यों में कुछ समानता मिलती है परन्तु इन समस्याओं का हल देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। प्रत्येक देश अपनी परम्परा तथा संस्कृति से प्रभावित होकर इन समस्याओं को सुलझाकर हल ज्ञात करता है। किसी राष्ट्र के प्राचीन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सब शिक्षा-विकास में मौलिक वस्तुयें हैं। यह सब अन्तर होते हुये भी वर्तमान युग में कुछ शिक्षा-समस्याओं में सार्वभौमिक समानता है और उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हल तथा समाधान हो सकता है। बहुत देशों से निरक्षरता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा सुविधाओं की वृद्धि तथा शिक्षा प्राप्त करने के सभी व्यक्तियों को समान अवसर आदि ऐसी समस्यायें हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धशाली तथा उन्नत देशों के सहयोग से हल की जा सकती है। सभी राष्ट्र अपनी शिक्षा की उन्नति द्वारा समाज की उन्नति में सहयोग दे सकते है और मानवता के कल्याण में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

तुलनात्मक-शिक्षा की अध्ययन-विधियाँ

उन्नीसवीं शताब्दी में ही शिक्षा-विधि में निपुण व्यक्तियों ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन के भिन्न-भिन्न साधन अपनाए हैं। आरम्भ में केवल वर्णनात्मक तथा सांख्यकीय-पद्धति का आश्रय लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा का आरम्भ वर्णनात्मक पद्धति से हुआ और अधिकतर वर्णन इस काल में अन्य देशीय शिक्षा, शिक्षालयों तथा शिक्षा-विधियों के विषय में प्राप्त होते हैं। प्रोफेसर जौन ग्रिसकोम, विक्टर कजिन, होरेसमन, मैथ्यू आरनोल्ड की पुस्तकों में विभिन्न देशों के शिक्षालय का वर्णन तथा उनकी संख्या आदि का उल्लेख मिलता है। इन लेखों में दूसरे देशों की उस समय की शिक्षा-प्रणाली के विषय में पर्याप्त सूचना दी गई थी परन्तु इस प्रकार के वर्णन में आत्मीयता (Subjectivity) का आभास हमें मिलता है।

सांख्यकीय विधि में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के लिए किये हुये सम्पूर्ण शिक्षा के व्यय, स्कूल-भवनों के बनवाने का मूल्य, उनकी माप तथा आकृति, विद्यार्थियों

देशों की शिक्षा प्रणाली के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करना था। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा परिस्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन किये जा सकते थे। उनकी यह योजना बहुत समय तक ज्ञात नहीं हुई। केवल बीसवीं शताब्दी में फिर से यह प्रकाश में आई। तुलनात्मक शिक्षा अपने प्रारम्भ काल में दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों के वर्णन तक ही सीमित रही।

उन्नीसवीं शताब्दी में दूसरे देशों के विद्यालयों तथा शिक्षा-विधियों के विषय में वर्णन की अधिकता रही। न्यूयार्क शहर के प्रोफेसर जौन ग्रिसकौम ने शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन के लिए ग्रेट-ब्रिटेन, हालैण्ड, फ्रान्स, स्विट्ज़रलैण्ड तथा इटली का भ्रमण किया। इन देशों की शिक्षा-प्रणाली को कार्यरूप में देखा। इस अध्ययन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने सन् १८१८ ई० में 'योरुप में एक वर्ष' नामक पुस्तक प्रकाशित की। कुछ समय पश्चात इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ। इसने फ्रान्स, इङ्गलैण्ड तथा अमेरिका में शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला। अमेरिका के शिक्षा-विद हौरेसमन ने ६ मास तक योरुपीय देशों का भ्रमण किया और इंगलैण्ड, स्काटलैण्ड, आयरलैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी तथा हालैण्ड की शिक्षा-प्रणालियों की तुलना, शिक्षा-प्रबन्ध, तथा शिक्षण-विधियों की दृष्टि से की।

इङ्गलैण्ड में तुलनात्मक-शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम मार्ग-दर्शन मैथ्यू आरनोल्ड ने किया। उन्होंने फ्रान्स तथा जर्मनी के शिक्षालयों को वहाँ जाकर कार्यरूप में देखा। इसी देश के सरमाइकल सैडलर ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये। अमेरिका के शिक्षा-विधि में निपुण हैनरी बर्नार्ड का नाम भी इस क्षेत्र में समान रूप से उल्लेखनीय है।

दार्शनिक दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा-अध्ययन करने के प्रथम प्रयास का श्रेय रूसी दार्शनिक तथा शिक्षक सरगियस हैसिन को है। उन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा-नीति की समस्याओं का अपने अध्ययन के लिए चयन किया। अनिवार्य शिक्षा, शिक्षालय तथा राज्य, शिक्षालय तथा चर्च तथा शिक्षालय और आर्थिक जीवन ही इन चार समस्याओं का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। हैसिन ने शिक्षा के मूल सिद्धान्तों का विश्लेषण किया और बहुत से देशों की आधुनिक कानूनी व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन इन चारों समस्याओं के विषय में किया। हैसिन ने राष्ट्रीय प्रणालियों को ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमियों से सम्बद्ध करने का प्रयास नहीं किया।

बीसवीं शताब्दी में प्रो० आई० एल० कैंडल ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में जो नेतृत्व प्रदान किया उसे शिक्षा-संसार कभी भी नहीं भुला सकता है। तुलनात्मक-शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नत करने और इतनी ख्याति प्राप्त कराने का श्रेय उन्हीं को है। उनके विचार से किसी देश की शिक्षा-प्रणाली के निर्माण में प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का बहुत महत्व है। प्रो० कैंडल के मतानुसार बहुत से देशों में शिक्षा-समस्यायें और उद्देश्यों में कुछ समानता मिलती है परन्तु इन समस्याओं का हल देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। प्रत्येक देश अपनी परम्परा तथा संस्कृति से प्रभावित होकर इन समस्याओं को सुलझाकर हल ज्ञात करता है। किसी राष्ट्र के प्राचीन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सब शिक्षा-विकास में मौलिक वस्तुयें हैं। यह सब अन्तर होते हुये भी वर्तमान युग में कुछ शिक्षा-समस्याओं में सार्वभौमिक समानता है और उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हल तथा समाधान हो सकता है। बहुत देशों से निरक्षरता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा सुविधाओं की वृद्धि तथा शिक्षा प्राप्त करने के सभी व्यक्तियों को समान अवसर आदि ऐसी समस्यायें हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धशाली तथा उन्नत देशों के सहयोग से हल की जा सकती है। सभी राष्ट्र अपनी शिक्षा की उन्नति द्वारा संसार की उन्नति में सहयोग दे सकते है और मानवता के कल्याण में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

तुलनात्मक-शिक्षा की अध्ययन-विधियाँ

उन्नीसवीं शताब्दी से ही शिक्षा-विधि में निपुण व्यक्तियों ने तुलनात्मक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन के भिन्न-भिन्न साधन अपनाये हैं। आरम्भ में केवल वर्णनात्मक तथा सांख्यकीय-पद्धति का आश्रय लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक शिक्षा का आरम्भ वर्णनात्मक पद्धति से हुआ और अधिकतर वर्णन इस काल में अन्य देशीय शिक्षा, शिक्षालयों तथा शिक्षा-विधियों के विषय में प्राप्त होते हैं। प्रोफेसर जौन ग्रिसकोम, विक्टर कजिन, होरेसमन, मैथ्यू आरनोल्ड की पुस्तकों में विभिन्न देशों के शिक्षालय का वर्णन तथा उनकी संख्या आदि का उल्लेख मिलता है। इन लेखों में दूसरे देशों की उस समय की शिक्षा-प्रणाली के विषय में पर्याप्त सूचना दी गई थी परन्तु इस प्रकार के वर्णन में आत्मीयता (Subjectivity) का आभास हमें मिलता है।

सांख्यकीय विधि में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के लिए किये हुये सम्पूर्ण शिक्षा के व्यय, स्कूल-भवनों के बनवाने का मूल्य, उनकी नाप तथा आकृति, विद्यार्थियों

की संख्या, उनकी औसत उपस्थिति, विभिन्न स्तरों पर उनकी सफलता तथा अशिक्षितों की संख्या आदि के विषय में सांख्यकीय-सूचना दी गई है। यह विधि उपयोगी अवश्य है परन्तु इस बात की आवश्यकता है कि संख्याओं में एक रूपता (Uniformity) हो तथा संख्यायें ऐसी हों जिससे एक देश की शिक्षा-संस्थाओं की तुलना दूसरे से सुविधापूर्वक की जा सके।

पूर्ववृतान्त सम्बन्धी अध्ययन विधि (Case-study method) का अनुसरण भी दूसरे विषयों तथा मनोविज्ञान के समान तुलनात्मक-शिक्षा-क्षेत्र में किया गया है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षा के विषयों में पूरा-पूरा वृतान्त इसलिए ज्ञात किया जाता है, जिससे शिक्षा की आधुनिक समस्याओं का हल ज्ञात किया जा सके। इस विधि को समस्या-विधि (Problem method) भी कहा गया है क्योंकि इस विधि में शिक्षा-समस्याओं के सुलझाने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

विश्लेषणात्मक पद्धति—का अनुसरण मुख्यरूप से **माइकेल सैडलर, पौल मुनरो तथा आई० एल० कैण्डल** ने किया है। इन शिक्षा-शास्त्रियों के मत में उन ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक कारणों का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है जिनके फलस्वरूप किसी देश की विशिष्ट शिक्षा-प्रणाली उत्पन्न तथा विकसित होती है। इन कारणों के विश्लेषण बिना शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन अधूरा है। किसी शिक्षा प्रणाली पर विचार करते समय वहाँ के प्राचीन इतिहास, राष्ट्रीय तथा धार्मिक परम्पराओं को भी नहीं भुलाया जा सकता है। दो शिक्षा-प्रणालियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं तथा समानताओं का विश्लेषण भी शिक्षा का अत्यन्त रोचक विषय है।

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान काल में विश्लेषणात्मक और उपयोगितावाद विधि का प्राधान्य है। किसी देश की शिक्षा-प्रणाली की उत्पत्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कारणों के विश्लेषण करने के बाद उस शिक्षा-प्रणाली के गुण और अवगुण ज्ञात किए जाते हैं। शिक्षा-प्रणाली की अच्छाइयों तथा उसे सशक्त बनाने वाली वस्तुओं का प्रयोग निजी प्रणाली के सुधार में सहायक सिद्ध हो सकता है। जहाँ शिक्षा-पद्धति दोषपूर्ण तथा अशक्त है, उनके दोष निवारण का पूर्ण तथा शक्तिवान प्रयत्न किया जा सकता है। दूसरे देशों के अनुभवों द्वारा लाभान्वित होकर शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताओं का सुधार किया जा सकता है। यह अध्ययन विधि इस बात का प्रतिपादन करती है कि विभिन्न देश एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। इस सम्बन्धी विचारों का स्वतन्त्र रूप से एक दूसरे देश में आदान-प्रदान

हो, सभी देश एक दूसरे मे सीखें और अपने ज्ञान-भंडार को बढायें, अन्त मे मानव-जाति के कल्याण के लिए उत्तम शिक्षा-प्रणालियो तथा शिक्षा-विधियो का अनुसंधान करे। इस विधि मे राष्ट्रो मे प्रेम, सहयोग भ्रातृत्व, तथा सद्-भावना की प्रधानता होनी चाहिए तभी शिक्षा द्वारा उनका कल्याण हो सकता है।

हम बीसवीं शताब्दी मे तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की विभिन्न विधियों मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता पाते हैं।

१—प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा-समस्याओ का उसकी राष्ट्रीय पृष्ठ-भूमि के प्रसंगानुसार परीक्षण।

२—राष्ट्रीय पृष्ठ-भूमि मे पाए जाने वाली ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों की एक दूसरे पर प्रभाव डालन वाली क्रिया देखना और शिक्षा-प्रणालियो के विकास मे उनका योग।

३—शिक्षा के मौलिक एव आधारभूत सिद्धान्तों को निर्धारित तथा सीमा-न्वित करना अर्थात् अन्तर्निहित मूल सिद्धान्तो को निर्धारित करना।

४—शिक्षा-प्रणालियो की समानताओं और विभिन्नताओं की तुलना करना।

५—विभिन्न शिक्षा-प्रणालियो की शक्तियो और दुर्बलताओ को ज्ञात करना तथा शिक्षा-समस्याओ का हल ज्ञात करना।

६—ऐसे मौलिक आधारभूत सिद्धान्तो को ज्ञात करना जो सार्वजनिक तथा सार्वभौमिक उपयोग के हैं और जो अपने देश के लिए लाभदायक सिद्ध हों।

तुलनात्मक-शिक्षा विकास मे संसार के तीन मुख्य केन्द्रो का अधिक महत्व है जहाँ अब तक इस प्रकार के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया है - (१) इन्टरनैशनल एजूकेशन ब्यूरो, जिनेवा (२) इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन लन्दन यूनिवर्सिटी, (३) टीचर्स कालेज कोलम्बिया यूनिवर्सिटी।

संसार के विभिन्न देशों मे विद्यार्थी इन तीनो केन्द्रो मे आकर शिक्षा के तुलनात्मक क्षेत्र के विकास का अध्ययन करते रहे है। प्रति वर्ष इन केन्द्रो म संसार के विभिन्न देशों की शिक्षा सम्बन्धी अध्ययनो तथा शिक्षा-समस्याओ का उल्लेख होता है और इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार होता रहता है।

वर्तमान युग में तुलनात्मक-शिक्षा-क्षेत्र मे विश्लेषणात्मक तथा उपयोगिता वाद अध्ययन-विधियों की प्रधानता है। भूतकाल मे देशों की शिक्षा-प्रणालियो के अध्ययन में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था, इसलिए दूसरे देशो की शिक्षा-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन केवल नीरस और अस्थि पिंजर सदृश्य बना रहा। अतएव इस क्षेत्र मे कुछ गवेषणात्मक अध्ययन अधिक सफल नही हो सके।

सत्य तो यह है कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की कोई एक विधि पर्याप्त नही है। सफल अध्ययन के लिए हमे सभी उपर्युक्त विधियों को अपनाना होगा और उनमे समन्वय स्थापित करना पडेगा। वर्णनात्मक, सांख्यिकीय, तथा विश्लेषणात्मक सभी विधियों का सम्मिश्रण करके ही हम सफल अध्ययन कर सकते हैं।

आज कल के युग मे ऐसे शिक्षा-दक्षों की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणालियों की इन सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमियों को समझ सकें और शिक्षा को वास्तव मे सार्थक बना सकें तथा उसे जीवन प्रदान करें। प्रत्येक शिक्षा-दिशा मे उनकी विचारधारा रचनात्मक तथा गवेषणात्मक हो। तुलनात्मक शिक्षा इस दिशा में अधिक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विषय हो सकती है और विश्व के राष्ट्रों मे सहृदयता तथा मैत्री का संदेश पहुंचा सकती है।

संगठन और प्रबन्ध की दृष्टि से इंगलैंड और वेल्स की शिक्षा-प्रणाली दूसरे देशों की शिक्षा-प्रणाली से कई प्रकार से भिन्न है।

विशेष रूप में शिक्षा संगठन के क्षेत्र में शक्ति, उत्तर-दायित्व तथा नियन्त्रण का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) हुआ है। शिक्षा का प्रबन्ध केन्द्र तक ही सीमित नहीं है, स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारी[1] को पर्याप्त अधिकार तथा उत्तर-दायित्व दिया गया है। केन्द्र तथा स्थानीय-शिक्षा प्राधिकारी के मध्य शक्ति, अधिकार, तथा कर्त्तव्यों का उचित रूप से वितरण हुआ है। केन्द्रीय-शिक्षा-मंत्रालय शिक्षा-क्षेत्र में उचित सहयोग परामर्श तथा प्रोत्साहन देता है और मैत्री-पूर्ण सच्चे पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है। केन्द्रीय शिक्षा-सत्ता नानाशाही विधि से शिक्षा का रूप निर्धारण नहीं करती है और न अब तक इंगलैंड के शिक्षा-इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण मिलता है जब शिक्षा-मंत्री ने अकारण ही स्थानीय शिक्षा अधिकारी के कार्य में हस्तक्षेप किया हो। यद्यपि १९४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार शिक्षा-मंत्री को अधिक अधिकार तथा शक्ति प्रदान की गई और केन्द्रीय-शिक्षा-मंत्री का कर्त्तव्य शिक्षा का नियन्त्रण[2] और निर्देशन[3] तक बतलाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट तथा बाहरी क्षेत्रों में यह सन्देह प्रकट किया जाने लगा कि केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय के इतने विस्तृत अधिकार शिक्षा-क्षेत्र में केन्द्रीकरण कर नानाशाही न उत्पन्न कर दें और केन्द्र शिक्षा-प्रगति तथा उन्नति के स्थान पर बाधा न पहुँचाये। परन्तु समय ने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा के केन्द्रीकरण और केन्द्र नानाशाही तथा हस्तक्षेप का भय निर्मूल तथा निराधार था। इंगलैंड के केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने सदैव ही राष्ट्र की भलाई के लिये शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी सदैव से ही शिक्षा-मंत्रालय द्वारा सहयोग तथा सच्चा पथ-प्रदर्शन पाते रहे हैं। शिक्षा-मंत्रालय तथा स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारी ने शिक्षा-क्षेत्र में सहकारिता की भावना से कार्य किया है और दोनों में सम्बन्ध सहकारिता, सहयोगिता तथा मैत्री-पूर्ण पथ-प्रदर्शन पर आधारित है।

(१) उत्तर-दायित्व और नियन्त्रण का विकेन्द्रीकरण-इंगलैंड में शिक्षा-क्षेत्र में शक्ति तथा अधिकारों का विकेन्द्रीकरण अवश्य हुआ है, परन्तु उस सीमा तक नहीं पहुँचा है जैसा 'संयुक्त राष्ट्र अमेरिका' में है। संयुक्त राष्ट्र की अत्यधिक विकेन्द्रीकरण-नीति तथा शिक्षा-क्षेत्र में अत्यन्त स्वतन्त्रता ने किसी सीमा तक शिक्षा-स्तर को गिरा दिया है। बहुत से व्यक्तियों ने धन कमाने के

---

1. Local Education Authorities. 2. Control
3. Guidance

लोभ के कारण निम्न-स्तर के विश्वविद्यालय खोलकर और जाली तथा निम्न स्तर की सस्ती डिग्रियां प्रदान कर शिक्षा-क्षेत्र मे बड़ा अहित किया है। इस देश के कुछ निम्न स्तर के विश्व विद्यालयों को 'डिप्लोमा बनाने के कारखाने' कहना अनुचित न होगा।

इसके बिलकुल विपरीत सोवियत संघ (U. S. S. R.) मे शिक्षा का पूर्ण रूप से केन्द्रीकरण है क्योंकि पूरे सोवियत संघ मे सभी उच्च शिक्षालयों का नियन्त्रण वहाँ के उच्च शिक्षा-मन्त्रालय (Ministry of Higher Education) से होता है।

प्रजातांत्रिक देशों मे केवल 'फ्रांस' ही ऐसा देश है जिसने राजनैतिक-स्वतन्त्रता मे विश्वास रखते हुये भी शिक्षा-क्षेत्र मे 'केन्द्रीकरण अपना रक्खा है। फ्रांस की राजधानी 'पेरिस मे स्थित शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यालय मे बैठकर यह सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है कि देश के विद्यालयों मे किस समय क्या विषय तथा पाठ्य-वस्तु पढ़ाई जा रही है।

इंगलैण्ड ने सदैव ही मध्य का स्वर्णिम-मार्ग अपनाया है तथा व्यक्तिगत और प्रजातांत्रिक स्वतत्रता की रक्षा की है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक-स्वाधीनता 'अंग्रेजों की सम्पत्ति है। राज्य की ओर से अनावश्यक हस्तक्षेप वहाँ के निवासियों को रुचिकर नहीं है। इस देश के निवासियों ने केवल राजनीति मे ही नहीं वरन् शिक्षा-क्षेत्र मे भी 'राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, (Laissex-Faire) इस नीति को धारण किया, है केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का मुख्य कार्य 'राष्ट्रीय माप-दण्ड तथा स्तरों को स्पष्ट करना है। केन्द्र स्थानीय-सस्थायें तथा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी, तथा स्वेच्छा से किये जाने वाले शिक्षा उन्नति के प्रयास तथा स्वेच्छा-सस्थाओ मे मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा सहकारिता की भावना पाई जाती है। राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करते हुये शिक्षकों को स्वेच्छा से कार्य करने वाली सस्थाओं को उनके पूर्ण अधिकार, शिक्षाक्षेत्र मे कार्य करने के लिये प्रोत्साहन, तथा स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। ब्रिटिश सरकार के पूरे ढाँचे को देखने से इस मे मैत्रीपूर्ण सहयोग का अनुमान ठीक प्रकार लगाया जा सकता है।

(२) इंगलैण्ड मे शिक्षा-विकास तथा उन्नति मे प्राचीन समय से अब तक ऐच्छिक रूप या स्वेच्छा से काम करने वाली शिक्षा-संस्थाओं ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आरम्भ मे धार्मिक सस्थाओं, परोपकारी तथा उदार लोगों ने देश मे शिक्षा की उन्नति के लिये बहुत सराहनीय कार्य किया और नेतृत्व प्रदान किया। आरम्भिक अवस्था मे शिक्षा ऐच्छिक सस्थाओं द्वारा मुख्य रूप से धार्मिक सस्थाओं द्वारा आरम्भ हुई थी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि

इ गलैंड की शिक्षा चर्च और 'मौनास्टरीज की सन्तान है'। राज्य ने शिक्ष क्षेत्र में केवल १६ वीं शताब्दी मे प्रवेश किया, और धीरे धीरे कार्य किया है वहुत समय तक केवल अति आवश्यक तथा कम से कम सुविधायें ही प्रद की इ गलैण्ड के चर्च द्वारा बहुत से नर्सरी स्कूल, शारीरिक और मानसिक रू मे दुर्बल बालकों के लिये स्कूल, प्राइमरी, माध्यमिक, टीचर्स ट्रेनिंग कालि तथा विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। यहाँ हमेशा इन स्वेच्छा से काम कर वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। किंग स्कूल कैन्टरबरी तथा सै पीटर्स स्कूल, योर्क दोनो ही शिक्षालय दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों पर ही आरम हुये। कैन्टरबरी तथा यार्क दोनों ही स्थानो पर ७ वी शताब्दी मे मशहू महान् पादरी रहा करते थे। ८ वीं शताब्दी में ऐंग्लो-सैक्सन मौनास्टरीज ज्ञा तथा विद्वता की प्रसिद्ध केन्द्र थीं। बाद मे चर्च तथा मोनास्टरीज द्वारा ११ व शताब्दी मे दान द्वारा स्थापित किये हुये ग्रामर स्कूल शिक्षा-क्षेत्र मे स्वेच्छा काम करने वाली संस्थाओं के उदाहरण है। ऐच्छिक संस्थाओं के कार्य कर की इस प्रवृत्ति के कारण शिक्षा-क्षेत्र मे विभिन्नता के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ सभी ऐच्छिक संस्थायें स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति का समर्थ करती हैं। यद्यपि बहुत कुछ सीमा तक सम्पूर्ण शिक्षा का सार्वजनिक नियन्त्रण (Public Control), अब भी ऐच्छिक संस्थायें शिक्षा के आयोजन प्रवन्ध तथ अर्थ व्यवस्था मे ऐच्छिक संस्थायें अब तक महत्वपूर्ण कार्य करती रही हैं इसके साथ ही परम्परागत स्वतन्त्रता जो प्राचीन समय से ही ऐच्छिक संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र मे राज्य के हस्तक्षेप से पहले ही स्थापित की थी, अब भी सार्वजनिक शिक्षालयो मे उसका समावेश किया जा रहा है।

इ गलैण्ड की महान शिक्षा-संस्थायें ऐच्छिक संस्थाओ द्वारा स्थापित तथा प्रयत्नो के फल-स्वरूप विकसित हुई है। इ गलैण्ड 'महान् पब्लिक-स्कूलों की स्थापना तथा उन्नति और विकास मे ऐच्छिक संस्थाओं ने सबसे अधिक महत्व-पूर्ण कार्य किया।

(३) शिक्षालयों प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षको को शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता – ब्रिटिश शिक्षालयो के विचार मे प्रत्येक शिक्षालय को स्वायत्त शासन का अधिकार होना चाहिये, और वे हमेशा ही इस स्वायत्तता (Autonomy) की रक्षा करने मे उद्यत रहते हैं। प्रत्येक शिक्षालय को अपने आदर्शों के अनुसार सामूहिक तथा सामाजिक-जीवन के संगठन तथा निर्देशन *करने का पूर्ण अधिकार रहता है। प्राइमरी स्कूलों की स्वतन्त्रता तथा*

स्वायत्तता (Autonomy) की रक्षा, 'बोर्ड आफ मैनेजर्स'[1] (Board of Managers) द्वारा तथा माध्यमिक विद्यालयों की स्वतन्त्रता की रक्षा गवर्नरस्[2] द्वारा की जाती है।

इन दोनों प्रकार की बोर्डों का कर्त्तव्य शिक्षालयों के विशिष्ट हितों का ध्यान रखना और उनके दिन प्रतिदिन के जीवन पर संरक्षक के समान दृष्टि रखना है। बोर्ड के सदस्य कोई वेतन नहीं पाते हैं, उनकी सेवायें ऐच्छिक होती हैं परन्तु सेवा को विशेष गौरव तथा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। व्यवस्थित स्कूलों (Maintained schools) के विषय में ये बोर्ड स्थानीय अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और अपने अधिक उत्तरदायित्व का भाग प्रधानाध्यापक को सौंप देते हैं। सामान्य रूप से प्रधान अध्यापक को शिक्षालय की व्यवस्था का नियोजन तथा निर्धारण, पाठ्यक्रम, शिक्षाविधि, अनुशासन-सम्बन्धी तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन करने की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाती है। बोर्ड के सदस्य तथा गवर्नर्स प्रधानाध्यापक से आशा करते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में नई नई बातों का सूत्रपात करें, और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रक्खें और उनका विश्वास-पात्र बनकर अपने रचनात्मक विचारों को क्रियात्मक रूप दें और अपनी इच्छानुसार शिक्षार्थियों के हित में ही शिक्षा का प्रबन्ध करें। ठीक इसी प्रकार प्रधानाध्यापक भी शिक्षकों को पर्याप्त स्वतन्त्रता के साथ कार्य करने की अनुमति देते हैं और यह आशा करते हैं कि शिक्षक भी उत्साहित होकर शिक्षा क्षेत्र में नवीन कार्य आरम्भ करने की शक्ति का विकास स्वयं में करें। कक्षा में नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करें और शिक्षालय की पाठ्य-क्रम सहगामी क्रियाओं का प्रबन्ध करने में अपने आप कार्य आरम्भ करने की शक्ति का परिचय दें। प्रधानाध्यापक अपने सहायक शिक्षकों को कभी भी तानाशाही विधि से आज्ञा नहीं देते हैं। किसी विषय की शिक्षण विधियाँ या स्कूल के सार्वजनिक-जीवन का प्रबन्ध शिक्षक स्वयं ही करते हैं। विद्यालय में तानाशाही-विधियाँ कभी भी पसन्द नहीं की जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानाध्यापक लाभदायक परामर्श अपने सहयोगी शिक्षकों को देते है और वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

सन् १९४४ तक शिक्षालय की स्वायत्तता तथा शिक्षक की स्वतन्त्रता प्राइमरी विद्यालयों की अपेक्षा माध्यमिक विद्यालयों में अधिक स्पष्ट रूप से

1. Board of Managers for Primary schools.
2 Board of governors for secondary sclools.

देखने मिलती थी। परन्तु शिक्षालय की स्वायत्तता (Autonomy) तथा शि
की व्यवसायिक स्वतन्त्रता सबसे पूर्ण तथा स्पष्ट रूप में विश्वविद्यालयों
देखने को मिलती है। विश्वविद्यालय पूर्ण स्वतन्त्र तथा स्व-शासित संस्थायें
और पालियामेंट के अतिरिक्त किसी बाहरी अधिकारी से नियन्त्रित नहीं है
हैं। पालियामेंट भी केवल विश्वविद्यालय की प्रार्थना पर ही कभी-क
हस्तक्षेप करती है। विश्वविद्यालय या शिक्षण सम्बन्धी नियुक्तियों में र
नैतिक हस्तक्षेप कभी नहीं होता है। विश्वविद्यालय लगभग अपनी आय
३/४-भाग सरकारी सार्वजनिक कोष से पाते हैं परन्तु इतना होते हुये भी
स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त हैं।

माध्यमिक-स्तर तथा अन्य स्तरों पर भी इंगलैंड के शिक्षक पाठ्य-क्र
शिक्षा-विधि पाठ्य पुस्तकों आदि आदेशों द्वारा किसी से नियन्त्रित नहीं कि
जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक उच्च अधिकारियों की बाह्य आज्ञा से अ
शासित नहीं होते हैं। शिक्षक विभिन्न विषयों को अपनी इच्छानुसार उ
समझने वाली विधियों से पढ़ाते हैं, और स्वतंत्रतापूर्वक पाठ्य पुस्तकों को च
करते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे के कार्य में अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप न
करता है। इंगलैण्ड में प्रत्येक शिक्षालय प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक की व्य
गत स्वाधीनता के प्रति परम आदर दिखाई पड़ता है। प्रधानाध्यापक स्था
रूप से अपने जहाज में कप्तान के स्वरूप होता है। पाठ्य-क्रम तथा समय-सारि
भी वह अपने सहायक अध्यापकों की सहायता से तैयार करता है। किसी
शिक्षालय में पाठ्यक्रम भारत की तरह थोपा नहीं जाता है। इसके फलस्वरू
प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न शिक्षण विधियाँ अथवा शिक्षण-सामग्री देखने मिल
है। शिक्षक कोई भी शिक्षण-विधि अपनाने को स्वतंत्र होता है शिक्षा मन्त्राल
से समय समय पर विभिन्न प्रकार के सुझाव उन्हें मिलते रहते हैं। शिक्ष
द्वारा बनाई हुई उपयुक्त योजनायें शिक्षा-मंत्रालय द्वारा स्वेच्छा-पूर्वक स्वीका
करली जाती है। शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा शिक्षा की नवीन विधियों, तथा नवी
विभाग के संगठन तथा मौलिकता को प्रोत्साहन मिलता है।

(४) इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्नता है यहाँ के निवासियों
बाहर से थोपी हुई एक रूपता (Imposed uniformity) को सदैव घृण
की दृष्टि से देखा है। शिक्षालयों में, पाठ्यक्रमों में और शिक्षा विधियों
विभिन्नता मिलती है और हर समय शिक्षा-क्षेत्र में नये नये अनुसन्धान औ
गवेषणायें होती रहती हैं। रूस तथा दूसरे तानाशाही देशों के समान शिक्षा के
क्षेत्र में राज्य द्वारा थोपी हुई एकरूपता नहीं मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में
विभिन्नता पाये जाने के कई कारण हैं, पर निम्नांकित मुख्य हैं—

(अ) प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, स्थानीय शिक्षा, प्रधिकारियों तथा ऐच्छिक संस्थाओं को शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग, अनुसंधान तथा गवेषणा करने की पूर्ण स्वतंत्रता या स्वायत्तता तथा शिक्षा-सुधार के लिये कार्य करने के लिए प्रत्येक अवसर पर प्रोत्साहन मिलता है।

(ब) शिक्षा क्षेत्र में सभी ऐच्छिक संस्थाओं तथा राज्य का सहयोगी भावना से कार्य करना।

(स) विभिन्न धार्मिक तथा ऐच्छिक संस्थाओं ने शिक्षा-सुधार की अपने विशेष विधियाँ अपनाई हैं जो एक, दूसरे से उद्देश्यों की आधारभूत एकता रखते हुये भी बाह्य रूप में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं। ऐच्छिक प्रयत्नों तथा शिक्षा—स्वतंत्रता में घनिष्ट सम्बन्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही ऐच्छिक संस्थाओं को अपनी पूर्ण शक्ति उत्साह तथा सामर्थ्य से कार्य करने का अवसर मिलता है। कभी कभी राज्य द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण शिक्षा की प्रगति तथा विकास में बाधा पहुँचाते हैं। इंगलैण्ड, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका दोनों ही संसार की दो बड़ी शिक्षा प्रयोगशालायें हैं जहाँ प्रतिक्षण शिक्षा, और मनोवैज्ञानिक विषयों पर महत्वपूर्ण गवेषणायें होती रहती हैं। दोनों की प्रयोग-विधि में अन्तर अवश्य है, इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है।

इंगलैंड क्रमिक—उन्नति वाला देश है[1]। यहाँ की राजनैतिक संस्थाओं में स्थिरता है। अचानक राजनैतिक उत्थान तथा क्रांतिकारी परिवर्तन (Revolutionary changes) यहाँ के निवासियों का रुचिकर नहीं हैं। शीघ्र परिवर्तनों से उन्हें घृणा है। कुछ आलोचकों का कहना है कि इस देश के निवासियों का यह दृष्टिकोण शिक्षा सुधार में किसी सीमा तक बाधक हुआ है, और सुधारों की प्रगति धीमी रही है। इस देश में मौलिक तथा नवीन विचारों को सनातनी विचारों पर विजय पाने में समय लगता है। यहाँ सुधार अवश्य होते हैं परन्तु उनकी व्यावहारिकता का ध्यान रक्खा जाता है, और पुराने सुधारों से समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है।

(५) इंगलैंड की शिक्षा-प्रणाली का विकास अभिवृद्धि (Accretion) द्वारा हुआ है। रूस तथा चीन आदि देशों के समान क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुए हैं। राष्ट्र की यह विशेषता है कि सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार उसने प्राचीन-शिक्षा-प्रणाली में आवश्यक परिवर्तनों का समावेश कर

1. Land of evolution rather than revolution.

लिया। समयानुसार तथा नवीन परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा-प्रणाली में अनुकूलन (Adaptation) के वहाँ असंख्य उदाहरण मिलते हैं। इस देश के निवासियों का प्राचीन संस्कृति, इतिहास, प्राचीन परम्परा तथा विचारों के प्रति अगाध प्रेम है। उन्होंने सदैव ही इस अमूल्य निधि की रक्षा की है। नये शिक्षा-अनुसंधानों और नई परम्पराओं का आदर तो होता ही है, परन्तु प्राचीन वस्तुओं के प्रति उनकी सदैव श्रद्धा बनी रहती है। प्राचीनता में नवीनता का समावेश करके सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अँग्रेज नवीनता की भड़क से चकाचौंध में नहीं पड़ते हैं, परन्तु उसे व्यावहारिक-ज्ञान पर प्राचीन परम्परा तथा संस्कृति की कसौटी पर कस कर ही उसे स्वीकार करते हैं। यदि कोई सिद्धान्त व्यावहारिक है और प्राचीन परम्परा से मेल खाता है तो उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता है।

प्राचीनता तथा नवीनता में सामंजस्य स्थापित करने वाले इस देश में इसलिए शिक्षा का विकास शनै शनै हुआ। वहाँ की संस्थाओं ने कभी भी अतीत से अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया, और सदैव ही स्वयं को समय, नई परिस्थितियों, सामाजिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं के अनुसार परिवर्तित तथा अनुकूल बनाया है। यहाँ के निवासी सैद्धान्तिकता की अपेक्षा व्यावहारिकता अधिक पसन्द करते हैं। यहाँ की शिक्षा-प्रणाली में वर्ग-भेद की भावना अवश्य दृष्टिगोचर होती है परन्तु अब वह धीरे-धीरे बदल रही है।

आज कल ब्रिटेन में ११ वीं शताब्दि के ग्रामर तथा पब्लिक-स्कूल और १९४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार स्थापित मोडर्न स्कूल (Modern School) पाये जाते हैं। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन तथा नवीन का सामंजस्य ही इंगलैण्ड के शिक्षा-इतिहास का मुख्य गुण है। इंगलैण्ड की संस्थायें कभी भी प्राचीन वस्तुओं से अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं करती हैं परन्तु समयानुसार और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उन प्राचीन संस्थाओं को नई परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया जाता है। यह उचित ही कहा गया है कि, "ब्रिटेन-शिक्षा प्रणाली में एक प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था को क्रान्तिकारी परिवर्तन द्वारा समाप्त करने के लिये कोई स्थान नहीं है, परन्तु आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने तथा परिस्थित्यानुकूल बनाने के लिए बहुत क्षेत्र है।

"The whole English educational system has grown by general adaptation, by 'mending and not by ending'."

(६) राज्य द्वारा शिक्षा का आरम्भ और जन साधारण की शिक्षा के विस्तार के विचार केवल १९ वीं शताब्दी में ही आरम्भ हुये।

(७) इंगलैंड की शिक्षा-प्रणाली में बाल-मनोविज्ञान का बहुत महत्व है और बच्चा ही शिक्षा का केन्द्र है। उनकी अवस्था, बुद्धि और विशेष रुचि का बहुत ध्यान रक्खा जाता है। १६४४ के शिक्षा-एक्ट की एक धारा के अनुसार उनकी अवस्था, बुद्धि और रुचि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बौद्धिक-भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुये ही उनको शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलताओं वाले बच्चों के लिये अलग प्रबन्ध है जिन्हें विशेष स्कूलों में शिक्षा दी जाती है।

(८) इंगलैंड की शिक्षा में चरित्र-निर्माण और चरित्र-विकास पर अधिक महत्त्व दिया जाता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र-विकास है। देशों के भिन्न-भिन्न जीवन-दर्शनों के अनुसार ही वहाँ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में अमेरिका के लोग शिक्षित-मनुष्य की उपयोगिता पर अधिक जोर देते हैं। The English man would often put the question, "What type of man is he ?" The American would ask, "What can he do ?" The French would ask, "What diploma does he hold ?" The German would ask, "what does he know ?"[1]

(६) इंगलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली प्रजातान्त्रिक है। प्रजातन्त्र को जीवित रखने, तथा उन्नति के लिये शिक्षा मुख्य साधन है। इंगलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली प्रजातान्त्रिक इस दृष्टि से भी है कि उसमें विचार-विमर्श, वाद-विवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षकों और विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वतन्त्रता है।

(१०) इंगलैंड की शिक्षा-प्रणाली में धार्मिक-विभिन्नताओं के लिए अधिक स्थान है। धार्मिक-शिक्षा और संस्थाओं के प्रति इंगलैंड की यह उदारनीति उल्लेखनीय है। १६४४ एक्ट की धारा २५ वीं के अनुसार "प्रत्येक विद्यालय का कार्य सामूहिक-प्रार्थना के बाद होता है।

(११) शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का पूर्ण विकास है शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास सभी आवश्यक हैं। इस मत के अनुसार पाठ्यक्रम की क्रियाओं के अतिरिक्त, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियायें भी विद्यालय का आवश्यक अंग हैं। क्रीड़ा, शारीरिक व्यायाम तथा मनोरंजन क्रियायें भी शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये पाठ्यक्रम के अभिन्न अङ्ग हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में साधक हैं। सामाजिक दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है,

1. Educational Forum. 1918.

इनमें भाग लेने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है तथा उन चरित्र निर्माण होता है।

इस प्रकार की क्रियायें नरसरी अवस्था से आरम्भ होकर मनुष्य के जीव पर्यन्त तक होनी चाहिये। छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत होता है, उनके विचा एवं भावों में उदारता आती है और छात्र अपने को वातावरण के अनुकू बनाना सीखता हुआ अपने चरित्र में एक सामान्य अनुकूलता लाता है। इ मतानुसार प्रौढ़ शिक्षा को भी अब अधिक महत्व दिया जाने लगा है तथा य के विश्वविद्यालयों ने प्रौढ़ों में शिक्षा-प्रसार का कार्य बड़े ही उत्साह किया है।

कुछ समय से कुछ सीमित विषयों में आवश्यकता से अधिक शास्त्र-विषय शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा है और उसके परिणामस्वरूप परी छात्रों पर भी अधिक जोर दिया जाने लगा है।

(१२) इस देश में शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों का ध्यान रक्खा जाता है राष्ट्र के सुदृढ़ बनाने, उसके हित और कल्याण का शिक्षा एक आवश्यक साधन है और राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का एक मुख्य अङ्ग तथा साधन है। इंगलैण्ड ने सर्दव से ही शिक्षा के महत्व को भली भांति समझा है, यही कारण है कि पिछले भयंकर और विध्वंसकारी युद्ध के होते हुये भी १६४४ के एक्ट द्वारा शिक्षा में महान-सुधार की बात सोची। पहले युद्ध (१६१४-१८) के बाद देश में फिशर-एक्ट (१६१८) द्वारा शिक्षा-सुधार किया गया। १६४४ एक्ट के श्वेत-पत्र (White Paper) ने यह घोषित किया था, "इस देश के व्यक्तियों की शिक्षा पर ही इस देश का भविष्य और भाग्य निर्भर है।" देश की संसद के सामने सन् १६४४ का बिल उस समय आया जब कि इंगलैंड के विभिन्न महत्वपूर्ण भागों पर नाजी शक्तियों द्वारा बमबारी की जा रही थी। शिक्षा-सुधार और शिक्षा-निर्माण की इतनी उत्कृष्ट अभिलाषा संसार के बहुत कम देशों में मिलती है, कि इतनी विषम और असाधारण परि-स्थितियों में भी शिक्षा-निर्माण और सुधार की ओर ध्यान दे।

युद्ध से अर्जरित राष्ट्र ने सदैव अपने को शिक्षा-सुधार करके सशक्त बनाने का प्रयत्न किया है। आजकल के शीघ्र परिवर्तनकारी युग में यहाँ के निवासी प्रोत्साहित होकर सदैव शिक्षा-सुधारों की ओर अपना ध्यान लगाये रहे हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इंगलैंड की शिक्षा-प्रणाली की सफलता का कारण उसकी अनुकूलता (Adaptability), स्वातन्त्र्य, लचीलापन (Flexibility) और पूर्णता है।

इंगलैंड की शिक्षा में कुछ आधुनिक-प्रवृत्तियां भी उल्लेखनीय हैं। द्वितीय युद्ध के समय में ही नरसरी-स्कूलों की स्थापना पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। सरकार भी स्वयं नर्सरी स्कूलों की स्थापना करती तथा उन्हें आर्थिक सहायता देती है, युद्ध के समय ऐसी परिस्थिति आगई थी कि ब्रिटेन की स्त्रियों को भी राष्ट्र-रक्षा के लिये युद्ध में भाग लेना पड़ा था तथा फैक्टरियों में कार्य करना पड़ा। कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों की अनुपस्थिति में केवल नरसरी स्कूल ही उनके बच्चों की देख-भाल कर सकते हैं। ब्रिटेन के इतिहास में युद्ध के पश्चात् नरसरी स्कूलों से लेकर-विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को इतना महत्व दिया गया जिसमें स्कूल में भोजन का प्रबन्ध, चिकित्सा का प्रबन्ध, युवकों और पौढ़ों के कार्य और शारीरिक और मानसिक दुर्बलताओं वाले बच्चों के लिये 'विशेष-शिक्षा-चिकित्सा' आदि सम्मलित है।

उपर्युक्त शिक्षा-विशेषताओं के निरीक्षण में हमें अंग्रेजों के राष्ट्रीय चरित्र के गुणों का आभास होता है, जो उनमें पाये जाते हैं। उनके पौरुषयिक-गुण, शारीरिक बल तथा शक्ति, व्यावहारिक सामर्थ्य, धैर्यता, पराजय न होने की भावना, सत्यता तथा पवित्रता, न्यायप्रियता स्पष्ट वादिता आदि ये सब गुण अंग्रेजों की अमूल्य सम्पत्ति हैं।

उपर्युक्त शिक्षा विशेषताओं को हम और भली भांति समझ सकते हैं अगर अंग्रेजी समाज के विषय में कुछ आवश्यक बातें जान लें। इंगलैंड एक विचित्र तथा विभिन्नताओं का देश है। उसका प्राचीन इतिहास है, परम्परायें हैं, अपनी मान्यतायें हैं और भविष्य की महत्वाकांक्षायें भी हैं और शिक्षा द्वारा इंगलैण्ड ने जीवित रखने का प्रयास किया है।

अंग्रेजी समाज का ऐतिहासिक-परम्पराओं के साथ-साथ स्वतन्त्र रहने का अभ्यास है तथा उन्होंने स्वतन्त्रता को जीवित रखने के लिये दो विश्व युद्ध लड़े, साथ ही साथ अनेक विश्व संस्थाओं में भाग लेकर दूसरे देशों के साथ सहानुभूति प्रदर्शन किया। अपने विचारों में सदैव वे मानवीय रहे। वारेन हेस्टिंग जैसे क्रूर व्यक्ति को यदि जन्म उन्होंने दिया तो एडमंड बर्क जैसे मानवीय सहानुभूति वाले व्यक्ति को भी उन्होंने जन्म दिया। इंगलैण्ड ने, सदैव ही स्वतन्त्र विचारकों को शरण दी है। उपनिवेशों को स्वतन्त्रता देने में भी इस देश की प्रथम श्रेणी है। आज भी उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। गिरजाघरों को उदारता पूर्वक दान मिलता है, रविवार को लोग प्रार्थना सुनते हैं। आज भी लोग राष्ट्रीय धुन पर खड़े होकर महारानी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। विश्व में सबसे स्वतंत्र प्रेस इंगलैण्ड का ही है। हाइडपार्क कार्नर ...[illegible] के स्थान में कोई किसी भी विषय पर

इंग्लैण्ड एक समृद्ध शिक्षित तथा हरा-भरा देश है। कृषि तथा उद्योगों में काफी उन्नत है। यहाँ बड़े-बड़े पार्क तथा पुस्तकालय हैं। पिछले दिनों में इंग्लैण्ड काफी धनी होगया है।

संक्षेप में इंग्लैण्ड धनी देश है, स्वतन्त्रता को अत्यन्त प्रेम करता है। यह परम्परा वादी देश है, और कठोरता के साथ उदारता का तथा प्राचीनता के साथ आधुनिकता का सामञ्जस्य स्थापित करना खूब जानता है।

अध्याय ३

ब्रिटेन का शिक्षा-इतिहास

इंगलैंड और वेल्स के शिक्षा-विकास के इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। (१) पहला समय अल्फ्रेड महान के युग से १८ वीं शताब्दी के अन्त तक का है (२) दूसरा समय १९ वीं शताब्दी का क्रमबद्ध, शनैः शनैः तथा धीमी गति के विकास का युग है। (३) तीसरा युग बीसवीं शताब्दी का शीघ्रता से विस्तृत विकास होने वाला युग है।

पहला युग (प्रारम्भिक युग)

पहले समय का शिक्षा-इतिहास मुख्य रूप से प्राचीन विश्वविद्यालयों[1] तथा अनुदान द्वारा स्थापित किये ग्रामर स्कूलों का वृत्तान्त है। आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की स्थापना क्रमशः ११६८ ई० और १२०९ ई० मे हुई। यूरोप के सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में इनकी गणना है।[2] अपनी प्राचीनता, इतिहास तथा परम्परा के कारण इंगलैंड के शिक्षा इतिहास मे ही नहीं वरन् सम्पूर्ण योरप के शिक्षा इतिहास में आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का अद्वितीय स्थान है। इस समय शिक्षा के क्षेत्र मे स्वेच्छा से कार्य करने वाली संस्थायें तथा धार्मिक संस्थाओं की अधिकता थी।

---

1. Ancient universitie3 like Oxford and Cambridge.
2. Endowed grammur schools.

इंगलैंड की शिक्षा के विकास का इतिहास बहुत प्राचीन है और शिक्षा के
वकास मे परम्परा का बहुत महत्व है। राज्य ने प्रारम्भिक काल मे शिक्षा
ी ओर बहुत कम ध्यान दिया, इस समय जनता को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें
दान करने का भार धार्मिक तथा स्वेच्छा से काम करने वाली परोपकारी
स्थाओं तथा उदार लोगो ने अपने ऊपर ले लिया था। ७ वी शताब्दी में
न्टरबरी और यौर्क मे दो शिक्षालयो की स्थापना हुई जो आजतक विद्यमान
। ऐंग्लो-सैक्सन (Anglo-Saxon) मठ (Monasteries) अपने ज्ञान के
ये प्रसिद्ध रहीं।

९ वी शताब्दी मे वाइकिंग (Viking) आक्रमणों ने बहुत से मठो को नष्ट
र दिया, लेकिन कुछ वैसैक्स (Wessex) जैसे साम्राज्यो का अभ्युत्थान
ा। जब बादशाह अल्फ्रेड ने डैनमार्क के निवासियो के विरुद्ध संघर्ष करके
ने देश को सुरक्षित कर लिया, तत्पश्चात् उसने अपने देश के निवासियो को
क्षित करने का कार्य आरम्भ किया। उसने स्कूलों की स्थापना की, स्वयं
ठ्य पुस्तकें लिखी और कई स्कूल ऐसे स्थापित किये जो आज तक विद्यमान
। उसने अपने एक पुत्र को विनचेस्टर (उस समय वैसैक्स की राजधानी)
ा जहाँ पर पाँच शताब्दी पहले प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई।

मध्य-युग मे विश्वविद्यालयों मे आने वाले छात्र अधिकतर अपनी पहली
ा ग्रामर स्कूलों या गिरजाघर से सम्बन्धित स्कूलों में पाते थे। दोनों ही
ार के स्कूलो का विकास चर्च की संरक्षणता मे हुआ था। इनमे सभी वर्ग
बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे केवल रईस लोगों के बच्चे या तो घरों या
के वर्ग के रईसों के महलों मे पढ़ते थे। सन् १३८२ ई० मे विनचेस्टर के
टी ने अपने शहर मे ऐसे कालेज की स्थापना की जिसका उद्देश्य आक्सफोर्ड
स्थापित नये कालेज के लिये विद्वानों को देना था। विनचेस्टर मे स्थापित इस
लेज मे ७० निर्धन विद्वानों का प्रवेश करना था जो एक सामुदायिक जीवन
ीत करे, लेकिन प्रभावशाली तथा रईस लोगो के पुत्र भी प्रवेश पा
े थे। विश्वविद्यालय से सम्बन्ध, सामुदायिक-जीवन, वयस्क छात्रों को
रदायित्व देना, निर्धन तथा धनी व्यक्तियों का सम्पर्क आदि इस शिक्षालय की
र विशेषतायें थीं। विनचेस्टर की इन्हीं विशेषताओं पर आजकल के पब्लिक
ल भी आधारित है।

*विनचेस्टर के ६० वर्ष पश्चात् छठवें हैनरी द्वारा इंगलैंड के सबसे प्रसिद्ध
 (Eton) कालेज की स्थापना हुई। विनचेस्टर के उदाहरण का अनुकरण
े हुये और भी पब्लिक स्कूलों की स्थापना हुई।*

ाक क्रान्ति ने समकालीन व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न कर
दिये थे। यद्यपि धार्मिक शक्तियों का ह्रास नहीं हुआ था फिर भी उनका
ान उपयोगितावादी प्रवृत्तियों के सम्मुख कुछ कम अवश्य हो गया था।
किन उक्त लेखक के कथनानुसार न तो उस समय इंगलैण्ड में शिक्षा
न्त्रालय ही था और न कोई राष्ट्रीय जन-शिक्षा ही। आक्सफोर्ड और
ैम्ब्रिज अंग्रेजी चर्च के कब्जे में थे इसलिये प्रायः विज्ञान तथा तकनीकी
वषयों के अंग्रेजी उच्च स्नातक विदेशों जैसे स्काटलैंड तथा हालैण्ड में
शक्षा प्राप्त करते थे। विरोधी मतावलम्बियों (अंग्रेजी चर्च के विरुद्ध) ने
पनी अकादमी खोली जो आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज दोनों के टक्कर की
ी तथा जिनमें आधुनिक शिक्षा के विषयों का प्रबन्ध था। इस समय के
ब्लिक स्कूल, जिनमें ईटन तथा वेस्टमिनिस्टर मुख्य थे, धनी तथा उच्च
र्गं के छात्रों को शिक्षा देते थे। इस प्रकार विरोधी चर्च वाले लोगों के
लये अपने पृथक् स्कूल खोलकर शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा
 था। इन्हीं स्कूलों (विरोधी चर्च वाले) में आधुनिक उच्च शिक्षा का
बन्ध था यद्यपि उक्त पब्लिक स्कूल भी इस दिशा में कभी कभी कदम
ठाते थे। इस युग में स्त्री शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई थी—कुछ प्राइवेट
ूलों के अतिरिक्त उनकी शिक्षा के लिये अन्य प्रबन्ध न था। दोनों विश्व-
द्यालयों में पढ़ाई का प्रबन्ध अच्छा न था। ट्रेविलियन महोदय ने अपनी
ोशल हिस्ट्री नामक पुस्तक में विश्वविद्यालयों की दशा का वर्णन करते हुये
से शोचनीय बताया है। उनके विचार से वहां प्रोफेसर अपना कार्य नहीं
रते थे, छात्र केवल धन का अपव्यय तथा जीवन का आनन्द लेने के लिये
हां आते थे, तथा कोई परीक्षा तक का प्रबन्ध न था। उनके मत से कैम्ब्रिज
ा स्तर आक्सफोर्ड के बराबर कभी नहीं गिरा। लेकिन इसका यह अर्थ
ही कि देश में योग्य व्यक्तियों का अभाव था। अन्तिम बात से सहमत
ते हुये भी डा० हेन्स ने दोनों विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को कम
ी बताया। उनका कथन था कि उक्त बात केवल कुछ ही छात्रों के विषय
 ठीक है क्योंकि अन्य छात्र (प्रायः साइजर्स जो काम करते तथा पढ़ते)
क्षा के विषय में काफी ध्यान देते थे। वह तो इस समय के विश्वविद्यालयों
बौद्धिक स्तर की प्रशंसा करते हैं और बहुत से विषयों के अध्ययन का
ारम्भ भी इसी समय में होना बतलाते हैं जैसे आक्सफोर्ड में रसायन-शास्त्र
Chemistry) १७०४, एनेटोमी (Anatomy) १७०३, बोटेनी (Bo-
ny) १७२४, आदि। हमारे मत से बात दोनों ही ठीक हैं दृष्टिकोण
ा बल (Stress) का अन्तर है। उस समय साहित्यिक सांस्कृतिक तथा

दार्शनिक विषय अधिक लोकप्रिय थे यद्यपि विज्ञान की ओर रुचि का सूत्र-पात्र हुआ था।

माध्यमिक तथा उच्चस्तर की शिक्षा में अकादमियो ने विशेष योग दिया। यह भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा देती थी जैसे व्यावसायिक, तकनीकी, साहित्यिक आदि। इन अकादमियो के छात्र मुख्यतया नये धनी वर्ग के व्यवसायी लोगो के बच्चे थे। किन्तु कभी कभी अन्य लोग—अंग्रेजी चर्च वाले तथा पुराने धनी घरानो के व्यक्ति भी इनमे छात्र भेजते थे। इन अकादमियो ने स्त्री शिक्षा की ओर भी प्रगति के पग उठाये। लेकिन औद्योगिक क्रान्ति इनका मुख्य उत्साह का स्रोत थी।

प्रौढ़ शिक्षा जो उक्त विश्वविद्यालयो के तत्वावधान मे दी जाती थी कभी कभी अन्य व्यक्तियो द्वारा भी प्रोत्साहन पा जाती थी। जैसे देसागुलिये (Desaguliers) ने १७१२-१३ मे मशीनो तथा प्रयोगात्मक दर्शन पर भाषण दिये। इस क्षेत्र के अन्य व्यक्तियो मे बेन्जामिन वोरस्टर (Benjamin Worster), एडम वाकर (Adam Walker), बेन्जामिन डान (Banjamin Don) आदि थे। डा० हिगिन्स (Higgins) नामक व्यक्ति ने भी इस दिशा मे सराहनीय प्रयत्न किये। मेसोनिक क्लबो (Masonic Clubs) तथा लोगो की व्यक्तिगत गोष्ठियों में शिक्षा के प्रयत्न अनवरत रूप से होते रहे। डा० हेन्स ने निष्कर्ष लिखते समय आश्चर्य प्रकट किया है कि इन सब चेष्टाओं के बाद भी हक्सले (Huxley) स्पेन्सर (Spencer) आदि को १९ वी शताब्दी में विज्ञान के प्रति लोगो का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रयत्न करने पड़े।

१८ वी शताब्दी के आरम्भ मे हमे शिक्षा की ओर उन्मुख करती कई शक्तियो का आभास मिलता है। औद्योगिक क्रान्ति ने इंगलैण्ड के समाज को नये रूप मे ढाल दिया था। नये धनी वर्ग का जन्म हुआ था। वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। विरोधी चर्च वालो ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिये अकादमियो द्वारा अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करके शिक्षा के क्षेत्र मे नया मार्ग दिखाया था। इन स्थानो की पढाई का स्तर तथा विषय उच्च तथा आधुनिक थे। धर्मान्ध व्यक्तियो के लिये जीवन का नवीन पृष्ठ पलट रहा था। ऐसे युग मे प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा दोनों ही के क्षेत्र मे कुछ विशेष कारण उत्पन्न हुये जिन्होने शिक्षा को नया रूप दिया तथा राष्ट्रीय-शिक्षा-व्यवस्था की ओर अग्रसर किया।

इनके अतिरिक्त अपने देश तथा विदेश के शिक्षा-शास्त्रियों तथा दार्शनिको के लेख और वक्तव्य जन-शिक्षा की आवश्यकता की ओर ध्यान केन्द्रित करने मे

सहायक सिद्ध हुये । १७ वीं शताब्दी में लाक, (Locke) १८ वीं में एडम स्मिथ (Adam Smith), मैथ्यूज (Mathuse), टामस पेन (Thomas Payne), आदि ने इस विषय में महत्वपूर्ण बातें कहीं तथा लिखीं । ला शालोते (La Shalote) ने कहा, *"मैं राष्ट्रीय शिक्षा की राजकीय व्यवस्था चाहता हूँ क्योंकि मुख्यतया शिक्षा राज्य का ही कार्यक्षेत्र है राज्य के बच्चे राज्य के सदस्यों द्वारा ही शिक्षित होने चाहिये ।"* इनके विरोधियों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी किन्तु बदलते समय ने उनकी आवाज को मद्धिम कर दिया था ।

(ब) प्राथमिक शिक्षा

१८ वीं शताब्दी के डेम स्कूल (बुढ़ियों के स्कूल) जहाँ ७ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा होती थी और जहाँ की फीस नहीं के बराबर थी, निर्धनों के बच्चों को वर्णमाला तथा प्रारम्भिक हिसाब का ज्ञान देने का कार्य करते थे । इनके अतिरिक्त चैरिटी स्कूल (चन्दे द्वारा गरीबों के लिये स्थापित) तथा सण्डे स्कूल *(जहाँ केवल इतवार के दिन पढ़ाई होती) भी थे । वेल्स में सरकुलेटिंग स्कूल्स (चलते फिरते स्कूल—जहाँ अध्यापक घूम घूम कर थोड़े समय के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करते थे)* १८ वीं शताब्दी में अत्यधिक लोकप्रिय हुये —ग्रिफिथ जोन्स (Griffith Jones) तथा बाद में मैडम बेवन (Madam Bevan) ने यह सराहनीय स्कूल चलाये तथा वेल्स में शिक्षा के प्रति स्नेह तथा उसकी आवश्यकता अनुभव करवायी ।

धर्म तथा मानवता के प्रेम पर आधारित पर शिक्षा देने के उक्त विभिन्न माध्यम अपना कार्य तो करते हैं किन्तु निरन्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं तथा बदलती हुई अवस्थाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण तथा शिक्षण में असफल रहे । इस पृष्ठ-भूमि में चार्ल्स बर्चीनाफ (Charle Burchenough) का कथन (हिस्ट्री आव एलीमेंट्री एजुकेशन) अक्षरशः सत्य सा ही प्रतीत होता है कि प्राथमिक शिक्षा का इतिहास विशेषाधिकारों पर आक्रमणों का ब्यौरा है । जो शिक्षा कभी दान-स्वरूप बांटी जाती थी अब वह अधिकार का रूप ले चुकी है और *शिक्षा की समान सुविधा से सामाजिक स्तर के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा का स्थान ले रही है ।*

दूसरा युग (१६ वीं शताब्दी) क्रमिक और हार्दिक विकास युग—

१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में औद्योगिक क्रान्ति ने शिक्षा-विकास में उल्लेखनीय सहायता की । यह प्रभाव और सहायता परोक्ष ही था क्योंकि सबसे पहले कुछ परोपकारी व्यक्तियों ने शिक्षा का समर्थन किया, उन्होंने आरम्भ में

पर्याप्त परिश्रम किया। कारखानों और खानों का दूषित प्रभाव बालकों के स्थान पर जब इन परोपकारी व्यक्तियों ने देखा तो उनका हृदय दया से पिघल गया, कारखानों और खानों के मालिकों के कार्य इन ईमानदार और परोपकारी व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगे। इन परोपकारी व्यक्तियों ने शिक्षा के पवित्र कार्य का बीड़ा उठाया। शिक्षा-सुधार मैथोडिस्ट और इवैंजीक्ल रिवाइवइवल्स[1] के प्रोत्साहन द्वारा हुआ। १६ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में रिफॉर्म एक्ट (Reform Act), दी फर्स्ट सब्सेन्टीशयल फैक्ट्रीएक्ट (The Frist substantial Factory Act) और ब्रिटिश राज्य में गुलामी प्रथा का अन्त आदि एक्टों का आगमन हुआ। सन् १८३३ ई० में पहली बार संसद ने शिक्षा के लिये धन-राशि की स्वीकृति दी।

नये विश्वविद्यालय—लन्दन में यूनीवर्सिटी कालेज (गावर-स्ट्रीट) का सन् १८२८ में आरम्भ हुआ। लन्दन-विश्वविद्यालय जो बहुत समय तक एक परीक्षण-संस्था ही रही, सन् १८३६ में इसकी स्थापना हुई।

सन् १८८० के बाद दूसरे प्रान्तीय विश्वविद्यालय स्थापित हुये, जिनमें से बहुतों के विषय वैज्ञानिक और औद्योगिक थे। मानचेस्टर (Manchester), लिवरपूल (Liverpool), लीड्स (Leeds), बरमिंघम (Birmingham), शेफील्ड, (Sheffield), ब्रिस्टल (Bristol) विश्वविद्यालयों का विकास इसी प्रकार हुआ।

माध्यमिक शिक्षा—१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में लोगों में शिक्षा-सुधार की उत्कट अभिलाषा थी। इसलिए विश्वविद्यालयों के समान ही ग्रामर और पब्लिक स्कूलों की स्थापना हुई। माध्यमिक-शिक्षा के सुधार में मुख्य लोग टामस आरनोल्ड (रगबी), एडवर्ड थ्रिंग (Edward Thring), और हेग ब्राउन (Haig Brown), के नाम उल्लेखनीय हैं।

टामस आरनोल्ड ने माध्यमिक-शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किया, उन्होंने 'रगबी' की स्थापना करके पब्लिक स्कूलों को बहुत प्रोत्साहन दिया। स्कूलों और पाठ्य-क्रम दोनों का ही उन्होंने पुनर्-संगठन किया। इतिहास-शिक्षण के दृष्टिकोण बदलने तथा फ्रेंच और गणित के प्रवेश कराने का श्रेय उन्हीं को है। प्रधानकों को उत्तर-दायित्व देने की विधि, तथा चरित्र-विकास और निर्माण के लिए सुसंगठित खेलों का प्रयोग पब्लिक स्कूलों की मुख्य विशेषतायें थीं।

ऐसे ही अग्रगामी प्रधान अध्यापकों के कार्य के कारण पुराने पब्लिक स्कूलों

1. Methedistd and Evangelical Rendals.

ने अपने कार्य का स्तर सुधार लिया और नये पब्लिक स्कूलों जैसे मार्लबरो, वेलिंगटन, हैलीबरी और क्लिफ्टन की स्थापना हुई। इस समय तीन मुख्य कमीशनों की नियुक्ति हुई। पब्लिक-स्कूल्स कमीशन[1] (१८६१—१८६४) ने ६ बड़े पब्लिक स्कूलों के प्रबन्ध के विषय में खोजबीन की। दी स्कूल्स इनक्वायरी कमीशन[2] ने दूसरे माध्यमिक-विद्यालयों के बारे में जाँच की। सबसे महत्त्वपूर्ण ब्राइस-कमीशन था जिसने इंगलैंड की माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली को सुसंगठित बनाने की विधियों पर विचार किया। ब्राइस-कमीशन की बहुत सी सिफारिशों पर शिक्षा में बहुत से होने वाले मुख्य सुधार और विकास आधारित थे।

स्त्री-शिक्षा—क्वीन्स-कालेज की स्थापना सन् १८४८ में की गई थी। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला ही कार्य था। लन्दन में और भी बहुत से ऐसे कालेजों की स्थापना की गई। बेडफोर्ड कालेज लन्दन की स्थापना के द्वारा सबसे पहले स्त्री-शिक्षा का आयोजन किया गया। परन्तु केवल सन् १६२० में आक्सफोर्ड में और सन् १६४७ में केम्ब्रिज में स्त्रियों को विद्यार्थियों के पूर्ण अधिकार दिये गये।

प्रारम्भिक शिक्षा—१६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में परोपकारी स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं का अधिक महत्त्व रहा। इस प्रकार से कार्य करने वाली ब्रिटिश और विदेशी स्कूल समिति थी और दूसरी राष्ट्रीय समिति थी जिन्होंने निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए इंगलैंड के चर्च के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा प्रदान की। दान दिये धन से ये स्कूल चलाये गए। इन दोनों संस्थाओं ने देश में स्कूलों का जाल सा फैला दिया था। सन् १८३३ में संसद ने शिक्षा के लिए सबसे पहली सहायता दी। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नियमित आर्थिक-सहायता का आयोजन किया गया। सन् १८३६ में प्रिवी कौन्सिल की एक विशेष कमेटी की स्थापना हुई जिसने शिक्षा को प्रभावित करने वाली सभी बातों के विषय में खोज-बीन की। इस कमेटी के सबसे पहले मंत्री सर जेम्स के-शटल वर्थ[3] थे। यद्यपि उन्होंने थोड़े समय तक कार्य किया परन्तु उन्हीं को इंगलैंड की प्रायमरी शिक्षा की नींव डालने का श्रेय है।

इस शताब्दी में सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ष सन् १८७० था, जिसमें प्रायमरी शिक्षा एक्ट[4] पास हुआ। इस एक्ट के द्वारा जनता द्वारा चुने हुए स्कूल बोर्डों की स्थापना हुई जिन्होंने बहुत से स्कूलों की स्थापना की। ये स्कूल ऐसे स्थानों

1. Public Schools Commission (1861-1864)
2. The Schools Enquiry Commission.
3. Sir James Kay-Shuttle Worth.
4. Elementary Education Act 1870.

मे स्थापित किये गये जहाँ पर स्वेच्छा से कार्य करने वाली संस्थाओ द्वारा पाठशालाये आरम्भ नही की गई थी। इसी समय शिक्षा मे द्वि-प्रणाली (Dual System) का सूत्रपात हुआ।

समय व्यतीत होने के साथ प्रारम्भिक शिक्षा नि:शुल्क तथा अनिवार्य होगई और इस शताब्दी के अन्त तक अधिकांश बालक इससे लाभ उठाने लगे। सन् १८९९ मे शिक्षा एक्ट के अनुसार 'शिक्षा-बोर्ड' (Board of Education) की स्थापना की गई जिसका उत्तरदायित्व इंगलैण्ड और वेल्स का शिक्षा-सम्बन्धी आयोजन और शिक्षा निरीक्षण था। आगामी नवीन शताब्दी मे शिक्षा-क्षेत्र मे और भी अधिक महान विकास हुये।

१९ वी शताब्दी की यवनिका डा० बैल की मद्रासी व्यवस्था के ऊपर लेख से खुलती है। १८३३ तक बहुत सी शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियों के फलस्वरूप राज्य कोष से शिक्षा के लिये धन मजूर हो जाता है। राबर्ट ओवेन (Robert Owen) जेम्समिल (James mill), कवि वर्ड्स वर्थ द्वारा शिक्षा सम्बन्धी विचार प्रकाशित होते हैं। जेम्स मिल ने कहा, "हम जैसे धनी तथा निर्धन मे समान न्याय, समान मात्रा में धैर्य, समान मात्रा मे सत्य की चेष्टा करते हैं, वैसे ही हमे उनमे समान सामान्य बुद्धि उत्पन्न करने की चेष्टा करनी चाहिये।" ऐसे युग मे जिसमे मशीन तथा व्यापार मे स्वतत्रता के विचार प्रिय थे—मोनीटरों द्वारा शिक्षा जो डा० बैल (Bell) तथा लन्कास्टर (Loncaster) के प्रयत्नो के फलस्वरूप आई अनायास ही लोकप्रिय बनगई। कारण स्पष्ट है, इस शिक्षा के तरीके को जनता ने सामयिक मशीनो के आविष्कारो से मिलता-जुलता तरीका समझा।

उपयोगितावादी बेन्थम (Bethem) के अनुसार यह प्रश्न कि क्या लोगो को शिक्षित होना चाहिये या नही, ठीक ऐसा ही प्रश्न है "कि लोगों को प्रसन्न रहना चाहिये या दुखी।" स्वाभाविक है कि उसके अनुयायी पार्लियामेंट मे शिक्षा के लिये राज्य द्वारा धन की स्वीकृति मागते। रावर्ट ओवेन बिलकुल ही अलग प्रकार का व्यक्ति था। वह अपनी कर्मठता के कारण धनी हुआ था और शिक्षा का जन-साधारण मे प्रसार देखने का इच्छुक था उसने कहा, "सबसे अच्छा शासित राज्य वह है जिसमे सबसे अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है।"

गरीबों की दशा के सुधार के लिये चैरिटी सोसाइटी (१७६९), तथा सण्डे स्कूल्स यूनियन (१८०३) के अतिरिक्त डा० बैल तथा लन्कास्टर के स्कूल १९ वी शताब्दी के प्रारम्भ मे गरीबों की शिक्षा के साधन थे। डा० बैल

पादरी था और मद्रास में रहकर उसने मॉनीटरों द्वारा शिक्षा देने के तरी
के सफल प्रयोग किये थे। लन्कास्टर एक क्वेकर था उसने भी मिलता-जुल
तरीका निकाला था। इस शिक्षा की विशेषता अंग्रेजी समाज के लिये
कारणों में थी। यह नया तरीका कम खर्च पर अच्छे परिणाम दे सकता था
एक छात्र का शिक्षा का वार्षिक खर्च ७ शिलिंग था और यदि छात्रों
संख्या बढ़ा दी जाती तो वह घट कर ४ शिलिंग ही रह जाता। इसमें
अध्यापक को कुछ अच्छे छात्रों को पढ़ाना पड़ता; वह जाकर अन्य छात्रों
वही विषय पढ़ा देते। यद्यपि इसमें व्यक्तिगत विकास का अवसर न मिलत
लेकिन प्रारम्भिक पढ़ाई का कार्य सम्पन्न अवश्य हो जाता था। कहना
होगा कि योरुप तथा भारत के लिये यह पढ़ाने का तरीका कभी भी नया
था। युगों से इस प्रकार हम गांवों में छात्रों को पढ़ाते रहे हैं।

इंगलैंड में इन दोनों व्यक्तियों ने अलग-अलग संस्थायें खोलीं तथा ध
इकट्ठा किया। इनकी सफलता अद्वितीय रही। १८०७ में सेमुअल व्हाइटब्रे
(*Samuel whitebread*) ने ब्रिटिश संसद में एक बिल पेश किया इस
अनुसार ७ से १४ वर्ष की आयु के बीच २ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा के अधि
नियम के लिये आयोजन था। इसमें लड़कियों की शिक्षा के लिए अल
प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें प्रत्येक पाउन्ड में १ शिलिंग के क
की मांग की गई थी। यद्यपि हाउस आव लार्ड्स ने इस बिल को पास नहीं
किया इसने जन-शिक्षा की ओर ध्यान अवश्य आकर्षित कर दिया।

डा० बैल की पद्धति के पक्ष में जनमत काफी था। वह इंगलैंड की
चर्च के अनुयायी थे इसलिये इस पद्धति को दोनों विश्वविद्यालयों का आश्रय
मिला। १८११ में इस पद्धति के प्रसार तथा विकास के लिये एक सोसाइटी
की स्थापना हुई। डा० बैल ने अपने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये भी
बाल्डविन गार्ल्स स्कूल खोला। लन्कास्टर की अव्यवसायिक प्रवृत्ति के
कारण तथा उनके विरोधी धर्म के होने के कारण उनकी पद्धति की उन्नति
में बाधा पहुँची। लेकिन ब्रूहम (Brougham), जेम्स मिल (James Mill),
*तथा फ्रान्सिस प्लेस (Francis Place) जैसे व्यक्तियों ने कार्य भार सम्भाल
लिया तथा 'द ब्रिटिश एण्ड फोरेन सोसाइटी' की स्थापना १८१४ में कर*
डाली। इस प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्य में
उनकी प्रगति डा० बैल से कहीं अधिक हुई। इन स्कूलों में धार्मिक वस्तुओं
की पढ़ाई बिना किसी टीका के होती थी इस प्रकार इसने भावी कूपर-टेम्पिल
धारा को पहले से ही कार्य रूप में परिणित कर दिया था। १८१६ तक
लगभग ३०० स्कूलों में लन्कास्टर पद्धति के २०४ स्कूलों में छात्रों तथा

अन्य छात्राओं की माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध हो गया। इस पद्धति में शिशु शिक्षा भी पीछे नही रही।

राज्य के हस्तक्षेप का प्रथम उदाहरण १६ वी शताब्दी मे १८०२ एप्रेन्टिस एक्ट द्वारा मिला। इसके अनुसार राज्य ने एप्रेन्टिसों के काम तथा पढाई के घन्टे निश्चित कर दिये। ब्रूहम के परिणामों के फलस्वरूप पार्लियामेंट की एक सलेक्ट कमेटी ने शिक्षा की अवस्था के विषय मे १८१८ में २ वर्षों के परिश्रम के पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि बहुत बडी संख्या मे बच्चो की पढाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। कमेटी ने विभिन्न उदार-सभाओ के दान तथा स्कूलो के कार्य की प्रशंसा की, किन्तु उन्होने दान के धन प्रबन्ध मे गडबड़ होने की बात कही, तथा उसके उचित प्रबन्ध के लिये प्रार्थना की। उसने कर के आधार पर चलाने के लिये स्कूलों के खोलने की सिफारिश की तथा स्कूल की इमारतो के लिये धन की मन्जूरी की भी सिफारिश की तथा धार्मिक शिक्षा के विषय मे उन्होंने एक धारा बनाई।

१८२० मे ब्रूहम ने इंगलैंड तथा वेल्स के निर्धन बच्चो की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिये एक बिल पार्लियामेंट के सन्मुख पेश किया। इसके द्वारा क्षेत्रीय (Parochial) स्कूलों की स्थापना की व्यवस्था सोची गयी। इन स्कूलों मे फीस २ से ४ पेन्स प्रति सप्ताह होती थी। निर्धन बच्चों के लिये शिक्षा की विशेष सुविधा थी। अध्यापको का वेतन २० से ३० पाउन्ड प्रति वर्ष होना निश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हे रहने का स्थान मुफ्त दिया जाता था। पादरियो द्वारा पाठ्य-क्रम का निर्माण होता था। शिक्षा के लिए दी गई सम्पत्ति दान द्वारा समस्त व्यय का आंशिक धन देने की भी व्यवस्था थी। ब्रूहम ने कहा कि वह इस बिल को केवल इसलिए पेश कर रहा था ताकि शिक्षा के प्रति स्वतन्त्र इच्छाओं का हनन न हो। उस समय स्कूल जाने वालों की संख्या का अनुपात १—१५ इंगलैंड मे और १—२० वेल्स मे था। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि जनसंख्या १० में से १ को स्कूल जाने योग्य मान लिया तो प्रत्येक ३ मे से १ के लिये स्कूल व्यवस्था नही थी। वैसे, ब्रूहम की उक्त सख्या मे हजारो बच्चे जो वास्तव मे डेम स्कूलो या अन्य अनजान स्थानो पर पढ़ रहे थे सम्मिलित नहीं थे। यद्यपि इस बिल को शीघ्र ही वापस लेना पड़ा किन्तु इसने शिक्षा के सम्बन्ध में रुचि तथा उत्साह उत्पन्न कर दिया।

१८३३ मे रबक का बिल पार्लियामेंट के सम्मुख आया जिसमे शिक्षा की शोचनीय अवस्था का वर्णन था और जिसके द्वारा प्रत्येक ग्राम, तथा नगर के

स्कूलों की व्यवस्था की योजना का तथा अध्यापक प्रशिक्षण के प्रबन्ध की बात सोची गई। शिक्षा को एक केन्द्रीय मन्त्री के हाथ में देने की सलाह दी गयी तथा टैक्स तथा दान द्वारा इन स्कूलों को चलाने की व्यवस्था का आयोजन किया गया। स्पष्ट है, कि यह बिल अपने समय से काफी आगे था। इसलिये इसे वापस लेना पड़ा किन्तु लार्ड अल्ट्रोप (Lord Altrop) ने २०,००० पाउन्ड की धनराशि स्वीकृति अवश्य करा दी।

इस पृष्ठ-भूमि मे १८३३ में अंग्रेजी पार्लियामेंट ने २०,००० पाउन्ड शिक्षा के लिये स्वीकृत किये। परन्तु राज्य में यह राशि केवल ऐच्छिक संस्थाओं को दी जो उस समय इस क्षेत्र में कार्य कर रहीं थीं। उसने अपने स्कूल नहीं खोले। इस प्रकार यह धन की स्वीकृति यद्यपि राज्य की शिक्षा में सहायता का प्रथम चरण थी और कार्लाइल, डिकेन्स, मिल जैसे व्यक्तियों के विचारों के फलस्वरूप दी गई थी। शिक्षा की अवस्था में इससे विशेष सुधार नहीं हुआ।

इस राशि के स्वीकृत होने का एक परिणाम हुआ—शिक्षा के क्षेत्र में कार्यवाही सरगर्मी के साथ बढ़ गई लेकिन यह शिक्षा ऐच्छिक स्रोतों तथा संस्थाओं पर निर्भर होने के कारण न तो व्यवस्था में ही अच्छी थी और न पाठ्य-क्रम में। पाठकों को ध्यान रहे कि "ब्रिटिश एण्ड फोरेन सोसाइटी" लन्कास्टर पद्धति को मानने वाली थी और धार्मिक उदारता के कारण अधिक लोकप्रिय थी। इस समय विभिन्न मतों में स्कूलों पर आधिपत्य जमाने के लिये झगड़ा उत्पन्न हो गया। इसलिये महारानी ने 'आर्डर इन काउन्सिल' द्वारा एक प्रिवी काउन्सिल की विशेष समिति बनाई जिसमें लार्ड प्रेसीडेन्ट, प्रीवीसील, चान्सलर आव ऐक्सचेकर, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट तथा मास्टर आव मिन्ट सदस्य थे। यह समिति १८३९ में बनी और केन्द्र में शिक्षा का कार्य-भार इसको सौंप दिया गया। इसी वर्ष अध्यापक-प्रशिक्षण के लिये स्कूलों की व्यवस्था का प्रश्न उठा। एक सुझाव जो इस सम्बन्ध में आया उसका इस बुरी तरह विरोध हुआ कि पार्लियामेंट ने १०,००० पाउन्ड इस कार्य के लिये नेशनल एवं ब्रिटिश फोरेन सोसाइटियों को दे दिये। उक्त समिति का भी विरोध हुआ क्योंकि लोगों ने सोचा कि इससे शिक्षा की स्वतन्त्रता समाप्त हो जायगी और उस वर्ष की ३०,००० पाउन्ड की स्वीकृति भी केवल २ वोट से मिल सकी।

रोमन कैथोलिक भी शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक स्वतन्त्रता के कारण आ गये। इस प्रकार इस क्षेत्र में और अधिक प्रोत्साहन मिला।

१८४३ में ग्राहम ने एक बिल पेश किया जिसमें अनिवार्य शिक्षा आंशिक रूप से लगाने की बात की गयी थी। यह बिल उन बच्चों पर लागू होना था

जो मिलों में मजदूरी करते थे। इसमें स्कूलों के खोलने के लिये राज्य से कर्ज देने की बात भी थी। ग्राहम का बिल अन्य सुधारों की व्यवस्था के पश्चात् भी पास न हो सका। १८४४ में एक अन्य बिल पास हो गया जिसकी धाराओं के विषय मे मतभेद न था। लेकिन यह बिल केवल उन मिलों के बच्चों के लिये था जो सूत के कारखानों मे काम नही करते थे।

शिक्षा समिति का काम :—

१८३२ मे जन्म लेने के पश्चात् इसने अपना कार्य बड़े सभाल कर प्रारम्भ किया। इसने धार्मिक शिक्षा को प्रधानता दी और अधिक से अधिक मत वालों मे मतभेद दूर करने की चेष्टायें की। इसके कार्य-क्रम के कारण बहुत सी असुविधाये दूर हो गईं—स्कूल की आवश्यकतायें, सहायता की माग, अच्छे शासन तथा शिक्षा वाले स्कूल आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। यह कार्य समिति अपने निरीक्षणों से करवाती थी। रिपोर्टों के आधार पर यह पता लगा कि बिना और धन के अच्छी शिक्षा व्यवस्था सम्भव नहीं—किन्तु धार्मिक हस्तक्षेप की सम्भावना के कारण राज्य द्वारा अधिक धन की स्वीकृति का विरोध हुआ। लेकिन निरीक्षकों के चुनाव में जब चर्चों की राय ली जाने लगी यह विरोध शनैः शनैः समाप्त हो गया।

१८४६ मे इस समिति ने शिक्षकों, स्कूलों, भवनों तथा अन्य बातों के सुधार का कार्य हाथ में ले लिया। अब प्रत्येक संस्था को राज्य द्वारा धन मिल सकता था यदि उसमे धार्मिक पढ़ाई होती हो; लेकिन इस धार्मिक पढ़ाई के भेदों को दूर करने के लिये बहुत सी धारायें समिति ने बना दीं।

इसी वर्ष डा० हुक (Hook) का एक पत्र प्रकाशित हुआ उसमें इस बात को कहा गया था कि ऐच्छिक शिक्षा व्यवस्था असफल रही है तथा एक ऐसी व्यवस्था के लिये बल दिया गया जो जनता के कर पर निर्भर हो और जिसमे धर्म निरपेक्ष (Secular) शिक्षा राज्य द्वारा दी जाय तथा जहाँ विभिन्न मतों की शिक्षा का भी प्रबन्ध हो। इन स्कूलों के पाठ्य-क्रम को विस्तृत होना था तथा अध्यापकों को राजकीय सर्टीफिकेट के बाद ही नियुक्ति मिलनी चाहिये थी। १८५० में पार्लियामेंट मे एक बिल पेश हुआ जो बहुत सी धाराओं के सम्बन्ध मे १८७० के अधिनियम जैसा था। उक्त बिल के अन्तर्गत शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति होनी थी और उनका कार्य अपने-अपने क्षेत्र की शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का पता लगाना था। करदाताओं को स्कूल खोलने का अधिकार तथा ७ से १३ वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिये कर लगाने का अधिकार भी दिया गया था। यह बिल पास न हो सका। लेकिन इन्हीं वर्षों में 'लकाशायर स्कूल ऐसोसियेशन' ने अपने को नेशनल पब्लिक

ऐसोसियेशन में बदल लिया। मेनचेस्टर तथा मेलफोर्ड कमेटी ने कर लगाव धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया तथा धर्म निरपेक्ष शिक्षा का विरोध करन प्रारम्भ कर दिया। १८५३ में जान रसेल ने शिक्षा-बिल पेश किया जो केव नगरों के लिये ही था। इसने काउन्सिलों को अधिकार दिये जिससे वह अप आमदनी बढ़ा सकते थे, तथा उन्हें अनुदान भी मिल सकता था। यह बिल पास न हो सका। अन्य बिल भी जो इसके पश्चात् पेश किये गये, इसी प्रका असफल रहे। लेकिन उक्त बातों के कारण शिक्षा की अवस्था के प्रति जान कारी तथा रुचि अवश्य बढ़ी। परिणाम स्वरूप न्यू कासिल (New Castle आयोग १८५८-६१ में बैठा जिसके द्वारा शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जाँ तथा प्रत्येक स्तर के लिये सस्ती किन्तु ठोस शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह माँगी गयी। इसके प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—(१) धार्मि प्रवृत्ति के कारण शिक्षा के विस्तार में सहायता मिली है। (२) १ : ८ के अनुपात से जन-संख्या स्कूल जाने लगी है। (३) स्कूल समय से पहले छोड़न तथा कम हाजिरी शिक्षा के दुर्गुण हैं। (४) निरीक्षित स्कूलों की दशा अन्य स्कूलों से अच्छी है। (५) छात्राध्यापक-व्यवस्था (जिसके द्वारा थोड़े दिन एक छात्र किसी एक अध्यापक के साथ काम करने पर अध्यापक बन जाता) ठीक थी। (६) काउन्सिल की कमेटी द्वारा संचालित शिक्षा-व्यवस्था जटिल तथा खर्चीली है। आयोग ने सिफारिश की कि राज्य द्वारा अनुदान परीक्षा के परिणामों के आधार पर मिलना चाहिये। यह परीक्षा राजकीय निरीक्षक लें। उन्होंने स्कूल की फीसें समाप्त करने की सिफारिश नहीं की और न अनिवार्य शिक्षा की बातचीत ही। हाँ, उनके अनुसार शिक्षा के लिये बच्चों को स्कूल छोटी उम्र से जाना था, क्योंकि ११ वर्ष के पश्चात् कम बच्चे स्कूल में रहते थे। आयोग के मत के अनुदान स्कूल के व्यवस्थापकों को दिया जाना चाहिये। आयोग मुख्यतया अनुदान की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में था। राज्य के अनुदान लेने के लिये क्षेत्रीय-मंडल होने चाहियें तथा उन्होंने सुझाव दिया कि अनुदान केवल उन्हीं स्कूलों को मिले जिनके लिये निरीक्षक-गण अपनी राय दें।

इस बिल का विरोध काफी हुआ, आयोग के आँकड़ों के सम्बन्ध में लोगों में सन्देह किया तथा इसीलिये इस पर आधारित कोई अधिनियम नहीं बना। इंगलैण्ड की आर्थिक दशा भी क्रीमियन युद्ध के कारण अच्छी न थी जिसका प्रभाव आयोग के प्रतिवेदन तथा अधिनियम के न बनने पर पड़ा।

मिस्टर लो की संशोधित संहिता (जो बहुत सी प्रचलित कानूनों (Minutes) पर आधारित थी) ने १८६१ में प्रत्येक छात्र के ऊपर कुछ

अनुदान व्यवस्थापकों को देना प्रारम्भ किया। इस कोड ने अध्यापकों की पेन्शन स्कीम समाप्त कर दी तथा "परीक्षा के परिणामों के अनुसार अनुदान-Payment by result" व्यवस्था लागू कर दी। (इस बुरी प्रथा का अन्त १८९५ की शिक्षा संहिता की एक धारा द्वारा हुआ जिसके अनुसार स्कूलों का निरीक्षण बिना पूर्व-सूचना के होने की व्यवस्था लागू की गई।) निरीक्षकों द्वारा परीक्षा प्रारम्भ हो गई। कन्याओं के लिये सीने-बुनने का काम सिखाया जाने लगा। स्थानीय सहयोग फीस तथा दान के अनुपात से अनुदान मिलने के कारण बढ़ गया। अध्यापक, प्रशिक्षण के लिये अनुदान बन्द हो गये तथा एक निम्न प्रकार का सर्टीफिकेट प्रारम्भ हो गया। इस संहिता का विरोध हुआ लेकिन इसके कारण छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई तथा राज्य का व्यय भी कम हो गया। अच्छे स्कूलों को अधिक धन तथा अन्य को कम धन मिलने लगा। ६ वर्ष से कम के बच्चे परीक्षा से मुक्त थे लेकिन उसके पश्चात् कोई रियायत न थी और कोई छात्र एक ही परीक्षा में दो बार नहीं बैठ सकता था। मैथ्यू आरनाल्ड की राय में इस व्यवस्था से शिक्षा अच्छी हो गई। १८६७ में इस कोड में संशोधन हुये जैसे अधिक अनुदान छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिये तथा अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति के लिये आदि।

१८६७ में 'द मेनचेस्टर एजूकेशन बिल कमेटी,' तथा 'द बर्मिघम लीग' और १८६९ में 'द नेशनल एजूकेशन यूनियन' की स्थापना हुई। यह सब एक व्यापक अधिनियम चाहते थे जिसमें धार्मिक शिक्षा के लिये धारा के साथ-साथ धर्म निरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था हो। १८६७ के "रिफार्म एक्ट" (सुधार अधिनियम) ने एक व्यापक अधिनियम की आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार १८७० का प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम उक्त चेष्टाओं का स्वाभाविक परिणाम था। उस समय १० लाख ६ से १० वर्ष तक की उम्र के, तथा ५ लाख १० से १२ तक की उम्र के बच्चे के लिये कोई शिक्षा व्यवस्था न थी। इसलिये इस बिल ने देश को काउन्टी तथा स्कूल क्षेत्रों (म्यूनिसिपल बोर्ड तथा सिविल पेरिशेज) में बांट दिया। लन्दन की अलग व्यवस्था थी। इन परिषदों को अपने क्षेत्र की कमियों को पता लगाकर पूरा करने के अधिकार दिये गये। विभिन्न मतों को अपने स्कूलों को ठीक करने का अवसर दिया गया। लेकिन निश्चित समय के पश्चात् उनके स्कूलों को बोर्ड द्वारा ले लेने का अधिकार दे दिया गया। धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्वीकृति पर निरीक्षकों की नियुक्ति समाप्त हो गई। धार्मिक पाठ्यक्रम तथा अनुदान से सम्बन्ध तोड़ दिया गया। तथा एक धारा द्वारा धार्मिक पठन-पाठन को बिना छुट्टी दिये देने की व्यवस्था की गई। शिक्षा में फीस समाप्त नहीं की गई

लेकिन निर्धनों को स्कूल द्वारा सहायता का प्रबन्ध कर दिया गया। इस प्रकार यह अधिनियम एक समझौता था जिसके द्वारा ऐच्छिक तथा स्थानीय चुने हुये व्यक्तियों द्वारा संचालित बोर्ड स्कूल दोनों को ही रहने दिया गया। इसमें धर्म को न छूने के कारण धाम पंथी व्यक्तियों को छोड़कर अन्य लोगों को प्रसन्न किया गया। इस अधिनियम में कूपर-टैम्पिल धारा का संशोधन सम्मिलित कर लिया गया जिसके द्वारा किसी भी विशेष धार्मिक शिक्षा की स्कूलों में मनाही कर दी गई जो कर द्वारा सहायता प्राप्त करते थे। लेकिन बिना टीका के बाइबिल का पढ़ाना सही मान लिया गया। सरकार ने धार्मिक स्कूलों को कर द्वारा सहायता देने वाली धारा अधिनियम में निकाल दी। इस प्रकार विरोध के होते हुये भी यह बिल अधिनियम बन गया।

१८७० के अधिनियम ने ऐच्छिक अधिकारियों तथा बोर्ड स्कूलों के मध्य स्पष्ट अन्तर उत्पन्न कर दिया। बोर्ड स्कूल स्तर तथा योग्यता के सम्बन्ध में निरन्तर बढ़ते गये जबकि अन्य स्कूल* धन की कमी के कारण अच्छे अध्यापक रखकर अध्यापन का स्तर बढ़ाने और धन कमाने में पिछड़ा हुआ पाने लगे।

१८५१ की प्रदर्शिनी के पश्चात् से विज्ञान तथा कला विभाग अच्छा कार्य करने लग गया था। १८६७ की पेरिस प्रदर्शिनी ने उसके उत्साह को और बढ़ा दिया। १८८० में लन्दन में एक गिल्ड की स्थापना हुई और कुछ ही दिनों में जिसके कारण तकनीकी शिक्षा पर आयोग बैठा। लेकिन इस विषय में हम आगे विस्तारपूर्वक कहेंगे।

१८७० अधिनियम के पश्चात् धार्मिक तथा अन्य लोगो में शिक्षा के लिये होड़ सी होने लगी। बहुत से लोग अब भी राज स्कूल जाने की बात को अर्थहीन समझते, वस्तुतः बहुत से व्यक्तियों को शिक्षा में ही अधिक गुण दिखाई न देता इसलिये स्कूलो में उपस्थिति अच्छी नहीं हो पाती थी। यद्यपि उपस्थिति के लिये फैक्टरी अधिनियम जो १८३३ में बना था सहायक था, इसी प्रकार के अन्य अधिनियम भी उपस्थिति पर जोर देते। उनमें प्रमुख था १८७६ का लार्ड सेन्डन का अधिनियम जिसके कारण १० वर्ष से कम के बच्चो को नौकरी पर रखना जुर्म था। केवल राजकीय निरीक्षक के सर्टीफिकेट के पश्चात् कि अमुक छात्र ने दर्जा ४ की योग्यता प्राप्त कर ली है १० से १४ की आयु में नौकरी करने की आज्ञा मिल सकती थी। १८८० का मन्डैला का अधिनियम तथा क्रास आयोग की रिपोर्ट से छात्रो की उपस्थिति की दशा में बहुत सुधार हुआ। १८९३ में छात्र ११ वर्ष की आयु के बाद स्कूल जाना बन्द कर सकते थे। १८९९ में १२ तथा १९०० में स्थानीय शिक्षा अधिकारी १३ या १४ तक

आयु बढ़ा सकते थे, और आर्थिक दशा के सुधार के पश्चात् यह आयु १५ तक बढ़ाई जा सकती थी।

१८७१ के कोड (संहिता) के अनुसार स्कूलों के अच्छे शासन के अनुसार अनुदान को घटाया बढ़ाया जा सकता था। उदार पाठ्य-क्रम को प्रोत्साहन दिया जाने लगा तथा सन्ध्या-कालीन स्कूलों को ४ शिलिंग छात्रों की उपस्थिति तथा २॥ शि० पास होने पर अनुदान मिलने लगा। १८७३ में निरीक्षकों द्वारा स्कूलों के अचानक निरीक्षण का प्रबन्ध कर दिया गया। इस प्रकार स्कूलों का शासन, तथा अनुशासन दोनों में ही सुधार हुआ।

१८८३ में बढ़ाते हुये शिक्षा के व्यय के कारण ऐच्छिक अधिकारियों को सरकार के सामने एक आवेदन (Memorandum) रखना पड़ा जिसे प्रधान मन्त्री ग्लैडस्टन ने ठुकरा दिया। लेकिन १८८८ में क्रौस आयोग बैठा जिसको वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों के शासन, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा, तथा प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा का सम्बन्ध आदि के विषय में जाँच करने का अधिकार मिला। आयोग की रिपोर्ट में दो मत हो गये १५ एक ओर ८ दूसरी ओर। इस मतभेद के कारण धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी विचार तथा स्थानीय कर द्वारा ऐच्छिक स्कूलों की सहायता करते थे। एक मत होकर आयोग ने निम्न सिफारिशें की : (१) स्कूलों में स्वास्थ्य रक्षा का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये। स्कूलों में अच्छे अध्यापक तथा निश्चित वेतन, और अध्यापक प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध होना चाहिये। (२) ११ वर्ष से पहले किसी को भी नौकरी करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये तथा स्कूल से भागने वाले बच्चों (Truants) के लिये स्कूल-व्यवस्था होनी चाहिये। (३) पाठ्य-क्रम में पर्याप्त रुचियों के लिये प्रबन्ध होना चाहिये। 'परीक्षा पर अनुदान' व्यवस्था की कमियों को यदि दूर कर दिया जाय तो आयोग को उसमें कोई एतराज न था। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अधिक आयु वाले छात्र छोटी परीक्षाओं में बैठने ताकि वह अनुत्तीर्ण न हों। (४) बहुमत धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था। (५) तथा बहुमत पार्लियामेन्ट द्वारा निर्धारित अनुदान के पक्ष में था। (६) पूरे आयोग की राय में सन्ध्याकालीन स्कूलों का चलना उचित था। इन स्कूलों में १२ से १८ या २१ तक के छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। इन स्कूलों से विज्ञान तथा तकनीकी उच्च शिक्षा की आशा की जाती थी। टान्टन आयोग ने १८६४-६७ में माध्यमिक स्कूलों को अधिक प्रजातन्त्रीय बनाने पर बल दिया था तथा माध्यमिक स्कूलों को स्कूल छोड़ने की आयु के आधार पर तीन श्रेणियों में बाँटा था। १४, १६ तथा १८ या १९ के यह स्कूल क्रमशः ग्राम, ५,००० जनसंख्या में अधिक के कस्बे तथा २०,००० जनसंख्या से अधिक के नगरों के

लिये स्थापित किये जाते थे। १८७० के पश्चात् इन स्कूलों का कार्य प्रगति करने लगा। इन मे प्रायमिक शिक्षा दी जाती तथा बहुत मे विषयों में एक या अधिक मे माध्यमिक परीक्षा पास करना हो तो इस प्रकार इन्हें बोर्ड तथा विज्ञान तथा कला विभाग दोनो से ही अनुदान मिल जाता। फिर इस विभाग द्वारा ३ वर्षीय विज्ञान की शिक्षा के लिये पढ़ाने के लिये भी सहायता दी जाती। क्राम आयोग ने उक्त व्यवस्था के पक्ष मे मत दिया लेकिन यह चाहते थे प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मे स्पष्ट अन्तर हो जाय और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर दी जाने लगे।

इस आयोग के फलस्वरूप १८९० के कोड (संहिता) ने प्रायमिक कक्षाओं मे Drawing अनिवार्य कर दी तथा विज्ञान तथा शारीरिक कसरत को प्रोत्साहन दिया। अध्यापक-प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये भी प्रबन्ध हुआ। १८९३ की संहिता के अनुसार सन्ध्या-कालीन स्कूल के छात्रों को २१ वर्ष तक की अवस्था तक अनुदान देने के लिये गिना जाने लगा। इसी वर्ष ७-१६ तक के अन्धे व बधिर बच्चों की शिक्षा भी अनिवार्य हो गई। १८९९ तक अन्य शारीरिक कमियों वाले छात्रों की शिक्षा भी अनिवार्य हो गई। १८८८ के स्थानीय सरकार के लिये अधिनियम ने स्थानीय शासन व्यवस्था मे सुधार कर दिये। इंगलैण्ड भर मे काउन्टी तथा काउन्टीबरों काउन्सिलों की स्थापना हो गई। १८८९ मे तकनीकी शिक्षा अधिनियम मे इन काउन्सिलो को तकनीकी तथा हस्तकला की शिक्षा देने का अधिकार भी दे दिया। १८९० मे इन काउन्सिलो को व्हिस्की कर मिल गया जिससे वह अधिक सम्पन्न हो गये। इस प्रकार स्थानीय संस्थाओं की लोकप्रियता बढ़ गई और स्कूल बोर्ड कम लोकप्रिय हो गये जिसके फलस्वरूप उनको १९०२ मे समाप्त कर दिया गया।

ऐच्छिक तथा धार्मिक निकायों (Bodies) ने बढ़ते हुये खर्च के कारण १७½ शि० की अनुदान सीमा को समाप्त करने की प्रार्थना की। १८९६ मे सरकार ने एक बिल द्वारा ऐसा करने की चेष्टा की। उन्होंने समस्त शिक्षा को एक ही स्थानीय शिक्षा अधिकार (L.E.A) लाना चाहा तथा बोर्ड के स्कूलों को ४ शि० की अतिरिक्त अनुदान देने की कोशिश की। बोर्ड की २० शि० प्रति छात्र से अधिक कर लगाने के अधिकार पर रोक लगानी चाही। किन्तु यह बिल पास न हो सका। अगले वर्ष १७½ शि० की सीमा समाप्त होगई तथा ५ शि० की अतिरिक्त सहायता और देने की व्यवस्था की गई जिसके लिये एक ऐच्छिक एसोसियेशन बना जो इस अनुदान के बांटने का कार्य करता।

बीसवी शताब्दी —इस शताब्दी का शिक्षा-विकास की दृष्टि से बहुत

महत्त्व है। सन् १६०२ का शिक्षा एक्ट राज्य शिक्षा-प्रणाली का मुख्य स्तम्भ रहा। इसके द्वारा स्कूल-बोर्डों की समाप्ति हो गई और काउन्टी काउन्सिल्स और काउन्टी बोरोज की स्थापना हुई। स्थानीय-शिक्षा अधिकारी की इसी समय स्थापना हुई। स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं की आर्थिक कठिनाइयों मे सहायता की गई, इस एक्ट के द्वारा माध्यमिक विद्यालयो की शीघ्र स्थापना की गई जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी संस्था द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते थे। औद्योगिक-शिक्षा तथा अध्यापक-प्रशिक्षण विद्यालयो की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी संस्था से सहायता प्राप्त करते थे।

दी फिशर-एक्ट[1]—सन् १६१८ के शिक्षा-एक्ट द्वारा शिक्षा की अनिवार्य-अवस्था १४ वर्ष तक बढा दी गई। इस सुधार का श्रेय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एच० ए० एल० फिशर (H.A L.Fisher) को है। स्थानीय शिक्षा-अधिकारी अब अधिक अवस्था वाले बालको की व्यावहारिक-शिक्षा[2] भी देने लगी, और १४ वर्ष से १८ वर्ष तक के बालकों के लिए आंशिक-समय शिक्षा का आयोजन करने लगी। परन्तु युद्धोत्तर आर्थिक-संकट के कारण इसकी बहुत सी धारायें कार्यान्वित नहीं हो सकी।

दी हैडो रिपोर्ट[3]—इस रिपोर्ट ने शिक्षा-सगठन पर बहुत प्रभाव डाला। इसके अनुसार ११ वर्ष की अवस्था के बाद बच्चों को अलग स्कूलो मे भेजने का आयोजन किया गया। ये स्कूल अधिक अवस्था वाले बच्चो (अर्थात् ११ वर्ष से अधिक आयु) की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। बच्चो की स्कूल छोडने की अवस्था अब १५ वर्ष करदी गई जिससे ११ वर्ष की अवस्था के बाद कम से कम ४ वर्ष स्कूलों मे रह सकें। इसके बाद स्पेन्स रिपोर्ट[4] का सूत्रपात हुआ।

शिक्षा का महान् बिल—(एजूकेशन एक्ट १६४४): इसे बटलर एक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका आगमन उस समय हुआ जबकि राष्ट्र के ऊपर द्वितीय महायुद्ध का भीषण संकट छाया हुआ था और नाजी शक्तियाँ इगलैण्ड पर आक्रमण और बमबारी कर रही थी तथा लोग सुरक्षा के स्थानो को हटाये जा रहे थे। इस एक्ट द्वारा इंगलैण्ड के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पुनर्निर्माण का सूत्रपात हुआ। पूरे देश मे इस व्यापक बिल का स्वागत हुआ

1. The Fisher Act. 2. Practical Training,
3. The Hadow Report (1926). 4. Spens Report.

और इगलैण्ड के सामाजिक, शैक्षिक पुनर्निर्माण की गति में बहुत सहायता मिली।

इसके द्वारा शिक्षा बोर्ड को शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया और इसके अध्यक्ष का नाम प्रेसीडेन्ट के स्थान पर 'मिनिस्टर' रक्खा गया, उसके अधिकारों को बढ़ा दिया गया और पहली बार शिक्षा में राष्ट्रीय नीति के विकास के लिए उनको अधिकार दिये गए। अनिवार्य शिक्षा की अवस्था को १४ वर्ष से बढ़ाकर १५ वर्ष तक कर दिया गया और यह अवस्था अधिक साधनों के सुलभ होने पर १६ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी। सम्पूर्ण शिक्षा का तीन भागों में विभाजन करके—प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का आयोजन किया गया। शिक्षा-क्रिया को एक अनवरत-विधि[1] माना गया और बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं द्वारा शिक्षा दी जाने लगी जिसमें उनकी अवस्था, बुद्धि, योग्यता और रुचि का ध्यान रक्खा जाने लगा। औद्योगिक, व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि की गई और काउन्टी कालेजों की स्थापना के प्रस्ताव द्वारा आगे की शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा का आयोजन किया गया।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी संस्थाओं द्वारा स्थापित स्कूलों में शिक्षा-शुल्क समाप्त कर दिया गया और विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का आयोजन किया गया।

इस धारा के अनुसार शिक्षा-मन्त्री दो केन्द्रीय सलाहकार कौन्सिलों की नियुक्ति करेगा जो उसे इगलैंड और वेल्स की शिक्षा-विधियों और शिक्षा-अभ्यासों के विषय में उन्हें परामर्श देंगी। इस धारा द्वारा इगलैंड का पूरा शिक्षा-संगठन सुलभ और समझने योग्य बना दिया है। उसकी मुख्य धाराओं का सारांश इस प्रकार है :—

१—"बोर्ड आफ एजूकेशन के अध्यक्ष' को शिक्षा-मन्त्री का नाम दिया गया और उनका कार्य इगलैंड और वेल्स की जनता के लिए शिक्षा-उन्नति और देश के प्रत्येक भाग में व्यापक शिक्षा-सेवा का आयोजन करना बताया गया। इस धारा के अनुसार शिक्षा-मन्त्री को बहुत अधिकार दिए गए इंग्लैंड और वेल्स दोनों की केन्द्रीय सलाहकार समिति का काम शिक्षा-मन्त्री को सलाह देना था।

२—हर एक काउन्टी के लिए स्थानीय-शिक्षा अधिकारी काउन्सिल आफ दी काउन्टी होगी और काउन्टी बरो के लिए काउन्सिल आफ दी काउन्टी बरो होगी।

1. Continuous. Process.

३—पहले शिक्षा का आयोजन दो भागों में किया जाता था। प्रारम्भिक तथा उच्च-शिक्षा। परन्तु १९४४ की धारा ने शिक्षा को स्पष्ट रूप से तीन भागों में विभाजित कर दिया था—प्राइमरी,[1] माध्यमिक और आगे की शिक्षा के नाम सम्मिलित किए गए।

४—स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर उत्तम शिक्षा आयोजन करें, जनता को आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक-विकास का मार्ग प्रस्तुत करें, जिससे उस क्षेत्र की जनता की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

५—हर एक बच्चे को उसकी अवस्था, योग्यता, रुचि तथा व्यक्तिगत भिन्नता द्वारा शिक्षा दी जायगी। हर एक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे की शिक्षा-प्राप्ति का उचित आयोजन करे।

६—५ वर्ष से १५ वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करदी गई। यह अवस्था ठीक अवसर पर १५ से १६ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी।

७—२ साल से ५ साल के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूलों का आयोजन किया जाना चाहिए।

८—प्राइमरी और माध्यमिक-शिक्षा के लिए अलग-अलग शिक्षालयों का आयोजन होगा।

९—शारीरिक और मानसिक दुर्बलता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षालयों तथा उनके लिए विशेष शिक्षा-चिकित्सा का आयोजन किया जाना चाहिए।

१०—नर्सरी शिक्षालयों में २ वर्ष से ५ वर्ष के बच्चों को भेजना संरक्षकों की स्वेच्छा पर निर्भर है, परन्तु ५ वर्ष से १५ वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है। इस अवस्था की सीमा उचित आर्थिक साधन, इमारत और अध्यापक सम्बन्धी साधन मिलते ही १६ वर्ष कर दी जायगी। पिछले प्राप्त समाचारों के अनुसार कुछ काउन्टीज में यह अवस्था १६ वर्ष कर दी गई है।

११—उन नवयुवकों के लिए जो १८ वर्ष की अवस्था से पहले स्कूल छोड़ गये हैं, काउन्टी कालेजों की स्थापना करना, आंशिक रूप से उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् १५ वर्ष से १८ वर्ष के विद्यार्थियों की आवश्यकता के लिए 'काउन्टी-कालेजों' की स्थापना करना।

1. The word 'Primary was substituted for 'Elementary.'

१२ आगे की शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें शिक्षा के लिए पर्याप्त और सुसंगठित सुविधायें सम्मिलित हैं। प्रौढ़-शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक-शिक्षा तथा अन्य व्यावसायिक-शिक्षा और मनोरंजन, सुविधाओं में भी वृद्धि की जायगी।

१३—१८ साल तक की अवस्था तक बालकों तथा नवयुवकों के लिए शारीरिक तथा साधारण भलाई और कल्याण के लिए आयोजन किया जायगा।

१४—वह स्कूल जिनको राज्य से आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, अब तक उनका राज्य द्वारा अनिवार्य निरीक्षण और देख-भाल नहीं हुआ करती थी। परन्तु इस धारा द्वारा ऐसे सभी स्कूलों का अनिवार्य निरीक्षण हुआ करेगा और केन्द्रीय-शिक्षालय में उनकी रजिस्ट्री होगी।

१५—स्कूल-भवन आदि बनाने के नये सिद्धान्त और माप-दंड केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये और स्वेच्छा-संस्थाओं द्वारा चलाने वाले स्कूलों को इन नई शर्तों को पूरा करना चाहिये।

१६—हर एक प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल का कार्य सामूहिक-प्रार्थना के बाद आरम्भ होगा।

१७—हर एक स्वतन्त्र स्कूल का निरीक्षण और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

१८—आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी संस्थायें छात्रालय स्थापित कर सकती हैं।

१९—माध्यमिक शिक्षा तीन प्रकार के विद्यालयों (ग्रामर, टैक्नीकल और माडर्न स्कूलों) में दी जायगी। इनमें प्रवेश होना परीक्षा के ऊपर निर्भर रहेगा। इस परीक्षा में बच्चे की बुद्धि-परीक्षा मुख्य होगी।

२०—विद्यार्थियों को चिकित्सा, भोजन, दूध, कपड़े, पुस्तकें और दूसरी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्रदान किया जायगा। दूर रहने वाले विद्यार्थियों को यातायात की सुविधा भी प्रदान की जायगी। इसके लिये उन्हें धन आदि नहीं देना पड़ेगा।

२१—निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति द्वारा पढ़ने की सुविधा हर प्रकार देना और विश्वविद्यालय तक पहुँचने में योग्य विद्यार्थियों को हर सम्भव ढंग से सहायता करना।

२२—अध्यापक-शिक्षण-सुविधाओं की वृद्धि।

२३—माध्यमिक-विद्यालयों के पाठ्य-क्रम में सुधार।

इंगलैंड का १९४४ का शिक्षा-एक्ट संसार के महान् एक्टों में से है जिसने

शिक्षा के क्षेत्र मे क्रान्तिपूर्ण सुधार किए है। दुर्भाग्यवश इसमे सोची हुई बहुत सी बातें पूरी नही हो सकी हैं, उसका मुख्य कारण है कि देश द्वितीय संसार-युद्ध के बाद बहुत भयंकर परिस्थिति मे से गुजरा। आर्थिक-संकट उनमे प्रधान था जिसके कारण स्कूल छोड़ने की आयु १५ वर्ष के स्थान पर १६ वर्ष तक नही की जा सकी। धनाभाव के कारण स्कूल-भवनो और अध्यापको का अभाव रहा, उनके प्रशिक्षण की सुविधाओ की भी कमी रही।

काउन्टी कालेजो की स्थापना भी धन, स्कूल-भवन और अध्यापकों के अभाव मे नहीं हो सकी, और १८ वर्ष तक के नवयुवको की शिक्षा के लिये अधिक साधन नही जुटाये जा सके हैं। समालोचकों का कहना है कि शिक्षा एक्ट की प्रगति बहुत धीमी रही है। परन्तु यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यह एक्ट इगलैण्ड के शिक्षा इतिहास का एक स्तम्भ है जिसपर पूरी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आधारित की जाती है और देश ने पूर्ण प्रयास किया है कि सभी धारायें सफलता पूर्वक कार्यान्वित हो सकें, परन्तु आर्थिक संकट के कारण यह संभव नहीं हो सका है कि यह पूर्ण रूप से सफल हो सकता। देश जैसे ही उन संकटों से मुक्त होगा वैसे ही इस एक्ट द्वारा इगलैड मे शिक्षा उन्नति शीघ्रता से होगी।

शिक्षा—इस एक्ट के गुण और दोष देखने से पहले इसका इतिहास देखना आवश्यक है।

यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध (१९१४ १८) के कारण देश की सामाजिक तथा आर्थिक दशा मे परिवर्तन हो गया था, असंख्य लोगो को सैनिक सेवा के लिये जाना पड़ा था, लेकिन तत्कालीन प्रधान मन्त्री लॉयड जॉर्ज ने शिक्षा के प्रति विशेष चिन्ता के कारण शैफील्ड विश्वविद्यालय से मि० फिशर को बुलाकर शिक्षा मण्डल का प्रधान नियुक्त कर दिया। उनकी कल्पना के आधार पर १९१८ का अधिनियम बना जिसमे उक्त मि० पीज के बिल की बहुत सी बातें सम्मिलित थी। फिशर अधिनियम ने शिक्षा को राष्ट्रीय बनाने की चेष्टा की।

(१) इसके द्वारा अनुदान प्रणाली मे सुधार हुआ—विशिष्ट अनुदान प्रणाली को समाप्त करके "एक पुञ्ज अनुदान प्रणाली"(Block grant system) लागू की गयी जिससे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारो को उच्च शिक्षा के प्रति व्यय किये गये धन का आधा भाग तक अनुदान में मिल सकता था।

(२) फिशर अधिनियम ने सप्ताह मे तीन दिन पढ़ने वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा १४ वर्ष से पूर्व किसी भी छात्र को स्कूल छोड़ने की आज्ञा बन्द कर दी तथा १२ वर्ष तक किसी बालक को नौकरी करना अवैध

घोषित कर दिया। इसमे ऊपर केवल रविवार के २ घन्टे नौकरी करने की अनुमति दे दी। लेकिन ६ बजे सुबह तथा ८ बजे शाम के बाद नौकरी की अनुमति नहीं थी।

(३) स्वास्थ्य-निरीक्षण तथा उपचार का विस्तार 'सहायता-प्राप्त स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों मे हो गया। तथा प्राधिकारों को शारीरिक दोष वाले छात्रों का पता लगाने तथा उनके लिये शिक्षा का प्रबन्ध करने का कार्य, सौपा गया।

(४) प्रारम्भिक शालाओं में शुल्क समाप्त कर दिया। लेकिन निर्धन छात्रों को माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध करने का कार्य सौंपा गया।

(५) प्रारम्भिक शालाओं मे शुल्क समाप्त कर दिया गया। लेकिन निर्धन छात्रों को माध्यमिक शिक्षा-काल मे आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई।

(६) सातत्य (Continuation) स्कूल खोलने तथा उनमे १४ से १८ के छात्रों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करने का कार्य-भार प्राधिकारों को सौंपा गया। इनमे छात्रो को वर्ष मे ३२० घन्टे की उपस्थिति अनिवार्य थी। तथा उन छात्रों के लिये जो १४ वर्ष की आयु के पश्चात् भी पढना चाहते थे उनके लिये अंश-कालीन (Part-time) शिक्षा का प्रबन्ध करने की व्यवस्था भी की गई।

(७) इस अधिनियम ने द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के प्राधिकारो को ज्यों का त्यों रहने दिया। लेकिन अध्यापक-प्रशिक्षण, उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाओं आदि के लिए यदि वह चाहे तो उनके मंडल में मिल जाने की व्यवस्था कर दी। १९२१ के बिल द्वारा उक्त शिक्षा बिल मे संशोधन (Amendment) के लिये प्रयत्न हुये जिनके द्वारा धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न का हल किया जाना सम्भव सा हो जाता। इस बिल की धाराओं ने प्राधिकारों के हर प्रकार के स्कूल प्रशिक्षण मे सब अधिकार दे दिये। किसी भी अध्यापक को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा देने के लिये अब बाध्य नहीं किया जा सकता था। स्थानीय तथा केन्द्रीय स्तर पर धार्मिक शिक्षा के सुझाव देने के लिये समितियाँ बनाई जाने की व्यवस्था थी और बाहरी व्यक्तियों (Visiting teachers) का इस धार्मिक शिक्षण के लिये पढ़ाने जाने की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन यह बिल अधिनियम नहीं बन सका।

शिक्षा का पुनर्संङ्गठन १९१८ के अधिनियम ने कर दिया। २-११ तक पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक तथा उसके पश्चात् १४ या १६ तक शिक्षा का

प्रबन्ध हुआ। जिन छात्रों की शिक्षा में ११ की अवस्था पर तोड (Break) सम्भव नहीं था उनके लिये १ पर इस तोड की व्यवस्था कर दी गई। ११ से ऊपर के छात्रों के लिये, जिनके लिये स्थानीय या केन्द्रीय स्कूलों में कोई व्यवस्था न थी, अलग से शिक्षा के प्रबन्ध की भी व्यवस्था हुई।

बर्नहम समिति १९१९.—१९१८ में मि० फिशर ने एक समिति अध्यापकों के वेतन में सुझाव तथा परिवर्तन लाने के लिये स्थापित की। प्रथम अध्यक्ष लार्ड बर्नहम थे और इसलिये इस समिति का नाम उनके नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज भी यह समिति उसी नाम से मशहूर है यद्यपि अध्यक्ष अब कोई अन्य व्यक्ति है। १९४४ के शिक्षा अधिनियम ने इस समिति की स्थापना स्थायी कर दी। इस समिति ने अध्यापकों के वेतन में वृद्धि के लिये सुधार पेश किये। इनके द्वारा दी गई वेतन श्रेणी (Payscale) देश भर के अध्यापकों पर लागू हो गई। लेकिन इससे पूर्व अध्यापकों को भिन्न भिन्न प्राधिकारों तथा स्कूलों के प्रबन्धकों से अपने वेतन के लिये सौदेबाजी करनी पड़ती थी। इसका परिणाम स्पष्ट था—अच्छे, धनी स्कूलों में अच्छे अध्यापक तथा अन्य स्कूलों में साधारण अध्यापक जाने लगे। साधारण अध्यापकों की दशा प्रथम विश्व-युद्ध की मँहगाई ने खराब कर दी थी। उनकी दशा सुधारने के लिये केन्द्र ने १९१७ में ३ लाख पाउन्ड का अनुदान भी दिया लेकिन अवस्था में विशेष सुधार न हुआ। बर्नहम समिति ने अध्यापकों के लिये ३ श्रेणियाँ क्षेत्रों के आधार पर बनाई तथा लन्दन के लिये अलग श्रेणी बनाई। लार्ड बर्नहम की अध्यक्षता में माध्यमिक तथा तकनीकी समितियों ने भी सुधार तथा वेतन श्रेणी अभिस्तावित की। यह समस्त वेतन श्रेणियाँ १९२१ में लागू हो गईं।

१९२१ तक आते आते देश की आर्थिक दशा खराब हो गई। इसलिये सर एरिक गेड्स की अध्यक्षता में एक समिति ने खर्च कम करने के सुझाव दिये जिनसे शिक्षा-विस्तार थोड़े दिन के लिये रुक गया। इस समिति के सुझावों को "गेड्स का कुल्हाड़ा" (Geddes axe) कहते हैं। इसने १९१८ के अधिनियम के अनुसार निर्धारित अनुदान प्रणाली को बन्द कर देने का सुझाव दिया। ६ वर्ष से कम के बच्चों को स्कूल आने की आवश्यकता को खर्चीला बताया, तथा अध्यापकों की पेन्शन में सुधार किये। परिणामस्वरूप शिक्षा का व्यय एक तिहाई कर दिया गया।

१९२४ तक बढ़ती हुई माध्यमिक शिक्षा के कारण आवश्यकता महसूस होने लगी थी कि इस स्तर की शिक्षा में सुधार किये जायें। डा० टानी (Tawney) के लेख 'सेकेन्डरी एजूकेशन फार आल' ने इस विषय पर निश्चित

प्रकाश डाला तथा प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को अलग अलग नहीं एक ही प्रक्रिया के दो स्तर के रूप में बनाया। १९२६ की हैडो रिपोर्ट ने "प्रारम्भिक शिक्षा" के स्थान पर 'प्राथमिक शिक्षा" शब्द को उचित माना क्योंकि इस प्रकार "प्राथमिक" तथा "माध्यमिक" शिक्षा में केवल स्तर का अन्तर रह जाय न कि अन्य कोई। ११+के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने की सीमा निश्चित कर दी। उन्होंने ५ वर्ष से पूर्व उन बच्चों के लिये जिनके घर की दशा ठीक न थी, शिशु-शालाओं को खोलने का सुझाव दिया। १९१८ के शिक्षा अधिनियम ने इसकी व्यवस्था की थी किन्तु आर्थिक कारणों से इनका खोलना देश व्यापी स्तर पर सम्भव नहीं हो पाया था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को ५—७ तथा ७—११ में बाँट दिया। इसके अतिरिक्त अच्छे स्कूल भवन, शिक्षा पद्धति, अध्यापक-नियुक्ति आदि के विषय में भी सुझाव दिया। प्रोजेक्ट पद्धति तथा स्त्री-पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में उन्होंने सलाह दी।

१९३६ के शिक्षा अधिनियम ने उक्त समिति की बातों को मानकर, विभिन्न सुधार किये। इस अधिनियम ने पाठशाला-त्याग-आयु १४ से १५ वर्ष कर दी। कुछ छात्रों को यद्यपि इस नियम से मुक्त किया जा सकता था। यह उम्र १ सितम्बर १९३९ से लागू होनी थी ठीक उसी दिन द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९—४५) के दौरान में शिक्षा सम्बन्धी विचार विमर्श बन्द नहीं हुये यद्यपि इंगलैण्ड पर जर्मनी हमले एक साधारण दिनचर्या से बन गये थे। सामाजिक जीवन उन दिनों लगभग अस्तव्यस्त हो गया था तथा ऐसी दशा में आर्थिक कठिनाइयाँ भी स्पष्ट थीं। ऐसे समय में भविष्य में युद्धोपरान्त शिक्षा के लिये आदर्श-प्रणाली बनाने के लिये चेष्टायें हुईं।

१९४१ में शिक्षा मण्डल की ओर से एक प्रश्नावली प्रकाशित हुई जिसने शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा अंगों की असमस्याओं के सम्बन्ध में विचार एकत्र किये। इस प्रश्नावली के हरे आवरण के कारण इसका नाम 'ग्रीन बुक' पड़ गया। यद्यपि वह गुप्त रूप से वितरित की गई थी लेकिन धीरे धीरे इसकी विषय-वस्तु सर्व-विदित हो गई। न केवल स्थानीय शिक्षा अधिकार, अध्यापक-संघ तथा अन्य शिक्षाविद जिनके लिये यह प्रश्नावली बनी थी, वरन् अन्य लोगों ने भी इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करने प्रारम्भ कर दिये। १९४३ के शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिये श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ। तथा इसी के आधार पर १९४४ का शिक्षा-अधिनियम भीषण युद्ध का काली छाया के नीचे प्रकाश-पुंज के रूप में बना।

(ब) माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा :—

इंगलैण्ड की उत्तर प्रारम्भिक शिक्षा १० वीं शताब्दी में पैलेस या राज्य भवन स्कूलो तथा मठों के स्कूलो से प्रारम्भ होकर जिनमे केवल उच्च वर्ग के छात्र तथा कभी कभी छात्राये पढ़ती थी, आज के सार्वजनिक माध्यमिक स्कूलों के रूप मे आ गई है। उक्त स्कूलों मे उदार कलाओ की शिक्षा दी जाती थी जो क्लासिकल या पुराने समय की यूनानी तथा रोम की शिक्षा पर आधारित थी। इनके अतिरिक्त भी शिक्षा का प्रबन्ध था, जो दान दिये गये धन द्वारा चलतीं, तथा जिन्हे चैरिटी (Chartry) स्कूल कहते हैं। किन्तु इनमे धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य शिक्षा का प्रबन्ध न था।

धार्मिक आधार पर होते हुये आक्सफोर्ड (११८७) तथा केम्ब्रिज (१२२६) लन्दन के कोलाहल तथा राज्य और धार्मिक प्रभावो से दूर पूर्णरूपेण स्वतन्त्र तथा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों द्वारा प्रेरित उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। मठो की भांति यहाँ भी निवास अनिवार्य था लेकिन शिक्षा व्यवस्था तथा पाठ्य-क्रम मठो से भिन्न था। केवल पादरियों के जैसा चोगा (Gown) पहनना मात्र मठों के जैसा था, जो प्रथा आज तक प्रचलित है।

धीरे धीरे पब्लिक स्कूल खुलने लगे। विन्चेस्टर १३८७, तथा ईटन १४४१ मे स्थापित हुये। इनको राज्यकोष से सहायता मिलती तथा इनके स्नातक विश्वविद्यालय मे अपनी शिक्षा समाप्त करते। इन स्कूलो मे क्लासिकल शिक्षा पर बल दिया जाता था। लेकिन आवश्यकतानुसार अन्य स्कूल सेन्टपाल, श्रूबरी, वेस्टमिस्टर, मरचेन्ट टेलर्स, रग्वी, हैरो तथा चार्टर हाउस आदि उक्त दो स्कूलों का अनुकरण, पाठ्य-क्रम तथा विश्वविद्यालयो के लिये स्नातक तैयार करने के लिये, करने लग गये। यह स्कूल अठारहवीं शताब्दी तक पब्लिक स्कूल बन गये यद्यपि इनमे जन साधारण के नही बल्कि केवल धनी तथा उच्च वर्ग के व्यक्तियो के पुत्र ही पढ़ने जा सकते थे। लेकिन इन स्कूलो ने सम्राट हेनरी के मठों के स्कूलों के बन्द कर देने के पश्चात् शिक्षा का अद्वितीय तथा सफल कार्य किया। यद्यपि इनमें मठीय शिक्षा व्यवस्था का अनुकरण नहीं था।

धनी मध्य-वर्ग तथा अन्य लोगो की शिक्षा के लिये जिनमें उक्त स्कूलो के अतिरिक्त विषय भी पाठ्य-क्रम मे सम्मिलित थे, एक नये प्रकार के स्कूलो का जन्म हुआ जिन्हे ग्रामर स्कूल कहने लगे। इनमे निवास अनिवार्य नहीं था, तथा यहाँ छात्रों को विश्वविद्यालयों मे जाने के लिये विशेष परीक्षा की तैयारी करवायी जाती थी। जमीदारों ने भी अपने स्कूल खोले जो इन्हीं स्कूलों के जैसे थे। इनमें कुछ स्कूल धार्मिक तथा कुछ गैर धार्मिक थे।

१८ वीं शताब्दी के अन्त तक अन्य शिक्षा की भांति इस स्तर की शिक्षा में भी परिवर्तन प्रारम्भ हो गये थे। विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर गिर गया था जैसा हम ऊपर देख आये हैं। पब्लिक स्कूलों की शिक्षा समय के साथ बदली न थी और आलोचना का केन्द्र बन गई थी। लेकिन प्रो० आर्थर ने अपनी पुस्तक "सैकेन्डरी एजूकेशन इन दी नाइनटीथ सेन्चुरी" में इस आलोचना को तर्क संगत नहीं बताया। उनका कथन है कि पब्लिक स्कूलों की स्थापना धाराओं (Foundation Statutes) के अनुसार नवीन विषयों का पढ़ाना अवैधानिक था। तथा १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक आम्ल विद्वान बैन्टले और पारसन जैसे थे जो प्राचीन विषयों में पारगत थे और लैटिन तथा ग्रीक विद्या को प्रमुखता देते थे, साथ साथ इन्हीं विद्वानों को आदर्श माना जाता था। फिर उस समय तक बुल्क जैसे साहित्य के आलोचक, गेटे जैसे दूरदर्शी, नाइब्हूर (Niebuhr) जैसे इतिहास वेत्ता भी उत्पन्न न हो पाये थे। परिवर्तन तो उक्त विद्वानों के कारण ही सम्भव हो पाया क्योंकि इनके कारण अंग्रेजी विश्वविद्यालयों की नींवें तक हिल गई। प्रो० आर्थर का मत है कि इन पब्लिक स्कूलों की शिक्षा विश्वविद्यालयों से अच्छी थी क्योंकि उनके स्नातक लैटिन तथा ग्रीक को भली भांति जानते थे। हां, वह इतना अवश्य मानते हैं कि पब्लिक स्कूलों के बोर्डिंग हाउस अच्छे न थे तथा उनके यहां नैतिकता का स्तर अच्छा न था। इस परिवर्तन के लिये प्रिंग आर्नल्ड, न्यूमेन, बटलर जैसे हैड मास्टरों की आवश्यकता थी जो १९ वीं शताब्दी में पूरी हुई। शिक्षा अनुशासन तथा चरित्र के क्षेत्रों में इन महानुभावों के विचार तथा व्यवहार अद्वितीय थे और इसीलिये १९ वीं शताब्दी में एकदम परिवर्तन सम्भव हो गया। लेकिन यह कहना ठीक न होगा कि परिवर्तन आसान तथा बिना विरोध के हो गया। साहित्यिक तथा क्लासिकल शिक्षा ने नई शिक्षा, जिसमें हाथ कौशल भी सम्मिलित था, से कड़ी टक्कर ली। अन्त में विजय समय के परिवर्तन, आवश्यकता तथा नवीन विचारों की हुई।

लेकिन योरप के विभिन्न देशों तथा उनके तत्कालीन विद्वानों का प्रभाव भी इस परिवर्तन के लिये कम जिम्मेवार नहीं। इनमें प्रमुख प्रशिया (Prussia) की शिक्षा की राजकीय व्यवस्था थी जिसके प्रशंसकों ने इंगलैण्ड में बहुत से लेख, भाषण आदि द्वारा नवीन शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। वैसे हम पहले कुछ पृष्ठों पर १८ वीं शताब्दी की अकादमियों का वर्णन भी कर आये हैं जो कई रूप से इस १९ वीं शताब्दी की शिक्षा की पृष्ठ भूमि का काम करता है।

इंगलैण्ड में १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ की तकनीकी तथा औद्योगिक

शिक्षा की बात करते हुये प्रो० स्नो ने कहा है कि जर्मन स्तर इस विषय मे बहुत ऊँचा था और जर्मन जब इंगलैण्ड या अमरीका मे इस ज्ञान के साथ पहुँचे तो उन्होंने बहुत धन कमाया। इंगलैण्ड इस विषय मे जर्मनी से बहुत पीछे था और यह बात कई पीढ़ियों तक सत्य रही। इससे स्पष्ट है डा० निकोलस हंस का कथन कि १८ वी शताब्दी मे अकादमियो ने बहुत काम किया तथा प्रभाव डाला, पूर्ण सत्य नही है। प्रो० नेफ ने इस विषय मे यह कहा है कि औद्योगिक क्रान्ति के लिये केवल कोयले या पानी की आवश्यकता ही नही क्योंकि यह तो इंगलैण्ड मे सदैव से ही थे; वरन् परिष्कृत मस्तिष्क तथा अनेकों वैज्ञानिकों की सेवाओं की आवश्यकता थी जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कामों से यह क्रान्ति सम्भव कर दी। साथ-साथ १७ वी या १८ वी शताब्दी के व्यक्तियो का भौतिकवाद बनना इस क्रान्ति का प्रथम तथा प्रमुख चरण था। लेकिन इस परिवर्तन का मूल स्रोत इन्सानी इच्छा थी जिसके कारण मनुष्य समय तथा देश से ऊपर जाकर इतिहास मे परिवर्तन ला देता है।

वैसे इंगलैण्ड की शिक्षा दो ध्रुव से चली—विश्व-विद्यालय तथा पब्लिक स्कूल—बीच का रिक्त स्थान शनैः शनैः भरा। इस शिक्षा व्यवस्था पर विभिन्न समितियों तथा आयोगो ने प्रकाश डाला तथा तत्कालीन अवस्था का पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया।

पब्लिक स्कूलो के दोषों (जिनकी समालोचना एडिनबरा रिव्यू तथा वेस्टमिनिस्टर रिव्यू मे होती रहती थी), उनके पाठ्य-क्रम की रूढ़िवादिता तथा अत्यधिक खर्च के कारण लार्ड पामर्स्टन ने क्लेरेन्डन के सभापतित्व मे एक आयोग की स्थापना १८६१ में की, जिसने ६ बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों की जांच की तथा तत्कालीन समस्याओ पर विचार प्रकट किये। इस आयोग को केवल दो स्कूलों के अतिरिक्त अन्य स्कूलों मे प्रवेश तक नही मिला। इसलिये आयोग ने मुख्याध्यापकों को प्रश्नावली भेजकर तथा साक्षियों से भेंट करके इन स्कूलो के विषय मे सामग्री एकत्र की। यद्यपि इस आयोग ने सामग्री ९ स्कूलो के विषय मे एकत्र की थी लेकिन अधिनियम बनाने पर उसे केवल ७ पर लागू किया। मर्चेन्ट टेलर्स तथा सेन्टपाल को छोड़ दिया गया। आयुक्तों के सम्मुख जर्मन माध्यमिक स्कूलों (जिमनेजिया) का आदर्श था।

इन पाठशालाओं में आयोग ने (१) पाठ्य-क्रम में लचीलेपन का अभाव (२) आलसी स्वभाव के छात्र उत्पन्न करना, (३) शास्त्रीय विषयों मे अपूर्ण सफलता, (४) आधुनिक भाषाओं, गणित, भूगोल, इतिहास जैसे विषयों को महत्व न देना आदि दोष बताये। आयोग की इन पाठशालाओं मे (१) अध्या-

पक विधियों में सुधार, (२) अध्यापक, छात्र अनुपात की वृद्धि, (३) नैतिक तथा धार्मिक शिक्षण और बौद्धिक अनुशासन मे प्रगति, (४) पाठ्य-क्रम के विषयों मे उचित सामग्री का चुनाव, (५) इनकी शासन व्यवस्था तथा अनुशासन प्रणाली के प्रभावपूर्ण ढंग और (६) शास्त्रीय विषयो के पठन-पाठन का उपकार करना आदि गुण दृष्टिगोचर हुये। आयोग ने निम्न अभिस्ताव (सिफारिशें) किये :—

(१) उन्होंने शास्त्रीय विषयों के अतिरिक्त कम से कम एक आधुनिक भाषा, एक प्रकृति विज्ञान, संगीत तथा इतिहास आदि पढ़ाया जाना चाहिये।

(२) आधुनिक विषयो के अधिक अध्ययन का अवसर उच्च वर्ग के छात्रों के लिये होना चाहिये।

(३) तथा, इन स्कूलों के प्रबन्धको का पुनर्गठन, पाठशाला परिषदो मे अध्यापकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा मुख्याध्यापको की शक्तियों का निर्धारण आदि बातें की जानी चाहिये।

१८६८ के पब्लिक स्कूल्स अधिनियम ने प्रकाशन-सम्बन्धी आयोग की बातो को ग्रहण कर लिया किन्तु जनता के रोष के कारण पाठ्य-विषय सम्बन्धी सिफारिशों को ग्रहण नहीं किया।

इन्ही दिनों मिस्टर लो (Lowe) की १८६२ की संशोधित संहिता प्रकाशित हुई जिसने १२ वर्ष से अधिक आयु के छात्रो के लिये अनुदान-अर्पन बन्द कर दिया। इसका यह अर्थ हुआ कि जनसाधारण के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के द्वार बन्द हो गये। लेकिन वास्तव मे कुछ समय बाद मिस्टर लो ने स्वयं तथा उनके उत्तराधिकारी मिस्टर कॉरी (Corry) ने इस संहिता के कानूनो को कड़े रूप मे लागू नहीं किया, इस प्रकार उत्तर-प्राथमिक शिक्षा का कार्य थोड़ा बहुत चलता ही रहा। यहां पर यह भी कह देना उचित होगा कि कुछ जमींदारों ने अपने स्कूल खोल रखे थे तथा वह राज्य से सहायता भी नहीं लेते थे। इन स्कूलों मे भी इस प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध चलता रहा। इनके अतिरिक्त कुछ संस्थाओं मे एप्रेन्टिस (Apprentice) व्यवस्था थी जहां इस प्रकार की शिक्षा (औद्योगिक या व्यावसायिक) दी जाती थी। विज्ञान तथा कला विभाग ने १८७२ से ३ वर्ष के संगठित विज्ञान शिक्षण के लिए अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया था। इसका अर्थ हुआ कि प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए एक स्कूल शिक्षा माध्यम से, तथा उसके ऊपर विज्ञान तथा कला विभाग (जो साउथ केनसिंगटन में था) से अनुदान ले सकता था। यह विधि आधुनिक शिक्षा तथा इच्छुक छात्रों की आवश्यकता पूर्ण करने में बहुत हद तक सहायक थी। कुछ स्थानीय स्कूल बोर्डों (मैनचेस्टर, शेफील्ड,

बर्मिघम आदि) ने 'हायर सेन्ट्रल स्कूल' खोले तथा परीक्षा लेकर उच्च कक्षाओं में शिक्षा देना प्रारम्भ किया। इनको भी अनुदान दोनों ही केन्द्रीय विभागों से मिल जाता था। थोड़े समय पश्चात् विज्ञान तथा कला विभाग ने अनुदान अर्जन के लिये गणित, ज्योमिति, रसायनशास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा ड्राइंग आदि विषय का अध्ययन निश्चित कर दिया।

उक्त पब्लिक स्कूल आयोग की सीमा से बाहर के उच्च स्कूलों की जाँच के लिये एक आयोग १८६४ में बैठा। इसके सभापति टॉन्टन थे इसलिये इस आयोग को शिक्षालय जाँच या टांटन आयोग कहते हैं। इस आयोग ने ४ वर्ष के परिश्रम के पश्चात् देश-विदेश की शिक्षा-व्यवस्था का अध्ययन करके १८६८ में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने ८०० से ऊपर स्कूलों की जाँच की। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की सीमाओं का ज्ञान लोगों को कम है। माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था दोषपूर्ण अपर्याप्त तथा असंगठित है। शिक्षण विधियाँ असन्तोषजनक है। छोटे तथा प्राचीन भवनों की दशा बुरी है। पाठशालाओं के कार्य के परीक्षण के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है। रिशवर्थ ग्रामर स्कूल के अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा प्रबन्ध शोचनीय दशा में है, और यहाँ भी उस शिक्षा का १४ वर्ष की अवस्था तक ही प्रबन्ध है।

उन्होंने एक केन्द्रीय सत्ता की स्थापना (१) दान-व्यवस्था, (२) स्कूलों के हिसाब की जाँच आदि के लिये सिफारिश की। उन्होंने परीक्षा परिषद की स्थापना का भी सुझाव दिया जो विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की परीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र देती हो। आयोग ने विभिन्न सामाजिक स्तरों के आधार पर विद्यार्थियों को तीन समूहों में बाँट दिया तथा उसी आधार पर स्कूलों की स्थापना की प्रार्थना की। (१) जहाँ शिक्षालय छोड़ने की उम्र १८ या १९ हो, जो विश्वविद्यालयों तक जैसी शिक्षा दे। (२) जहाँ सीमित साधनों वाले अभिभावकों के १६ वर्ष के बच्चों के लिये—विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्य को लेकर लैटिन, गणित, मातृभाषा, प्राकृतिक विज्ञान आदि विषयों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाय। (३) तथा, जहाँ निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों के लिये प्राथमिक या व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध हो और जहाँ शिक्षा-लय छोड़ने की आयु १४ वर्ष हो।

टॉन्टन आयोग ने पाठशालाओं के शासन, अर्थात् बुरे अध्यापकों के अलग तथा पृथक बालों शिक्षा आदि की अन्य सिफारिशें भी की।

इस आयोग का प्रतिवेदन बड़ा ही रोचक है क्योंकि इसमें भविष्य की माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के बीज मौजूद हैं। लेकिन बस ऐसे शिक्षा

व्यवस्था तथा उसके सुझावो मे स्पष्टरूप से झलक रहा था। इस आयोग की सिफारिशों का कोई विशेष परिणाम तो अवश्य नही हुआ लेकिन १८६९ मे अग्रहार दान शिक्षालय अधिनियम (Endowed Schools Act) अवश्य बन गया, जिसमे इस विषय मे दिये गये आयोग के समस्त सुझाव अपना लिये गये।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रायल कमीशन ने जो इस शिक्षा की जाँच करने के लिये १८८२–८४ मे बैठा, अपनी दो रिपोर्टें पेश की। इनमे दूसरी रिपोर्ट ने अपरोक्ष रूप से उच्च ग्रेड स्कूलो को स्थान मजबूत करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम सार-युक्त बनाने में बड़ी सहायता की। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य को माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा का अन्तर मान लेना चाहिये। प्राथमिक कक्षाओं मे प्रारम्भिक विज्ञान की जो व्यवसायों से सम्बन्धित हो, शिक्षा अवश्य देनी चाहिये। उन्होंने बर्मिघम के उच्च स्कूल की प्रशंसा करते हुये शैफील्ड तथा मेनचेस्टर जैसे उच्च प्रारम्भिक स्कूलो की स्थापना की सिफारिश की। जहाँ इच्छुक माता-पिता अपने बच्चों को १४ या १५ वर्ष की अवस्था तक रख सकते थे। उन्होने सुझाव दिया कि हस्त-कौशल को प्राथमिक कक्षाओ मे प्रारम्भ कर देना चाहिये तथा ड्राइंग को साधारण तथा उच्च ग्रेड स्कूलो में यान्त्रिक तथा ज्योमिति ड्राइंग मे सह-सम्बन्धित कर देना चाहिये।

आयोग की अधिकतर सिफारिशें तकनीकी प्रशिक्षण अधिनियम मे जो १८८९ मे बना अपना ली गई। इस अधिनियम ने १८८८ के अधिनियम मे बनी नई संस्थायें काउन्टी काउन्सिलो को तकनीकी शिक्षा के प्रबन्ध के लिये जिम्मेवार ठहराया।

क्रास आयोग की अन्तिम रिपोर्ट (१८८८) ने केन्द्रीय प्रारम्भिक स्कूलों के पक्ष तथा विपक्ष मे बहुत सी बातें कहीं। अधिकतर आयुक्तों (Commissioners) ने इन स्कूलों को अच्छा बताया, तथा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा मे सम्मिलित करने का सुझाव दिया। उन्होने कहा कि उनका अपरोक्ष रूप से सम्मिलित रहना हानिकारक होगा। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर को मान लेने के लिये कहते हुये उन्होने कहा इन उच्च प्रारम्भिक स्कूलों को एक सीमा मे ही रखना चाहिये। निर्धन छात्रों के लिये इन स्कूलों मे विशेष प्रबन्ध होना उचित है तथा इस प्रकार की शिक्षा को साधारण प्रारम्भिक स्कूल की अन्तिम कक्षा, जिसमे कक्षा ७ से ऊपर के विद्यार्थी अध्ययन कर सकें, जोड़ देना चाहिये। कुछ आयुक्तों ने इन उच्च ग्रेड स्कूलों के प्रचार

तथा प्रोत्साहन का सुझाव दिया तथा यहाँ से छात्रों को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिये तैयार करने की सिफारिश की।

यद्यपि अगले दशक मे उक्त स्कूलो की संख्या मे कोई वृद्धि नहीं हुई किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर मे वृद्धि अवश्य हो गई।

१८६५ में ब्राइस आयोग की नियुक्ति हुई जिसने तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करते हुये भविष्य मे सुधार के तरीके बताये। यहाँ यह कहना उचित है कि ओरेन्ट जैसे शिक्षा मण्डल के प्रधान के कारण ही १६०२ के शिक्षा अधिनियम मे इस आयोग के अभिस्ताव अपना लिये गये अन्यथा यह भी पहले आयोगो की सिफारिशों की भाँति ही निरर्थक पडे रह जाते।

इस समय माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे (१) पब्लिक स्कूल जो धनी तथा उच्च वर्ग के बच्चो के लिये थे (२) ग्रामर स्कूल जो मध्यम तथा नये-उत्पन्न धनी वर्ग के बच्चो के लिये किन्तु इनमे कभी-कभी निम्न वर्ग के मेधावी छात्र भी आ जाते थे। तथा (३) तकनीकी और उच्च ग्रेड स्कूल—जिनको बोर्ड तथा विज्ञान और कला विभाग चलाते तथा जिनमे प्राय: निम्न तथा मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। लार्ड गोशेन (Goschen) ने 'ह्विस्की कर' को तकनीकी शिक्षा की प्रगति के लिये देकर १८६० के उपरान्त उसे अपूर्व बल तथा स्तर प्रदान किया था। हम लाउन्डेस (Lowndes) महोदय की पुस्तक 'दी साइलेंन्ट रिवोलूशन' के आधार पर उस समय माध्यमिक विद्यालयो की संख्या २१८ लगा सकते है। किन्तु इनमे कदाचित उक्त उच्च ग्रेड स्कूल सम्मिलित नही हैं। वैसे हमें यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि उस समय तक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के दो भिन्न स्तर नहीं थे तथा एक के पश्चात् दूसरे मे छात्र का पढ़ने जाना स्वाभाविक नहीं था। उस समय तक निरीक्षण का भी विशेष प्रबन्ध न था। यद्यपि १२+की अवस्था के पश्चात् अब अधिक छात्र स्कूल मे रुकने लगे थे किन्तु उचित पाठ्य-क्रम का प्रबन्ध नहीं हो पाया था। सन् १८८७ मे सर फिलिप मेगनस ने उच्च प्रारम्भिक स्कूलों के उचित संगठन की आवश्यकता महसूस कर हेडो प्रतिवेदन को ४० वर्ष पूर्व ही देख (Anticipate) लिया था फिर भी इस दिशा मे सराहनीय काम नहीं हो पाया था।

ब्राइस आयोग ने "इंगलैण्ड मे माध्यमिक शिक्षा की सुसंगठित प्रणाली स्थापित करने के लिये सर्वोत्तम रीतियों" पर विचार किया तथा इसके लिये कुछ आयुक्तो को अन्य देशों मे भी भेजा। उन्होने टोन्टन आयोग के सुझावो को व्यवहारिक रूप मे न लाने पर दुख प्रकट करते हुये शिक्षा के दो दोषो की ओर ध्यान आकर्षित किया—(१) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की

अनिश्चितता तथा (२) तकनीकी तथा माध्यमिक शिक्षा का पृथक-पृथक होना।

उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करने का सुझाव दिया। आयोग ने केन्द्रीय सरकार में एक शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा-परिषद् के आधीन बनाने की सिफारिश की। उन्होंने शिक्षा-परिषद् के १२ सदस्य तथा उनकी कार्यविधि ६ वर्ष रखने का सुझाव दिया। उन्होंने भिन्न-भिन्न शिक्षा-क्षेत्र में कार्य करते हुए विभाग (तत्कालीन शिक्षा विभाग, विज्ञान तथा कला विभाग और धर्मस्व आयोग आदि) को एक करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन के लिये काउन्टी परिषद्, काउन्टी बरो परिषद् तथा बरो परिषद आदि की स्थापना का सुझाव दिया।

आयोग ने उच्च ग्रेड स्कूलों को माध्यमिक विद्यालय समझने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने माध्यमिक पाठशालाओं की केन्द्रीय परीक्षा व्यवस्था अच्छे निरीक्षकों की नियुक्ति तथा प्राचीन व्याकरण स्कूलों की परीक्षा आदि के भी सुझाव दिये। उन्होंने केन्द्रीय अध्यापक रजिस्टर की भी सिफारिश की तथा उनके स्तर की वृद्धि के लिये सुझाव दिए। किन्तु माध्यमिक स्तर शुल्क रत को उन्होंने आवश्यक बताया।

इस आयोग की बहुत सी सिफारिशें १९०२ के बेलफर-फीशर अधिनियम में स्वीकार कर ली गईं। १९०० के काकरटन निर्णय के पश्चात् १९०० की शिक्षा संहिता में एक संशोधन हुआ था जिसके द्वारा १० से १२ वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के स्कूल निरीक्षक के अतिरिक्त के पश्चात् पढ़ने के लिए नए प्रकार के प्रारम्भिक स्कूलों का जन्म हुआ। लेकिन इन स्कूलों में पाठ्यक्रम वैज्ञानिक विषयों में रखा हुआ था इसलिए इनकी संख्या अधिक नहीं हो पाई। १९०२ के अधिनियम के पश्चात् ग्रामर स्कूल, या उच्च प्रारम्भिक स्कूलों में किये व माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित होने लगे। इनका पाठ्यक्रम ४ वर्ष का होता था।

१९०४ में शिक्षा मंडल ने एक सलाहकार समिति के [illegible] कुछ [illegible] प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न [illegible] इनके [illegible] अनुमान [illegible] था कि [illegible] प्रारम्भिक विद्यालयों की उच्च कक्षाओं की शिक्षा में किस [illegible] प्रारम्भिक स्कूलों की शिक्षा में [illegible] अन्तर [illegible] उचित है। इस समिति ने इन उच्च स्कूलों में [illegible] (trades) [illegible] में [illegible]। लेकिन इन स्कूलों की संख्या में कोई बहुत वृद्धि नहीं हुई।

लन्दन मे केन्द्रीय स्कूलों की स्थापना १६११ से प्रारम्भ हुई इन स्कूलों मे बहुत से साधारण तथा उच्च प्रारम्भिक स्कूलो तथा सगठित विज्ञान स्कूलो मे परिवर्तित हुये थे। इनका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को स्कूल के पश्चात् नौकरी के लिये तैयार करना था (The chief object of the Central Schools is to perepare girls and boys for immediate employment on leaving School)। मैनचेस्टर मे ६ स्कूल इसी प्रकार के खोले गये।

इन स्कूलो के अतिरिक्त 'डे ट्रेड स्कूल' (दिवा-व्यवसायी विद्यालय), १६०० के पश्चात् से खुलना प्रारम्भ हुए। १६१३ के पश्चात् शिक्षा मडल ने कुछ कानून बनाये जिनके द्वारा निम्न तकनीकी स्कूलों की स्थापना हुई तथा उनके लिये अनुदान देने की योजना बनाई गई। इन स्कूलों में १३ या १४ वर्ष की अवस्था के छात्र आते थे।

१६१८ के शिक्षा अधिनियम की धारा (Section) २ (१) ने प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात् के स्कूलों को एक नया मोड़ प्रदान किया जिसके द्वारा उचित आयु पर रोधन था। योजना के अनुसार व्यावहारिक शिक्षा (Practical training) तथा प्रारम्भिक स्कूलो मे उच्च शिक्षा की व्यवस्था को स्थापित किया। फलस्वरूप शिक्षा मडल ने अपने उच्च प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी कानून वापस ले लिये।

हैडो प्रतिवेदन (१६२६) तक आते आते उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के उच्च स्कूल माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने लगे थे। इनमे माध्यमिक स्कूलो (ग्रामर स्कूल) मे २५% प्रतिशत मेधावी किन्तु निर्धन बच्चो के लिए सुरक्षित शुल्क-मुक्त स्थानो की व्यवस्था भी हो चुकी थी। इसका अर्थ हुआ कि यद्यपि इस क्षेत्र मे काफी काम हो चुका था, इसके लिये केवल स्पष्ट उद्देश्य का निश्चयीकरण तथा दिशा का दिखलाना मात्र रह गया था।

हैडो प्रतिवेदन ने स्कूल छोड़ने की आयु १५ वर्ष बताई। उन्होंने 'प्रारम्भिक शिक्षा' के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा शब्द को उचित माना तथा इस स्तर की शिक्षा का अन्त ११ वर्ष की आयु पर निश्चित किया। ११ की आयु के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिये तथा इसमे दो प्रकार के स्कूल होने चाहिये। (१) ग्रामर तथा (२) आधुनिक स्कूल। पहले प्रकार की पाठशालों मे सभी प्रकार के प्राचीन ग्रामर स्कूल, काउन्टी या म्युनिसिपल स्कूल आदि सम्मिलित होने चाहिये तथा इनमें छात्रों को १६ वर्ष की आयु तक अध्ययन करना चाहिये। लन्दन तथा मैनचेस्टर जैसे केन्द्रीय स्कूलो को समाप्त करके आधुनिक स्कूल स्थापित कर देने चाहिये। इनमें

पाठ्य-क्रम को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर बनाना चाहिये। इनका पाठ्य-क्रम व्यावहारिक तथा वास्तविक (Practical and realistic) होना चाहिये। यहाँ छात्रों को १५ वर्ष की आयु तक रखना चाहिये।

हेडो समिति ने प्रारम्भिक पाठशालाओं से लगी हुई उच्च कक्षाओं में छात्रों को लेने की सिफारिश भी की। उन्होंने तत्कालीन 'ट्रेड स्कूलों' में १३ वर्ष की आयु के पश्चात् कुछ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये भेजने का भी सुझाव रक्खा। उन्होंने १९०२ अधिनियम द्वारा स्थापित तृतीय भाग के प्राधिकारों की समाप्ति के लिये भी अभिस्ताव रक्खा। इनके अतिरिक्त उन्होंने ११+ वर्ष की आयु पर छात्रों को शिक्षा के लिये योग्यता, क्षमता तथा रुचि के अनुसार छाँटने की बात भी कही। समिति ने इस बात पर बल दिया कि माध्यमिक स्कूलों का स्तर समान होना चाहिये।

इस प्रकार हेडो प्रतिवेदन ने लाउडेस्म महोदय के शब्दों में माध्यमिक शिक्षा के प्रति विचार को ही बदल दिया तथा उन्होंने आर्थिक पृष्ठभूमि से मुक्त चुने हुये योग्य व्यक्तियों की एक 'औद्योगिक प्रजातन्त्र' के लिये आवश्यकता को मान लिया। (Hadow report in 1926 changed the very *conception of* secondary education and the need for an industrialised democracy of an elite chosen irrespective of economic background of the parents) शिक्षा मंडल ने उक्त प्रस्तावों में से स्कूल छोड़ने की आयु सम्बन्धी आयु के सुझाव के अतिरिक्त अन्य सुझाव मान लिये। लेकिन बहुत से प्रस्तावों की स्वीकृति के लिये १९४४ के शिक्षा अधिनियम तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन हेडो प्रतिवेदन में निम्न दोषों के

प्रति कुछ लेखकों ने ध्यान आकर्षित किया है—(१) ग्रामर तथा आधुनिक स्कूल छोड़ने की भिन्न भिन्न आयु द्वारा असमानता की उत्पत्ति तथा (२) ११+ की अवस्था पर छाँट का सुझाव देकर मनोवैज्ञानिक भूल करना।

१९३६ के शिक्षा अधिनियम में उक्त अभिस्ताव को स्वीकार करके यह निश्चय किया गया कि १ सितम्बर १९३९ से स्कूल छोड़ने की आयु को १५ वर्ष कर दिया जायगा। कुछ 'विशिष्ट समझौते वाले स्कूलों' (Special Agreement Schools) को खर्च का ७५% धन ज्येष्ठ बच्चों की शिक्षा के लिये प्रबन्ध करने हेतु देना स्वीकृत हुआ। इन स्कूलों की आर्थिक दशा *असन्तोषजनक थी इसलिए यह धन राशि स्वीकृत हुई थी।* एक धर्म सम्मत पाठ्य-विषय (Agreed syllabus) तैयार किया गया था। यह उन बच्चों के लिये था जिनके माता-पिता साम्प्रदायिक शिक्षा के विरुद्ध थे।

स्पेन्स प्रतिवेदन १६३८ ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया तथा 'आधुनिक-स्कूलों' पर अधिक ध्यान दिया उन्होंने हेडो प्रतिवेदन के माध्यमिक स्कूलों में एक प्रकार के स्कूल और जोड दिये। उन्होंने (१) ग्रामर स्कूल, (२) आधुनिक स्कूल तथा (३) औद्योगिक स्कूल को माध्यमिक शिक्षालय माना तथा उनके समान आदर (Parity of esteem) पर बल दिया। स्पेन्स प्रतिवेदन ने औद्योगिक स्कूलों में "विशेष-स्थान-परीक्षा" द्वारा प्रवेश पर बल दिया। इन स्कूलों के प्रथम दो वर्षों में ग्रामर स्कूल के पाठ्य-क्रम तथा बाद में औद्योगिक अध्ययन का सुझाव दिया उन्होंने १३+ पर परीक्षा द्वारा छात्रों के स्कूल परिवर्तन की सिफारिश भी की।

इस प्रतिवेदन में बहुपार्श्व (Multilateral) विद्यालयों की विशेष स्थानों पर आवश्यकता बताई गई जिनमें सभी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा दी जाती हो जिनमें छात्र-संख्या ८०० से कम न हो। उन्होंने व्यापार स्कूलों को इस स्तर की शिक्षा से अलग ही रखने का सुझाव दिया तथा तृतीय भाग के प्राधिकारों के प्रशासन के लिए विभागीय या अन्तर्विभागीय-समित का निर्माण करने का सुझाव दिया ताकि विभिन्न स्तरीय शिक्षालयों के सम्बन्ध अच्छे हो जायें।

१६४३ की नौरवुड समिति जो युद्ध की विभीषिका के नीचे बैठी, स्पेन्स समिति की पूरक थी क्योंकि इसने विभिन्न उत्तर-प्राथमिक शिक्षा के रूपों में सम्बन्ध स्थापित करने की बात पर विचार किया। समिति ने छात्रों को तीन श्रेणियों में बांटा तथा उनके लिए तीन प्रकार के स्कूल उचित बताये, (१) अधिक पुस्तक वाले छात्रों के लिए ग्रामर (२) औद्योगिक या यन्त्रों में रुचि रखने वाले छात्राओं के लिए तकनीकी (३) तथा व्यावहारिक बच्चों के लिए आधुनिक माध्यमिक स्कूल। तीनों स्कूलों को समान आदर देने पर बल दिया। उन्होंने छात्रों को ११+से १३+तक निम्न कक्षा में रखना इस समय तक समान पाठ्य-क्रम पढ़ाना तथा उसके पश्चात् उपयुक्त स्कूल में भेज देने आदि के सुझाव दिये। उन्होंने ११+पर सुझाव तथा सामान्य बुद्धि के पता लगाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा प्रारम्भ करने की सिफारिश की। उन्होंने छात्र-छात्राओं को ६ मास की लोक सेवा के लिए भेजने की भी सिफारिश की। उन्होंने परीक्षा को पूर्णतया स्कूलों का आन्तरिक मामला बनाने का सुझाव दिया तथा जब तक ऐसा न हो परीक्षायें तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार पूर्ववत ही होती रहनी चाहिये। उन्होंने व्यवसायों और विश्वविद्यालयों के कारण १८ वर्ष से ऊपर की आयु वाले छात्रों के लिये वर्ष में २ परीक्षाओं के लेने की आवश्यकता बताई तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये स्थानीय तथा राज्य

की ओर से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त उन्होंने निरीक्षालय (Inspectorate) को सम्राट या साम्राज्ञी की शिक्षा सलाहकार सेवा नाम से पुकार देने की सलाह दी। इस समिति की सबसे बड़ी देन माध्यमिक शिक्षा को प्रस्ताव की सीमा से निकाल कर सिद्धान्त रूप देना है।

(स) शिक्षा की आर्थिक पृष्ठ-भूमि तथा प्रशासन—

शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि राज्य की ओर से अनुदान १८३३ में प्रारम्भ हो गया था लेकिन १८३९ से पूर्व सरकार की अपनी कोई संस्था न थी जो इस अनुदान के प्रयोग की देख-रेख करती। १८३९ में "आर्डर इन काउन्सिल" द्वारा प्रिवी काउन्सिल की एक समिति को यह कार्य-भार सौंपा गया। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि राज्य का शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप केवल कुछ प्रगतिवादियों को छोड़कर जर्मन-व्यवस्था का अनुकरण सा लगता था। इसलिये उसका काफी विरोध था। इस समिति की स्थापना का विरोध हुआ तथा समय समय पर इसके प्रस्तावों के प्रति रोष प्रकट होता रहता था। १८५६ में शिक्षा विभाग की स्थापना एक अन्य "आर्डर इन काउन्सिल" द्वारा हुई। इस विभाग का जन्म विज्ञान तथा कला के प्रोत्साहन देने के लिये हुआ था। यद्यपि ब्रूहम एक "वास्तविक शिक्षा विभाग" तथा लार्ड डर्बी एक मन्त्री की संरक्षता में शिक्षा का प्रबन्ध चाहते थे किन्तु यह प्रस्ताव समय से बहुत पहले होने के कारण पालियामेंट द्वारा स्वीकृति प्राप्त न कर सके। १८७० के शिक्षा अधिनियम ने इस विभाग को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी तथा कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया—अब यह प्रारम्भिक शिक्षा के विकास तथा विस्तार का कार्य करने लगा। इस अधिनियम ने स्थानीय स्तर पर स्कूल बोर्डों की स्थापना की। यह बोर्ड केवल उन्हीं रिक्त स्थानों के लिये थे जहाँ ऐच्छिक संघ कार्य सफलता से नहीं कर रहे थे। १८७२ से लेकर १८९९ तक के अधिनियमों द्वारा शिक्षा विभाग का प्रशासन-क्षेत्र बहुत बढ़ गया। दो शिक्षा समितियों ने शिक्षा विभाग के कार्य-क्षेत्र पर काफी प्रकाश डाला। दूसरी समिति ने १८६८ के लगभग यह सुझाव दिया कि शिक्षा का कार्य एक मन्त्री के द्वारा सम्भाला जाना चाहिये। उसका पालियामेंट में सचिव होना चाहिये तथा प्रिवी काउन्सिल के कुछ सदस्यों को समय समय पर इस मन्त्री को सहायता प्राप्त होनी चाहिये।

१८९९ से पूर्व शिक्षा विभाग लार्ड प्रेसीडेन्ट की अध्यक्षता में चलता किन्तु प्रशासन का वास्तविक काम उप-मुख्याध्यक्ष करता जो प्रेसीडेन्ट द्वारा अपने अन्य समिति के साथियों की तरह नियुक्त होता। विज्ञान तथा कला

विभाग प्रेसीडेन्ट तथा उप-मुख्याध्यक्ष द्वारा सचालित होता लेकिन इस विभाग का सम्बन्ध समिति से नही था—इस विभाग की समिति अफसरो की थी तथा उनका एक स्थायी मन्त्री था। १८८४ मे इसके लिये एक अलग से मन्त्री होने लगा।

इस विभाग का कार्य केवल विज्ञान तथा कला की उत्तर-प्रारम्भिक शिक्षालयो को अनुदान देना था। यह एक विशिष्ट विभाग था। इस विभाग ने अपना सम्बन्ध स्थानीय सस्थाओ से जोड रक्खा था जो दान आयुक्तो तथा तकनीकी अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करती थी। यद्यपि शिक्षा विभाग की भाँति यहाँ भी अनुदान परीक्षा के परिणामों पर निर्भर थे, लेकिन इस विभाग ने ऐच्छिक स्रोतों को भी बहुत बल दिया। कभी-कभी इस विभाग का कार्य शिक्षा विभाग के क्षेत्र मे भी होने लगता था। उदाहरण के लिये, एक स्कूल अपनी प्रारम्भिक कक्षाओ के लिये शिक्षा-विभाग तथा उसके पश्चात् विज्ञान की कक्षाओं के लिये जो उत्तर-माध्यमिक स्तर तक की थी, विज्ञान तथा कला विभाग से अनुदान ले सकता था। इस प्रकार शिक्षा विभाग तथा विज्ञान तथा विज्ञान तथा कला विभाग स्वतन्त्र रूप से एक ही स्कूल को सहायता दे सकते थे।

१८६६ मे सरकार ने एक केन्द्रीय सत्ता को जन्म दिया। क्योंकि इसके बिना स्थानीय स्तर पर उचित प्रबन्ध असम्भव था। इस सत्ता मे विज्ञान तथा कला, शिक्षा, अग्रहार विभाग सभी मिल गये। इस शिक्षा बोर्ड मे एक मुख्याध्यक्ष, राज्य के मुख्य सचिव, लार्ड आव ट्रेजरी, तथा चान्सलर आव एक्सचेकर सदस्य नियुक्त हुए। अध्यापक रजिस्टर की स्थापना, एक सलाहकार समिति की नियुक्ति तथा निरीक्षण के विषय मे भी नियम कार्य आदि १८६६ के अधिनियम द्वारा हुए।

काकरटन निर्णय के पश्चात् १६०२ के शिक्षा अधिनियम ने इस समस्या को डरते डरते सुलझाने का प्रयत्न किया। इस अधिनियम ने स्थानीय प्राधिकारो को जन्म दिया। इससे पूर्व ऐच्छिक संस्थायें तथा स्कूल बोर्ड शिक्षा कार्य करते थे। हम ऊपर देख आये हैं कि यह व्यवस्था अच्छी न थी लेकिन १६०२ के अधिनियम ने बहुत से दोष रहने दिये। बोर्ड की शक्तियो का स्पष्टीकरण तथा उनका स्थानीय संस्थाओ से सम्बन्ध कही भी प्रकट रूप मे वर्णित नहीं था। धन के ऊपर कब्जे के कारण बोर्ड स्थानीय सस्थाओ पर जोर डाल सकता था लेकिन इस अधिनियम मे शिक्षा को साझे के रूप (Partnership) मे माना गया था जिसमे केन्द्रीय तथा स्थानीय सस्थाये दोनों ही सम्मिलित थे। इस अधिनियम के पश्चात् निरीक्षकों को विभिन्न शिक्षा तथा भौगोलिक क्षेत्रों

के अनुसार बाँट दिया गया। उक्त व्यवस्था में सुधार १९४४ के शिक्षा अधिनियम में पूर्व नहीं हुए। (देखिये, 'द बोर्ड आव एजूकेशन' लेखक एल० ए० सेल्बी-बिज)।

१८३४ के पुअर ला ऐक्ट से पूर्व इंगलैण्ड में स्थानीय शासन के लिये नगरों में म्युनिसिपल कोरपोरेशन्स, जो कुछ विशिष्ट हितों—जैसे व्यापारी—की रक्षा के लिए थे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जस्टिस आव द पीस नामक निर्वाचित शासनाधिकारी थे लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के कारण नगरों की जन-संख्या बढ़ गई थी। नये धनी वर्ग का जन्म हो गया था। गाँवों की आबादी घट गई थी। नगरों में नए प्रकार की समस्याओं का जन्म हो चुका था। 'ए हिस्ट्री आव लोकल गवर्नमेंट' में मिस्टर के० बी० स्मेली ने लिखा है—अब गाँव के कान्सटेबिल (सिपाही) को नगर के गुण्डों से तथा जमीदार को नये फैक्टरी के मालिक से आदर की आशा रखना भूल थी। उक्त अधिनियम (१८३४) ने निर्धनों की समस्या सुलझाने तथा उनकी देख-रेख के लिए एक स्थानीय व्यवस्था को जन्म दिया। १८३५ में म्युनिसिपल कोरपोरेशन एक्ट बना जिसने कस्बों के लिये शासन व्यवस्था बनाई—यह अधिनियम एक आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। अब स्थानीय चुने व्यक्तियों की एक काउन्सिल द्वारा जिसके लिये लगभग सभी करदाता मतदान कर सकते थे, म्युनिसिपल क्षेत्र का प्रशासन होने लगा। प्रथम बार शासन को न्याय से अलग किया गया। १८७० के शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चुने हुये स्कूल बोर्डों (Ad hoc bodies) द्वारा शिक्षा का कार्य का होने लगा।

१८८० में इंगलैण्ड के स्थानीय क्षेत्रों की सीमायें अनिश्चित थीं तथा प्रशासन भी ढीला-ढाला था। ग्लैडस्टन ने १८८४ में सुधार विधेयक पेश करते हुए कहा कि आधुनिक राज्य की शक्ति उसकी प्रतिनिधि प्रणाली में है। १८८८ में यह सिद्धान्त ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया। १८३५ में यह सिद्धान्त नगरों में लागू हो चुका था। अब चुनी हुई काउन्सिलों द्वारा ग्रामों का प्रशासन होने लगा। इसी प्रकार ग्रामों, नगरों तथा लन्दन की अलग काउन्सिलों ने स्थानीय प्रशासन कार्य सम्भाल लिया। १८९४ में नगरों के प्रशासन को और भी आसान कर दिया गया तथा ग्रामों के शासन में भी सुधार कर दिए। प्रजातान्त्रिक आधार और भी विस्तृत तथा व्यापक हो गया। १८७० के शिक्षा अधिनियम तथा १८८९ के तकनीकी शिक्षा अधिनियम के आधार पर प्रारम्भिक तथा उच्च प्रारम्भिक शिक्षा दी जाने लगी थी। लेकिन इनके क्षेत्र तथा प्रशासन अधिकारी अलग-अलग थे। १९०१ के काकरटन निर्णय तथा उसके कारण पास किये गए १९०२ के शिक्षा

अधिनियम ने द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के प्राधिकारों को जन्म दिया (देखिये पृष्ठ १५)। पी० जी० रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक 'डेलिगेशन इन लोकल गवर्नमेंट' में इस अधिनियम को सिडनी वेब के प्रसिद्ध पेम्फलेट 'द एजूकेशन मडिल एण्ड द वे आउट' (१६०१) से प्रभावित कहा है। वास्तव में इस पेम्फलेट से सुझावों को १६४४ के अधिनियम में आंशिक रूप से माना गया। यद्यपि १६०२ के अधिनियम पर भी उसका प्रभाव पड़ा माना जा सकता है क्योंकि इसने शिक्षा के समस्त अधिकारों को काउन्टी बरो या काउन्टी काउन्सिलों को देने का सुझाव दिया था तथा काउन्टी काउन्सलों को अपने अधिकार एक जिम्मेवार समिति को प्रत्येक नगरी क्षेत्र (Urban district) तथा नान-काउन्टी-बरो में दे देने का सुझाव दिया गया था। कुछ भी हो, इस अधिनियम ने ३२०० स्कूल बोर्डों के स्थान पर ३२८ स्थानीय प्राधिकारों को बना दिया जिससे प्रशासन कार्य आसान हो गया।

लेकिन १६३६ तक आते-आते द्वैत शासन प्रणाली आर्थिक कारणों से आलोचना का केन्द्र बन गई। इस वर्ष मई समिति (May Committee) ने आभस्ताव किया कि स्थानीय प्राधिकारों की संख्या घटा देनी चाहिये तथा आर्थिक योग्यता के आधार पर यह निश्चित होना चाहिये कि अमुक तृतीय प्रकार के प्राधिकार को समस्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकार देने चाहिये या नहीं। युद्ध के कारण इन सुझावों को अधिनियम का स्वरूप न दिया जा सका। १६४१ की हरी पुस्तक ने जबकि केन्द्रीकरण पर जोर दिया, १६४३ के श्वेत पत्र में स्वर बिल्कुल बदला दिया और विकेन्द्रीकरण को प्रमुखता दी गई। इस पत्र ने स्थानीय शिक्षा में रुचि को प्राथमिकता दी तथा प्रस्ताव रक्खा कि प्रत्येक काउन्टी को क्षेत्रों में बाँट देना चाहिये तथा किसी इलाके को जिसमें ६०,००० जनसंख्या हो या जहाँ ७००० बच्चे स्कूल जाने योग्य हों वहाँ शिक्षा के लिये अलग क्षेत्र बनाने का अधिकार होना चाहिये। १६४४ के अधिनियम ने इस विषय में कई महत्वपूर्ण कार्य किये।

१६०२ से पूर्व आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में केन्द्र तथा स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध अस्पष्ट थे। १८७० में पूर्व शिक्षा पूर्ण तथा ऐच्छिक संस्थाओं के हाथ में थी। १८७० में अनुदान तथा कर लगाने की प्रथा को कानूनी बना दिया। यद्यपि अनुदान अब भी ठीक उसी प्रकार का था जैसा ऐच्छिक स्कूलों को इससे पूर्व दिया जाता था। विशिष्ट सहायता का छितरे बसे हुये इलाकों का प्रबन्ध १८७६ के अधिनियम ने कर दिया। १८८६ में तकनीकी शिक्षा अधिनियम ने उच्च शिक्षा के लिये कर तथा व्हिस्की कर दे

दिया। १९०२ के अधिनियम ने आर्थिक सहायता को सैद्धान्तिक आधार प्रदान किया तथा अनुदान का निश्चित तरीका बतलाया। १९०१ के आर्थिक आयोग ने एक 'पुंजीय अनुदान (Block grant) व्यवस्था' सुझाव दिया था। १९०२ में विशिष्ट अनुदान बन्द कर दिया गया किन्तु १९०६ में आर्थिक कारणों से इसे पुनः चालू करना पड़ा। १९११ में सरकार ने सर जान केम्प (Sir John Kempe) की अध्यक्षता में विभागीय समिति को अनुदान व्यवस्था पर विचार करने को कहा। १९१४ में अपने प्रतिवेदन में इस समिति ने सरकार से सीधी अनुदान व्यवस्था (Direct grant) स्थापित करने को कहा। इसके लिये उन्होंने एक जटिल हिसाबी तरीका (Formula) निकाला। युद्ध ने इस अभिस्ताव को कार्यान्वित करने से रोका। लेकिन १९१७ तक सप्लीमेंट्री अनुदान व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा के लिये दी जाने लगी थी। शिक्षा-मन्त्रालय की १९५० की अर्थ-व्यवस्था (finance) की रिपोर्ट ने उक्त अनुदानों में दो बातें बताई हैं। (१) केम्प के हिसाब में संशोधन हो चुका था और इनका आधार केम्प समिति के सुझाव ही थे। (२) और, अब अनुदान का आधार स्कूल नहीं समस्त स्थानीय प्रारम्भिक शिक्षा थी।

१९१८ के अधिनियम ने अनुदान व्यवस्था में पूर्ण सुधार किये। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये इस अधिनियम ने भी केम्स तरीके (Formula) को अपनाया। लेकिन १९२१ में गेड्स (Geddes) समिति ने निश्चित (fixed) अनुदान व्यवस्था का सुझाव दिया। इसका कारण आर्थिक व्यवस्था बनना नहीं बल्कि धन के व्यय को रोकना था। १९२४ में इस व्यवस्था के स्थान पर 'पुंज अनुदान' प्रणाली को लाने के प्रयत्न हुये तथा १९२९ में इसे कानूनी रूप मिल गया। १९४४ तक इस व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया।

शिक्षा में निरीक्षण १८३९ में प्रारम्भ होता है। १८३९-४३ के बीच में ऐच्छिक ऐसोसियेशनों ने अपने-अपने निरीक्षक नियुक्त किये थे। १८४३ में डा० हटिलवर्थ ने निरीक्षण का एक प्रस्ताव रक्खा। इसके अनुसार प्रत्येक १३३ स्कूल पर एक निरीक्षक की नियुक्ति होनी थी। इनकी नियुक्ति एक पादरी (Archbishop) की सलाह से होनी थी। शिक्षा समिति ने इस प्रस्ताव को मान दिया। १८६१ को लो संहिता (Lowe's Code) ने अनुदान को परीक्षा के फल पर देना निश्चित किया। अनुदान अध्यापकों के बजाय स्कूलों को दिया जाने लगा। जिसमें ४ शि० प्रति छात्र की उपस्थिति तथा ८ शि० प्रति छात्र के परीक्षा फल पर अनुदान दिया जाने लगा। फलस्वरूप निरीक्षकों का कार्य बहुत बढ़ गया।

१८७० के अधिनियम के पश्चात् ८ सीनियर निरीक्षकों की नियुक्ति हुई

जो १० क्षेत्रों वाले प्रत्येक इलाके के अधिकारी बनाये गये। १८८४ में जान एस० हैरिस की पुस्तक 'ब्रिटिश गवर्मेन्ट इन्सपेक्शन एज् ए डाइनैमिक प्रोसेस" के आधार पर २६१ पुरुष तथा १ स्त्री निरीक्षकों की संख्या थी। लेकिन लो की संहिता ने निरीक्षकों तथा अध्यापकों के मध्य एक भय की दीवार खड़ी कर दी जो शिक्षा के लिए हानिप्रद थी। ब्राइस आयोग के सुझावों के आधार पर बने १८९९ के अधिनियम ने केन्द्र में तथा १९०२ के अधिनियम ने स्थानीय रूप पर एक सुव्यवस्था लाने की चेष्टा की। १९०३-५ में निरीक्षकों का संगठन हुआ। पूरे इंगलैण्ड को ९ भौगोलिक भागों से बाँटा गया तथा शिक्षा को पाँच हिस्सों में—प्रारम्भिक, माध्यमिक तकनीकी, अध्यापक-प्रशिक्षण तथा कला। प्रत्येक शिक्षा के अंग के लिये एक मुख्य निरीक्षक, नियुक्त हुआ। प्रत्येक भौगोलिक भाग में एक डिवीजनल निरीक्षक प्रारंभिक शिक्षा के शासन लिये नियुक्त हुआ और तकनीकी शिक्षा के लिये पाँच डिवीजनल निरीक्षक नियुक्त हुए। मुख्यतया शिशु तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्त्री निरीक्षकों की अलग नियुक्ति हुई।

१९२२ तक इस संगठन में तनिक से ही परिवर्तन हो पाये थे। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अब ५ डिवीजनल निरीक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी। स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर के नीचे एक मुख्य डाक्टर, स्त्री सलाहकार डाक्टर, तथा अन्य लोगों ने स्कूलों के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण प्रारम्भ कर दिये। १९२६ में निरीक्षण-विभाग का पुनर्गठन हुआ जिसमें पूरे विभाग को एक कर दिया गया। अब प्रारम्भिक, माध्यमिक, तकनीकी शिक्षा के लिए तीन मुख्यनिरीक्षक होने लगे जिनमें एक सीनियर बाकी दो उसके नीचे काम करते लगे। डिवीजनल इन्सपेक्टर अब एक दूसरे को अधिक सहयोग देने लगे तथा उनका सीनयर मुख्य निरीक्षक से सीधा सम्बन्ध हो गया। अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य अब भी अलग रहा। १९१३ से सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति प्रारम्भ हो गई। १९२२-२३ तक निरीक्षण इस प्रकार हो गया था—स्कूल का निरीक्षण, उनका प्रशासन, स्कूल-परीक्षा कार्य तथा सलाह देना। प्रायः निरीक्षकों को विशेषज्ञों के रूप में लिया जाता था। इन उच्च कामों के अतिरिक्त निरीक्षक गण स्कूलों की अन्य रिपोर्टों के सम्बन्ध में भी काम करते थे।

१९४४ में एक विभागीय समिति ने कुछ सुझाव रक्खे उनके आधार पर यह विभाग अब पूर्णतया परिवर्तित हो चुका है।

अध्याय ४

इंगलैण्ड का शिक्षा-संगठन

शिक्षा-संगठन और प्रबन्ध की दृष्टि से ब्रिटेन की शिक्षा-प्रणाली दूसरे देशों की प्रणाली से तीन मुख्य विषयों में भिन्न है। इसकी ये विशेषतायें हैं जिनका कि पहले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है। (१) शिक्षा का विकेन्द्रीकरण (२) शिक्षा के क्षेत्र में स्वेच्छा से काम करने वाली धार्मिक संस्थाओं का महत्व और (३) अध्यापकों को उच्च अधिकारियों के पाठ्य-क्रम, शिक्षा-विधि सम्बन्धी निर्देशों से स्वतन्त्रता है। वह इन बातों में बाहरी अधिकारी वर्ग से नियंत्रित नहीं होते हैं।

शिक्षा के लिए, इंगलैंड और वेल्स में केन्द्रीय-अधिकार शिक्षा मंत्रालय को है। सन् १९४४ से पहले इसे 'शिक्षा-बोर्ड'[1] कहा जाता था, और इसका अध्यक्ष 'बोर्ड अध्यक्ष'[2] के नाम से पुकारा जाता था। परन्तु अब १९४४ के एक्ट के अनुसार 'शिक्षा बोर्ड' का नाम 'शिक्षा मंत्रालय' तथा उसके अध्यक्ष को अध्यक्ष के स्थान पर 'शिक्षा मंत्री' का नाम दिया गया है। मंत्री की सहायता के लिए एक 'सभा-सचिव'[3] होता है। विभाग में स्थायी सरकारी नौकरों का एक दल

1. Baord of Education. 2 President of the Board, 3. Parliamentary Secretary.

होता है जिसका प्रधान स्थायी सचिव होता है। कर्मचारी दल में प्रबन्धक तथा अन्य अधिकारी होते हैं जिनका प्रधान कार्यालय 'लन्दन' में है। इसके अतिरिक्त 'शिक्षा निरीक्षक' जिन्हें 'हर मैजेस्टीज इन्सपेक्टर्स'[1] कहते हैं, व शिक्षा मंत्रालय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के बीच सम्पर्क-अधिकारियों[2] का काम करते हैं और मुख्य रूप से उन्हें स्थानीय शिक्षा-अधिकारी के क्षेत्र में काम करना पड़ता है।

शिक्षा-मंत्री को इंगलैंड और वेल्स के शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देने के लिए दो केन्द्रीय सलाहकार सभायें[3] होती हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा पूछे गये शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देना तथा शिक्षा-व्यवहार और सिद्धान्तों के विषय में सम्मति देना भी इन सभाओं का कर्तव्य होता। इस सभा के सदस्यों की नियुक्ति शिक्षा-मंत्री ही करता है, और इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य इस सभा का चेयरमैन, और शिक्षा मंत्रालय का एक अफसर इस सभा का सचिव का कार्य करता है।

शिक्षा-मंत्री प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके शिक्षा-कार्यों का पूर्ण उल्लेख होगा। शिक्षा-मंत्री का कर्तव्य संक्षेप में इंगलैंड और वेल्स की जनता की शिक्षा की उन्नति करना तथा शिक्षा-कार्य में लगी हुई संस्थाओं की उन्नति तथा सहायता करना और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा सभी क्षेत्रों में शिक्षा-सम्बन्धी राष्ट्रीय-नीति का पालन कराना है। शिक्षा-मंत्री का कार्य सभी सम्भव ढंगों से शिक्षा-प्रसार में सहायता तथा उसकी उन्नति करना है। यह वास्तव में स्मरणीय बात है कि शिक्षा-मंत्री की स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के प्रति परामर्श, सहयोग और मैत्री-पूर्ण भावना रहती है, अकारण ही नियन्त्रण की भावना नहीं। शिक्षा-मंत्री अधिकार और शक्ति होते हुए भी अकारण ही हस्तक्षेप नहीं करता। स्थानीय-शिक्षा संस्थायें शिक्षा उन्नति के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय से समय-समय उचित आर्थिक सहायता एवं परामर्श और सहयोग पाती हैं। शिक्षा-मंत्री स्वयं तथा उसके विभाग के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। केन्द्रीय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के कर्तव्यों के अन्तर्गत है। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय पूर्ण स्वतन्त्र हैं और 'यूनीवर्सिटी-ग्रान्ट्स कमीशन'[4] की सिफारिश के अनुसार सीधे राजकीय-कोष से उन्हें सहायता मिलती है। शिक्षा-मंत्रालय का किसी भी शिक्षा-संस्था पर सीधा नियन्त्रण नहीं है।

1. Her Majesty's Inspectors. 2. Liaison-Officers. 3. Two Central Advisory Councils (one for England and the other for Wales). 4. University Grants Commission.

समय-समय पर शिक्षा-मंत्रालय द्वारा स्थानीय शिक्षा अधिकारी को आदेश भेजे जाते हैं। ये आदेश नियम-नियमों और शर्तों विट्ठियों के रूप में होते हैं। शिक्षा-मंत्रालय का यह परामर्श अध्यापकों के लाभ के लिए ही होता है। स्कूलों के संगठन और पाठ्य-क्रम सम्बन्धी विषयों में उसका बहुत कुछ प्रभाव रहता है। मंत्रालय के विचार विभिन्न प्रकार से अध्यापकों और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों तक पहुँचते रहते हैं।

हर मजेस्टीज इन्सपेक्टर्स—शिक्षा-मंत्रालय और शिक्षा अधिकारियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं व मुख्य सम्पर्क स्थापित करने वाले होते हैं। ये निरीक्षक स्कूल के कार्य को देखकर उसका विवरण स्कूल अधिकारियों के पास केवल भेज ही नहीं देते, परन्तु निरीक्षण करते समय अध्यापकों को शिक्षण-विधि आदि के विषय में अलग-अलग परामर्श भी देते हैं। शिक्षा-सम्बन्धी अनेक विषयों पर शिक्षा-मंत्रालय द्वारा अनेक प्रकाशन होते रहते हैं जिसमें स्कूल का संगठन, मुख्य विषयों की शिक्षणविधि और शिक्षा में किये गये प्रयोग होते हैं। 'हैंड बुक आफ सजेशन्स फार दी टीचर्स' (Hand book of Suggestions for the teachers) आदि लाभदायक प्रकाशन शिक्षा-मंत्रालय द्वारा किये गये हैं।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के विषय में भी शिक्षा-मंत्रालय का बहुत उत्तरदायित्व है।

शिक्षा-मंत्रालय में और भी अफसर होते हैं जिनमें उप-सचिव, छः प्रधान सहायक सचिव, एकाउन्टेंट जनरल, वैधानिक परामर्शदाता, सीनियर चीफ इन्सपेक्टर और चीफ मेडीकल अफसर भी होते हैं। शिक्षा-मंत्रालय की मुख्य शाखायें जिनमें से प्रत्येक एक प्रधान सहायक-सचिव के आधीन होती है, क्रम से प्रारम्भिक, माध्यमिक अग्रिम, शिक्षा (Further Education), अध्यापक-प्रशिक्षण, अध्यापकों का वेतन, पेंशन और डाक्टरी सेवायें आदि हैं।

वेल्स के लिए अलग से एक निरीक्षण विभाग है जो अपने मुख्य निरीक्षक के अधीन होता है। इसके निरीक्षकों का भी कर्त्तव्य इंगलैंड के निरीक्षकों के समान ही है, अर्थात् शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण, शिक्षा-सिद्धान्तों और प्रयोगों के विषय में परामर्श देना।

शिक्षा-मंत्री आज्ञा न पालन करने वाली स्थानीय-शिक्षा अधिकारी को सुधार करने के लिए बाध्य कर सकता है और अपने क्षेत्रों में उन्हें पर्याप्त प्राइमरी माध्यमिक पाठशालायें स्थापित करने का निर्देश दे सकता है। 'अग्रिम-शिक्षा' के आयोजन के लिए उसकी अनुमति आवश्यक होती है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी को अध्यापक-प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने का आदेश शिक्षा-मंत्री

दे सकता है। शिक्षा-मंत्री को अधिकार है कि स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए हुए सार्टीफिकेट को रद्द करदे और उन्हें दूर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए यातायात की सुविधा का प्रबन्ध करने का आदेश दे। स्थानीय शिक्षा अधिकारी और विद्यालय प्रबन्धकों के झगड़ों का निबटारा करे। किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य का निरीक्षण कराने की आज्ञा शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा दी जा सकती है। यदि मन्त्रालय किसी स्थानीय शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति अनुचित समझे तब वह उसे रद्द कर सकता है या शैक्षिक अनुसंधान के लिए वह स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी को आर्थिक-सहायता भी दे सकता है। निर्धन विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा-आयोजन तथा छात्रवृत्ति भी मन्त्रालय द्वारा दी जाती है, और स्वतन्त्र स्कूलों के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी शिक्षालय कर सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा-मंत्री कभी-कभी स्थानीय शिक्षा अधिकारी को आवश्यकतानुसार विशेष आर्थिक सहायता भी दे सकता है। यदि शिक्षा-मंत्री उचित समझे, तो वह अपने अधिकारों द्वारा दो या उससे अधिक काउन्टी और काउन्टी बोरो काउन्सिल्स को शिक्षा के हितों के लिए मिला दे और एक संयुक्त शिक्षा-बोर्ड बनादे जिसमें सम्मिलित की हुई कौंसिलों के प्रतिनिधि हों।

सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार शिक्षा-मंत्री को इतने अधिकार और नियन्त्रण-शक्तियाँ दी गई परन्तु उन्होंने सभी शक्तियों का शिक्षा-विकास के लिए उचित उपयोग किया। लोगों का आरम्भ का यह सन्देह कि 'इंगलैंड की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा-मंत्री कहीं तानाशाही का व्यवहार कर मनमानी न करने लगें', यह भय और सन्देह निराधार और निर्मूल ही रहा। शिक्षा-क्षेत्र में सदैव से पूर्ण स्वतन्त्रता रही, और शिक्षा-शक्ति का विकेन्द्रीकरण ही रहा है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा-मन्त्रालय प्रौढ़-शिक्षा, कुछ अध्ययनपरों को आर्थिक सहायता, स्कूलों में भोजन, दूध तथा स्वास्थ्य सेवा आदि की व्यवस्था करने में भी धन सम्बन्धी सहायता देता है। शिक्षा-मन्त्रालय का विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध केवल अध्यापकों के प्रशिक्षण, प्रौढ़-शिक्षा का प्रबन्ध तथा सरकारी छात्रवृत्ति देने तक ही है। कृषि और टैक्नीकल शिक्षा के प्रति कृषि और शिक्षा मन्त्रालय की सम्मिलित जिम्मेदारी है। विक्टोरिया, अलबर्ट, म्यूजियम्स और बैथनल ग्रीन म्यूजियम शिक्षा-मन्त्रालय के अधीन हैं, जो सी० ई० एम० ए० (संगीत और कला की उन्नति के लिए परिषद्) द्वारा सरकारी कोष से खर्च किये गये धन के लिए भी संसद के प्रति उत्तरदायी है। कुछ बड़े पुस्तकालयों को सहायता भी मन्त्रालय से मिलती है। सभी सार्वजनिक शिक्षा-संस्थायें केन्द्र

से आर्थिक सहायता और परामर्श लेकर स्थानीय प्रबन्धकों के आधीन रहती हैं।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी

सन् १९०२ के एक्ट के अनुसार इंगलैंड मे लोकल एजूकेशन अथौरिटी (Local Education Authoitis) की स्थापना हुई।

इंगलैंड और वेल्स मे स्थानीय शिक्षा अधिकारी संस्थाओं की संख्या इस समय १४६ है। इनमे से ६२ काउन्टी काउन्सिल्स और ८३ काउन्टी बरो काउन्सिल्स हैं, इनके अतिरिक्त एक जोइन्ट बोर्ड है जो काउन्टी और बरो दोनो के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके बनाई गई है। यह कौन्सिलें जनमत से निर्वाचित की जाती हैं। प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी एक या उससे अधिक *शिक्षा-समिति*[1] *स्थापित करके उसे शिक्षा-कार्य* देती है। परन्तु कुछ धन सम्बन्धी आय-देन का ब्योरा अपने पास रखती है। व्यवहार रूप से एजुकेशन-समितियो मे बहुधा शिक्षा-क्षेत्र मे अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं, *यह आवश्यक नही कि वह काउन्सिल के मेम्बर हो*। सन् १९४४ एक्ट के अनुसार प्रत्येक स्थानीय शिक्षा-अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र मे पूर्ण विस्तार मे शिक्षा सुविधा का तीनों स्तरों, *प्रायमरी, माध्यमिक और अग्र-शिक्षा, पर प्रबन्ध करे। यूनीवर्सिटी-*शिक्षा का आयोजन इसका कर्त्तव्य नहीं है। स्थानीय-शिक्षा अधिकारी स्कूल बनाती तथा उन्हे आर्थिक सहायता देती है और शिक्षा-मन्त्रालय के सहयोग *और निर्देश के अनुसार शिक्षा का आयोजन तीनों स्तरों (प्राइमरी माध्यमिक,* अग्र-शिक्षा) पर करती है।

शिक्षा-समिति का मुख्य पदाधिकारी 'चीफ एजुकेशन अफसर' या 'डाइरेक्टर आफ एजुकेशन' *कहलाता है। उसका पद महत्वपूर्ण है,* यद्यपि शिक्षा सम्बन्धी नीति का निर्धारण शिक्षा-समिति ही करती है, परन्तु उसका प्रभाव उस नीति पर पर्याप्त रहता है।

यहां तीनों अधिकारियों पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन तथा लोकल एजूकेशन अथोरिटीज के विषय मे उल्लेख आवश्यक है। संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि संसद यह निश्चित करती है कि क्या शिक्षा-कार्य करना है, और शिक्षा के क्षेत्रों मे राष्ट्रीय-नीति का निर्धारण करती है।

लोकल एजूकेशन अॉथिरिटीज उस शिक्षा-कार्य को करती है तथा शिक्षा मन्त्रालय यह देखता है कि वह कार्य सबसे अच्छे ढंगों से

1. Education Committee

और ठीक प्रगति के साथ किया जा रहा है। स्थानीय शिक्षा अधिकारियो को शिक्षा के हितों के कार्य करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता है और अकारण ही उनके कार्य में मिनिस्ट्री बाधा नही पहुँचाती। स्थानीय शिक्षा-अधिकारियो तथा स्कूलों में पारस्परिक सहायता व सहयोग से राष्ट्र की शिक्षा उन्नति की भावना रहती है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के मुख्य निम्नांकित कर्त्तव्य है :—

१—अपने क्षेत्रों में विद्यार्थियों के आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्राइमरी, माध्यमिक, अग्र-शिक्षा (Further Education) का तीनों स्तरों पर पर्याप्त स्कूलो का शिक्षा-आयोजन करना जिससे उस क्षेत्र के निवासियों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी हो सकें। पर्याप्त स्कूलो से यह अभिप्राय है कि वह सख्या और आवश्यक शिक्षा-सामग्री तथा स्तर की दृष्टि से इस प्रकार के हो कि वहाँ के बच्चों को अवस्था, बुद्धि और रुचि की भिन्नता के अनुसार उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओ को उपयुक्त रूप से पूरा कर सके।

२—५ साल से कम अवस्था के बच्चो के लिए शिशु-शिक्षालयो (Nursery Schools) की स्थापना आवश्यक क्षेत्रो मे करना।

३—शारीरिक और मानसिक दुर्बलता वाले बच्चो के लिए विशेष स्कूल तथा विशेष शिक्षा चिकित्सा का आयोजन। जिन बच्चो को छात्रावास में रहने की आवश्यकता सरक्षको और स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा ठीक समझी जाती है, उनके लिए उचित छात्रावास का प्रबन्ध करना।

४—स्वेच्छा-सस्थाओ के द्वारा स्थापित किये हुये स्कूलो को आर्थिक सहायता देना।

५—हर एक क्षेत्र की भविष्य और वर्तमान-शिक्षा आवश्यकता का अनुमान लगाकर 'विकास-योजना' (Development Plan) शिक्षा-मंत्रालय को एक नियत तिथि तक दे देना।

६—अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने मे होने वाले आय और व्यय का हिसाब।

७—मुख्य शिक्षा अधिकारी (Chief Education Officer) की नियुक्ति।

८—स्वास्थ्य-मंत्री और शिक्षा-मंत्री को आवश्यकता पड़ने पर विशेष विवरण प्रस्तुत करना।

९—शिक्षा-मंत्री के आदेशानुसार अध्यापक शिक्षण-कालेज और बच्चो की शिक्षा के लिए पाठशालायें स्थापित करना।

१०—आवश्यकतानुसार बालकों के लिए यातायात के साधनों की व्यवस्था

करना और उनका यातायात-व्यय देना (उन बालकों के लिए जो स्कूल से अधिक दूरी पर रहते हैं) ।

११—स्कूल-शिविर, खेलने के मैदान, तैरने के तालाब, व्यायामशाला (Gymnasium), मनोरंजन के दूसरे साधनों को स्थापित करना। निर्धन बालकों के बीमारी के कीटाणुओं से प्रभावित वस्त्रों को स्वच्छ कराना।

१२—नियम के अनुसार स्कूलों और काउन्टी कालेजों के छात्रों के लिए भोजन और दूध का प्रबन्ध करना।

१३—बालकों के स्वास्थ्य-निरीक्षण और निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन करना।

१४—अग्रिम-शिक्षा के लिए काउन्टी कालेजों की स्थापना उन नवयुवकों के लिए करना जो १५ वर्ष की अवस्था से अधिक हैं और नियमित रूप से स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। १५ से १८ वर्ष की अवस्था तक के लिए बहुधा कालेज स्थापित किये जायें। नवयुवक अवस्था के लोगों के लिए सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यों का आयोजन।

१५—अनिवार्य-शिक्षा-अवस्था (५ से १५ वर्ष तक) वाले बालकों के संरक्षकों को यह निर्देश करना कि वह अपने बालकों को उचित और पूर्ण समय के लिए पाठशालाओं में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने भेजें।

१६—हरएक काउन्टी-स्कूल में स्वीकार किए हुए पाठ्य-क्रम के अनुसार सामूहिक प्रार्थना तथा धार्मिक-शिक्षा का आयोजन करना।

१७—यह देखना कि शिक्षा-मन्त्री के आदेशानुसार स्कूल-भवन और दूसरी आवश्यक शिक्षा-सामग्री और शिक्षा-स्तर ठीक से रक्खा जा रहा है, अथवा नहीं।

१८—उन काउन्टी और वोलेन्ट्री स्कूलों का प्रबन्ध जिन्हें शिक्षा-मन्त्री की आज्ञा द्वारा विशेष रूप से बताया गया है।

१९—अपने आर्थिक आय-व्यय का ब्यौरा मन्त्रि-मंडल को दिखाना। मन्त्रि-मण्डल कुछ विषयों को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

२०—हर मैजेस्टीज इन्सपेक्टरों के द्वारा अपनी कठिनाइयों को शिक्षा मंत्रालय तक पहुँचाना।

प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय का बोर्ड, 'बोर्ड आफ गवर्नर्स'[1] *और प्रत्येक* प्राइमरी विद्यालय का बोर्ड, 'बोर्ड आफ मैनेजर्स'[2] होता है। नये एक्ट के अनु-

---

1. Board of Governors for Secondary Schools. 2. Board of Managers for Primary Schools.

सार इनकी संख्या छः से कम नहीं होनी चाहिए। इन बोर्डों की रचना भिन्न-भिन्न स्कूलों के अनुसार विभिन्न होती है लेकिन सभी स्त्री और पुरुष जो इस बोर्ड में बैठते हैं, प्रभावशाली और ख्याति-प्राप्त होते हैं और स्कूलों के हितों का सदैव ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए पुराने ग्रामर स्कूलों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इनके गवर्नरस को पर्याप्त उत्तर-दायित्व होता है, और उन्हें पर्याप्त निर्णय करने की स्वतन्त्रता होती है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाये और चलाये जाने वाले स्कूलों के सम्बन्ध में उनके अधिकार सीमित होते हैं, तब भी वह स्कूल के लिए पर्याप्त कार्य कर सकते हैं और वास्तव में वह शिक्षा-हित का कार्य करने की अधिक उत्कट अभिलाषा रखते हैं तो वे सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्यों में बहुत सहायता कर सकते हैं जैसे—खेल, सामाजिक कार्य, नाटक इत्यादि का स्टेज कराना और कविता या गायन-सम्मेलन इत्यादि।

प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक को अपना स्कूल संगठित करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता है। वह विभिन्न विषयों के शिक्षण, और प्रत्येक को कितना समय दिया जाना चाहिए का निर्णय करता है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अकेला या गवर्नरों और स्थानीय शिक्षा अधिकारी की सहायता से सहायक अध्यापकों को चुन लेता है। उसी प्रकार अध्यापक-वर्ग को भी पाठ्य-पुस्तकों के चुनने तथा शिक्षण-विधि के विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता है। इस प्रकार स्थानीय शिक्षा-अधिकारी, गवर्नरस और प्रधानाध्यापकों के सम्बन्ध मैत्री तथा सहयोग-पूर्ण हैं। यह राष्ट्र का बहुधा माना हुआ सिद्धान्त है "कार्य करते हुए व्यक्ति के कार्य में अकारण ही बाधा नहीं पहुँचाई जानी चाहिए।"[1]

शिक्षा की आर्थिक-व्यवस्था

शिक्षा पर किये हुये व्यय का अधिकतर भाग सार्वजनिक-कोष से मिलता है अर्थात् संसद द्वारा जनता से वसूल किए गए टैक्सों से और इसी प्रकार स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा वसूल किए गए टैक्सों से दिया जाता है इसका समानुपात बराबर २ है। स्वेच्छा प्रेरित संस्थाओं द्वारा चलाए गए कुछ स्कूलों को शिक्षा-मन्त्रालय सीधे आर्थिक सहायता देता है, मुख्य रूप से ट्रेनिंग कालेज, ग्रामर-स्कूल, टेक्नीकल और प्रौढ़ों की संस्थायें, विशेष प्रकार के विद्यालयों, शिशु पाठशालाओं तथा युवक सदनों को जिन शर्तों पर आर्थिक सहायता दी जाती है और जिन सिद्धान्तों पर उनका हिसाब लगाया जाता है वे सब शिक्षा-

1. "One must not interfere with the man at wheel," W. E. D. Stephens, 1947 p. 22. Orient Longmans & Co.

त्रालय द्वारा स्थिर नियमो के अनुसार निश्चित किए जाते है। ये नियम बहुत ही सामान्य प्रकार के होते हैं। शिक्षा-मंत्रालय की यह नीति है कि स्कूलों को चलाने मे स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा अध्यापकों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय। किसी शिक्षा-संस्था को सहायता प्राप्त (Grant Aided) उसी दशा मे कहा जाता है जब उसको या तो मंत्रालय से सीधे सहायता मिलती है या स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा वसूल किए गए कर (टैक्स) मे से सहायता दी जाती है। दूसरी दशा मे मंत्रालय उसे सीधे सहायता न देकर स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा देती है जिन्हे स्वीकृत व्यय के अनुसार सहायता दी जाती है। शिक्षा पर हुए व्यय का ५० प्रतिशत शिक्षा-मंत्रालय और ५० प्रतिशत स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा बहुधा प्राप्त होता है !!

अध्याय ५

प्रारम्भिक—शिक्षा[1]

ब्रिटेन में ५ वर्ष की अवस्था से १५ वर्ष की अवस्था तक बच्चों को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य रूप में प्रदान की जाती है। पर्याप्त आर्थिक साधनों, स्कूल-इमारतों तथा पर्याप्त संख्या में अध्यापकों के उपलब्ध होते ही यह आयु-सीमा १६ वर्ष की अवस्था तक कर दी जायगी।

यदि ब्रिटेन के शिक्षा-इतिहास का ध्यान से अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि 'शिक्षा का क्रमिक-विकास और उन्नति' ही वहाँ की शिक्षा-प्रणाली की विशेषता है। इंगलैण्ड की प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली का आरम्भ वास्तव में क्रमानुसार १८ वीं शताब्दी से पहले नहीं हुआ था। प्रारम्भ में परोपकारी-युग[2] में स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं ने शिक्षा-हेतु कुछ स्कूल आरम्भ किए। १८ वीं शताब्दी में चैरिटी-स्कूल की स्थापना 'ईसाई-ज्ञान' का प्रसार करने के लिए एक संस्था द्वारा की गई। कुछ धार्मिक-संस्थाओं ने भी कई स्थानों पर स्कूल बनाये। निर्धन विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिए

1. Primary Education (according to the Act the word Primary has been substituted for the "Elementary.") 2. Philanthrophic Perid (1800-1833)

निःशुल्क स्कूलों का आयोजन किया गया। यद्यपि इस समय बहुत से चैरिटी तथा डेम-स्कूल थे, परन्तु अशिक्षितता निवारण करने में चैरिटी तथा सन्डे-स्कूलों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। सन्डे-स्कूलों का आरम्भ राबर्ट रेक्स ने सन् १७८० में किया। इन स्कूलों ने अपना कार्य केवल धार्मिक-ज्ञान तक ही सीमित नहीं रक्खा, परन्तु इन्होंने पढ़ना, लिखना और गणित भी सिखाया।

सन् १८०३ ई० में सन्डे-स्कूल-यूनियन ने स्कूलों की स्थापना की, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए रविवार का उपयोग किया जाय। सन् १८११ तथा सन् १८१४ ई० में दो धार्मिक-संस्थाओं—दी नेशनल सोसाइटी फार प्रमोटिंग दी एजूकेशन आफ दी पूअर तथा ब्रिटिश फौरिन-स्कूल-सोसाइटी की स्थापना प्राइमरी-स्कूलों के आयोजन के लिए हुई। सन् १८३३ ई० में राज्य ने प्राइमरी-शिक्षा में प्रथम बार रुचि दिखाई और पहली बार ही प्राइमरी शिक्षा के लिए बीस हजार रुपये की निधि प्रदान की। यह धन दोनों संस्थाओं में विभाजित किया गया। इसी अवधि में दूसरी संस्थाओं ने भी कार्य जारी रक्खा, और प्राइमरी शिक्षा के लिए नियमित-रूप से आर्थिक-सहायता का आयोजन किया गया। सन् १८३९ ई० में प्रिवी-काउंसिल की एक विशेष कमेटी की स्थापना की गई जिसका विषय 'इंगलैंड की जनता की शिक्षा-सम्बन्धी विषयों का अध्ययन था।' सर जेम्स के० शटिलवर्थ[1] शिक्षा-सम्बन्धी प्रिवी कौंसिल कमेटी के प्रथम सेक्रेट्री थे। उनकी कार्य अवधि बहुत कम थी, परन्तु उन्होंने इस अल्प समय में इंगलैंड में प्रारम्भिक-शिक्षा की नींव डाल दी। इसके पहले सर जेम्स-ग्रेहम[2] (१८४३) के बिल का आयोजन किया गया था, जिसके अनुसार कारखानों में काम करने वाले बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाय; उनको प्रतिदिन ३ घण्टे शिक्षा प्रदान की जाय और कार्य करने की अवधि कम करके ६½ घण्टे कर दी जाय। राज्य स्कूलों के निर्माण और पोषण के लिए कर्जा देने का आयोजन करे। प्रत्येक विद्यालय की प्रबन्ध-कारिणी समिति में सात ट्रस्टी हों जिसमें एक क्लर्जीमैन, एक चर्च वार्डन, मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किये हुये दो ट्रस्टी, तथा एक मिल-मालिक और एक मेम्बर पद-कारणात (Ex-officio) हो। स्कूल अध्यापक इंगलैंड के चर्च के सदस्य हों और उनकी नियुक्ति 'बिशप' की अनुमति के अधीन हो, इसके पश्चात् सेकूलरिस्ट बिल्स का आगमन हुआ तथा १८६१ में न्यू-केसिल कमीशन

1. Sir James-key-Shuttleworth. 2. Sir James Groham. New-castle Commission.

किन्ही क्षेत्रों मे ये संस्थायें असफल रहीं तो यह कार्य स्कूल-बोर्ड्स द्वारा ले लिया जायगा और स्कूलों को जनता-धन (स्थानीय-कर) द्वारा चलाया जायगा ।[1]

(२) जिन स्थानों मे चर्च-एजेन्सी नहीं थी, वहाँ पर स्थानीय बोर्ड्स स्थानीय कर से प्राप्त हुए धन द्वारा स्कूल स्थापित करें ।

(३) जिन स्कूलों को स्कूल-बोर्ड्स द्वारा स्थापित किया गया है, उन्हे किसी प्रकार की धार्मिक तथा साम्प्रदायिक-शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जायगी ।[2]

सन् १८७० के एक्ट ने स्वेच्छा-प्रणाली को समाप्त नही किया, परन्तु इसे राज्य-सहायता द्वारा सुसंगठित तथा शक्तिशाली बनाया । साथ ही साथ स्कूल बोर्ड्स द्वारा स्थापित किये हुये स्कूलो की सहायता की । यह द्वि-प्रणाली ब्रिटेन के शिक्षा-क्षेत्र मे कुछ परिवर्तनो सहित आज तक विद्यमान है ।

राज्य द्वारा दिये गये १½ वर्ष के समय मे चर्चों ने स्कूलो की स्थापना मे बड़ी शीघ्रता और उत्साह से कार्य किया तथा २८८५ नये स्कूल स्थापित किये जिनमे बच्चो की एक बड़ी संख्या प्रविष्ट हुई । सन्० १८७ ई० से एक उपबन्ध लगाया गया जिसके अनुसार १० साल से कम अवस्था के बच्चों को कारखाने मे या दूसरी नौकरियो मे न लगाया जाय, और १० वर्ष से १४ वर्ष के उन बच्चो को काम मे न लगाया जाय जिन्हे पढ़ने, लिखने और गणित का ज्ञान न हो । अनिवार्य-शिक्षा आयु १८७० ई० मे ५ वर्ष से १२ वर्ष तक के बच्चो की अनिवार्य-शिक्षा और बाद मे १९०० ई० मे बढ़ाकर अनिवार्य आयु-सीमा १४ वर्ष तक करदी गई । सन् १८८० के शिक्षा-एक्ट के अनुसार प्रारम्भिक-शिक्षा सभी स्थानों मे अनिवार्य हो गई । इस प्रकार १८७० ई० के एक्ट ने प्राचीन स्वेच्छा-संस्थाओं और राज्य द्वारा आयोजित स्कूल-बोर्ड्स मे सामंजस्य स्थापित किया : इस बिल द्वारा पूरे देश को स्कूल-डिस्ट्रिक्ट्स मे

1 Forsters expressed "We propose to complete the Present voluntary system to fill gaps, sparing the public money where it can be done without, procuring as much as we can the assistauce of the parents and welcoming as much as we rightly can the Co-operation and assistance of those benevolent men who desire to assist their neighbours."

2 The famous 'Cooper Temple' clause stated, "No religious catechism or religious fourmulary which is distinctive of any patticular denomination shall be taught." (Education Act. 1870.

विभाजित किया गया और एक नये स्थानीय अधिकारी (स्कूल-बोर्डस) की स्थापना की गई। ये स्कूल-बोर्ड्स केवल उन स्थानों में स्थापित किये गये जहाँ स्वेच्छा से प्रेरित होकर काम करने वाली संस्थाओं के प्रयत्न किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं को सफलता से पूरा नहीं कर सकते थे। इस एक्ट द्वारा पर्याप्त स्कूल स्थापित किए गए और इंगलैंड शिक्षा-क्षेत्र में रूस इत्यादि दूसरे योरपीय देशों से पीछे नहीं रहा। स्कूल-बोर्ड्स ने स्वेच्छा-संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया और खर्चों द्वारा बहुत से स्कूल स्थापित किए गए।

क्रौस-कमीशन (१८८८) ने प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार के लिये सुझाव दिए। स्कूलों में योग्य अध्यापकों की आवश्यकता, विश्वविद्यालयों में अध्यापक-प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना तथा पाठ्यक्रम में सुधार पर अधिक जोर दिया गया।

सन् १८९१ के फ्री स्कूलिंग एलीमेन्टरी एजूकेशन एक्ट के अनुसार संरक्षकों को अपने बच्चे नि.शुल्क पढ़ाने का अधिकार दिया गया। ३ वर्ष से १५ वर्ष तक के पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को १० शिलिंग की सरकारी आर्थिक सहायता दी गई।

१९०२ के शिक्षा-एक्ट द्वारा स्कूल-बोर्ड्स को समाप्त कर दिया गया, और उनके स्थान पर स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी की स्थापना की गई। इनका नाम काउन्टी-काउन्सिल[1] और काउन्टी-बोरो काउन्सिल था।[2] यह अधिकारी अपने क्षेत्र की शिक्षा आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर, बोर्ड आफ एजूकेशन के सहयोग से शिक्षा का आयोजन करे। इस एक्ट द्वारा पाठ्यक्रम में भी सुधार किया गया। शारीरिक-शिक्षा पर अधिक महत्त्व दिया गया और स्कूल पाठ्यक्रम में भूगोल, इतिहास, विज्ञान, हस्तकला, बागवानी को भी पढ़ने, लिखने और गणित के साथ सम्मलित करने का आयोजन किया गया।

सन् १९१८ में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फिशर-एक्ट (१९१८) द्वारा प्रारम्भिक-स्कूलों में फीस लेना समाप्त कर दिया गया। अर्थात् शिक्षा नि.शुल्क हो गई और स्थानीय शिक्षा अधिकारी को २ साल से ५ साल के बच्चों के लिए नर्सरी-स्कूलों के आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

1. The Local Education Authority for the county will be the "County Council" and for the Country borough, it will be known as "County borough Council.

2. Borough is the town having more than 50,000 population.

आंशिक-रूप से बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में समाप्त कर दी गई और उन्हें पूर्ण समय १४ वर्ष की अवस्था तक स्कूल में रहना अनिवार्य कर दिया गया। स्थानीय शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु-सीमा १५ वर्ष तक करने का अधिकार दिया गया।

तत्पश्चात् हैडो-कमीशन (१९२६) ने इंगलिश शिक्षा-प्रणाली में महत्त्वपूर्ण सुधार किए। पुरानी प्रारम्भिक प्रणाली को पुनर्संगठित कर प्राइमरी-स्तर के लिए ५ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आत्म-निर्भर प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता पर अधिक ज़ोर दिया गया और ११ वर्ष की अवस्था के बाद के विद्यार्थियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अलग आत्म-निर्भर माध्यमिक-विद्यालय स्थापित किये जाने की सिफारिश की ११ वर्ष की अवस्था के समय बच्चे विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा बौद्धिक-भिन्नता के आधार पर प्रविष्ट हों। बालकों की ऊपरी आयु-सीमा १५ वर्ष तक बढ़ा देने की भी सिफारिश इस कमेटी ने की जिससे ४ वर्ष तक यह शिक्षा निरन्तर बालक प्राप्त कर सकें। सन् १९३८ की स्पेन्स-रिपोर्ट ने टैकनीकल हाईस्कूल की स्थापना का सुझाव रक्खा, इसके पहले १९३६ के शिक्षा-एक्ट ने स्कूल छोड़ने की अवधि को १५ वर्ष तक बढ़ाना चाहा, परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ होने के कारण इसके बहुत से उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

१९४४ का शिक्षा एक्ट और वर्तमान प्रारम्भिक शिक्षा—इस महान शिक्षा-एक्ट ने शिक्षा के तीनों स्तरों (प्रारम्भिक, माध्यमिक और अग्र-शिक्षा) को प्रभावित किया और इङ्गलैंड में शिक्षा के पुनर्निर्माण द्वारा देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उन्नति की नींव डाली। विश्व के शिक्षा-इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट कम मिलते हैं H. C. Dent ने कहा है—"The Act makes possible as important and substantial an advance in public education as this country has ever known."

यहाँ पर हमें केवल यह देखना है कि इस महान् एक्ट ने प्राइमरी-शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला और इसके अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली क्या है।

इस एक्ट द्वारा यह आयोजित किया गया कि २ साल से ५ साल के बच्चों के लिये स्थानीय-शिक्षा अधिकारी द्वारा नर्सरी-स्कूलों की स्थापना की जाय। इनमें बच्चों की उपस्थिति ऐच्छिक होगी, अनिवार्य नहीं। नर्सरी-स्कूलों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जहाँ उनकी वास्तविक आवश्यकता अनुभव की जायगी, उदाहरण के लिए औद्योगिक-क्षेत्रों में जहाँ मातायें कारखानों में, या दूसरे प्रकार की नौकरियों में संलग्न रहती हैं और बच्चों की ठीक देख-भाल

नहीं कर सकती हैं। ऐसे बच्चों का घरेलू वातावरण उनके विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता है, नर्सरी स्कूल्स इस वातावरण सम्बन्धी कमी को पूरा कर बच्चों के प्रारम्भिक विकास के लिये उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। /

१६४४ एक्ट ने नर्सरी स्कूलों की आयोजना स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व बनाया।

नर्सरी-शिक्षा का आयोजन स्थानीय शिक्षा-अधिकारी ने द्वितीय महायुद्ध के बाद विस्तृत ढंग से किया। शिक्षा-शास्त्रियों के मत में नर्सरी और इनफेंट स्कूल्स ही भविष्य में प्राप्त की जाने वाली उच्च शिक्षा की नींव डालते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण नर्सरी-स्कूलों की स्थापना सबसे पहले सन् १६११ ई० में राइकेल और मारगेट मैकमिलन ने डेप्टफोर्ड में की थी। कुछ समय तक बोर्ड आफ एजूकेशन ने ५ वर्ष से कम अवस्था वाले बालकों की स्कूल-उपस्थिति को अच्छा नहीं समझा और इसको अधिक उत्साहित नहीं किया तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में ऐसे बालकों के प्रवेश के लिए आदेश नहीं दिया; परन्तु ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता वास्तव में औद्योगिक क्षेत्रों में थी। सन् १६१८ में श्री फिशर ने डेप्टफोर्ड में स्वेच्छा संस्था द्वारा स्थापित नर्सरी स्कूल देखा और उसके कार्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए, इस पर सन् १६१८ में फिशर-एक्ट द्वारा स्थानीय शिक्षा-अधिकारी को नर्सरी स्कूल स्थापित करने के अधिकार दिए। सन् १६३६ में नर्सरी स्कूलों की वृद्धि होकर उनकी संख्या ११४ तक पहुँची, इनमें से आधे से अधिक स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाले परोपकारी लोगों और संस्थाओं द्वारा चलाये जाते थे। ६० से ८० बालकों की संख्या वाले पृथक नर्सरी स्कूल आदर्श समझे जाते हैं क्योंकि उनमें बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। कुछ समय बाद दो साल से ५ साल के बालकों के लिए स्थापित किए जाने वाले ऐसे स्कूलों को सरकारी सहायता भी दी जाने लगी। कुछ ऐसे अध्यापक-प्रशिक्षण विद्यालयों की भी स्थापना की गई जहाँ भविष्य में नर्सरी-स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाय।

इस समय इंगलैंड में स्कूलों की व्यवस्था अच्छी और आशापूर्ण है। १६४४ के शिक्षा-एक्ट ने नर्सरी-शिक्षा को शिक्षा-प्रणाली में मिलाकर उसे एक 'विशेष प्रकार की सेवा' से अलग कर दिया। इस समय यह अनुभव किया गया कि घर के अधिक सहयोग से नर्सरी-स्कूल के काम करने का उद्देश्य छोटी अवस्था में ही बालकों का उत्तम विकास करना है और इस प्रकार प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और प्रसन्न प्रारम्भिक जीवन निश्चित हो जाता है। जहाँ नर्सरी-स्कूल उत्तम रूप में चल रहे हैं वहाँ बालक स्वस्थ, सतर्क, आत्म-

आंशिक-रूप से बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में समाप्त कर दी गई और उन्हें पूर्ण समय १४ वर्ष की अवस्था तक स्कूल में रहना अनिवार्य कर दिया गया। स्थानीय शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु-सीमा १५ वर्ष तक करने का अधिकार दिया गया।

तत्पश्चात् हैडो-कमीशन (१९२६) ने इंगलिश शिक्षा-प्रणाली में महत्त्वपूर्ण सुधार किए। पुरानी प्रारम्भिक प्रणाली को पुनर्संगठित कर प्राइमरी-स्तर के लिए ५ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आत्म-निर्भर प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया और ११ वर्ष की अवस्था के बाद के विद्यार्थियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अलग आत्म-निर्भर माध्यमिक-विद्यालय स्थापित किये जाने की सिफारिश की। ११ वर्ष की अवस्था के समय बच्चे विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा बौद्धिक-भिन्नता के आधार पर प्रविष्ट हों। बालकों की ऊपरी आयु-सीमा १५ वर्ष तक बढ़ा देने की भी सिफारिश इस कमेटी ने की जिससे ४ वर्ष तक यह शिक्षा निरन्तर बालक प्राप्त कर सकें। सन् १९३८ की स्पेन्स-रिपोर्ट ने टैक्नीकल हाईस्कूल की स्थापना का सुझाव रखा, इससे पहले १९३६ के शिक्षा-एक्ट ने स्कूल छोड़ने की अवधि को १५ वर्ष तक बढ़ाना चाहा, परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने के कारण इसके बहुत से उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

१९४४ का शिक्षा एक्ट और वर्तमान प्रारम्भिक शिक्षा—इस महान शिक्षा-एक्ट ने शिक्षा के तीनों स्तरों (प्रारम्भिक, माध्यमिक और अग्र-शिक्षा) को प्रभावित किया और इंग्लैंड में शिक्षा के पुनर्निर्माण द्वारा देश में सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक उन्नति की नींव डाली। विश्व के शिक्षा-इतिहास में ऐसे महत्त्वपूर्ण एक्ट कम मिलते हैं H. C. Dent ने कहा है—"The Act makes possible as important and substantial an advance in public education as this country has ever known."

यहाँ पर हमें केवल यह देखना है कि इस महान् एक्ट ने प्राइमरी-शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला और इसके अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली क्या है।

"इस एक्ट द्वारा यह आयोजित किया गया कि २ साल से ५ साल के बच्चों के लिये स्थानीय-शिक्षा अधिकारी द्वारा नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाय। इनमें बच्चों की उपस्थिति ऐच्छिक होगी, अनिवार्य नहीं। नर्सरी-स्कूलों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाए जहाँ उनकी वास्तविक आवश्यकता अनुभव जान पड़ती, उदाहरण के लिए, औद्योगिक-क्षेत्रों में जहाँ माताएँ बाहर दूसरे प्रकार की नौकरियों में संलग्न रहती हैं और बच्चों की

पेन्टिग ड्राइंग, सुन्दर गीत तथा नृत्य आदि मे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सलग्न रहते हैं। वास्तव में यह धारणाओ तथा स्वस्थ आदतो के निर्माण का समय है। सामाजिक, व्यवहार तथा शारीरिक स्वास्थ्य आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है इस प्रकार के स्कूलो की सख्यायें बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है १९३९ में यह सख्या १२० थी, परन्तु यह बढकर १९५६ मे ४७५ होगई।

नर्सरी स्कूल्स

१. Maintained nursery Schools	२ Grant in aided nursery schools
(स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा द्वारा स्थापित तथा पूर्ण रूप मे आर्थिक प्राप्त)	(स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आंशिक आर्थिक सहायता सहायता प्राप्त)

ये स्कूल योग्य शिक्षा-निरीक्षको की देख रेख मे काम करते हैं (Qualified superintendent teacher) अधिक से अधिक बच्चों की सख्या एक कक्षा मे २० होती है। यह संख्या प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं से १० कम होती है।

इनफेंट स्कूल नर्सरी शिक्षा – (२ साल से ५ साल तक) समाप्त करके बच्चे इनफेंट-स्कूलो मे प्रविष्ट होते है। किन्ही जगहो मे इन इनफेंट विद्यालयो मे ही नर्सरी-कक्षायें होती हैं। इन स्कूलो मे बच्चे ५ वर्ष की अवस्था से ७ वर्ष की अवस्था तक अध्ययन करते हैं। ये इन्फेंट विद्यालय कहीं पर पृथक और आत्म-निर्भर होते हैं और कहीं-कहीं पर जूनियर-स्कूल के साथ ही होते हैं। इनफेंट स्कूलो मे बच्चे पढना, लिखना और गणित सीखते हैं, इसके साथ-साथ गाना, खेलना और हस्तकार्य का महत्त्व अधिक रहता है। पढ़ाने की विधियों मे एकरूपता नही होती है परन्तु इनफेंट और जूनियर स्कूलों मे अधिक सक्रिय-विधि द्वारा ज्ञान प्राप्ति की जाती है। जहाँ पर परिस्थितियाँ उपयुक्त हो, वहाँ विभिन्न स्कूल विषयों से सह-सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और बच्चो के जीवन अनुभव के साथ ही अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। इनफॅन्ट स्कूलो मे बच्चों के ज्ञान-तन्तु-मांस-पेशीय सम्बन्ध का विकास करना, श्रवण तथा निरीक्षण-शक्ति को जागृत करना एव बालको के शब्द-भण्डार को बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। नर्सरी स्कूलो की तरह बच्चो में अच्छी आदतो का विकास भी इनका उद्देश्य है। इंगलैंड के इन्फेंट स्कूल उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण-जीवन की तैयारी के स्थान है जहाँ प्रत्येक बच्चे का उपयुक्त शारीरिक एव मानसिक-विकास हो सकता है और उसकी आवेगात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक चेतना बढ़ सकती है। ये शक्तियाँ आवश्यकता-

नुसार नैसर्गिक-रूप से उसमें विकसित होती है। ऐक्टिविटी-मेथड से बालक व वातावरण उसके पूर्ण विकास में सहायक और उत्साह-वर्द्धक होता है। बालक रुचि के अनुसार प्रगति करते हैं, उनको कोई विशेष कौशल सिखाया जाता है और संगीत, कहानी व शारीरिक व्यायाम जैसे सामूहिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिसमें उन्हें सामाजिक उत्साह बढ़ाने वाला अनुभव प्राप्त होता है।

नर्सरी-शिक्षा ऐच्छिक थी, आवश्यक प्राइमरी शिक्षा ५ वर्ष की अवस्था से आरम्भ होती है। ७ या ८ वर्ष की अवस्था के बीच इन्फेन्ट स्टेज समाप्त हो जाती है और उसके बाद Junior education शुरू होती है। कभी कभी यह अलग अलग स्कूल-भवनों में आयोजित होती है।

सभी इन्फेन्ट स्कूलों में सह-शिक्षा (Co-education) का आयोजन होता है और बहुधा महिलायें अध्यापन कार्य करती हैं।

इन्फेन्ट स्कूल की प्रथम वर्ष की शिक्षा नर्सरी-स्कूल से बहुत कुछ मिलती जुलती है। बच्चों के कार्य अधिक सुव्यवस्थित होने लगते हैं। यहाँ formal learning आरम्भ होता है। स्वतन्त्र खेल का आयोजन तो रहता ही है, परन्तु उसकी व्यवस्था अधिक नियोजित होने लगती है। बच्चों की नये अनुभवों के आनन्द प्राप्त करने की उत्सुकता तथा उन अनुभवों की खोज की उत्सुकता को कभी भी इन स्कूलों में दबाया नहीं जाता है। यहाँ बच्चों को ऐसे वातावरण से परिचित कराया जाता है जिसमें वे विकसित हो सकें, अपने वातावरण में खोज कर सकें और विभिन्न प्रकार की सामग्री से वस्तुओं का निर्माण कर सकें, अपनी बढ़ती हुई शारीरिक-कुशलता को गायन में तथा मातृ-भाषा के उपयोग तथा आनन्द में प्रयोग कर सकें। जैसे ही बच्चा लिखने, पढ़ने, तथा गिनने के सीखने के लिये तैयार हो जाता है, यह उसे पढ़ाया जाता है। शिक्षा विधियों की विभिन्नता रहती है। यह वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा कठिन होता है कि यह ज्ञात कर लिया जाय कि बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से कब सीखने, पढ़ने, लिखने और गिनने के लिये तैयार है। इस स्कूल का सबसे कठिन कार्य यही है। यहाँ के अध्यापक बड़ी ही सतर्कता और उत्सुकता से बच्चों में 'signs for readiness of learning (सीखने की तैयारी के चिन्ह) देखने का प्रयत्न करते हैं, और उनके कमरों को ऐसी सामग्री से भर देते हैं जिससे सीखने के लिये बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। नर्सरी स्कूल की तरह स्वस्थ आदतों का निर्माण और सामाजिक प्रशिक्षण को लगातार ध्यान मिलता रहता है।

इंगलैंड में इन्फेन्ट स्कूल (५ से ७) प्रायः अलग-अलग हैं लेकिन कुछ जूनि-

यर स्कूलों के साथ भी जुड़े हुये हैं। युद्धोपरान्त १६४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार धनाभाव के कारण सब प्रबन्ध करना असम्भव था। आज इस दशा में बड़े ही महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। नये स्कूलों का प्रबन्ध हो रहा है और नये प्रयोगों से पाठन-विधि को गति दी जा रही है।

जूनियर स्कूल—७ वर्ष से ११ वर्ष की अवस्था तक के बच्चों का प्रबन्ध जूनियर स्कूलों मे किया जाता है। कभी-कभी यह पृथक होते है और कही पर नर्सरी-कक्षा और इनफेंट स्कूल के साथ होते हैं। जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, ५ से १५ वर्ष की अवस्था तक किसी भी प्रकार के प्राइमरी स्कूलो मे जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा चलाये जाते है, पढ़ाई की फीस नहीं ली जाती है। निर्धन विद्यार्थियो के लिए स्कूल-भोजन की व्यवस्था भी की जाती है।

जूनियर-स्कूलो मे बालको को सबसे लम्बी और अन्तिम प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, इनमें बालक शिशु-अवस्था मे भर्ती होते हैं और बड़े होकर स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ बालको को घर की अपेक्षा अधिक जगह मिलती हैं, उन्हें दौड़ने, कूदने और स्फूर्तिदायक खेल खेलने का अवसर मिलता है। उनसे अभिनय कराने के साथ कहानियाँ कहलाई जाती जाती हैं, और इसके लिये आवश्यक सामान दिये जाते है। बालक अपने आस-पास की दुनियाँ की खोज करते हैं। प्रकृति-निरीक्षण का इसमे बहुत महत्व है। जूनियर विद्यालय उन्हें आस पास की वस्तुओ को देखने, निरीक्षण करने और समझने मे सहायता देता है। बालक मातृभाषा का प्रयोग सीखते हैं। बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बनाना आदि कार्य सिखाये जाते हैं. इन विद्यालयो का उद्देश्य यह है कि जहाँ तक सम्भव हो, प्राइमरी-शिक्षा को समाप्त करने के बाद बालकों मे शिक्षा के प्रति काफी रुचि उत्पन्न हो जाय, और सामग्री तथा विभिन्न यन्त्रो के प्रयोग से उन्हें आत्म-विश्वास हो जाय जिससे वह अग्रसर हो सके। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित, संगीत, स्वास्थ्य-शिक्षा आदि विषय इन विद्यालयो मे पढ़ाये जाते हैं। लड़कियों को गृह-कला, भोजन बनाना और कपड़े धोना भी शामिल है। बागवानी तथा अन्य कार्य भी पाठ्यक्रम मे सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षक बालको को ज्ञान की खोज करने मे सहायता करता है। बालको को भावनायें प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न हुए गुण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कला मे अपने को प्रकट करना शिक्षा सम्बन्धी विषयों को जानने का प्राकृतिक साधन ही नहीं है अपितु इससे सामाजिक सम्बन्धों की समस्याओं को हल करने मे भी बालकों को आत्म-विश्वास हो जाता है।

✓ प्रायमरी-शिक्षा—

२ वर्ष से ३ वर्ष तक के बालकों के लिए—

पृथक नर्सरी-स्कूल, नर्सरी-कक्षायें।
बालकों की उपस्थिति-ऐच्छिक

५ वर्ष से ७ वर्ष तक के बालकों के लिए—

+

इनफेंट-स्कूल, अनिवार्य उपस्थिति।

७ वर्ष से ११ वर्ष तक के बालकों के लिए—

+

जूनियर स्कूल, अनिवार्य उपस्थिति।

उपर्युक्त विद्यालय पृथक भी होते हैं तथा एक दूसरे से सम्बन्धित एक ही विद्यालय-भवन मे भी होते हैं।

जूनियर-स्तर पर कार्य अधिक नियमित होने लगता है और बच्चों से आशा की जाती है वे लिखना, पढ़ना, तथा गणित लगाना सीखलें, भूगोल, इतिहास का आरम्भ किया जाता है, और बच्चो की अवस्था के उपयुक्त शारीरिक क्रियायें भी शामिल की जाती हैं। बालक-बालिकाओं के सर्वाङ्गीण विकास का उद्देश्य लेकर ही यह जूनियर स्कूल शिक्षा देते हैं। प्रत्येक जूनियर स्कूल के प्रबन्ध का मुख्य उत्तरदायित्व वहाँ के प्रधान या मुख्याध्यापक पद ही रहता है। छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में किस प्रकार भेजा जाय, यह उसकी जिम्मेदारी है। अध्यापको के सहयोग से स्कूल का पाठ्यक्रम निश्चित करना तथा अध्यापकों के कार्य का निरीक्षण करना उसी का कार्य है। विभिन्न स्कूलों के पाठ्यक्रम मे विभिन्नता पाई जाती है, और किन्हीं दो स्कूलो का पाठ्यक्रम एकसा नहीं है। पाठ्यक्रम मे बहुत लचीलापन है क्योंकि प्रत्येक हैडमास्टर अपने आदर्शों और महत्वाकाक्षाओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम का आयोजन करता है, इसीलिये इस क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। यह लचीलापन ही इंगलैंड की शिक्षा की शक्ति तथा प्राण है। "विषयो से हटकर शिक्षा में बालक पर दिया जाने लगा है। स्कूल का काम छात्रों के लिये ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिये ही उपयुक्त हो. जिससे द्वारा स्वस्थ – विकास सम्भव हो, ताकि छात्रों की आदतें, कौशल, Skill, ज्ञान, रुचि तथा मस्तिष्क का झुकाव अच्छे और पूर्ण जीवन के योग्य हो सकें, और स्कूल को व्यवहार, प्रदन् तथा सफलता के लिये ऐसा पैमाना देना चाहिये जिससे प्रत्येक छात्र अपने आचार विचार को उसके अनुसार जान सके, छात्रों मे केवल ज्ञान इकट्ठा

करना नही, परन्तु क्रिया और अनुभवो द्वारा उनका विकास करना ही प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है।

प्राथमिक कक्षाओ मे प्राय छात्र संख्या ४० से अधिक नही होती। लेकिन कभी-कभी स्थानाभाव तथा अध्यापकों के अभाव मे यह संख्या बढ़ता जाती है।

प्राथमिक स्कूलों का संगठन

ऐच्छिक
भिन्न भिन्न चर्च द्वारा संचालित उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, पढाई मे धार्मिक बल

काउन्टीन स्कूल
स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी द्वारा स्थापित तथा Maintained किसी धर्म विशेष तथा सम्प्रदाय की शिक्षा नही दी जाती है।

सहायता प्राप्त
स्कूलों को चलाना भवन उचित अवस्थायें रखना प्रबन्धकों का कर्तव्य है।

नियन्त्रित स्कूल
प्रबन्धकों ने चलाया था, लेकिन उन्होंने इन स्कूलो को स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी को दे दिया। धार्मिक पढाई दो दिन प्राधिकारी पहले चलाने वाले प्रबन्धकों की कमेटी मे लें लेते हैं।

यह स्मरण रहे कि शिक्षा मे लचीलापन, छात्रो की आवश्यकताओ का ध्यान, अध्यापकों की राय का महत्व, मनोविज्ञान की खोजें, स्थानीय शिक्षा प्राधिकार तथा शिक्षा-मन्त्रालय का अपने कर्तव्य का ध्यान आदि बातें इंगलैंड की शिक्षा-प्रणाली की विशेष बातें हैं।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी (प्राधिकारी) द्वारा चलाये गये उपर्युक्त विद्यालयो मे शिक्षा नि शुल्क दी जाती है।

११ वर्ष की अवस्था के बाद प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके (११+Plus) परीक्षा के निर्णय के द्वारा तीन विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों मे भेजे जाते हैं।

अध्याय ६

माध्यमिक-शिक्षा

'माध्यमिक शिक्षा सभी बच्चों का प्राप्त होनी चाहिये' ब्रिटेन का यह आदर्श शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित किया जा रहा है। १९४४ के शिक्षा एक्ट के अनुसार यह शिक्षा पृथक स्कूलों मे बच्चो की अवस्था, मानसिक-शक्ति तथा अभिरुचि के अनुसार दी जानी चाहिये। ११ वर्ष की अवस्था के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके बच्चे अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओ के अनुसार आवश्यक विभिन्न प्रकार के पृथक-पृथक माध्यमिक स्कूलो मे अध्ययन करने जाते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र मे अवसर समानता मिलनी चाहिये, परन्तु शिक्षा मे अवसर-समानता का यह अर्थ नही है कि सभी को एकात्मक शिक्षा- अवसर दिये जाँय और बच्चो की बौद्धिक-भिन्नताओं को ध्यान में न रखकर उनको एक ही शिक्षा दी जाय। माध्यमिक स्तर पर बच्चो की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार तीन भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं।

हैडो कमीशन (१९२६) रिपोर्ट ने बच्चो के स्कूल जीवन को दो भागों मे विभक्त करने की सिफारिश की थी। ५ से ११ वर्ष तक प्रारम्भिक-शिक्षा और ११ वर्ष की अवस्था के बाद बच्चो को दूसरे स्कूलों अर्थात् माध्यमिक स्कूलों मे भेजा जाय, वहाँ १५ वर्ष की अवस्था तक वे शिक्षा प्राप्त करें। उद्देश्य यह था कि सभी किशोरावस्था वाले बच्चों को माध्यमिक-शिक्षा

प्रदान की जाय। यह माध्यमिक-शिक्षा वास्तव मे प्रजातन्त्र की शक्ति है और उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक है! बच्चो को बौद्धिक-भिन्नताओ के अनुसार ही तीन प्रकार के माध्यमिक विद्यालयो का विकास हुआ।

१—**सैकिन्डरी ग्रामर स्कूल**—जो प्राचीन समय से ही विद्यमान थे।

२—**सैकिन्डरी माडर्न स्कूल**—जो स्थापित किए गए हैं और सीनियर एलीमेन्टरी स्कूल से विकसित हुए हैं।

(३) **सैकिन्डरी टैक्नीकल स्कूल**—जो पहले 'जूनियर टैक्नीकल' कहे जाने वाले स्कूलों से विकसित होंगे। सन् १६३६ के एक्ट ने अनिवार्य शिक्षा आयु १५ वर्ष करदी, परन्तु द्वितीय महायुद्ध के कारण शिक्षा-प्रगति ठीक नहीं हुई और अनिवार्य शिक्षा की अवधि को १५ वर्ष तक बढाने मे सफलता न मिल सकी।

सन् १६४४ एक्ट के अनुसार ११ वर्ष से १५ वर्ष तक या उससे अधिक १७ वर्ष तक के बालको के लिए माध्यमिक-शिक्षा का आयोजन विस्तृत रूप से किया गया। राज्य ने यह पूर्ण निश्चय कर लिया कि इगलैंड के शिक्षा और सास्कृतिक-स्तर को ऊँचा उठाया जाय और अब माध्यमिक-शिक्षा पर केवल कुछ ही धनवान व्यक्तियो का एकाधिकार न रहे। शिक्षा मे प्रजातान्त्रिक भावना का विकास हुआ। यद्यपि १६४४ का ब्रिटेन सन् १६१८ (प्रथम-युद्ध फिशर-एक्ट) के ब्रिटेन से अधिक निर्धन हो गया था, परन्तु वे सभी सम्भव प्रयत्न किये जिससे विस्तृत पैमाने पर किशोरावस्था वाले बालको को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो। ब्रिटेन के शिक्षा-इतिहास मे पहलीबार ११ वर्ष से अधिक अवस्था वाले बालको को वास्तविक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होने लगी।

माध्यमिक शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास

इगलैंड की माध्यमिक शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन समय अर्थात् सत्रह-अठारहवी तथा उन्नीसवी शताब्दी मे माध्यमिक शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामर तथा पब्लिक स्कूलों (Nine Great Public Schools) मे दी जाती थी। परन्तु बीसवी शताब्दी मे राज्य द्वारा आयोजित शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस शताब्दी मे तीन मुख्य कमीशनो की नियुक्ति हुई (१)—दी पब्लिक स्कूल्स कमीशन (१८६१-१८६४) जिसने इगलैण्ड मे ६ महान् पब्लिक-स्कूलो के प्रबन्ध के विषय मे जाँच की; (२) दी स्कूल्स इनक्वायरी कमीशन (१८६४-१८६८) जिसने 'माध्यमिक विद्यालयो का विषय अपने अध्ययन के लिए चुना था; (३) ब्राइस-कमीशन (१८६४-

१८९५) जिसको इंगलैंड मे सुसंगठित माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली की स्थापना करने की सबसे उत्तम विधियों पर विचार करने का आदेश दिया गया था। ब्राइस कमीशन की कुछ सिफारिशो के आधार पर ही बीसवीं शताब्दी मे माध्यमिक-शिक्षा मे होने वाले विकास और सुधार आधारित रहे। इस दृष्टि-कोण से ब्राइस-कमीशन का अधिक महत्त्व है क्योंकि उसने माध्यमिक-शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन दिया। दी स्कूल्स इनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया था कि माध्यमिक-शिक्षा का आयोजन अपर्याप्त था और इसका स्तर भी अधिक अच्छा और ऊँचा नही था। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक था कि 'माध्यमिक,शिक्षा' का अच्छे स्तर पर विस्तृत आयोजन किया जाय।

ब्राइस-कमीशन (१९०२) ने माध्यमिक-शिक्षा के लिए प्रत्येक काउन्टी और काउन्टी बोरो मे स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी की स्थापना का आदेश दिया। ये स्थानीय शिक्षा अधिकारी क्रमश. अपने क्षेत्रों मे माध्यमिक और औद्योगिक-शिक्षा प्रदान करने के उत्तरदायी होने चाहिए। सन् १९०४ मे 'माध्यमिक-विद्यालयों के नियम' मे 'माध्यमिक-विद्यालय' की परिभाषा इस प्रकार से की गई—'दिन मे लगने वाले (Day-School), छात्रावास से सम्बन्धित स्कूल जो अपने प्रत्येक विद्यार्थी को १६ वर्ष तक या इससे आगे की अवस्था तक सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं और ठीक प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा शारीरिक, मानसिक और नैतिक-विकास का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, यह शिक्षा प्रारम्भिक-स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की अपेक्षा अधिक उन्नत और अधिक व्यापक उद्देश्य की होती है।' सामान्य शिक्षा मे अंग्रेजी, गणित विज्ञान, इतिहास, भूगोल तथा ड्राइंग आदि सम्मिलित थे। १९०२ के शिक्षा-एक्ट ने माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन कार्य के लिए अच्छे विद्यार्थियों को स्कूल मे आने को उत्साहित करने के लिए, निर्धन विद्यार्थियो की सहायता के लिए बहुत उदारतापूर्वक छात्र-वृत्तियों का आयोजन किया। कुछ निःशुल्क स्थान भी निर्धन विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखे गए। छात्रों को ११+अवस्था पर निःशुल्क स्थान के लिए एक प्रविष्ट परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया।

परन्तु जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, माध्यमिक-शिक्षा क्षेत्र मे अधिक महत्त्वपूर्ण सुधार १९२६ के हैडो-रपट, तथा १९४४ के शिक्षा-एक्ट मे किये। यद्यपि १९१८ के शिक्षा-एक्ट ने माध्यमिक-शिक्षा-क्षेत्र मे प्रयोग और योजना करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया, इसलिये कुछ स्थानों मे 'सीनियर-स्कूलों' की स्थापना हुई जिनमे ११ वर्ष की अवस्था के बाद बालक शिक्षा के लिये जाने लगे। परन्तु ११ वर्ष की अवस्था के बाद के बालकों के लिये पृथक स्कूलों

की स्थापना की प्रवृत्ति को वास्तविक प्रोत्साहन सन् १९२६ की हैडो-रिपोर्ट से मिला। जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्न थी—

(१) ११ वर्ष के बाद की शिक्षा माध्यमिक-शिक्षा कही जानी चाहिये।

(२) बालकों की भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत वृत्ति के लिये विभिन्न प्रकार के पृथक माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए।

(३) यदि बालक ११+ की अवस्था के बाद बौद्धिक-भिन्नताओं के कारण किसी एक प्रकार के माध्यमिक विद्यालय में भेजे जाँय और वह उस शिक्षा से लाभ न उठा सकें तो उन्हें १२ या १३ वर्ष की अवस्था के लगभग उस स्कूल से दूसरे प्रकार के स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया जाय।

(४) स्कूल छोड़ने की आयु बढ़ाकर १५ वर्ष कर दी जाय। यह अनिवार्य-रूप से लागू हो।

इस रिपोर्ट के फलस्वरूप देश में अधिकतर अधिकारियों ने ११ वर्ष से अधिक अवस्था वाले बच्चों के लिए पर्याप्त-शिक्षा सुविधायें प्रदान करने के सच्चे प्रयत्न किए। कुछ अधिकारियों ने माध्यमिक-शिक्षा की सुविधायें अपने प्रारम्भिक-स्कूलों में ११+की अवस्था के बालकों को जुटाने का प्रयत्न किया। अधिक सेन्ट्रल और सीनियर-स्कूल्स बनाये गये और कई काउन्टीज में सन्तोष-जनक माध्यमिक-शिक्षा-प्रणाली कार्य करने लगी, परन्तु १९३९ में युद्ध आरम्भ होने से इन विकासों की प्रगति में बहुत बाधा पहुँची, और आर्थिक कठिनाइयों के कारण माध्यमिक शिक्षा प्रगति में अधिक उन्नति न हो सकी।

परन्तु १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने माध्यमिक-शिक्षा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार किये। इस एक्ट की पृष्ठ-भूमि बनने में कई वस्तुओं ने सहयोग दिया—

(१) युद्ध सकट-काल में राष्ट्र की रक्षा के लिए सभी सामाजिक स्तर के लोगों (धनवान् और निर्धन) ने युद्ध में भाग लिया और पूर्ण रूप से सहयोग दिया। लोगों में लोकतान्त्रिक भावना का विकास हुआ और वर्ग-भेद की भावना लुप्त होने लगी। देश को युद्ध में विजयी बनाने का श्रेय सभी लोगों को था, उनका अधिकार था कि उन्हें यह शिक्षा रूप में परितोषिक था।

(२) शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पुनर्निर्माण का मुख्य साधन समझी जाने लगी।

(३) युद्ध के बाद जन-साधारण में शिक्षा प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई।

(४) जनता में व्यापक सुधार की भावना की जागृति हुई और शिक्षा-सुधार को प्रथम महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

(५) युद्ध-कालीन राष्ट्रीय संकट ने जनता को एकता के सूत्र में बाँध दिया और

सभी इस संकट-कालीन परिस्थिति का सहयोग से हल ज्ञात करने का ढङ्ग मालूम करने लगे।

इसकी मुख्य धाराओं का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि लोगों की लोकतांत्रिक-भावना को १९४४ के शिक्षा-एक्ट द्वारा संतुष्ट किया गया। इसकी माध्यमिक-शिक्षा सम्बन्धित मुख्य धारायें ये हैं—

(१) ११ वर्ष से अधिक अवस्था वाले प्रत्येक बालक को निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा प्राप्य होनी चाहिए। मरक्षकों को इस आयोजन में अधिक खर्च न करना पड़े, यह ध्यान रक्खा गया, इसीलिए स्थानीय-शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाये गये स्कूलों (County Schools) में शिक्षा १५ वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य कर दी गई। यह अनिवार्य आयु १६ वर्ष तक बढ़ा दी जायगी।

(२) 'माध्यमिक विद्यालय' प्रारम्भिक-विद्यालयों से पृथक होने चाहिए। शारी- और मानसिक दुर्बलता वाले बालकों के विशेष स्कूल हों।

(३) स्कूल की इमारत के लिए कम से कम आवश्यक बातें, अध्यापकों की योग्यता तथा कक्षा में छात्रों की संख्या नियत कर दी गई।

(४) स्वेच्छा से चलने वाले स्कूलों को कुछ शर्तों के अनुसार सार्वजनिक-कोष से सहायता प्राप्य हो गई।

(५) प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में प्रायमरी, सेकन्डरी और अग्रिम शिक्षा देने के लिये उत्तरदायी बना दी गई है। इसके फलस्वरूप स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा केन्द्रीय सरकार ने मिलकर स्कूल-योजना और निर्माण में अपनी शक्ति लगा दी। इस एक्ट के अनुसार हर स्थानीय शिक्षा अधिकारी को 'विकास-योजना' बनाकर शिक्षा मंत्री को देनी थी जिससे वह उचित आर्थिक-सहायता प्रदान कर सकें। कोई विशेष शिक्षा योजना कितने समय में पूर्ण की जायगी इसकी भी शिक्षा-मंत्री को सूचना रहे।

(६) १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने बच्चों में विद्यमान मानसिक-विभिन्नताओं को पहचाना और यह भी स्वीकार किया कि उनकी योग्यता तथा अभिरुचियों में भिन्नता होती है, और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी से यह आशा की कि इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुये पर्याप्त विभिन्न प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का आयोजन करे जिससे बच्चों का उचित मानसिक विकास हो सके। वास्तव में यह समस्या इंगलैंड में वाद-विवाद का प्रश्न बनी रही है, और आधुनिक समय में इस पर बहुत वाद-विवाद होता रहा है। इंगलैंड के शिक्षा इतिहास द्वारा इस बात का आभास होता है कि आयो-

जन इस प्रकार का था कि १५%से २०% प्रतिशत की शिक्षा के लिये ग्रामर स्कूल आयोजन करे,

अर्थात्

१५% से २०% छात्रों को ग्रामर स्कूल

१०% छात्रों को सैकंडरी टेकनीकल स्कूल्स

७०% से ७५% छात्रों को सैकंडरी माडर्न स्कूल आयोजन करें

उपर्युक्त प्रणाली को 'त्रि-विभागीय-प्रणाली' (Tripartitesystem) कहा गया है, इसकी निजी समस्यायें हैं, उनके से मुख्य यह है कि ११+की अवस्था पर यह कैसे ज्ञात किया जाय कि अमुक छात्र को किस प्रकार के विद्यालय में भेजा जाय। यह सलाह दी गई है कि इस समस्या का हल 'व्यापक-स्कूलों की स्थापना' (Comprehensive schools) से हो सकेगा। जो बहुत प्रकार के पाठ्यक्रम, अध्ययन-सामग्री छात्रों को प्रदान कर सकेंगे। जिससे उनकी विभिन्न प्रकार की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। व्यापक-स्कूलो तथा बहु-विभागीय (Multi-lateral schools) के पक्ष मे लोग इसलिये भी है कि इस प्रकार के स्कूल राष्ट्र मे सामाजिक-एकता मे सहायता कर, छात्रो मे वर्ग भेद की भावना को लुप्त करते हैं।

परन्तु ऐसे स्कूल भी विभिन्न प्रकार की समस्यायें उपस्थित कर देते हैं इस प्रकार के व्यापक तथा बहुउद्देशीय स्कूल बहुत बडे तथा विशाल होते हैं। और प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों तथा शिष्यो मे घनिष्ठ सम्बन्ध नही स्थापित होने देते हैं और बहुत से छात्र अपने को ऐसे विस्तृत वातावरण मे परिस्थित अनु-कूल नही बना पाते हैं। छात्रो की सख्या कभी कभी २,००० तक होती है। परन्तु इंगलैण्ड के शिक्षा-इतिहास से प्रकट होता है कि छात्रो की सीमित क्रम संख्या और छोटे साइज के स्कूलों को पसन्द किया है। इस प्रकार के प्रश्न तथा समस्या का हल स्थानीय शिक्षा अधिकारी (Local Education Auth-ority) पर ही छोड़ दिया जाता है। मन्त्री को स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी द्वारा दी हुई योजना मे इस बात का विस्तृत ब्यौरा देना होगा कि स्थानीय शिक्षा अधिकारी (Comprehensive schools) या (multilateral schools) अथवा त्रिभागीय प्रणाली अपनायगी और तीनो प्रकार मे से किस प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना पसन्द करेगी स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी कभी कभी व्यापक स्कूलों (Comprehenive schools) की स्थापना करेगी, और बहुधा त्रिभागीय स्कूलो की स्थापना करेगी। इस प्रकार के प्रयोग शिक्षा-क्षेत्र मे इस देश में सदैव ही होते रहते हैं। किसी क्षेत्र मे व्यापक या त्रिभागीय स्कूलो के विषय मे प्रयोग होता है तो दूसरे क्षेत्र मे ग्रामर तथा माडर्न स्कूल सम्बन्धी

शिक्षा प्रयोग। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के हल ज्ञात किए जाते हैं। कभी कभी बहु-भागीय स्कूल (Multilateral schools) में छात्रों की संख्या २,००० तक होती है।

इन उपर्युक्त परिवर्तनों का अभिप्राय यह होगा कि अधिकतर बालकों के लिए पूर्ण रूप से एक नई शिक्षा सेवा का आयोजन करना होगा। नये अध्यापकों को ट्रेनिंग देनी होगी और बहुत से भागों में नए स्कूलों का निर्माण करना होगा जिससे यह नई शिक्षा सेवा उत्पन्न हो सके। यह स्पष्ट है कि इस मांग की सफलतापूर्वक पूर्ति में समय लगेगा। यद्यपि इस समय श्रम और धन की कमी है तब भी योजना इस कुशलता से कार्यान्वित की जानी चाहिये कि नये स्कूल जब बनकर तैयार हों तब यह सिद्ध हो कि वे उचित स्थानों पर स्थित हैं तथा ठीक प्रकार बनाये गये हैं और बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उचित रूप से अध्यापकों के अभाव की पूर्ति करने के लिए संकट-कालीन अध्यापक प्रशिक्षण कालेज (Emergency Training Colleges) स्थापित किए गये हैं।

स्थानीय-शिक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्र की विकास योजना को १ अप्रैल १९४५ तक शिक्षा-मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। परन्तु परिस्थितियों तथा निज विवेक के अनुसार शिक्षा-मंत्री इस अन्तिम तिथि की अवधि को बढ़ाकर आगे भी कर सकते हैं।

इन 'विकास-योजनाओं' की शिक्षा-मंत्री द्वारा छानबीन की जाती है जिसमें वह परिवर्तन करने की सलाह दे सकता है। यदि यह विकास-योजना स्वीकृत हो जाती है तो उस क्षेत्र के लिये स्थानीय शिक्षा आज्ञा दी जाती है। इस आज्ञा में विशेष विवरण यह दिया जाता है कि योजना कब और भिन्न-भिन्न स्तरों पर कैसे पूरी की जायगी। आज्ञा रूप में दी हुई सभी बातों को वैधानिक शक्ति दी जाती है जो, अधिकारी को पालन करनी होती है। यद्यपि अधिकारी को पालियामेन्ट से अपील करके उसे बदलवाने तथा परिवर्तन कराने का अधिकार दिया जाता है।

इस 'विकास-योजना' के द्वारा शिक्षा-मंत्री यह निश्चित कर लेता है कि योजना ठीक और सोच-विचार कर बनाई गई है। इससे शिक्षा-मंत्री को भी सन्तुष्ट होने का अवसर मिलता है कि एक्ट में लिखी बातों का देश में अच्छी तरह पालन किया जा रहा है, तथा सरकार को देश की कुल शिक्षा आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की आवश्यक सूचना भी मिल जाती है।

आजकल इंगलैंड में बच्चों की अवस्था, मानसिक-शक्ति, अभिरुचि तथा उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुये माध्यमिक-शिक्षा

भिन्न-भिन्न तीन प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में दी जाती है। इन तीनों विद्यालयों में बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तथा अन्य शिक्षा सुविधायें हैं।

तीन प्रकार के माध्यमिक-स्कूल

११ वर्ष के पश्चात् बच्चों को उनकी अवस्था, योग्यता, रुचि के अनुसार तीन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में भेजा जाता है। यह प्रणाली माध्यमिक-शिक्षा की त्रिभागीय-प्रणाली (Tripartite-system in Secondary Education) कही जाती है।

इंगलैंड के माध्यमिक-क्षेत्र में बहुत विभिन्नता होते हुए भी, प्रत्येक प्रकार की माध्यमिक-शिक्षा में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक में समान रूप से इस समय पाई जाती हैं, और भविष्य में भी इन सब बातों में समानता रहेगी। उदाहरणार्थ सभी माध्यमिक स्कूलों में उनकी इमारतों के लिए समान नियम हैं। स्कूलों में जो भी भिन्नता है वह केवल पाठ्य-क्रम और बच्चों की विभिन्न आयु तथा मनोवैज्ञानिक कारणों के फलस्वरूप है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकतायें समान होती हैं। एक्ट में विभिन्न नाप के स्कूलों के कमरों की कम से कम संख्या और नाप स्पष्ट रूप से दी हुई रहती है। प्रत्येक माध्यमिक स्कूल में एक असेम्बली-हाल (बड़ा कमरा जिसमें किसी समय सब लड़के एकत्र हो सकें) एक व्यायाम-शाला, एक पुस्तकालय और एक आर्ट-क्राफ्ट-रूम (कला-कौशल का कमरा) होना आवश्यक है। व्यायाम-शाला में सब वस्तुयें विधिपूर्वक होनी चाहिए, उसमें कपड़े बदलने और फौवारा से नहाने के कमरे होने चाहिए। स्कूल में एक बड़ा चौरस खेल का मैदान होना चाहिए, जो स्कूल के अहाते में हो या स्कूल के इतना निकट हो कि छात्रों को वहाँ पहुँचने में असुविधा न हो और वह आसानी से पहुँच सकें। हरएक माध्यमिक विद्यालय की एक कक्षा में अधिक से अधिक ३० विद्यार्थी ही प्रविष्ट किए जाने का नियम है। हर प्रकार के स्कूल में एक 'योग्यता प्राप्त' (क्वालीफाइड) शिक्षक रखना पड़ता है और उसे एक नियत दर से (बर्नहम-कमेटी के अनुसार) वेतन देना पड़ता है। स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी द्वारा संचालित प्रत्येक प्रकार के स्कूल में अनिवार्य अवस्था से ऊपर वाले छात्रों को निर्वाह-भत्ता भी दिया जाता है और इन संस्थाओं को यह भी आदेश दिए गये हैं कि भत्ते की दर इतनी नियत करें कि गरीब अभिभावक, जो अपने बच्चे को साधारण अवस्था के बाद पैसे की कमी के कारण स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उन्हें स्कूल कोर्स समाप्त करने से पहले अपने बच्चों को स्कूल से न हटाना पड़े। ये शासन सम्बन्धी नियम हैं।

सभी माध्यमिक-विद्यालयों में समुचित पुस्तकालय रखने से यह निश्चय हो जाता है कि वहाँ के सभी विद्यार्थी पुस्तकालय का ठीक उपयोग करना सीख जाते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय के घण्टे का प्रबन्ध रहता है और इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय के विषय में साधारण बातें जानने, मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का उपयोग करने और स्कूल पुस्तकालय में जो सूचनायें नहीं मिल सकतीं उनके लिये सार्वजनिक पुस्तकालय का उपयोग करने की आदत डालने आदि बातों की शिक्षा दी जाती है। अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की तेज प्रगति के कारण आधुनिकतम सामानों और शिक्षा के नये साधनों का उपयोग किया जाता है। किताबें, नक्शे, चित्र आदि वस्तुयें प्राचीन समय से ही शिक्षक की सामग्री रही हैं, परन्तु अब नये आविष्कारों के कारण प्रयोग के लिये 'टैक्नीकल साधन' भी उपलब्ध हो गए हैं। ब्लैक बोर्ड के अतिरिक्त अन्य दृश्यात्मक साधन भी हैं जो इस समय इंगलैंड के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। सिनेमा प्रदर्शक यंत्रों (प्रोजेक्टर्स) का खूब प्रयोग किया जा रहा है और अधिक संख्या में उपयुक्त चल-चित्रों के उत्पादन के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं। पुराने मैजिक-लैंटर्न का अधिक उपयोग अब नहीं है, परन्तु अब उनका स्थान छोटे फिल्म दिखाने वाले प्रोजेक्टर ले रहे हैं। अधिकतर माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त दृश्यात्मक साधनों (विजुअल-एड्स) का उपयोग होने लगा है। ये साधन विचारों को ठीक-ठीक और अधिक स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। उनसे भूगोल, इतिहास में सरलता, स्पष्टता और सजीवता आ जाती है और संसार का इस श्रेष्ठ कला के सम्पर्क में आ जाने से बच्चों की कल्पना-शक्ति भी बढ़ती है। माध्यमिक-स्कूलों में ब्राडकास्टिङ्ग (रेडियो से ध्वनि प्रसारित करना) और ग्रामोफोन का भी प्रयोग होता है। आकाशवाणी द्वारा बच्चों को वर्तमान घटनाओं के सम्बन्ध में दिन-प्रतिदिन की घटनाओं और समाचारों का पता लगता रहता है और उनके द्वारा विशेषज्ञों और प्रत्यक्ष-दर्शियों के अनुभव और उनकी आवाज स्कूलों में प्राप्त होती है। रेडियो और ग्रामोफोन से बालकों का सम्पर्क संसार के उत्तम संगीत से होता है। प्रत्येक स्कूल में केवल बच्चों के मानसिक विकास की ही ओर केवल ध्यान नहीं दिया जाता वरन् उनकी सामाजिक, संवेगात्मक शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान दिया जाता है।

माध्यमिक-विद्यालय अपने पाठ्यक्रम में नागरिक-शास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जिसमें बालकों को स्थानीय और राष्ट्रीय सरकार, टैक्स तथा न्याय-प्रणाली आदि के बारे में प्रारम्भिक जानकारी कराई जाती है। इसके द्वारा

बालकों को अपनी सामाजिक-स्थिति तथा देश के एक नागरिक के नाते से अपना उत्तरदायित्व एवं अपने देश और कामनवेल्थ देशों तथा राष्ट्रों में परस्पर सम्बन्ध के विषय में विस्तृत विचार-धारा हो जाती है। स्कूल में उन्हें बहुत-सी जिम्मेदारियों का अनुभव हो जाता है जैसे स्कूल के चुनावों, स्कूल-काउन्सिलों तथा अन्य सम्बन्धित बातें। बहुत से सेकिंडरी-स्कूलों में एक 'इन्फार्मेशन-रूम' (सूचना का कमरा) होता है। बालक बड़े होकर इसके द्वारा समाज में अपना कर्त्तव्य पालन करने के योग्य हो जाते हैं। बालक दूसरों के साथ सहानुभूति और विचार-पूर्वक व्यवहार करना, दूसरों की भावना को समझना और उनका आदर करना सीख जाते हैं।

सह-शिक्षा के स्कूलों में जिनमें लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ती हैं; लड़के लड़कियों के एक साथ रहकर सद्व्यवहार, शिष्टाचार सीखने का अवसर मिलता है; विद्यार्थियों के लिये एक सामाजिक-वातावरण उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसमें वे बहुत सी बातें सीखते हैं। उदाहरण के लिए उनको अतिथि बनाना, अतिथि सत्कार करना सिखाया जाता है। स्कूल-सोसाइटीज और क्लबों के द्वारा वे कमेटी में काम, उसका संचालन करना, और सहनशीलता के साथ प्रायोगिक कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में वाद-विवाद करना आदि सीखते हैं। साहसिक यात्राओं का भी कभी कभी प्रबन्ध किया जाता है जिनसे वे बाहरी संसार का भी अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। बागवानी शारीरिक काम ड्रामा, बढ़ई-गीरी, तसवीर खींचना, और रंगना या अन्य काम जैसे भीतर खेले जाने वाले खेल-खेलना, फोटोग्राफी या खरगोश पालने आदि के क्लब बने हैं। इन क्लबों का स्कूल और समाज के प्रति विद्यार्थियों की भावना पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा बाल अपराधों को रोकने में बड़ी सहायता मिलती है।

दोपहर के भोजन से उनको व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के करने का अवसर मिलता है। यहाँ बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, जैसे किसी मेज या कमरे को सजाने का उत्तरदायित्व, पुस्तकालय की देख-भाल करने की जिम्मेदारी, समाचार इकट्ठा करना और आगे क्या करना है आदि का उत्तरदायित्व। बड़े विद्यार्थियों को विद्यालय भवन और क्रीड़ा-स्थल को ठीक प्रकार से देखने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। इस प्रकार सभी माध्यमिक विद्यालयों में अच्छे सामाजिक वातावरण को उत्पन्न करने का अवसर प्रदान किया जाता है और हरएक विद्यार्थी को व्यक्तिगत और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उत्साहित किया जाता है।

विद्यार्थियों में यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि स्कूल में एक साथ रहने वाले बच्चों का एक समुदाय है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं और

एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। सामाजिक-जीवन की यह भावना प्रतिदिन की सामूहिक प्रार्थना से, विशेष उत्सवों के दिन व्याख्यानों से, स्कूल खेलों तथा स्कूल-संगीत से, साहसिक यात्राओं तथा अन्य कामों से जिनमें स्कूल के हर व्यक्ति की सहायता अपेक्षित होती है, दृढ़ हो जाती है।

छात्रों को भावनाओं सहित अपनी प्रवृत्तियों को प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। यह अनुभव किया जाता है कि, जो कुछ भी हो, वे प्रवृत्तियां इस प्रकार प्रकट की जाँय कि समाज को किसी प्रकार की हानि न हो बल्कि लाभ ही हो। छात्रों को अपनी भावनाओं को प्रकट करने और अनुशासन में रखने के लिए कलाओं का प्रयोग किया है। अनुभव से यह पता चला है कि उनका लाभप्रद प्रभाव नष्ट नहीं हुआ है। शिक्षा के इस भाव से सम्बन्धित स्कूल के पाठ्यक्रम में कला, संगीत, ड्रामा, नृत्य और हस्तकौशल आदि विषय विस्तृत अर्थ में सम्मिलित रहते हैं। इन कार्यों में छात्र वास्तविक रूप में अपनी भावनाओं का अनुभव करते हैं और आत्मप्रकाशन का उन्हें सुन्दर अवसर मिलता है।

कला की शिक्षा देकर उनकी रुचि को बढ़ाया जाता है जिससे वे अच्छी-बुरी कला की पहिचान कर सकें और अपने खाली समय में उसका उपयोग कर सकें। दूसरा उद्देश्य उन लोगों को ट्रेनिंग देना है जो कला को अपनी जीविका कमाने का साधन बनाना चाहते हैं। कला की शिक्षा से उनकी सामान्यक कलात्मक-भावना विकसित होती है, और अनुभव द्वारा धीरे-धीरे वे अपने यन्त्रों को अधिकार में कर लेते हैं। इससे उनकी काल्पनिक और प्रायोगिक उत्पादन रुचि बढ़ती है और उनके आत्म-संयम में सहायता मिलती है। कला का किसी न किसी रूप में सामान्य-शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों के कला-कौशल कार्य अन्य विषयों से सम्बन्धित रहते हैं और इसीलिए सब को मिलाकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इंगलैंड के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र चित्रकारी में बहुत रुचि लेते हैं।

इंगलैंड के माध्यमिक-स्कूलों में शारीरिक-शिक्षा का पर्याप्त ध्यान रक्खा जाता है। यह शारीरिक-शिक्षण स्वास्थ्य-विज्ञान के पाठ और स्कूली खेलों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। शारीरिक-शिक्षा का कार्यक्रम जिम्नेस्टिक (शारीरिक व्यायाम-क्रीड़ा, और मांस-पेशियों को बढ़ाने वाली) पर आधारित रहता है इसमें खेल भी सम्मिलित रहते हैं। बहुत से माध्यमिक स्कूलों में बाह्य खेलों में व्यायाम और समूह या टोलियों में खेले जाने वाले खेल भी सम्मिलित रहते हैं। छात्रों के लिए क्रिकेट, फुटबाल तथा छात्राओं के लिए हाकी, नेट-बाल, राउन्डर्स (बैट और बाल से खेला जाने वाला खेल), टेनिस और कभी-

कभी क्रिकेट भी सम्मिलित रहती है। अन्तर्विद्यालय मैच भी खेले जाते हैं और अधिकतर स्कूलों में वार्षिक खेलों का आयोजन किया जाता है। किन्हीं सुविधा प्राप्त स्थानों में योग्यता प्राप्त शिक्षकों की देख-रेख मे तैरने की शिक्षा भी दी जाती है। जहाँ योग्य शिक्षक हैं मुक्केबाजी और कुश्ती लडना भी खूब सिखाया जाता है। स्थानीय-शिक्षा अधिकारी खेल के लिए सब सामानों का प्रबन्ध करते हैं और शारीरिक शिक्षा-योजना सम्मिलित कार्यक्रमों के लिए उचित वस्त्रों और जूतों को खरीदने का भी उन्हे अधिकार दिया गया है।

नियमित रूप से छात्रो की शारीरिक-परीक्षा, दाँतों की परीक्षा योग्य डाक्टरो द्वारा की जाती है। स्कूलों मे भोजन-योजना और दूध दिए जाने की विस्तृत योजना से बच्चों का स्वास्थ्य निश्चय ही अच्छा रहता है। माध्यमिक-स्कूलों में बच्चों के भोजन, खाने, बैठने तथा चलने के ढंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कक्षा मे हवा और प्रकाश आदि के प्रबन्ध पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इन सब बातो के कारण इंगलैंड के माध्यमिक-विद्यालयो के छात्रों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है।

इन माध्यमिक स्कूलो मे बच्चों के आध्यात्मिक विकास की ओर भी ध्यान दिया जाता है। यह भरसक प्रयत्न किया जाता है कि माध्यमिक-स्कूलों मे अच्छा नैतिक वातावरण स्थापित किया जाय। छात्रो को सुन्दर पुस्तकें दी जाती हैं और वे उन्हें पढकर साहित्यिक आनन्द उठा सकते हैं। उनके चारों ओर महान् पुरुषो के चित्र लगे रहते हैं और स्कूल इसी विषय मे ऊँचा आदर्श स्थापित करने का प्रयत्न करता है। सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार प्रत्येक विद्यालय का दैनिक-कार्यक्रम सामूहिक प्रार्थना के बाद आरम्भ होता है।

स्कूल मे बच्चों को अच्छा संगीत सुनने और उसमें भाग लेने के लिए अवसर दिया जाता है। उन्हें सदैव प्राकृतिक सुन्दरता देखने को मिलती है। छात्रो को इससे सन्तोष मिलता है, उन्हें आश्चर्य और जीवन की सार्वभौमिकता का आभास होता है। लड़को को प्राकृतिक सुन्दरता केवल प्राकृतिक दृश्यों में ही नहीं बल्कि पत्तियों, फूलों, रंगो, छाल की रचना और घास में भी देखने को मिलती है।

लड़को को जो कुछ भी गृह-कार्य दिया जाता है, उसका मौलिक-सिद्धान्त यह है कि वे स्कूल के बाहर भी चीजों के संग्रह और उनके बारे मे जानकारी प्राप्त करने, तसवीरें खींचने और वस्तुयें आदि बनाने वाले स्कूल के काम को घर पर भी चलाते जाँय।

बच्चों के घरों का सहयोग प्राप्त करने पर भी बहुत जोर दिया जाता है। बच्चों के माता-पिता का सहयोग और अभिरुचि ज्ञात करने और उन्हें स्कूल के उद्देश्यों को समझाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों का संघ स्कूल के लिए बहुत सहायक समझा जाता है।

छात्रों को व्यवसाय सम्बन्धी मार्ग प्रदर्शन (VocationalGuidance) भी किया जाता है। छात्रों को काम दिलाने वाली संस्था अभिभावकों को और नौकर रखने वालों को उचित परामर्श देने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार उन्हें बच्चों के योग्य नौकरियों, उनकी रुचि और उनके अभिभावक क्या चाहते हैं आदि पूरी बातों का विवरण मिल जाता है। जब कोई लड़का स्कूल छोड़ता है तब वह अपने साथ स्कूल का एक प्रमाणपत्र भी ले जाता है जिसमें यह लिखा रहता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, जिसे नौकर रखने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ मानता है। इससे छात्रों को उचित नौकरी मिलने में सहायता मिलती है।

यह लगभग सभी जानते हैं कि कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं होते। इसलिए विद्यालयों में भी विभिन्नता होनी चाहिए, नहीं तो १९४४ का शिक्षा-एक्ट सफल नहीं हो सकेगा। जिस प्रकार बच्चों की रुचि और योग्यता में विभिन्नता होती है, इसी प्रकार उनको पढ़ाये जाने वाले स्कूलों के पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-विधि में भी विभिन्नता होनी चाहिये। इसलिए माध्यमिक स्कूल प्रणाली में भी विभिन्नता अति आवश्यक है। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम तथा शिक्षा-विधि में विभिन्नता होने पर ही भिन्न-भिन्न बुद्धि तथा रुचि वाले छात्र स्कूल-शिक्षा से लाभ उठा सकेंगे। छात्रों की स्कूल में रहने की अवधि में भी यहीं अन्तर होगा। विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की आशा रखने वाले छात्र माध्यमिक स्कूलों में उन छात्रों की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरेंगे, जो केवल १५ या १६ साल की आयु के लगभग ही शिक्षा पाने (Apprenticeship), अथवा नौकरी पाने के इच्छुक हैं। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए जिससे वह समाज के उपयोगी नागरिक बन सकें और प्रसन्नता से अपना जीवन-यापन कर सकें।

१९४४ के महान् शिक्षा-एक्ट ने माध्यमिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार किया, शिक्षा में 'लोकतन्त्रीय-आदर्श' को व्यक्त किया। इसका अर्थ यह है कि देश में अधिक व्यक्तियों को शिक्षा-सुविधा प्राप्त हो तथा शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए। परन्तु १९४४ के एक्ट को समझने के लिए उससे सम्बन्धित पहले के एक्ट भी समझना आवश्यक है। वास्तव में यह एक्ट सन् १९०२, सन् १९१८, हैडो रिपोर्ट (१९२६)

स्पेन्स एक्ट [१६३६], तथा नौरवुड कमेटी रिपोर्टों और एक्टों से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है, और यहाँ पर उनके प्रसंग बिना नहीं समझा जा सकता है।

हैडो-रिपोर्ट ने 'माध्यमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण मानकर उसे एक नया अर्थ दिया। माध्यमिक शिक्षा वाल छात्रों की उस अवस्था को सम्मिलित करता है जिसे हम 'किशोरावस्था' के नाम से पुकारते हैं, जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास शीघ्रता से होता है और प्रत्येक बच्चे का विकास एक दूसरे से भिन्न भी होता है। इसलिए हैडो-रिपोर्ट ने एक प्रकार के ही ग्रामर-स्कूलों में दी जाने वाली माध्यमिक-शिक्षा अपर्याप्त समझी। स्पेन्स रिपोर्ट (१६३६) ने इसे और सुसंगठित बनाया और तीन विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय (ग्रामर, टैक्नीकल तथा माडर्न स्कूल) स्थापित करने की सिफारिश की। नारवुड कमेटी ने इस प्रकार के विद्यालयों की उपस्थिति को मनोवैज्ञानिक रूप से उचित ठहराया। सन् १६४४ के एक्ट ने इन पहले एक्टों और रिपोर्टों को एकत्रित कर सुसंगठित किया और 'माध्यमिक-शिक्षा' को नया रूप दिया जिसका विकास २० वीं शताब्दी में हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बच्चों की अवस्था, बुद्धि तथा योग्यता और रुचि के अनुसार दी जानी चाहिए। और स्थानीय शिक्षा अधिकारी को इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही तीनों (प्रारम्भिक, माध्यमिक और अग्र स्तरों) पर शिक्षा आयोजन करना चाहिये। शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'नई माध्यमिक शिक्षा' का अर्थ यह माना गया है—

"पूर्ण और उत्तर माध्यमिक शिक्षा वह है जो प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से विकसित करने में सहायक होती है। इसका अर्थ यह होता है कि यह शिक्षा केवल मानसिक-विकास की ओर ही ध्यान नहीं देती है, वरन् छात्रों के सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का भी समान दृष्टि से ध्यान रखती है।"

इन सब बातों को ध्यान में रखकर ब्रिटेन में माध्यमिक शिक्षा का आयोजन त्रिभागीय-प्रणाली (Tripartite-System) के आधार पर किया गया है। ५ वर्ष से ११ वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में प्रविष्ट पाते हैं। इनके विभिन्न स्कूलों में भेजे जाने का निर्णय ११ वर्ष के पश्चात् के परीक्षा फल (११+ examination) के आधार पर किया जाता है जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाता है। विद्यार्थियों को ११+परीक्षा में एक इंगलिश टैस्ट, अर्थमैटिक टैस्ट और एक बुद्धि परीक्षा टैस्ट दिया जाता है। छात्रों का विभाजन इन विभिन्न

स्कूलों में बुद्धि मान के आधार पर होता है। अध्यापकों का स्कूल रिकार्ड भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ काउन्टीज में I. Q के अनुसार विभाजन इस प्रकार है—

(१) सैकेण्डरी माडर्न स्कूल —७० I. Q से लेकर लगभग १०८ I. Q. तक के बच्चे इसमें प्रविष्ट होते हैं।

(२) सैकेण्डरी टैक्नीकल स्कूल— १०८ I. Q, से लेकर ११६ I. Q.

(३) सैकेण्डरी ग्रामर स्कूल—११६ I Q. से अधिक वाले बच्चे।

यदि छात्र इस विभिन्न प्रकार की शिक्षा से लाभ प्राप्त करते हुए नहीं मालूम होते हैं तो उन्हें १३+ की अवस्था पर दूसरे स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

सैकेण्डरी ग्रामर स्कूल—ये स्कूल बहुत प्राचीन हैं और १९४४ के शिक्षा-एक्ट के पास होने से पूर्व केवल यही माध्यमिक विद्यालय थे। इनमें सबसे अधिक बुद्धि-लब्धि (I. Q) वाले छात्र प्रवेश पाते हैं। इनमें किताबों और विचारो पर अधिक जोर दिया जाता है। इनमें परम्परागत, साहित्यिक और वैज्ञानिक विषय पाठ्यक्रम में होते हैं और छात्र इनमे लम्बी अवधि तक ठहरते हैं। इनमें सामान्य रूप से ५ वर्ष का पाठ्यक्रम होता है जिसमें सभी विषयों, विशेषकर भाषाओं (प्राचीन और आधुनिक), गणित और विज्ञान की शिक्षा के बाद छठे फार्म में तर्क-युक्त विषयों की शिक्षा दी जाती है जिसके बाद स्वाभाविक रूप से बहुत से लड़के और लड़कियाँ यूनीवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करते हैं, अन्त में डाक्टर, वकील या पादरी बनते हैं। अधिकतर पढ़ाये जाने विषय छात्रों को मानसिक अनुशासन सिखाते हैं। इन स्कूलों में अनुशासन-पूर्ण विचार और बौद्धिक प्रश्नों को हल करने की योग्यता की आवश्यकता है इस-लिए उनमे पढ़ने वाले बच्चो मे सामान्य-बुद्धि अच्छी होनी चाहिए उन्हें किताबों से प्रेम होना चाहिए व अमूर्त विचारो की ओर शीघ्र आकृष्ट होना चाहिए तथा स्कूल की पढ़ाई से लाभ उठाने के लिए उन्हें वहाँ अधिक समय तक रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्रामर स्कूलों मे विविध कार्यों के लिए उपयुक्त और आराम देने वाले स्थान का प्रबन्ध रहता है। इन स्कूलों में छात्रों का जीवन पास-पड़ौस के निवासियों से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। क्योंकि इन स्कूलों का उनसे गहरा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। ग्रामर स्कूलों का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रथम चार-पाँच वर्ष में कई विषय बच्चों को लेने पड़ते है और इन चार-पाँच वर्षों के बाद उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। छात्र बहुधा इनमे अठारह वर्ष की अवस्था तक रहते हैं।

ग्रामर स्कूल—"वह माध्यमिक विद्यालय है जिसने और नये स्थापित किये हुए माध्यमिक विद्यालयों की अपेक्षा अधिक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रतिष्ठा एकत्रित करली है।" इसकी इस प्रतिष्ठा-वृद्धि का कारण यह है कि इसने प्राचीन समय से अब तक अधिक योग्य बुद्धि वाले विद्यार्थियो की शिक्षा-आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसकी प्रतिष्ठा आने वाले युग मे भी कम नही होगी क्योंकि विश्वविद्यालयों मे प्रवेश पाने की ग्रामर स्कूल कुंजी है और उन लाभदायक व्यवसायो के लिए विद्यार्थियों को योग्य बनाते हैं जिनका समाज मे बहुत आदर तथा मान है।

ग्रामर-स्कूलों की ख्याति के मुख्य कारण निम्नांकित है। (१) उनकी प्राचीनता (२) अधिक बुद्धि वाले योग्य छात्रो को शिक्षा प्रदान करना (३) जब किसी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली का विकास नही हुआ था, ग्रामर स्कूल प्राचीन समय से ही माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में एक बड़े 'अभाव' की पूर्ति करते रहे हैं।

आधुनिक शिक्षा शास्त्रियो के मतानुसार ग्रामर स्कूलो का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट, अत्युत्कृष्ट बुद्धि वाले बच्चो को शिक्षा प्रदान करना है। उनको कठोर मानसिक-अनुशासन वाले विषय पढ़ाकर अधिक बुद्धि वाले बच्चो की आवश्यकता पूरी करना है।

शिक्षा मन्त्रालय के आधुनिक मतानुसार ग्रामर स्कूल शिक्षा का लाभ छात्रो के अधिक प्रतिशत को उठाना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्रामर स्कूलों को 6th. form मे कोर्स अधिक होता है यद्यपि विषयो की सख्या कम हो जाती है। इस छठवें फार्म मे विद्यार्थियो को विश्वविद्यालय के लिए 'विशेष-योग्यता' प्राप्त करनी होती है।

इन स्कूलो की अन्तिम वर्ष (Sixth form) में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊँचा हो जाता है। इस कक्षा की पढ़ाई की सफलता से ही प्रायः स्कूल का स्तर मापा जाता है। इस कक्षा में विशेष योग्यता (special) प्राप्त कराने की चेष्टा की जाती है। "इस छठे वर्ष की (sixth form) की शिक्षा ही ग्रामर-स्कूलों की विशेषता है, जिससे चरित्र-निर्माण, आत्म-निर्भरता आदि के गुण छात्रो मे उत्पन्न किये जाते हैं, और इसी शिक्षा पर निर्भर हैं ग्रामर स्कूल की अच्छी परम्परायें।" आज भी इन स्कूलो मे देश के सबसे अच्छे अध्यापक तथा अध्यापिकायें काम करते हैं। इनमे लगभग $\frac{2}{3}$ लोग ही अध्यापन कार्य मे प्रशिक्षण प्राप्त है। हाल मे ही इन स्कूलो मे सर्वोत्तम छात्रो मे यह भावना आ गई है कि अध्यापकों की आय कम है, इसीलिए उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना या अध्यापक बनना उचित नहीं। विज्ञान तथा गणित को छोड़ कर अन्य विषयो

के प्रशिक्षित अध्यापकों की इन स्कूलों के लिये संख्या पर्याप्त मात्रा में है। इन स्कूलों में आदर्श कक्षाओं में ३० छात्र या छात्रायें होनी चाहिये लेकिन प्रायः ऐसा होना सम्भव नहीं। ग्रामर स्कूल केवल छात्रों को ही नहीं छात्राओं को भी उनके जीवन के लिये तैयार करते हैं। छात्राओं के स्कूलों में प्रायः छात्रों से भिन्न कुछ विषय पढ़ाये जाते हैं जो स्वाभाविक ही है।

इन ग्रामर स्कूलों में आने के लिये बहुत बड़े पैमाने पर छात्रों और संरक्षकों में प्रतियोगिता और होड़ लगी रहती है और जो छात्र इन स्कूलों में आ जाते हैं उनके लिये विश्वविद्यालय के द्वार खुल जाते है। १९४४ से पूर्व इन स्कूलों में सुरक्षित स्थान थे जिनमें केवल योग्य छात्र ही आते हैं शेष माता-पिता अपने खर्चे पर अपने यहाँ बच्चों को भेजते हैं। लेकिन अब सब स्थान (Competition) के आधार पर भरे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो माता-पिता इन स्कूलों में अपने बच्चों (Competition) के कारण भेजने में असमर्थ होते हैं, यदि वह धनी हुये, तो खर्चीले पब्लिक-स्कूलों में भेजते हैं अन्यथा वहाँ जहाँ स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी भेज दें। इन स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कुल संख्या की ¼ होगी।

सेकिन्डरी टैक्नीकल स्कूल---यह दूसरे प्रकार का माध्यमिक विद्यालय है। यह उन छात्रों के लिए है जो अपने जीवन में काफी शीघ्र ही किसी उद्योग, खेती, कारखाने का व्यवसाय चुनना चाहते हैं, ऐसे विषयों में विशेष विज्ञान और गणित की आवश्यकता होती है। किन्हीं टैक्नीकल स्कूलों में विद्यार्थी सेकिन्डरी माडर्न स्कूलों की तरह १५ वर्ष तक ही रहते हैं परन्तु अधिकांश टैक्नीकल स्कूल ऐसे हैं जिनमे छात्र ग्रामर स्कूलों के समान ही लगभग १८ या १९ वर्ष तक ठहरते हैं। यहाँ मुख्य उद्देश्य किसी उद्योग तथा व्यवसाय के लिए बच्चे को तैयार करना है। सभी सेकिन्डरी शिक्षा कुछ सीमा तक व्यावसायिक होती है, क्योंकि सामान्य शिक्षा जीवन के किसी विशेष अंश के लिए नहीं, परन्तु पूरे जीवन के लिए तैयार करती है। यह प्रत्येक बालक-बालिका से व्यक्तिगत रूप से तथा नागरिक होने के नाते भी, जिन्हें दूसरों के साथ रहना और काम करना है, सम्बन्ध रखता है। सेकिन्डरी टैक्नीकल स्कूल अन्य प्रकार के सेकिन्डरी स्कूलों से, जीवन से निकट सम्बन्ध होने के कारण ही भिन्न नहीं है वरन् और दुनियाँ से सम्पर्क रखने के लिए किसी व्यवसाय या उद्योग को चुनना है। सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सब व्यावसायिक स्कूलों से उतना ही सम्बन्ध रखता है जितना अन्य स्कूलों के साथ। कला, साहित्य, संगीत, इतिहास, धार्मिक-शिक्षा और शारीरिक-शिक्षा आदि विषय यहाँ उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अन्य प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों

में। सेकिन्डरी व्यावसायिक स्कूल केवल उद्योग या व्यवसाय मे जिम्मेदारी के पदों को दिलाने का मार्ग नहीं है। बहुत से लड़के और लड़कियाँ जो ग्रामर या माडर्न स्कूलों मे पढ़ने में बहुत कुशाग्र होते हैं वे भी व्यावसायिक और औद्योगिक जीवन का अनुसरण कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि टैक्नीकल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त छात्रों के अतिरिक्त अन्य स्कूलों मे पढ़ने वाले छात्र भी औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

माडर्न-स्कूलों के समान, जो सीनियर एलीमेन्टरी स्कूल के प्रारम्भिक कार्यों के ऋणी हैं, सेकिन्डरी टैक्नीकल स्कूलों की भी अपनी एक परम्परा है। जूनियर टैक्नीकल स्कूलों की स्थापना १९०५ ई० मे हुई, १३ वर्ष की अवस्था से २ या ३ वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए उनका आयोजन किया गया था जिससे किसी उद्योग या व्यवसाय की मुख्य शाखा मे प्रवेश पाने के लिए अच्छी साधारण शिक्षा दी जाती थी। ये स्कूल १९४४ के एक्ट से पहले स्थानीय शिक्षा-अधिकारी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा दिये जाने का अङ्ग माने जाते थे। जूनियर टैक्नीकल स्कूलो के छात्र यह समझते थे कि उनका स्कूल का काम स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाह्य दुनियाँ से भी उनका सम्बन्ध है जिससे उनको आगे सफलता प्राप्त हो सकती है। स प्रकार एक वास्तविकता का वातावरण फैला हुआ था। इन स्कूलों मे प्रयोग की जाने वाली मशीनों के यन्त्र उसी तरह के होते थे जैसे कि सचमुच उद्योग धन्धों मे प्रयुक्त होते थे। ये स्कूल छात्रों को बड़े पैमाने पर मूल प्रशिक्षा देते थे और उन्हे परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलने, उन्हे परिश्रमी और काम सीखने के लिए इच्छुक बनाने की कोशिश करते थे। जूनियर औद्योगिक स्कूल टैक्नीकल कालेजो से भी निकट सम्पर्क रखते थे। अधिकतर जूनियर टैक्नीकल स्कूल इन्जीनियरिंग पर आधारित थे। ये स्कूल निर्माण व्यवसाय के लिए भी थे। इन स्कूलों मे टैक्नीकल विषयों के अतिरिक्त और विषयो मे भी शिक्षा दी जाती थी जैसे ड्राइंग, गणित, विज्ञान, अँग्रेजी पाठ्य-विषयों के अतिरिक्त खेल-कूद आदि भी होते थे।

सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार ये शिक्षालय बन्द नहीं हुए, उनमे से अधिकतर पहले की तरह ही चल रहे हैं लेकिन इस एक्ट से उनकी स्थित ऊँची हो गई है और उनकी उन्नति का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। अब वे ग्रामर और माडर्न स्कूलो की समान श्रेणी मे पहुँच गए हैं। पहले जूनियर टैक्नीकल स्कूलो मे प्रवेश आयु १३ वर्ष थी और १५ या १६ वर्ष की अवस्था तक २ या ३ वर्ष का कोर्स था, परन्तु अब ११ से १५ या १६ वर्ष की आयु तक ४ या ५ वर्ष तक का कोर्स है। सभी सेकन्डरी टैक्नीकल स्कूलों को इमा-

रत बनाने के नये नियमों का पालन करना पड़ता है और अब टैक्नीकल स्कूल एक विशेष प्रकार की माध्यमिक शिक्षा देते हैं। पढ़ने और काम करने में उच्च-स्तर का ध्यान रक्खा जाता है। कुछ विषयों पर आवश्यकता से अधिक जोर नहीं दिया जाता जिससे अन्य आवश्यक विषयों की पढ़ाई को हानि पहुँचे। स्कूल के पाठ्यक्रम का उद्योग और व्यवसाय से सम्बन्ध रखने का उद्देश्य कुछ विशेष लड़कों की शिक्षा को और लाभ पहुँचाना है न कि शिक्षा पर उनका प्रभुत्व स्थापित करना। वास्तव में, यद्यपि टैक्नीकल स्कूल किसी न किसी व्यवसाय से सम्बन्धित होता है फिर भी, लड़कों को दी जाने वाली शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि उनसे वे उत्साहित और लाभान्वित हों। कुछ स्कूल केवल एक व्यवसाय से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ अन्य स्कूल एक या अधिक से। अधिकतर विद्यालयों में छात्रावास होते हैं और कुछ विद्यालयों ने १६ वर्ष से ऊपर लड़कों के लिए भी प्रबन्ध किया है। दूसरे प्रकार के विद्यालय में उद्योग, व्यवसाय या कलाओं की थोड़े-थोड़े समय की शिक्षा के हेतु एक साथ पूरे पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम में कभी-कभी विदेशी भाषा, ड्राइंग, स्वतन्त्र कला का काम, गणित, इतिहास और भूगोल आदि भी सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार आजकल के टैक्नीकल स्कूलों में बच्चों का अनुमानतः स्तर ऊँचा है और स्कूल में भरती करने के समय उनकी विशेष रुचि वाले विषय पर भी ध्यान दिया जाता है।

तीसरे प्रकार के माध्यमिक विद्यालय 'सैकिन्डरी माडर्न' हैं। इनकी उत्पत्ति आधुनिक-काल में ही हुई है। इनका उद्देश्य विभिन्न योग्यता, रुचि और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में पले बच्चों के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम का प्रबन्ध करना है।

अनुभव द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि अधिकांश बच्चे प्रत्यक्ष वस्तुओं (Concrete things) के द्वारा सरलता और शीघ्रता से सीख लेते हैं और ऐसे पाठ्यक्रम द्वारा जो उनके अनुभव पर आधारित है, वह शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ११ वर्ष की अवस्था तक उनकी विशेष रुचियाँ व्यक्त नहीं हो पातीं जिनके आधार पर उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा सके। ऐसे अधिकांश विद्यार्थी उन स्कूलों में ठीक प्रकार पढ़ सकते हैं जो अच्छी सर्वांगीमुखी-शिक्षा ऐसे वातावरण में प्रदान कर सकें जो उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार स्वतन्त्र रूप से विकसित कर सकें। सैकिन्डरी माडर्न स्कूल इस प्रकार के अधिकांश विद्यार्थियों की शिक्षा आवश्यकता पूरा करता है। और छात्रों को all round general Education प्रदान करता है।

इंगलैंड के शिक्षा शास्त्रियों के मत में सैकिन्डरी माडर्न स्कूल एक बड़े

हुए वृक्ष के समान है जिसकी शक्तिशाली जड़ें हैं, परन्तु जिसकी शाखाओं की संख्या सीमित है। परिस्थितियों, स्कूल-भवनों और सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार वास्तविक आदर्श स्तर तक पहुँचने वाले ऐसे स्कूल अभी बहुत कम हैं। स्थानों तथा अध्यापकों की कमी के कारण इन स्कूलों का स्तर उचित सीमा तक नहीं पहुँच पाया है।

इन स्कूलों को तीव्र-बुद्धि वाले लड़के-लड़कियो, क्रियात्मक कार्यों मे विशेष रुचि वाले बालकों और पिछड़े हुए बालकों के लिए उनकी आवश्यकताओ के अनुसार प्रबन्ध करना पड़ता है। कुछ औसत से कम बुद्धि वाले बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ते हैं। माडर्न स्कूलों को भिन्न-भिन्न योग्यता वाले बच्चो का प्रबन्ध करना पड़ता है इसीलिए उनको पाठ्यक्रम और शिक्षा विधि में पूरी स्वतन्त्रता रहती है। माडर्न स्कूलों का उद्देश्य पूर्ण सेकिन्डरी शिक्षा देना है, परन्तु इसमे स्कूल के पाठ्यक्रम के परम्परागत विषयों पर जोर न देकर ऐसे विषयो पर अधिक बल दिया जाता है जो बच्चों की रुचि से विकसित होते है। इस रुचि से बच्चों में सीखने की, इच्छा पैदा होती है और उन्हें अच्छे विचार, अभिव्यक्त करने तथा कला कौशल की भी शिक्षा मिलती है। यहाँ बच्चों को वर्तमान संसार का आभास मिलता है और अवकाश के समय का पूरा उपयोग करने, परिस्थितियो के अनुसार अपने को बदलने, प्रत्येक काम को अच्छी तरह ठीक-ठीक करने और उसके अच्छा न होने पर सन्तुष्ट न होने और ठीक-ठीक कहने और काम करने की शिक्षा देना ही उद्देश्य है। इनमे विस्तृत और संतुलित पाठ्यक्रम का प्रबन्ध रहता है और अनेक प्रकार के क्रियात्मक कार्यों के द्वारा उसको यथार्थ बनाने का प्रयत्न किया जाता है। एक दिशा मे तो ये स्कूल बच्चों मे काम करने की योग्यता का स्तर ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं और दूसरी ओर पिछड़े हुए बालको की आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। ये स्कूल बच्चों के सतुलित विकास की ओर ध्यान देते हैं जिसमें केवल मानसिक-उन्नति पर ही विशेष बल नहीं दिया जाता। मानसिक उन्नति तो पूर्ण बच्चे का केवल एक अंग है।

जिन बातों का असर सामाजिक और आध्यात्मिक-विकास पर पड़ता है उनका माडर्न स्कूलों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। धार्मिक, शारीरिक शिक्षा तथा ललित कला जैसे विषयों को भी स्कूल मे स्थान मिलता है। माडर्न स्कूलों की कक्षा मे, खेल-कूद के कमरे, कारखाने तथा खेल के मैदान में दी

जाने वाली शिक्षा भिन्न-भिन्न नहीं होती। वे एक दूसरी से ऐसी मिलती रहती हैं कि उनको अलग करना कठिन होता है।

माडर्न स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषय अंग्रेजी, गणित, भूगोल और विज्ञान हैं। बहुत से स्कूलों मे आधुनिक भाषा भी पाठ्यक्रम का विषय है। इसके अतिरिक्त शारीरिक-शिक्षा, संगीत-कला, हस्त-कौशल, गृह-कला, अनेक प्रकार के कला-कौशल, बागवानी तथा पशु-पालन आदि विषय भी सिखाये जाते हैं। प्रधानाध्यापक ही अपने स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के उत्तरदायी हैं। इस पाठ्यक्रम में सरकारी निरीक्षक परामर्श, मार्ग-प्रदर्शन तथा आलोचना करते हैं; परन्तु आदेश कभी नहीं मिलते। अपनी मातृ-भाषा को सीखना और उससे आनन्द उठाना सभी बच्चों की शिक्षा का एक अंग है। विदेशी भाषायें भी सिखाई जाती हैं। शारीरिक चेष्टाओं और ड्रामा के सुन्दर प्रयोग और बच्चों के थ्येटर भुलाये नही जाते तथा बहुत से स्कूलों मे भाषा की शिक्षा में ग्रामोफन रेकार्ड- चल-चित्र, तस्वीरों और रेडियो की सहायता ली जाती है। विदेशी समाचार-पत्रों का भी उपयोग होता है।

इतिहास और भूगोल में बच्चों को उनके पूर्वजों के रहन-सहन के विषय में नगर या गाँव के बाहर की बड़ी दुनियाँ के समाचारो के विषय में तथा महान् पुरुषों की आशाओं और सफलताओं के विषय मे ज्ञानकारी कराई जाती है। इस प्रकार की वर्तमान बातों को समझते हुए मनुष्य के मुख्य विकास-क्रमों और वर्तमान इतिहास का कुछ आभास करते है। माडर्न स्कूल में इतिहास तथा भूगोल के महान् उद्देश्य बच्चों मे निरन्तर स्थित क्रियमाण तथा गतिशील विकास एवं भौतिक तथा आध्यात्मिक सफलताओं की पूर्णता की उदात्त भावना जागृत करना है। पास पड़ौस की सेवा एक साधारण बात है। अजायबघरों और ऐतिहासिक तथा भू-गर्भ विद्या सम्बन्धी प्रसिद्ध स्थानों को देखने का प्रबन्ध किया जाता है। अच्छे स्कूलों में गणित को प्रयोगिक-क्रियाओं द्वारा सम्बन्धित किया जाता है और गणित की उन क्रियाओं को प्रयोग मे लाते हैं जिनके विषय में प्रत्येक व्यक्ति को जिसे इस संसार से दिलचस्पी है, कुछ ज्ञान होना चाहिये। रेखागणित के विचारो और बीजगणित के सूत्रों का भी माडर्न स्कूलों में ध्यान रक्खा जाता है।

विज्ञान मे बालकों को प्राकृतिक नियमों और मनुष्य की वैज्ञानिक सफलताओं का ज्ञान कराया जाता है। ऐसा करने से बालकों की उत्कंठा बढ़ती है

और विषय से उनकी वैज्ञानिक भावना उत्साहित होती है। माडर्न स्कूलों में जीव-विद्या को भी स्थान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीव-विद्या पर अधिक बल दिया जाता है और शहरी-क्षेत्रों में भौतिक-विज्ञान पर। बागवानी और पशु-पालन भी सिखाया जाता है। बहुत से विद्यालयों में छात्रों को स्थानीय उद्योग धन्धों तथा उनमें काम करने की प्रणाली को भी दिखाया जाता है। इस प्रकार बच्चे को अपनी दुनियाँ के विषय में, उसमें होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के विषय में और उनसे सम्बन्धित प्राकृतिक-नियमों के विषय में जानकारी कराई जाती है। स्कूलों में 'प्रोजेक्ट-प्रणाली' का अनुकरण किया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षक एक पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है। बच्चे उद्देश्य विशेष को लेकर कार्य करते रहते हैं और उनकी प्रगति ठीक प्रकार होती रहती है। पढ़ाने में विभिन्न विषयों के परस्पर सम्बन्ध का ध्यान रक्खा जाता है और बालकों को यह अनुभव कराया जाता है, कि वे किसी खोज में अधिक सफल नहीं हो सकते जब तक वे आवश्यक गणित नहीं जान लेते हैं और यह नहीं समझ लेते हैं कि भूगोल और इतिहास एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। कला और विज्ञान मनुष्य के सामाजिक जीवन में इस प्रकार गुँथे हुए हैं कि उनसे अलग नहीं किए जा सकते। माडर्न स्कूलों का उद्देश्य बहुत बड़े विद्वान् और विशेषज्ञ उत्पन्न करना नहीं है, परन्तु सर्वतोमुखी सामान्य शिक्षा प्रदान करना है।

संवेगात्मक विकास में वृद्धि करने के अतिरिक्त माडर्न स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषय बच्चों को ठीक-ठीक काम करने, काम को करने से पहिले उसके बारे में आयोजन बनाने, चीजों का मान-दण्ड स्थिर करने तथा उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न करने की शिक्षा देते हैं जो उनके मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। कला-कौशल शिक्षा का आवश्यक अङ्ग है। यह उद्देश्य नहीं है कि बच्चे कला-कौशल या घरेलू कामों में प्रौढ़ों जैसे चतुर हो जाँय, परन्तु उन्हें कम से कम कला-कौशल का उद्देश्य जानना, उसकी अच्छाई समझना और हाथों में निपुणता लाना अवश्य समझाया जाता है। इस प्रकार माडर्न स्कूलों में बच्चों को हाथों का प्रयोग करने तथा मन और मांस-पेशियों में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए काम करने का अवसर दिया जाता है।

Seconday Modern schools का मुख्य उद्देश्य सर्वतोमुखी सामान्य-शिक्षा all round general Education प्रदान करना है।

ब्रिटेन की माध्यमिक शिक्षा में त्रिभागीय-प्रणाली (Tripartite system)
प्रायमरी शिक्षा
(५ वर्ष की अवस्था से ११+तक)
११+(Plus) परीक्षा (स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है)
माध्यमिक-शिक्षा
सैकिण्डरी टैक्नीकल
(११ वर्ष से १५+Plus
(की अवस्था तक)
(जीवन में शीघ्र प्रविष्ट होने वाले छात्रों के लिये)
सैकिण्डरी माडर्न स्कूल
(११ वर्ष से १५+Plus
की अवस्था तक)
सर्वांगीण सामान्य शिक्षा
सैकिण्डरी ग्रामर स्कूल
(११ वर्ष से १८ वर्ष की
अवस्था तक)
(बौद्धिक शिक्षा पर
अधिक बल) परम्परा-
साहित्यिक और वैज्ञा-
शिक्षा
अर्द्धशिक्षा (Further
education)
General
certificate of
education

पब्लिक स्कूलों के समान ही ब्रिटेन की त्रिभागीय-प्रणाली की बहुत आलोचना की गई है, और उसे सामाजिक तथा प्रजातन्त्रीय दृष्टिकोण से अनुचित बताया है, और (Comprehensive School) की एक प्रणाली को कुछ लोगों ने उचित समझा है।

(१) समालोचकों के मतानुसार ब्रिटेन के तीनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों (माडर्न, टैक्नीकल तथा ग्रामर) को समाज में 'समान आदर' नहीं मिला है। ग्रामर स्कूल माडर्न स्कूलों की अपेक्षा अधिक आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं।

(२) ११+की अवस्था पर बालकों का विभिन्न स्कूलों में विभाजन करना, अधिक शीघ्रता करना है। बालक का इतना शीघ्र और इतनी कम अवस्था पर भाग्य-निर्णय कर देना अधिक उचित नहीं है। इतनी शीघ्रता से इस अवस्था पर बालकों की रुचि, बुद्धि का पता लगाना इतना सरल कार्य नहीं है।

(३) बालकों को विभिन्न स्कूलों में भेजने से भविष्य में सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामर स्कूल में जाने वाले छात्र माडर्न स्कूल के छात्र को घृणा की दृष्टि से देखेगा और अपने को उससे कहीं उच्च समझेगा। इस तरह समाज में एकता-संगठन के स्थान पर विभिन्न तीन प्रकार के स्कूल एकता में बाधक होंगे। यह प्रजातान्त्रिक-सिद्धान्तों के भी विरुद्ध है। इस प्रणाली से समाज में छिन्न-भिन्नता होने का भय प्रकट किया गया है।

(४) ११+Plus की परीक्षा जिसके द्वारा बालकों का विभिन्न तीन प्रकार के स्कूलों में भेजा जाना निर्णय किया जाता है, इसके मनोवैज्ञानिक कारण है। इस परीक्षा के लिए जाने के अधिकतर कारण ऐतिहासिक तथा शासकीय हैं। इस अवस्था पर परीक्षा लेने के कोई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है।

(५) ११+की परीक्षा में दिए गए बुद्धि-मापक परीक्षाओं पर निजी रूप से पढ़ाने[1] का प्रभाव पड़ता है, इससे ठीक निर्णय नहीं हो पाता कि कौन बालक अधिक बुद्धिमान है, तथा उसे ग्रामर स्कूलों में जाना चाहिए। अभ्यास तथा अधिक निजी कोचिंग से बुद्धि-लब्धि (I. Q.) में वृद्धि हो जाती है। धनवान माँ बाप अपने बच्चों का (Private Coaching) कराते हैं। इससे वे परीक्षा में अधिक नम्बर पा जाते हैं।

1 Private Coaching.

(६) ग्रामर स्कूल में स्थान प्राप्त करने की चिन्ता के कारण बालक के ऊपर बुरा शारीरिक और मानसिक-प्रभाव पड़ता है।

(७) धनवान घरो के बालक घरों पर अच्छे सामाजिक वातावरण के कारण ११+की परीक्षा मे अधिक नम्बर पाते हैं।

यदि भविष्य मे समाज को छिन्न-भिन्न करने वाली इस त्रिभागीय प्रणाली को नष्ट करना है तो हमे ऐसे स्कूल स्थापित करने चाहिए जहाँ प्रत्येक वर्ग के छात्र बिना किसी सामाजिक भेद-भाव तथा बुद्धि भेद-भाव के एकत्रित होकर एक साथ मैत्री-पूर्ण वातावरण मे मिलकर अध्ययन करें। ऐसे स्कूल तीनों प्रकार की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करें परन्तु इस प्रकार के विद्यालयों का तीन विभिन्न प्रकार के भागों में स्पष्ट पृथक्कीकरण न हो। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने ऐसे स्कूलों के स्थापन विचार का बहुत स्वागत किया। और लन्दन काउन्टी काउन्सिल ने इसी प्रकार के कुछ कम्प्रेहेन्सिव स्कूलों (Comprehensive Schools) की स्थापना की।

दूसरे प्रकार के माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ तीनों प्रकार की माध्यमिक शिक्षा विभिन्न विभागों मे दी जाती है। इन्हें मल्टीलेटरल स्कूल (Multilateral Schools) कहते हैं। तथा दो प्रकार की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले बाई-लेटरल स्कूल (Bilateral Schools) कहलाते हैं। बाई-लेटरल स्कूल कभी-कभी माडर्न स्कूल तथा टेक्नीकल स्कूल को मिलाकर बनाया जाता है।

चौथे प्रकार के माध्यमिक विद्यालय 'पब्लिक स्कूल' हैं। ये स्कूल वास्तव में जनसाधारण के स्कूल नही हैं और न संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के पब्लिक स्कूलो के समान ही हैं जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सभी वर्ग के बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, और जनता के धन द्वारा चलाये जाते हैं।[1] वास्तव में ब्रिटेन के पब्लिक स्कूलो का आरम्भ प्राचीन समय मे हुआ। पब्लिक स्कूल वास्तव में वैयक्तिक (निजी) हैं और इंगलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली में उनका बहुत महत्त्व है, क्योंकि इनमे शिक्षित व्यक्ति अधिकाश महान् पुरुष हुए हैं। राष्ट्र की उन्नति मे इन स्कूलों ने उच्च श्रेणी के विद्वान् पुरुष, राजनीति, डाक्टर, वकील, बनाकर बहुत सहयोग दिया है। इंगलैण्ड को अपने पब्लिक स्कूलो का बहुत गर्व है और बहुधा वहाँ के लोग इन्हें महान् पब्लिक स्कूलों के नाम से पुकारते हैं। फ्लेमिंग-कमेटी की रिपोर्ट

1. Public School Or Comprehensive High School of America is tax-supported and open to all children irrespective of their parents financial condition.

के अनुसार पब्लिक स्कूल की परिभाषा यह है, 'वे स्कूल हैं जो गवर्निंग बौडीज एशोसियेशन[2] तथा प्रधानाध्यापक समिति (हैडमास्टरर्स कान्फरेन्स) में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुके हों। ये वास्तव में 'स्वतन्त्र स्कूल' हैं। यह छात्रों से प्राप्त की हुई फीस और दान पर निर्भर रहते हैं परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि ये व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाये जाते। इनकी प्राचीन स्थापना के कारण परम्परागत-विशेषतायें पाई जाती है। जैसा पिछले अध्यायों में बताया गया है कि विनचेस्टर (१३८२) और ईटन (१४४०) की स्थापना मध्य-युग मे हुई। आरम्भ मे इन दोनों स्कूलो का यह उद्देश्य था कि 'धनवान व्यक्तियों के बच्चों के साथ-साथ ही कुछ गरीब बच्चो को भी नि:शुल्क शिक्षा दी जाये। धनवान् व्यक्तियो को इस शिक्षा के लिए व्यय करना पड़ता था। विनचेस्टर और ईटन के आदर्श पर १६ वी और १७ वीं शताब्दी मे उस समय के ग्रामर स्कूलो मे से ही कुछ पब्लिक स्कूलों की पुर्नसंस्थापना हुई। इनमें हैरो, रगबी, श्रूबरी, वेस्ट-मिनस्टर, सेन्टपाल, मर्चेन्ट टेयलरर्स इत्यादि हैं। ये स्कूल भी कुछ निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। १६ वी शताब्दी के मध्य मे इनकी वास्तविक उन्नति और वृद्धि हुई। आजकल के ८६ पब्लिक स्कूलो मे से ५४ स्कूल उस युग मे स्थापित हुए।

ग्रामर स्कूल तथा पब्लिक स्कूलो के पाठ्यक्रम मे विशेष अन्तर हमे नही मिलता है। दोनों ही परम्परागत साहित्यिक और वैज्ञानिक विषयो को अधिक महत्व देते हैं। पब्लिक स्कूलो मे छात्रावास जीवन अधिक महत्वपूर्ण है और बच्चों के चरित्र-विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। इन स्कूलों में ग्रीक, तथा लैटिन अनिवार्य विषय हैं।

बच्चों का प्रवेश इनमे बहुधा १३+की अवस्था में (प्रवेश-परीक्षा) पास करने के बाद होता है और १८ वर्ष की अवस्था तक वे इन स्कूलो मे अध्ययन करते है और प्रतिवर्ष छात्रों की कुछ संख्या आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज विश्व-विद्यालयो मे प्रवेश पाती है।

पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए तैयारी करने वाले छात्र पहले 'प्राइवेट प्रीप्रेटी स्कूलों (Preparatory Schools) मे पढ़ते हैं। प्रवेश पाते समय विद्यार्थी की अवस्था १३ वर्ष की होनी चाहिए, और उसे १३+ के समय प्रवेश परीक्षा पास करनी चाहिए। शिक्षा शास्त्रीयो ने इन पब्लिक स्कूलो की प्रसिद्धि के निम्नांङ्कित कारण बताये हैं।

---

2. Governing Bodies Association.

(१) ये स्कूल चरित्र-विकास पर अधिक महत्त्व देते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन स्कूलों की राय में 'चरित्र-निर्माण' और चरित्र 'विकास' है। विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, आत्म-त्याग, सच्चाई और ईमानदारी की भावनाओं का विकास करना चाहिये। ऐसे छात्र श्रम को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, और दूसरे व्यक्तियों और राष्ट्र के लिए वह आत्म-त्याग की भावना से कार्य करते हैं।

(२) इंगलैंड के पब्लिक स्कूलो की राष्ट्रीय-उन्नति क्षेत्र मे बहुत देन है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार करना इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य रहा है। इन स्कूलों में कई शिक्षित विद्यार्थी जो महान् पुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन भर राष्ट्र के समक्ष अनुपम आदर्श कार्यान्वित किए हैं।

(३) इन स्कूलो का आक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज के प्राचीन विश्वविद्यालयों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। प्रतिवर्ष इन स्कूलो की शिक्षा समाप्त करने के बाद कुछ विद्यार्थी इन प्राचीन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाते हैं।

(४) इन स्कूलों की गवर्निग-बोडी तथा हैडमास्टर स्वतन्त्र होते हैं और राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

(५) चरित्र-शिक्षा और नेतृत्व की शिक्षा छात्रावास मे अच्छी प्रकार दी जाती है और सहयोग, सामूहिक-जीवन और साहचर्य का वातावरण भली-भांति उत्पन्न किया जा सकता है। यद्यपि कम संख्या में कुछ ऐसे भी पब्लिक स्कूल हैं जिनमें छात्रावास नहीं हैं, उन्हें डे-पब्लिक स्कूल[1] कहते हैं।[2] परन्तु अधिकतर स्कूलो मे छात्रावास हैं। आधुनिक काल में ऐसे पब्लिक स्कूलो की भी स्थापना हुई है जो 'लड़कियों की शिक्षा' के लिए हैं और प्राचीन पब्लिक स्कूलों के आदर्श पर ही इनकी स्थापना हुई है।

(६) स्कूल में पर्याप्त शिक्षा साधनों की उपलब्धता, उदाहरणार्थ अधिक योग्य अध्यापक, और उपयुक्त शिक्षा सामग्री की प्राप्ति तथा अध्ययन के लिए आदर्श वातावरण इनकी विशेषतायें हैं।

(७) इन स्कूलों की प्राचीन स्थापना के कारण एक विशेष प्रकार की अच्छी परम्परा विकसित हो गई है।

(८) अपनी प्रसिद्धि के कारण उन पब्लिक स्कूलों में दूर-दूर से आने वाले छात्र प्रवेश पाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी धनवान पुरुष अपने

1. Day Public School. 2. St. Paul's, Westminister and, Merchant Taylor's are in London and are mainly 'Day School.'

बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए ईटो, रगबी इत्यादि पब्लिक स्कूलों मे भेजते हैं।

(६) इन पब्लिक स्कूलों मे अधिकतर धनवान घरों के बच्चे आते हैं और प्रविष्ट होने के पहले प्रीप्रेटरी स्कूल मे पढकर आते हैं। अधिकांश बच्चे अधिक बुद्धि वाले और धनवान घरों के अच्छे वातावरण से आते है जहाँ मानसिक विकास के लिए पर्याप्त सुविधायें भी होती हैं क्योकि धनवान होने के कारण उनके संरक्षक सभी प्रकार के उचित साधनो का आयोजन कर सकते हैं।

१०—इन स्कूलों की शिक्षा-विधि की उत्तमता

इन स्कूलों मे हाउस (House) और प्रीफेक्ट (Prefect) विधियो का प्रचलन है यद्यपि आजकल इंगलैंड के अधिकाश दूसरे प्रकार के स्कूलों ने इन विधियों को अपनाया है, परन्तु इस प्रणाली का आरम्भ पब्लिक-स्कूलो से ही हुआ है। इस प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय 'रगबी' पब्लिक स्कूल के हैडमास्टर डाक्टर आरनोल्ड को है।

हाउस-प्रणाली के अनुसार प्रत्येक स्कूल की विद्यार्थी-सख्या का लम्बरूप (Vertically) विभाजन किया जाता है। प्रत्येक समूह मे लगभग ५० छात्र होते हैं जिसमें सभी कक्षा के विद्यार्थी हो सकते हैं क्योकि लम्बरूप विभाजन मे विद्यार्थी की श्रेणी तथा अवस्था का ध्यान नहीं रक्खा जाता है। ये सभी छात्र हाउस-मास्टर की संरक्षकता मे रहते हैं, तथा विद्यार्थियो और हाउस मास्टर मे निकट सम्पर्क रहता है। इन ५० या ६० विद्यार्थियों को साथ रहने का अवसर मिलता है। साथ ही खेल और दूसरे कार्यों मे भाग लेने का सुअवसर मिलता है। हाउस-मास्टर अपने सरक्षण में रहने वाले प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से जानता है। छात्रों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए वह सभी सम्भव प्रयत्न करता रहता है। दैनिक जीवन मे प्रत्येक प्रकार की सहायता उसके द्वारा प्रदान की जाती है, और बच्चों की भलाई के लिए वह कुछ उठा नही रखता, वरन् सतर्कता से उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भलाई के सदैव कार्य करता रहता है। उनके स्वास्थ्योन्नति, चरित्र विकास और स्कूल-उन्नति की ओर हाउस-मास्टर का सदैव ध्यान रहता है। इस प्रकार के हाउसेज (Houses) पब्लिक स्कूलों के अति आवश्यक अंग हैं। इनके मेम्बर्स खेल-कूद आदि में प्रतियोगी होते हैं।

प्रीफेक्ट-प्रणाली (Prefect System) भी पब्लिक स्कूलों का मुख्य अग है। मुख्य रूप से इस प्रणाली के जन्मदाता 'रगबी' पब्लिक स्कूल के डा०

आरनोल्ड थे। इस प्रणाली के अनुसार स्कूल के उच्च कक्षा और अधिक अवस्था वाले कुछ छात्रों को निम्न कक्षा और कम अवस्था वाले छात्रों की देख-भाल करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। प्रीफेक्ट्स कुछ चुने हुए छात्र ही बनाये जाते हैं, और उनको अनुशासन, खेल, पुस्तकालय तथा स्कूल जीवन से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों का उत्तरदायित्व दिया जाता है। प्रीफेक्ट्स को अपने से छोटी अवस्था वाले छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। स्कूल के अनुशासन को ठीक रखने में इनसे पर्याप्त सहायता मिलती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों में उत्तरदायित्व, नेतृत्व और सामाजिक-गुणों का विकास करना प्रजातन्त्रीय-युग में अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है। 'प्रीफेक्ट्स' का चुनाव कभी-कभी छात्रों द्वारा होता है, और कभी-कभी इनकी नियुक्ति प्रधानाध्यापक द्वारा होती है। इस प्रणाली द्वारा आत्म-निर्भरता और रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यह प्रणाली भारतीय 'कक्षा-मानीटर-प्रणाली' से बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं (Co curricular activities) का बहुत महत्व है। खेलों का आयोजन भली प्रकार किया जाता है। इन खेलों के द्वारा ही बच्चों में समुदाय तथा सहयोग भावना सम्बन्धी वांछनीय गुणों का विकास होता है। क्रिकेट, रगबी फुटबाल, हाकी और टेनिस इत्यादि खेल खूब ही खेले जाते हैं। विद्यार्थियों को तैरने, नाव खेने की शिक्षा दी जाती है। अधिकतर खेले जाने वाले खेल समुदाय खेल (Team-games) होते हैं। इन खेलों द्वारा महत्वपूर्ण चरित्र-निर्माण की शिक्षा मिलती है, भिन्न भिन्न हाउसों में प्रतियोगितायें भी होती हैं। विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग इन खेलों द्वारा होता है, शारीरिक-व्यायाम तथा चरित्र-निर्माण के भी खेल उत्तम साधन हैं। आजकल कुछ स्कूल गायन-विद्या, आर्ट, हस्तकला पर भी पर्याप्त ध्यान देते हैं। इन सभी कार्यों द्वारा विद्यार्थियों के स्वाभाविक गुणों का पूर्ण रूप से विकास करना ही पब्लिक स्कूलों का मुख्य उद्देश्य है।

प्राचीन समय में दी हुई शिक्षा इन स्कूलों में उच्चकोटि के साहित्य की थी। पिछले ५ वर्षों से यह परम्परा कुछ बदल गई है, परन्तु अब भी उच्च-कोटि के ग्रन्थों के अध्ययन का महत्त्व है; परन्तु अब विद्यार्थियों को विज्ञान, लेकिन आधुनिक भाषाओं के पढ़ने का उतना ही अवसर प्राप्त होता है, जितना लैटिन तथा ग्रीक पढ़ने का। प्रत्येक कक्षा में लगभग २० विद्यार्थी होते हैं जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। फिर विद्यालयों में प्रविष्ट पाने के इच्छुक छात्रों को ४ या ५ के छोटे समूहों में पढ़ाया जाता है।

ये स्कूल आजकल के पेन्टिग, गायन-विद्या तथा ड्रामा इत्यादि की शिक्षा भी देते हैं। विद्यार्थियो मे कुछ कार्यों मे विशेष रुचि विकसित करने का भी प्रयत्न किया जाता है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पब्लिक स्कूलो की इतनी विस्तृत ख्याति का श्रेय यहाँ के प्रधान अध्यापकों को है। डा० आरनोल्ड का नाम इंगलैंड के शिक्षा-इतिहास मे आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अधिकतर प्रधान अध्यापक ऐसे हैं जिन्होने शिक्षा के क्षेत्र मे राष्ट्रीय-स्तर पर ख्याति प्राप्ति की है। ये प्रधान अध्यापक ही सहायक अध्यापको की नियुक्ति करते हैं और उन्हे नौकरी से अलग करने का भी अधिकार होता है। यदि प्रधान अध्यापक अपने विचारो से स्टाफ तथा गवर्निंग बॉडी को प्रभावित कर सकता है, तो उसके श्रेयादर्श सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकते हैं।

बहुत से इन स्वतन्त्र पब्लिक स्कूलों का किन्ही विशेष धार्मिक सम्प्रदायो से निश्चित सम्बन्ध होता है। धार्मिक शिक्षा इनका आवश्यक अंग है और स्कूल के गिर्जे मे प्रार्थना अनिवार्य है। ६१ पब्लिक स्कूलो का इगलैंड के चर्च से, ७ पब्लिक स्कूलों का रोमन कैथोलिक चर्च से सम्बन्ध है। शेष स्कूल प्रोटेस्टेंट डिसेन्टर्स तथा चर्च आफ वेल्स से सम्बन्धित है। तीन पब्लिक स्कूल्स मैथोडिस्ट कान्फ्रेंस से सम्बन्ध रखते हैं। यहाँ धार्मिक-शिक्षा चरित्र-शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है।

इंगलैंड के पब्लिक स्कूल का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण 'गवर्निंग बोर्डी' के हाथ में होता है। 'पब्लिक' शब्द का अर्थ यहाँ यह नही है कि यह स्कूल राज्य के नियन्त्रण मे हैं या सभी वर्ग के लोगो को यह शिक्षा प्रदान करते हैं। इंगलंड के पब्लिक स्कूल केवल धनवान व्यक्तियो के बच्चो को शिक्षा देते हैं। इसलिए कुछ लोगों की राय में इनका वर्तमान नाम 'पब्लिक-स्कूल' उपयुक्त नही है। वास्तव मे ये वैयक्तिक और निजी (Private) हैं।

इंगलैंड के पब्लिक स्कूलों के विषय में एडवर्ड गिबन ने अपने स्मृति पत्रो मे गर्व के साथ लिखा था :—

"I shall always be ready to join in the opinion that our Public Schools which have produced so many eminent characters, are the best adapted to the genius and constitution of English People."

लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित किये हुए पब्लिक स्कूलो की संख्या इंगलैंड और वेल्स मे इस समय ८० है। ये स्कूल लडको को शिक्षा प्रदान करने वाले पब्लिक स्कूलो के आदर्श पर स्थापित किये गए हैं। इनमे से बहुत कम की स्थापना हुए १०० वर्ष से अधिक हुए हैं। पाठ्यक्रम के विषयों

में भी कोई अन्तर नहीं है और अनेकों सहेलियाँ इस शिक्षा के बाद विश्व-विद्यालयों मे प्रवेश पाती है।

१९४४ के शिक्षा एक्ट ने पब्लिक स्कूलो की स्वतन्त्रता मे अधिक हस्तक्षेप नही किया है परन्तु सभी निजी तथा स्वतन्त्र स्कूलों का अब हर मैजेस्टीज इन्स्पेक्टर्स द्वारा निरीक्षण होता है। इनमे से कुछ अब आंशिक रूप से सरकारी आर्थिक सहायता भी पाते है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी योग्य बच्चों को पब्लिक स्कूल मे अध्ययन करने के लिए आर्थिक सहायता भी देते है।

प्रीपेरेटरी (Preparatory School) भी पब्लिक स्कूलों के भाग है, वे पब्लिक स्कूलो की तरह है प्रीपेरेटरी स्कूल भी है। यदि बच्चा बोर्डिंग पब्लिक स्कूल मे प्रवेश चाहता है तो वह ८ या १० वर्ष की अवस्था में बोर्डिंग प्रीपेरेटरी स्कूल मे जायगा। कुछ पब्लिक स्कूलों के निजी प्रीपेरेटरी स्कूल होते हैं, परन्तु इनमें से अधिकाश निजी और उनमे सम्बन्धित हैडमास्टरो की सम्पति है। ये प्रीपेरेटिरी स्कूल 'पब्लिक स्कूलों' के आदर्श पर ही चलते हैं क्योंकि ये पब्लिक-स्कूलो' मे प्रविष्ट पाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करते हैं और बच्चे ८ वर्ष की अवस्था से १३ वर्ष की अवस्था तक इनमे अध्ययन करते है। ये छोटे ही स्कूल होते हैं और इनमें कम से कम ५० से १०० तक विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं।

इन प्रीपेरेटरी स्कूलो के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला यह कि इनमें अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी पब्लिक स्कूलों द्वारा आयोजित कामन-एन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन[1] पास कर सकें, जिससे पब्लिक स्कूलो में वे प्रवेश पा सकें और इनमें से अधिक योग्य विद्यार्थी पब्लिक स्कूलों द्वारा दी हुई छात्र-वृत्तियाँ प्राप्त कर सकें। यह बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रीपेरेटरी स्कूल भी पब्लिक स्कूलो की तरह निजी और स्वतन्त्र होते हैं।

प्रोग्रेसिव स्कूल (Progressive Schools):—निजी और स्वतन्त्र प्रकार के दूसरे प्रोग्रेसिव स्कूल हैं। इनसे अधिकतर पब्लिक स्कूलो की तरह छात्रा-वास स्कूल हैं परन्तु अन्य सभी बातों में पब्लिक स्कूलों से भिन्न हैं, उदाहरणार्थ पब्लिक स्कूल प्राचीन-विधियों में अधिक श्रद्धा रखते हैं और प्रोग्रेसिव स्कूल इससे भिन्न नई विधियों का अधिक स्वागत करते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल में सह शिक्षा होती है परन्तु पब्लिक स्कूल इसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते। पब्लिक स्कूल अपने विद्यार्थियो पर बेंत और शारीरिक दण्ड द्वारा कड़ा अनुशासन रखते हैं और प्रोग्रेसिव स्कूल विद्यार्थियों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता देते हैं और शारीरिक दण्ड को घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

---

1. Common Entrance Examination.

प्रोग्रेसिव स्कूलों को आरम्भ हुए १०० वर्ष से अधिक नही हुए, बहुत मे इसी शताब्दी में स्थापित हुए हैं। ये स्कूल ऐसे व्यक्तियो द्वारा आरम्भ हुए जो उस समय के स्कूलो से असन्तुष्ट थे कुछ प्रोग्रेसिव स्कूलो के सस्थापन मे धार्मिक संस्थाओं, थियोसोफिस्टस और सोसाइटी आफ फ्रेंड्स ने भी बहुत सहयोग दिया। ये स्कूल व्यक्तिगत हैं, हैडमास्टरो और प्रिंसीपलों के व्यक्तित्व की विभिन्नता के कारण स्कूलों मे भी विभिन्नता मिलती है यदि वह स्कूल छोड़ देना है तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में स्कूल बिलकुल विभिन्न प्रकार का हो जाता है; परन्तु मुख्य आधारभूत सिद्धान्त सभी शिक्षालयों में एक से ही होते हैं। लड़के और लड़कियाँ प्रारम्भ से ही साथ-साथ अधिक से अधिक स्वतन्त्रता मे पालित-पोषित किये जाते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी समान-स्तर पर ही एक दूसरे से मिलते हैं। कक्षाओं में विद्यार्थियो की उपस्थिति भी ऐच्छिक होती है और बच्चो को अपने अध्ययन के लिए पाठ्य-क्रम चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।

कला, गायन-विद्या तथा पेन्टिंग इत्यादि को अधिक महत्व दिया जाता है। परन्तु इसके साथ ही साथ चमड़े का कार्य, सुई तथा बर्तन बनाने का कार्य, जिल्द बाँधना तथा लकड़ी का कार्य कम महत्वपूर्ण नही है। रविवार बहुधा घूमने तथा शिविर-क्रियाओ मे व्यतीत किया जाता है। खेल खेले जाते हैं। लेकिन पब्लिक स्कूलो के समान अत्यधिक जोर उन पर नही दिया जाता है, परन्तु आधुनिक शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहन दिया जाता है। वास्तव मे इन स्कूलों का पूर्ण दृष्टिकोण अधिक सीमा तक बुद्धिमानी और आदर्शवाद पर आधारित रहता है। ऐसे स्कूलो मे बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है और उनका दृष्टिकोण अधिक विस्तृत और व्यापक होता है। इन स्कूलों के कुछ विचार, सिद्धान्त और शिक्षा विधियाँ दूसरे स्कूलो ने अपनाई है। उदाहरणार्थ सभी प्रकार की हस्त-कला का विचार सभी स्कूलों ने लाभदायक समझकर स्वीकार कर लिया है। इन स्कूलो में पब्लिक स्कूलो के समान ही छात्रों को अधिक धन व्यय करके शिक्षा प्राप्त करनी होती है क्योंकि इनमे बालकों की सख्या के अनुपात से कही अधिक अध्यापक रखने पड़ते हैं। इसलिए ये स्कूल भी पब्लिक स्कूलो के समान केवल धनी व्यक्तियों के बच्चो को शिक्षा प्रदान करते है और राज्य द्वारा आयोजित स्कूलो मे जाने वाले बच्चों के बहुत से संरक्षक ऐसे प्रोग्रेसिव स्कूलो के विषय मे कुछ भी नही जानते।

इस समय इतनी शीघ्रता से नहीं कहा जा सकता कि इन स्कूलो का प्रभाव भविष्य मे कितना होगा? यह निश्चित है कि शिक्षा के क्षेत्र मे नवीन विचारो का प्रवेश इन स्कूलों द्वारा होता रहेगा।

पब्लिक-स्कूल और उनकी आलोचना—द्वितीय युद्ध के समय जब लोगों में लोकतान्त्रिक-भावना का अधिक विकास हुआ, इंगलैंड के पब्लिक स्कूल जन-साधारण के वाद-विवाद का विषय हो गये। लोगों द्वारा व्यक्त किए विचारों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजन किया जा सकता है।

प्रथम श्रेणी उन अल्प-संख्यक लोगों की थी जो पब्लिक स्कूलों के पुराने छात्र रह चुके थे और इन स्कूलों की समालोचना तथा बुराई करने वालों को ये पुराने छात्र अप्रसन्नता की दृष्टि से देखते थे। इन पब्लिक स्कूलों के पुराने छात्रों की राय में पब्लिक स्कूलों द्वारा प्रदान की हुई शिक्षा अति उत्तम, पूर्ण-रूप से आदर्श थी। पब्लिक स्कूल पवित्र हैं और राज्य को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये छात्र पब्लिक स्कूलों के विषय में किसी प्रकार की आलोचना नहीं सुनना चाहते थे। उनके विचार से पब्लिक स्कूलों की बुराई, आलोचकों के द्वेष, अज्ञानता, जलन और दुर्भावना के कारण उत्पन्न हुई है।

द्वितीय श्रेणी उन लोगों की थी, जो साहस पूर्वक कहते थे कि प्रजा-तंत्रीय-राज्य में 'पब्लिक-स्कूल' अरक्षणीय हैं और उनको प्रजातंत्रीय समुदाय में बनाये रखना भारी त्रुटि है, उन्हें शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देना चाहिये। उनको समाप्त करना ही इस समस्या का हल करने का सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि पब्लिक स्कूल 'जन-साधारण' की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा न करके केवल कुछ उच्च धनी-वर्ग के बच्चों को शिक्षा देते हैं। पब्लिक स्कूल सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा दें, यदि यह सम्भव नहीं, तो उन्हें समाप्त करना ही समस्या हल करने का सर्वोत्तम उपाय है।

तृतीय श्रेणी के वह व्यक्ति हैं जो दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों की तरह ही इन स्कूलों की कटु-आलोचना करते हैं। उनकी राय में पब्लिक स्कूल छात्रों पर दूषित नैतिक प्रभाव डालते हैं और जीवन के मूल्यों का त्रुटिपूर्ण मान-दण्ड देते हैं। इनमें शिक्षित छात्र 'खेलों में दक्षता' को ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समझते हैं। अहंकार तथा असभ्यता के वातावरण को प्रदान कर ये पब्लिक स्कूल समाज के लिए अहंकारी व्यक्ति उत्पन्न कर रहे हैं। पब्लिक स्कूल राष्ट्र के लिए इतने व्यर्थ हैं कि उनकी ओर बिल्कुल 'ध्यान न देना' ही, सबसे अच्छी नीति होगी और उनको 'भाग्य के भरोसे' और उनके साधनों के आधारों पर ही छोड़ देना चाहिए। स्वभावतः उनका प्रभाव और संख्या कम हो जायगी और बहुत से इस प्रकार समाप्त भी हो जायेंगे।

इन अन्तिम भावों के अपनाने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी उन बहु-संख्यकों की थी जिनका दृढ़ विश्वास था कि पब्लिक स्कूल राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण देन हैं और राष्ट्र की उन्नति में उनका महान् योग है। उनका

नष्ट करना राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। उनके नष्ट करने, राज्य को दे देने तथा 'भाग्य के भरोसे' उनको अपने साधनों पर छोड़कर समाप्त कर देने से राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होगा, वरन् हानि अधिक होगी। इन व्यक्तियो ने अपने विचार पब्लिक स्कूलो के विषय में अधिक रचनात्मक-विधि से प्रकट किए और अधिकतर लोग इनसे सहमत हो गये। इन व्यक्तियो की राय मे इंगलैंड के पब्लिक स्कूल एक श्रेष्ठ परम्परा का प्रतिनिधित्व करते है जो एक विशेष प्रकार की शिक्षा मे आस्था रखती है और इन उत्तम और महान् स्कूलो का प्रतिरूप संसार के किसी भाग मे नही मिलता। इन लोगो की राय मे पब्लिक स्कूल शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगो का ही विशेषाधिकार और एकाधिपत्य नही होना चाहिये क्योकि यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तो के प्रतिकूल है, परन्तु यदि धनवान् व्यक्ति इस बात के इच्छुक है कि वह अपने साधन जुटाकर अपने बच्चो को इच्छानुसार शिक्षा दें, तो यह अनुचित बात नही। उन्हें ऐसा करने से रोकना उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर असहनीय नियन्त्रण होगा। डोनेल्ड ह्यूज के विचार मे "पब्लिक स्कूल उस श्रेष्ठ ब्रिटिश जीवन और समाज का महत्वपूर्ण अङ्ग है जिसका विकास शनैः शनैः और धैर्य्य के साथ किया गया है।' मेरी राय मे इंगलैंड को अधिक उत्तम और प्रभावशाली शिक्षा की आवश्यकता है। भविष्य में हमें अवश्य ही उत्तम और आदर्श शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की आवश्यकता होगी। यह उचित होगा कि इस देश के दूसरे प्रकार के विद्यालय इन महान् पब्लिक विद्यालयो से प्रोत्साहन प्राप्त कर अपना कार्य अधिक उत्तम और प्रभावशाली बनायें। शिक्षा-क्षेत्र मे 'पब्लिक शिक्षालय' दूसरे काउन्टी तथा वोलेन्टरी शिक्षालयो के लिये आदर्श प्रदान कर उन्हें अच्छा कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करते रहेंगे।

"पब्लिक शिक्षालयों की शिक्षा से अधिक छात्र लाभ उठायें और उन्हे किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का भाग बनाया जाय।" वर्तमान समस्या यह है कि किस प्रकार पब्लिक शिक्षालय तथा राष्ट्रीय प्रणाली के शिक्षालयो के सम्पर्क को अधिक घनिष्ठ बनाया जाय। इन दोनों प्रणालियों के सम्पर्क बिन्दुओं को किस प्रकार विस्तृत और घनिष्ठ बनाया जाय जिससे दोनों प्रणालियो में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। इस समस्या पर 'फ्लेमिंग-कमेटी' (१६४२) ने विचार करके हल ज्ञात करने का प्रयत्न किया, तथा १६४४ मे कुछ लाभदायक अनुमतियाँ दी। इस कमेटी ने पब्लिक शिक्षालयों मे दी जाने वाली शिक्षा की प्रशंसा की कमेटी का राय मे इन शिक्षालयो की समाप्ति करना बहुत बड़ी भूल होगी परन्तु सरकारी स्कूलो तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षालयो से पब्लिक शिक्षालयों का निकट सम्बन्ध स्थापित

किया जाय। ऐसी सम्पर्क विधि स्थापित की जानी चाहिये जिससे बालकों की अधिक संख्या प्रायमरी पाठशालाओं से पब्लिक शिक्षालयों में प्रविष्ट की जा सके। इसी विधि से बालकों के संरक्षकों को राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाय या ऐसे बच्चों से पब्लिक स्कूलों में कम फीस ली जाय। पब्लिक स्कूलों को कम से कम २५ प्रतिशत छात्र राज्य स्कूलों से प्रविष्ट करना चाहिये। इन छात्रों का चुनाव स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जाना चाहिये। स्थानीय शिक्षा अधिकारी इनकी फीस दें और संरक्षकों को इनके छात्रावास व्यय का कुछ भाग देना हो। इस धन की देन संरक्षक की आय पर निर्भर रहेगी।

फ्लेमिंग कमेटी ने यह सिफारिश की कि राज्य द्वारा बहुत से नये छात्रावास खोले जांय जो पब्लिक स्कूलों की विधियों पर ही शिक्षा प्रदान करें। कमेटी ने यह सिफारिश भी की कि योग्य बालकों को पब्लिक स्कूल शिक्षा का अवसर देना चाहिये चाहे उनके माँ-बाप निर्धन ही क्यों न हों। जो राज्य सहायता से ही सम्भव हो सकता है।

फ्लेमिंग-कमेटी ने उन सभी सम्भव विधियों को ढूंढा जिससे 'पब्लिक स्कूल' तथा 'राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के स्कूल' निकट सम्पर्क में आ सकें। उदाहरणार्थ इस कमेटी को एक समस्या का सामना करना पड़ा। प्राइमरी स्कूल से सेकिण्डरी स्कूल में स्थानान्तरित होने की आयु ११ + थी, परन्तु पब्लिक स्कूलों में प्रवेश आयु १३ + थी। कमेटी ने राय दी कि इस समस्या के हल करने की विधि यह भी हो सकती है कि विद्यार्थी को पब्लिक स्कूल छात्रावास में भेजने के निर्णय को दो वर्ष स्थगित करके उसे ग्रामर स्कूल की निम्न कक्षाओं में पढ़ाया जाय। यदि ११ वर्ष की अवस्था ही में स्थानान्तरित करने का निर्णय कर लिया गया है, तो विद्यार्थी को किसी 'प्रीपेरेटरी-स्कूल' में भेजा जा सकता है।

(अ) स्कीम कमेटी ने यह सिफारिश की कि शिक्षा विभाग ऐसे एसोसिएटेड स्कूलों की सूची तैयार करें जो सीधे राज्य से सहायता पाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित होकर अपना कार्य करना चाहते हैं। यदि उनको इस विधि द्वारा एसोसियेटेड स्कूल बना लिया जाय तो उन्हें शिक्षा शुल्क समाप्त कर देना होगा या संरक्षकों की आयु के अनुसार उसकी दर निर्धारित कर देनी पड़ेगी। यदि किसी संरक्षक की आय बहुत कम हुई तो शिक्षा-शुल्क से उसे मुक्त करना पड़ेगा। यह शिक्षा-शुल्क तथा छात्रावास व्यय स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जायगा।

(ब) स्कीम उन स्कूलों के लिए है जिन्हें बोर्ड स्वीकार करले और केवल

उन छात्रावास स्कूलों के लिए लागू होता है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलते हैं। ऐसे छात्रों को जो योग्य हैं और कम से कम दो साल तक राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल में अध्ययन कर चुके हैं, राज्य द्वारा पब्लिक बोर्डिङ्ग स्कूल में जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जायगी। इस (ब) स्कीम वाले स्कूल २५ प्रतिशत आर्थिक दाखिले इन प्राइमरी स्कूलों से आने वाले छात्रों को देंगे। इस दाखिले की योजना प्रति ५ व ' पश्चात् परिवर्तित की जा सकती है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी को इन विद्यालयों मे स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। संरक्षकों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ठीक प्रकार प्रार्थना पत्र देना होगा।

वास्तव में यह उचित होगा कि इंगलैंड के पब्लिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अधिक निकट बनाकर उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाय। उनको समाप्त करना बड़ी भूल होगी क्योंकि यह वास्तव में राष्ट्र के लिए शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते रहे हैं, और शिक्षा द्वारा महान् पुरुषों का निर्माण किया है। प्रत्येक देश में ऐसे आदर्श स्कूल यदि हो तो और विद्यालय भी उनसे प्रोत्साहन प्राप्त कर अपना कार्य सुधार सकते है।

इंगलैंड के स्कूलों का विभाजन और भी कई प्रकार से किया जाता है। उपर्युक्त विभाजन उनके द्वारा विशेष प्रकार की शिक्षा दिए जाने के आधार पर किया गया है। मुख्य रूप से उन सभी स्कूलों (प्राइमरी तथा सेकिन्डरी) का विभाजन निम्नांकित आधार पर किया जाता है।

(१) ऐसे प्राइमरी तथा सेकिन्डरी स्कूल जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा चलाये जाते है (और जो नर्सरी तथा 'विशेष स्कूल' नहीं हैं), ऐसे स्कूल 'काउन्टी-स्कूल' कहलाते हैं।

(२) यदि स्वेच्छा संस्था द्वारा कोई विद्यालय प्रारम्भ से चलाया गया हो, और इस समय 'स्थानीय शिक्षा अधिकारी' द्वारा सहायता प्राप्त हो तो उसे वालिन्टरी स्कूल कहेंगे। इन वालिन्टरी स्कूलों की तीन श्रेणियाँ होगीं। विभिन्न श्रेणियाँ—कन्ट्रोल्ड स्कूल, एडेड स्कूल तथा स्पेशल एग्रीमेंट स्कूल हैं।

(३) ऐसे स्कूल जो सीधे केन्द्र से सहायता पाते है, वे 'सीधे सहायता प्राप्त' (Direct Grant Schools) कहलाते हैं। स्थानीय शिक्षा अधिकारी से इन्हें आर्थिक सहायता नही मिलती।

(४) चौथे प्रकार के स्वतन्त्र तथा निजी स्कूल हैं, उदाहरणार्थ प्रीपेरेटरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल तथा दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं।

स्थापना, प्रबन्ध तथा आर्थिक-सहायता देने के आधार पर स्कूलों का विभाजन

(प्राइमरी तथा माध्यमिक)

(A) आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूल

नर्सरी स्कूल [स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित या ऐच्छिक संस्थाओं (Voluntary Bodies) द्वारा स्थापित किये हुए]

- काउन्टी स्कूल (राज्य, स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित किये हुए तथा उनसे पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त)
- वोलेन्टरी स्कूल तीन प्रकार के
  - (१) सहायता प्राप्त वोलेन्टरी स्कूल (Aided Voluntary School)
  - (२) नियन्त्रित वोलेन्टरी स्कूल (Controlled Voluntary School)
  - (३) विशेष सहमति स्कूल (Special Agreement School)

(B) स्वतन्त्र स्कूल

(१) नर्सरी तथा किंडरगार्टन
(२) प्रीपेरेटरी-स्कूल
(३) पब्लिक-स्कूल
(४) स्वतन्त्र ग्रामर स्कूल
(५) अन्य

(C) सीधे केन्द्रीय कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूल (Direct Grant Schools)

अध्याय ७

अग्रिम-शिक्षा (Further-Education)

इंगलैंड में 'अग्रिम-शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक, महत्वपूर्ण तथा विभिन्नता-पूर्ण है। १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने इसे और भी महत्त्व दिया है। यह बात स्मरणीय है कि सन् १९४४ से पहले अग्रिम शिक्षा कन्टी नियुनेशन स्कूलों (Continuation School), और टैक्नीकल स्कूलों में प्रदान की जाती थी। दिन में नौकरी करने वाले व्यक्ति सायंकालीन कन्टीनियुएशन स्कूलों में अध्ययन करने जाया करते थे। इन सायंकालीन स्कूलों का कार्य कई दृष्टिकोणों से अधिक महत्वपूर्ण था। वास्तव में ये स्कूल अधिक अवस्था वाले उन व्यक्तियों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करते थे जिनको प्रारम्भिक जीवन में स्कूल-शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ था। सन् १८७० ई० के बाद परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हुआ। क्रास-कमीशन[1] ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार के स्कूलों की अब भी आवश्यकता थी, परन्तु धीरे-धीरे यह आवश्यकता कम हो रही थी। इस कमीशन ने सायंकालीन कक्षाओं को शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा देने का उत्तम साधन समझा। वर्किंग मेन्स कालेज (Working Men's College) की स्थापना सन् १८५४ में हुई थी,

1. Cross Commission.

और इनकी अधिकतर कक्षाएं सायंकाल में हुआ करती थी। बर्मिंघम तथा शिफील्ड इन्स्टीट्यूटों ने अपना सायंकालीन कक्षा विभाग आरम्भ किया।

सन् १८७० से विश्वविद्यालय प्रसार आन्दोलन ने भी अग्रिम-शिक्षा प्रोत्साहन में पर्याप्त योग दिया। यह स्मरणीय है कि मिस क्लफ (Miss Clough) ने उत्तरी इंग्लैंड के बड़े बड़े नगरों में स्त्रियों के लिए भाषणों का आयोजन किया। जेम्स स्टुअर्ट ने भी इंग्लैंड के उत्तरी भाग के नगरों में स्त्रियों तथा नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भाषण दिये। विश्वविद्यालय प्रसार-व्याख्यानों ने भी अग्रिम शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। इन व्याख्यानों का सम्बन्ध मुख्य रूप से साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक विषयों से था, कभी-कभी ये दर्शन तथा विज्ञान के विषय में भी होते थे। इन व्याख्यानों ने वास्तव में विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय-जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान का ज्ञान कराया और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के गहन उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया। आर्नोल्ड टोयनबी[1] ने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में अधिक रुचि प्रकट की, और लन्दन के पूर्वी भागों में थोड़े समय में ही मजदूर-वर्ग की प्रशंसा के पात्र बन गये। आजकल का टायनबी-हाल उनके अमूल्य कार्य और त्याग की स्मृति दिलाता है।

पिछले १०० वर्षों से यह 'जारी रहने वाली शिक्षा'[2] काम करने के घण्टों के बाद सायंकाल में विभिन्न रूपों में दी जाती रही है। दी मैकेनिक्स इन्स्टीट्यूट (The Mechanic Institute) ने भी अपना शिक्षा कार्य सायंकाल में आरम्भ किया था। सन् १८२६ से ऐसे विभिन्न प्रकार के स्कूल जो अग्रिम-शिक्षा प्रदान करते थे उनको अधिकार पूर्वक 'ईवनिंग इन्स्टीट्यूट' कहा जाने लगा। बीसवीं शताब्दी में इन विद्यालयों में आधुनिक प्रकार की टैक्नीकल और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाने लगी। विश्वविद्यालयों ने प्रसार-आन्दोलन के आरम्भ-काल से अब तक प्रौढ़-शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है। केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के के जेम्स स्टुअर्ट ने विश्वविद्यालय शिक्षा का लाभ स्त्रियों को उपलब्ध कराने के प्रशंसनीय प्रयत्न और आन्दोलन किये। परन्तु इन आन्दोलनों को डा० अलबर्ट मान्सब्रिज द्वारा सन् १९०३ में स्थापित की हुई दी वर्कर्स एजुकेशनल एसोसियेशन[3] से और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। इस एसोसियेशन का उद्देश्य मजदूर वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों को विश्वविद्यालय अध्यापकों के निर्देशन में विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त कराना था, और विश्वविद्यालयों के सहयोग से इन संस्थाओं ने अमूल्य कार्य किया।

---

1. Arnold Toynbee (1852—83). 2. Continuctive Educaion. 3. The Workers Educational Association (Briefly known as W. E. A.)

सर रिचार्ड लिविंग्स्टन ने डेनमार्क के (Folk schools) आदर्श पर ही प्रौढ़-शिक्षा के लिए कालेजों की स्थापना की राय दी। यह कालेज स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा चलाये जायेंगे और सांस्कृतिक तथा औद्योगिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

केम्ब्रिजशायर में कुछ समय पहले ही ग्राम्य-कालेज आन्दोलन'[1] का आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इन कालेजों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्राम्य-निवासियों को उत्तम शिक्षा प्रदान की जाय और कई गाँवों का एक समूह मिलकर ऐसे कालेजों की स्थापना करे। बड़े-बड़े गाँवों में सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना की जाय और वहाँ ग्राम्य कालेज हों। इन गाँवों में एक सार्वजनिक पुस्तकालय, व्यायाम-शाला, तैरने और नहाने का तालाब भी हो। इन कालेजों में मनोरंजन आदि साधनों का भी उचित आयोजन हो।

प्रौढ़ शिक्षा आजकल के लोकतांत्रिक युग में अति आवश्यक है और इंगलैंड ने इस शिक्षा के महत्व को भली भाँति समझा है। ईवनिंग इन्स्टीट्यूट्स ने इस शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। परन्तु प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में कुछ ऐसे कालेज भी हैं जो प्रौढ़ों को पूर्ण समय छात्रावासों में रहने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इस समय आक्सफोर्ड में स्थित रस्किन कालेज (Ruskin College) इसी प्रकार का है। यह बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन है। इस प्रकार के लगभग १० कालेज हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। डेनमार्क तथा स्वीडेन की जनता के हाईस्कूलों के आदर्श पर स्थापित किए हुए स्कूलों में रुचि दिखलाई जा रही है। सर रिचार्ड लिविंग्स्टन के शब्दों में 'प्रौढ़-शिक्षा का क्षेत्र' राष्ट्र के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहेगा।

प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली मुख्य संस्थायें निम्नांकित हैं :

(१) दी वर्कर्स एजूकेशन एसोसियेशन।
(२) इन्स्टीट्यूट आफ अडल्ट एजूकेशन।
(३) दी एजूकेशनल सेटिलमेन्ट एसोसियेशन।
(४) दी वीमेन इन्स्टीट्यूट्स।
(५) दी रूरल कम्यूनिटी काउन्सिल।
(६) दी नेशनल अडल्ट स्कूल यूनियन।
(७) यूनीवर्सिटी एक्सटेन्शन डिपार्टमेंट।
(८) दी ग्राम्य-कालेज।

1. Village College Movement.

(९) दी काउन्टी कालेज।

(१०) रेजीडेन्स अडल्ट एजूकेशन कालेज। जैसे, रस्किन कालेज, आक्सफोर्ड।

(११) यंग-मैन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन।

(१२) यंग-वोमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन।

(१३) ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन की रेडियो वार्ता (B.B.C.)

(१४) स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित ईवनिंग कक्षायें।

'अग्रिम-शिक्षा' शब्द का वास्तव मे बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक अर्थ है। सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट के शब्दो मे प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकार का कर्त्तव्य होगा कि वह 'अग्रिम-शिक्षा' के लिए अपने क्षेत्र में पर्याप्त शिक्षा सुविधाओं का प्रबन्ध करे अर्थात् (अ) स्कूल की अनिवार्य अवस्था से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिये पूरे समय तथा थोडे समय की शिक्षा का प्रबन्ध अर्थात् १५ वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का आयोजन; (ब) अवकाश प्राप्त या खाली समय मे किसी काम में लगाना। ऐसी सास्कृतिक शिक्षा तथा मनोरंजक क्रियाओं का आयोजन करना जो उनकी आवश्यकता के उपयुक्त हों। ऐसी अनिवार्य अवस्था के ऊपर की आयु वाले छात्र ऐसी सुविधाओ से लाभ उठाने के लिए इच्छुक भी होने चाहिए। १५ वर्ष से १८ वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए काउन्टी कालेजों की स्थापना करना जो नवयुवकों के लिए 'अग्रिम-शिक्षा' का आयोज करें। इस प्रकार 'अग्रिम-शिक्षा' का अभिप्राय उन सभी मानवीय-क्रियाओ से है जिसमें किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति भाग लेते हैं। इन शिक्षा सुविधाओ का आयोजन करना 'स्थानीय शिक्षा अधिकारी' का कर्त्तव्य है। इन सुविधाओं में मनोरंजन, सामाजिक और शारीरिक शिक्षा की सुविधायें इत्यादि सम्मिलित हैं। यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि 'अग्रिम-शिक्षा' का क्षेत्र असीमित है, केवल यह कहा जा सकता है कि यह उनके लिए है जिन्होंने १५ वर्ष की अवस्था के बाद स्कूल छोड़ दिया है। शिक्षा मत्रालय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के परस्पर सहयोग से इन शिक्षा सुविधाओ का आयोजन होता है। इस अग्रिम-शिक्षा क्षेत्र में बहुत सी स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थायें भी सहयोग देती हैं। कम अवस्था वाले नवयुवकों के लिए बहुत सी युवा-संस्थायें शिक्षा सुविधा प्रदान करने का कार्य करती हैं। अधिक अवस्था वाले नवयुवकों के लिए 'उद्योग तथा व्यापार' प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त होता है। इसमे मिल-मालिक, उद्योगपति तथा कार्य करने वाले मजदूर सभी का सहयोग आवश्यक है। प्रौढ़-शिक्षा सुविधायें प्राप्त कराने मे विश्वविद्यालय और कुछ प्राचीन समय

से स्थापित स्वेच्छा संस्थायें सहयोग से कार्य करती हैं। प्राचीन समय से स्थापित मुख्य स्वेच्छा-संस्था का उदाहरण वर्कर्स एजूकेशनल एसोसियेशन (Worker's Educational Association) है जिसने प्रौढ़-शिक्षा-प्रसार में पर्याप्त सहयोग दिया है।

वास्तव में अग्रिम-शिक्षा' का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। व्यवस्थापित विधान के अनुसार प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अग्रिम शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का आयोजन करें अर्थात्

(म) पूर्ण तथा आंशिक समय की शिक्षा उन व्यक्तियों के लिये जो १४ वर्ष से अधिक है तथा ब, अवकाश प्राप्त या खाली समय में सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी क्रियायें। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की क्रिया जो वयस्क तथा किशोरावस्था के व्यक्तियों द्वारा की जाती है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी विश्वविद्यालयों शिक्षा-संस्थाओं और दूसरी संस्थाओं द्वारा प्रदान की हुई सुविधाओं का ध्यान रखती हैं और एक दूसरे से सम्पर्क रखती हुई परामर्श करती रहती हैं। वास्तव में इस प्रकार के परामर्श के पश्चात् वह अपनी योजना शिक्षा-मंत्रालय को देती हैं तथा यह प्रदर्शित करती हैं कि किस प्रकार वे इस बड़े उत्तर-दायित्व का निर्वाह करेंगी। १९४४ शिक्षा-एक्ट के अनुसार स्थानीय शिक्षा अधिकारी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपने क्षेत्र में प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा अग्रिम-शिक्षा का आयोजन करेंगी। इस प्रकार की सुविधाओं में मनोरंजन, सामाजिक, शारीरिक-शिक्षा आदि की सुविधायें भी सम्मलित हैं।

यह स्पष्ट है कि 'अग्रिम-शिक्षा कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, केवल यह कहा जा सकता है कि यह उन व्यक्तियों के लिये है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।

अग्रिम-शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा-मंत्रालय तथा स्थानीय-शिक्षा प्राधिकारी तो कार्य करते ही हैं, परन्तु ये दोनों ही विभिन्न प्रकार की ऐच्छिक तथा स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं के सहयोग में भी कार्य चलाती हैं। कम अवस्था स्तर पर बहुत से नवयुवक-संघ तथा संस्थायें जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। उदार प्रौढ़शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा बहुत सी अन्य ऐच्छिक शिक्षा-संस्थायें सहयोग के आधार पर कार्य करती हैं। किन्हीं क्षेत्रों में औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी समय-समय सहयोग देते रहते हैं।

यह स्पष्ट है कि शिक्षा-मंत्रालय के नियम केवल सामान्य रूप से बनाये जाते हैं और स्थानीय शिक्षा-अधिकारी को अपना विवेक प्रयोग करने का बहुत

अवसर मिलता है। अपनी स्कीम को स्थानीय शिक्षा अधिकारी जब मंत्रालय को देते हैं, तो इस बात का विवरण भी देते हैं कि वे संस्थायें जिनसे वे सहयोग करेंगी, दूसरे सुविधायें जो विश्वविद्यालयों द्वारा या ऐच्छिक-संस्थाओं द्वारा प्रदान की जायेंगी और अन्त में वे स्वयं उस क्षेत्र की 'अग्रिम-शिक्षा' के लिये स्वयं किन सुविधाओं का आयोजन करेंगी। इन सभी बातों का ध्यान रखकर यह देखा जायगा कि यह सभी पूरी व्यवस्था किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है या नहीं।

इतने विस्तृत और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में, सहयोग केवल स्थानीय-स्तर पर ही आवश्यक नहीं हैं, परन्तु राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा-मंत्री ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की है जो उनको इस विषय में उचित परामर्श देती है और राष्ट्र के औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन के लिये उचित सुविधाओं के विकास का आयोजन करती है।

वास्तव में यदि देखा जाय तो स्थानीय शिक्षा अधिकारी पर ही यह मुख्य उत्तरदायित्व रहता है कि उचित सुविधाओं का आयोजन किया जाय और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को सम्पर्क में लाया जाय। ऐच्छिक संस्थायें तथा दूसरे हितों को निकट सम्पर्क में लाकर उनसे सभी सुविधाओं का आयोजन कराना कठिन कार्य है।

प्रौढ शिक्षा क्षेत्र में तथा अग्रिम शिक्षा के दूसरे क्षेत्रों में स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी विश्वविद्यालयों तथा अन्य ऐच्छिक संस्थाओं के सहयोग से कार्य करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा—विद्यालय की स्थापना की गई है जो उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है जो इस प्रकार की सेवा में रुचि रखते हैं। यह विद्यालय समय-समय पर परामर्श दात्री समिति का कार्य करता है और शिक्षार्थियों को उचित सलाह देता रहता है। उद्योग और व्यवसाय दोनों के ही प्रतिनिधि इस क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करते है। राष्ट्रीय स्तर पर नवयुवक संघो की एक कांउसिल होती है जो नवयुवक सेवा संघों की हर प्रकार की सलाह देती है।

'अग्रिम-शिक्षा' को निम्नलिखित वर्गों मे बाँटकर उन पर विचार किया जा सकता है।

(१) 'औद्योगिक तथा व्यापार' के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा।

(२) कृषि सम्बन्धी शिक्षा।

(३) लिबरल अडल्ट-एजूकेशन (प्रौढ़-शिक्षा)।

(४) यूथ-सर्विस (युवक-सेवा)।

(५) मनोरंजक तथा सामाजिक-सुविधायें।

(१) 'औद्योगिक तथा व्यापारिक-शिक्षा' का आयोजन उस क्षेत्र के उन व्यक्तियों के सहयोग से किया जाता है जो वहाँ के 'उद्योग तथा व्यापार' में लगे होते हैं। इस प्रकार की प्रदान की हुई औद्योगिक तथा व्यापारिक-शिक्षा पर 'उस क्षेत्र' का प्रभाव सदैव रहता है। सायकालीन कक्षाओं मे या टैक्नीकल कालेजों मे यह उच्च प्रकार की टैक्नीकल शिक्षा दी जाती है। सदैव उद्योगों और कालेजों मे परस्पर सम्बन्ध रहता है। इन सम्बन्धों और प्रतिक्रियाओं को उद्योगों या किसी व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाली परामर्शदात्री समिति सहायता देती है जिससे वे किसी टैक्नीकल कालेज के विभिन्न विभागों के साथ काम कर सकें। यह सम्बन्ध इस प्रकार भी बना रहता है कि पूरे समय तक काम करने वाले सदस्य किसी कारखाने या कार्यालय मे अनुभव प्राप्त कर चुके हैं तथा अंश-कालिक अध्यापकों मे बहुत से औद्योगिक या व्यावसायिक जिम्मेदारी की जगहों पर काम कर रहे हैं।

जैसे ही कार्य अधिक उन्नत और विशेष प्रकार का होता जाता है, कक्षायें टैक्नीकल, कामशियल, आर्ट या डोमेस्टिक साइन्स के कालेजों मे होती हैं। कभी-कभी यह विभिन्न प्रकार के कालेज एक ही बड़े विद्यालय मे आयोजित होते हैं। अग्र-शिक्षा के लिए विशेष प्रकार से आयोजित कालेजो मे कुछ विद्यार्थी पूर्ण समय अध्ययन करते हैं और बाद में वे योग्यता प्रमाण प्राप्त करने के बाद उपयुक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन मे प्रविष्ट होते हैं। कुछ छात्र आंशिक-समय (Part time) तक उपस्थित रहते हैं और उनसे कार्य लेने वाले मिल मालिक थोड़े समय की छुट्टी उनको अध्ययन करने के लिए देते है जिससे वे ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने चुने हुए काम को अच्छी प्रकार कर सकें। इस प्रकार की सायंकालीन कक्षाओं मे उपस्थित रहने वाले छात्रों की बहुत सख्या होती है, प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक-शिक्षा का महत्त्व होगा। शैफील्ड जैसे लोहे और इस्पात के कारखानों वाले नगर में, अधिकतर लोहे और स्टील सम्बन्धी उद्योगों का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जायगा। 'स्टोक' जैसे 'चीनी के बर्तन' सम्बन्धी औद्योगिक नगर मे 'बर्तन-सम्बन्धी' ज्ञान प्रदान किया जायगा। खानों वाले क्षेत्र मे छात्रों को विभिन्न 'खान सम्बन्धी ज्ञान पर अधिक महत्त्व दिया जायगा। यह स्मरण रखना चाहिए कि औद्योगिक शिक्षा का आयोजन सदैव स्थानीय व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थायें, स्थानीय शिक्षा अधिकारी, शिक्षा-मत्रालय तथा स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थाओ के सहयोग से किया जाता है।

कुछ टैक्नीकल कालेज सीधे शिक्षा-मंत्रालय से आर्थिक सहायता पाते हैं। सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट के पास होने के बाद इस दिशा में पर्याप्त उन्नति हुई है और कुछ समय पहले ही 'इम्पीरियल कालेज आफ साइन्स' को टक्नोलोजीकल-यूनीवर्सिटी बना दिया गया है। कुछ कालेज भवन-निर्माण सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करते हैं। ये विद्यालय साथ ही साथ सामाजिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी कार्यों के लिए पर्याप्त अवसर देते हैं। इसलिए 'अग्र-शिक्षा के कालेज' केवल व्यावसायिक उद्देश्य ही ध्यान में नहीं रखते परन्तु छात्रों को भविष्य की नागरिकता की शिक्षा प्रदान करके उनमें अच्छे सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। इस प्रकार के गुण लोकतान्त्रिक-युग में सफल जीवन के लिए आवश्यक हैं।

सन् १९४४ का शिक्षा एक्ट १५ वर्ष की अवस्था से १८ वर्ष की आयु तक के छात्रों के लिए 'काउन्टी-कालेजों' की स्थापना के लिए आयोजन करता है। एक्ट के अनुसार यह अनिवार्य होगा कि उद्योगपति कार्य करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक दिन के लिए इन कालेजों में सामान्य तथा व्यावसायिक-शिक्षा प्राप्त करने भेजें। आर्थिक-संकट, स्कूल-भवन तथा अध्यापकों की कमी के कारण पर्याप्त काउन्टी कालेजों की स्थापना नहीं हो सकी है। इन योजनाओं को कार्यान्वित होने में समय अवश्य लगेगा।

अग्रिम शिक्षा के सभी क्षेत्रों में छात्रों द्वारा फीस ली जाती है। परन्तु जो फीस ली जाती है वह नाम-मात्र को ही होती है और उनको प्रदान किये जाने वाली सुविधाओं के खर्चे से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। कभी कभी केवल ३ क्राउन रजिस्ट्रेशन फीस ही ली जाती है। यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो यह फीस भी माफ करदी जाती है। पूरे समय के कोर्सों के लिये भी फीस नाम मात्र की ही ली जाती है।

इस प्रकार के कुछ कालेज सीधे शिक्षा-मंत्रालय से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। वास्तव में यह स्वीकार ही करना पड़ेगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दूसरे देशों की शिक्षा से बहुत पीछे रह गई है। १९४४ के शिक्षा एक्ट के पास होने के बाद पर्याप्त उन्नति होगई है और टैक्नोलोजी में उच्चतर स्तर के पाठ्यक्रम देखने मिलते हैं। राष्ट्र की इच्छा का यह प्रतीक है कि थोड़े दिनों पहले ही शिक्षा-मंत्रालय ने योजना विशेष आर्थिक सहायता स्थानीय शिक्षा अधिकारी को देने के लिए बनाई है। टैक्नोलोजी के उच्च स्तर के पाठ्य-क्रमों के लिये ७५ प्रतिशत सहायता राज्य से मिलती है। इस प्रकार की सहायता प्राप्ति से आशा की जाती है कि इस प्रकार के सुविधा आयोजनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। सामान्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा की सुविधायें बढ़ती ही रही हैं और अधिक प्राप्त होती रही

है क्योंकि इस की आवश्यकता है और आसानी से सुविधाये प्रदान भी की जा सकती हैं क्योंकि स्थान की सुविधा तो प्राप्त होई जाती हैं और सभी साधन भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।

यह बात स्मरणीय है कि इस प्रकार की कोई भी संस्था अपने उद्देश्य में तब तक सफल नहीं होती है यदि छात्रों को सामाजिक तथा मनोरंजन आदि कार्यों की सुविधा प्रदान नही करती है। 'अग्रिम शिक्षा' विद्यालय केवल पेशे और उद्योग की ही केवल शिक्षा नही देता है। लेकिन छात्रों को भविष्य का अच्छा नागरिक और उत्साही व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करता है और अपने साथियों के साथ सामाजिक सम्पर्क मे लाने का प्रयत्न करता है। अच्छा और कुशल कार्य करने वाला बनाकर प्रजातन्त्र में अच्छा नागरिक बनाने मे सहायता करते हैं।

वास्तव मे सभी 'अग्रिम-शिक्षा' छात्रों के लिये ऐच्छिक (Vo luntary)है, लेकिन पर्याप्त सुविधाये प्रदान करना स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी का कर्त्तव्य है।

(२) कृषि सम्बन्धी शिक्षा—'कृषि तथा उद्यान-विद्या' भी औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंग हैं। इंगलैंड मे कृषि शिक्षा शिक्षा-मंत्रालय तथा कृषि-मंत्रालय दोनो से ही सम्बन्ध रखती है। ३१ स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ 'फार्म-इन्स्टीट्यूट्स' स्थापित किए गये हैं। उच्च स्तर पर कृषि शिक्षा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। ग्राम्य-क्षेत्रों मे रहने वाला छात्र जो कृषि मे लगा हुआ है, अग्र-शिक्षा के साथ-साथ पूर्ण व्यावसायिक-शिक्षा (कृषि-शिक्षा) प्राप्त करने का अवसर पाता है। उसकी सामान्य शिक्षा तथा मनोरंजक क्रियाये साथ-साथ उन्नति करती रहती हैं। ग्रामीण-क्षेत्रो मे स्थित माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम भी कृषि-वातावरण से प्रभावित होता रहता है। ऐसे स्थानों मे अग्रिम-शिक्षा की सुविधायें कृषि-शिक्षा से घनिष्ठ रूप से उसी प्रकार सम्बन्धित रहती हैं जैसे एक विशाल इंजीनियरिंग केन्द्र का कोर्स उसके निकटवर्ती उद्योग से प्रभावित होता है। उपर्युक्त औद्योगिक-शिक्षा तथा कृषि-शिक्षा मनुष्य को व्यापार-व्यवसाय तथा जीवकोपार्जन मे सहायता देती है।

यह स्वीकार करना उचित ही होगा कि कृषि शिक्षा का विकास आवश्यकतानुसार नही हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रो में ऐसी सुविधा प्रदान करने का अर्थ यह होगा कि खेती तथा उद्यानो मे लगे हुए व्यक्तियों को आंशिक शिक्षा देना है। वास्तव मे कृषि-शिक्षा-स्थानीय शिक्षा अधिकारी, कृषि-मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के सम्मलित सहयोग से ही विकसित हो सकती है।

उच्चस्तर पर विश्व विद्यालयो तथा कालेजो में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसके बाद व्यक्तियों को कृषि-स्नातकों की डिग्री प्रदान की जाती है।

(३) प्रौढ़ शिक्षा—इंगलैंड मे प्रौढ़-शिक्षा उनकी ज्ञानोन्नति के लिए है।

इस शिक्षा द्वारा जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित होता है और सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति होती है । इस क्षेत्र में वर्कर्स एजूकेशनल एसोसियेशन (W.E.A.) ने प्रशंसनीय कार्य किया है । यूनीवर्सिटी एक्सटेन्शन डिपार्टमेन्ट्स ने इस दिशा में विभिन्न स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थाओं को सहयोग दिया है । स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा Y. M. C. A. तथा Y. W. C. A. ने इस क्षेत्र में सदैव सच्चे प्रयत्न किए हैं । प्रौढ़-शिक्षा का विस्तृत अर्थ यह है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें भी इसमें सम्मिलित हैं । पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से ऐसे बने हैं कि उनसे उदार तथा गम्भीर शिक्षा प्राप्त हो सके । प्रौढ़-शिक्षा में वास्तव मे लगभग सभी सामाजिक क्रियायें तथा सामुदायिक-केन्द्रों के कार्य सम्मिलित हैं, जो प्रौढ़ों को ज्ञान-प्राप्ति मे सहायता देते हैं । विश्वविद्यालयों के प्रसार-विभागों से लेकर स्त्रियों के विद्यालयों की सामाजिक तथा ज्ञान-प्राप्त क्रियायें भी सम्मिलित हैं ।

विश्वविद्यालयों तथा वर्कर्स एजुकेशनल एसोसियेशनों को सीधे शिक्षा मंत्रालय से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है । स्थानीय शिक्षा अधिकारी इस कार्य में और भी आगे सहायता देती हैं । प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में स्वेच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थाओं का सबसे अधिक महत्त्व है ।

६ प्रकार की और ऐच्छिक संस्थायें इस क्षेत्र में कार्य करती हैं ।

1 Workes Educational Associations
2 National Council of Y. M. C. A.
3 The Educational Centres Associations
4 The Universty of wales Council of music
5 Sea farer's Education service
6 Residential Colleges Committee

कुछ ऐच्छिक संस्थायें अपने धन पर तथा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी पर निर्भर रहती हैं । स्थानीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ही यह कार्य चलता हैं । National institute of Adult Education इस कार्य में सहायता करता रहता है और 'प्रौढ़-शिक्षा' नाम की पत्रिका भी प्रकाशित करता रहता है जिसमें समय समय पर प्रौढ़-शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर वाद-विवाद, विचार-विमर्श होता रहता है । एक वार्षिक-सम्मेलन भी बुलाया जाता है जिस मे इस क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्ति भी बुलाये जाते हैं । विभिन्न प्रकार से इस क्रियाओं में ताल-मेल स्थापित किया जाता है, इस क्षेत्र मे विभिन्न संस्थाओं में 'शक्ति का वितरण' समान रूप से हुआ है ।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कार्यों का विस्तार इस क्षेत्र मे अत्यधिक है और कार्य के स्तर मे भी बहुत भिन्नता है । जो प्रौढ़ वास्तव मे आरम्भ में सामुदायिक-केन्द्र पर जाकर दिन के कार्यों के विषय में वाद-विवाद करते हैं

और विभिन्न घटनाओं में रुचि लेते हैं। ये प्रजातन्त्र समुदाय में अच्छे नागरिक बन जाते हैं। वे ही धीरे धीरे अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में रुचि लेने लगते हैं।

इस प्रकार कक्षायें स्थापित हो जाती है, स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी सामुदायिक केन्द्र में एक शिक्षक (tutor) भेजने का आयोजन कर देते हैं।

इस क्षेत्र में एच्छिक-संस्थाओं ने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। विश्वविद्यालयों तथा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी की अपेक्षा उन्हें इस क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। इसका कारण यह है कि उन्हें जन-सम्पर्क का अच्छा अवसर मिलता है। यह निकट जन-सम्पर्क ही उनकी सफलता की कुंजी है जिससे प्रौढ़ों की रुचि बनी रहती है। वास्तव में एच्छिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण कार्य ठीक प्रकार मूल्यांकन नहीं किया जाता है और सरकारी-संस्थाओं को अधिक महत्व दिया जाता है।' इस गलत धारणा को दूर किया जाना चाहिये। सरकारी और एच्छिक संस्थाओं दोनों के सहयोग से ही इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। इन दोनों में विरोध होने से हानि की अधिक संभावना हो सकती है। इंगलैंड की पूरी शिक्षा-प्रणाली में एच्छिक संस्थायें सदैव से ही महत्वपूर्ण रही हैं।

(४) यूथ-सर्विस—अग्र-शिक्षा क्षेत्र में पिछले १० वर्षों के बहुत से ऐसे विभिन्न प्रकार तथा विस्तार की क्रियाओं का विकास हुआ है जिन्हें 'यूथ-सर्विस' के नाम से पुकारते हैं। दी बाय स्काउट तथा गर्ल गाइड्स आदि ऐसी स्वेच्छा संस्थायें हैं जिन्होंने नवयुवकों की रुचि का विकास सामूहिक कार्यों में किया है। ऐसे सामूहिक कार्य उनके प्रौढ़ावस्था में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यूथ-सर्विस का अधिक सम्बन्ध, मनोरंजन क्रियाओं तथा शिक्षा से हैं।

स्काउट्स तथा गाइड्स संस्थायें बच्चों को अच्छे लगने वाले खेलों में लगाती हैं। कैडेट-आन्दोलन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।

युद्ध-काल में युवकों की सामाजिक और शारीरिक प्रशिक्षा को सुविधायें प्रदान कर उनका खूब विस्तार किया। युवकों के हितों और आवश्यकताओं की देख-भाल भली-भाँति स्वेच्छा संगठनों ने की थी। इनको सरकार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।

आजकल 'यूथ-सर्विस' राष्ट्रीय शिक्षा सेवा है। इंगलैंड में 'यूथ-सर्विस' के इतने विकास का कारण युवकों में गुणों और उन सभी-पुरुषों में गुणों का होना है जो इन युवकों को सहायता देते आये हैं और स्थानीय शिक्षा अधिकारी स्वेच्छा संगठनों के सदस्यों को उत्साहित और उनके पथ-प्रदर्शन करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसकी सफलता के कारण शिक्षा मंत्रालय, स्थानीय शिक्षा

अधिकारी, स्वेच्छा संगठनों तथा युवकों में परस्पर अच्छे सम्बन्ध हैं। बहुत से यूथ सर्विस कार्यों के लिए पर्याप्त धन दिया गया है और उसे व्यय करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता दी गई है।

ड्रामा, शारीरिक-शिक्षा तथा हस्त-कला क्रियाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्य आधारभूत सिद्धान्त यह है कि 'समाज-सेवा' की भावना का विकास किया जाय। यूथ-सर्विस आन्दोलन का उद्देश्य है कि 'व्यक्ति का उसकी मानसिक शक्तियों के अनुसार विकास किया जाय तथा अपने साथियों की सेवा की जाय।' विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियायें तथा मनोरंजन नवयुवकों को प्रदान की जाती हैं जिससे वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर समाज की सेवा कर सकें।

तीन प्रकार की संस्थाओं के समूहों द्वारा इस प्रकार की क्रिया का ज्ञान हमें मिल सकेगा। सबसे प्रथम वह संस्थायें हैं जिन्हें स्काउट्स और गाइड्स के नाम से पुकारते हैं जो ऐसे क्रियात्मक कार्यों में जिनमें नवयुवक तथा नवयुवतियों की प्राकृतिक—रुचि होती है। प्राइमरी स्कूल-स्तर पर Brownie or cubs बच्चों की इस क्रिया से सम्बन्धित हैं, परन्तु किशोरावस्था के समय इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।

दूसरे प्रकार की संस्थायें कैडेट आन्दोलन संस्थायें हैं और तृतीय प्रकार की ClubA-ctivities संस्थायें हैं। लड़कियों तथा लड़कों के cluls और मिश्रितक्लब भी हैं जो सीधे, ही स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित किये जाते हैं। यहाँ पर हमारा तात्पर्य नवयुवकों को लिये सामाजिक केन्द्र से है यहाँ वह मनोरंजन तथा सामाजिक उद्देश्यों को लेकर जा सकते हैं। यहाँ वह भिन्नता स्थापित करते हैं। कभी-कभी गाने, नाच, ड्रामा आदि का आयोजन किया जाता है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी बहुधा एक youth organiser को रखती है। जो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में तालमेल रखता है। ऐच्छिक संस्थाओं के स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर अपने निजी संगठन होते हैं। साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि youth clubs की लगभग ६% प्रतिशत संख्या ऐच्छिक संस्थाओं में होगी और ४०% प्रतिशत संख्या स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित संस्थाओं में होगी।

सामान्य रूप से इस कार्य को तीन प्रकार से आर्थिक सहायता मिलती है। शिक्षा मंत्रालय सीधी आर्थिक सहायता देता है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है—और तीसरे प्रकार की सहायता वह है जो ऐच्छिक-संस्थाओं द्वारा प्राप्त होती है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी ५० प्रतिशत आर्थिक व्यय सहन करते है, और कभी भी, संगठन का नियंत्रण करने की नहीं सोचते हैं। इस कार्य का तात्पर्य समाज की सेवा है और, अवसर पडने पर ये नवयुवक बडे ही काम आते हैं। इस पूरे आन्दोलन का व्यक्ति का विकास करना है और अपने साथियों की सेवा करना है। इस क्षेत्र मे भी शक्ति का समान रूप से वितरण हुआ है।

५---मनोरंजक तथा सामाजिक सुविधायें—

सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार स्थानीय शिक्षा अधिकारी का यह विशेष कर्त्तव्य हो गया कि वह अपने क्षेत्र मे मनोरजक तथा सामाजिक कार्यों की सुविधा का आयोजन करें। स्थानीय शिक्षा अधिकारी ने बहुत से स्वेच्छा संगठनों की सहायता से यह कार्य पूर्ण किया। स्कूलो के खेलने के मैदान विद्यार्थियों को मनोरजक तथा सामाजिक क्रियायें प्रदान करने का अच्छा साधन हैं। नवयुवक-संस्थायें भी अपने सदस्यों के लिए ये सभी आयोजन करती हैं और प्रौढ़-शिक्षा का अधिकतर कार्य इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इनके अतिरिक्त भी कुछ आवश्यकतायें पूर्ति के लिये रह जाती हैं।

इसलिए स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में जनता के लिए 'खेल के मैदान प्रदान करे। तैरने की सुविधाओ को स्थानीय शिक्षा अधिकारी जुटाये, और कैम्प के लिए बाहर जाने वालो की सहायता करे। छोटे बच्चो के लिए उनके घरो के निकट ही खेल के मैदानों का आयोजन हो।

इस आयोजन मे भी स्वेच्छा संगठन जैसे दी नेशनल प्लेइंग फील्डस एसोसियेशन (The National Playing Fields Association) का कार्य महत्वपूर्ण है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी पार्क-विभागों द्वारा मनोरंजक सामग्री और खेल के मैदानों का आयोजन करते हैं।

कला-प्रोत्साहन तथा मनोरंजक अध्ययन सुसंगठित तथा स्थापित पुस्तकालयो द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुत से स्थानो मे स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपना ड्रामा तथा गायन संगठन-कर्त्ता नियुक्त करते हैं। उत्सवों के समय पर सुन्दर नाटक आयोजित किये जाते हैं।

टेनिस, फुटबाल, क्रिकेट, हौकी तथा बौक्सिंग क्लब प्रत्येक स्थान पर पाये जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि इस देश के निवासी किस प्रकार खेल-कूद आदि में कितनी रुचि रखते हैं। पुस्तकालयो द्वारा की हुई सेवा भी इस क्षेत्र में अति उत्तम है। जनता का कोई भी व्यक्ति कोई भी पुस्तक बिना मूल्य अध्ययन के लिए प्राप्त कर सकता है।

यह एक विशेषता है कि मनोरंजन तथा सामाजिक सुविधाओं के आयोजन

में अग्र शिक्षा का पूरा क्षेत्र ही अपना योग प्रदान करता है। राष्ट्रीय-स्तर पर कुछ ऐसी संस्थायें है जो इस प्रकार की सुविधाओं के आयोजन में रुचि रखती है।

शिक्षा-मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पैम्फ्लेट नं० ३ (युवकों का अवसर) के अनुसार अग्र शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है।

(१) नवयुवकों का चरित्र विकास करना तथा उन्हें स्वस्थ तथा सुखी जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना।

(२) शारीरिक व्यायाम द्वारा 'शारीरिक विकास' करने में उनकी सहायता करना।

(३) उनके ज्ञान तथा बुद्धि का विकास।

(४) गाना, ड्रामा, कला, साहित्य तथा वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा उनकी कल्पना का विकास करना।

(५) उनके अंग्रेजों के ज्ञान को बढ़ाना।

(६) परिवार तथा समाज मे उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान कराना।

(७) देश की दशा का ज्ञान कराना तथा उसे सुधार करने के उपाय बताना।

(८) दूसरे देश के निवासियों के विषय में ज्ञान कराना।

(९) लोकतान्त्रिक समाज मे नेतृत्व तथा सहयोगी सेवा का महत्व बताकर अच्छे नागरिक बनाना।

(१०) उन्हें सच्चाई, सहनशीलता तथा अपने साथियों के प्रति दया-पूर्ण जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना।

(११) जीवन के प्रति स्वतन्त्र तथा संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में उनकी सहायता करना।

मनोरंजन तथा सामाजिक सुविधायें प्रदान करने मे अग्रिम-शिक्षा का पूरा क्षेत्र ही योग-दान करता है। टैकनीकल कालेजों और नवयुवक संघो के सदस्यो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र की सामान्य आबादी की आवश्यकताओ की पूर्ति करनी पड़ती है। इसकी पूर्ति का कर्तव्य स्थानीय शिक्षा-प्रधिकारी का है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थायें है जो सीधे ही इन सुविधाओं के आयोजन मे रुचि रखती है और स्तरों के विकास मे सहायता करती हैं। लन्दन से चलने वाला यात्री एक खेल के मैदान के बाद दूसरा देखता जाता है और उन विज्ञापनों को पढ़ता जाता है जिनसे प्रकट होता है कि बड़ी-बड़ी औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं ने खेल की सुविधा के महत्त्व को भली प्रकार पहचाना है। खेलों की सुविधायें बाहरी खेलो तथा Indoor games दोनो को सम्मिलित करती हैं।

अध्याय ८

विश्वविद्यालय शिक्षा (University Education)

'विश्वविद्यालय शिक्षा' शिक्षा-मंत्रालय के अधिकार तथा निर्देशन में नहीं है। सन् १६४४ का शिक्षा एक्ट विश्वविद्यालय शिक्षा सुविधाओं के विषय में कुछ आदेश नहीं देता है परन्तु स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य यह अवश्य निर्धारित करता है कि वे योग्य तथा उपयुक्त छात्रों को छात्रवृत्तियों द्वारा विश्वविद्यालय-स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता पहुँचावे। कहने का सारांश यह है कि शिक्षा-मन्त्रालय का इंगलैंड और वेल्स के विश्वविद्यालयों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय स्व-शासित संस्था है जो शासन-पत्र (Charter) द्वारा स्थापित किया गया है। वे स्वतन्त्र हैं, यद्यपि वे सरकार से 'यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी'[1] के आदेशानुसार आधुनिक काल में अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करते हैं। यह यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी शिक्षा-मंत्रालय के आधीन न होकर स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है। इसके सदस्य शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं और उनमें से कुछ शिक्षा-मंत्रालय, विश्वविद्यालयों तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि भी होते हैं। यह सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति समय-समय पर सरकार को विश्वविद्यालयों को धन-

1. University Grants Committee (U. G. C. established in 1919.)

सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में परामर्श देते रहते हैं और राज्य-कोष द्वारा विश्वविद्यालयों की आवश्यकतानुसार धन-प्रदान करने के उत्तरदायित्व को पूरा करते रहते है। इन कार्यों के पूरा करने मे यूनीवर्सिटी-ग्रांट्स कमेटी विश्वविद्यालयों पर सीधा नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न नही करती है। विश्वविद्यालय अपनी भविष्य योजनाओ के लिए धन सम्बन्धी सहायता इस कमेटी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तावो और भविष्य-योजनाओ के व्यय की स्वीकृति इस कमेटी को स्वीकार तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है, परन्तु यह स्मरणीय बात है कि 'विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से स्वायत्त-संस्था है' जो अपने न्यायालय तथा सीनेट से शासित होती हैं। चार्टर के अनुसार इसे डिग्री प्रदान करने और पाठ्य पुस्तक आदि निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होता है।

इस प्रकार प्रत्येक विश्वविद्यालय के छात्रो के प्रविष्ट करने की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती है। पढाई की फीस का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा ही होना है।

इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त यूनीवर्सिटी कालेजों की भी एक बडी संख्या है। ये कालेज विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं, परन्तु उन्हें अपनी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नही होता है। सामान्य रूप मे वे लन्दन विश्वविद्यालय की बाह्य-परीक्षा के लिए छात्रो को तैयार करते हैं।

विश्वविद्यालय' दाखिले की शर्तें तथा फीस का निर्णय करते हैं, ये परिस्थितियाँ बहुधा प्रत्येक विश्वविद्यालय मे भिन्न-भिन्न होती हैं क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होता है। 'आक्सफोर्ड' तथा 'केम्ब्रिज' विश्वविद्यालय मे सम्बन्धित कालेजो की फीस तथा दाखिले का निर्णय इन कालेजों के द्वारा ही होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज के प्राचीन विश्वविद्यालय आधुनिक-युग मे स्थापित विश्वविद्यालयो से बहुत भिन्न हैं। आक्सफोर्ड से सम्बन्धित ३२ कालेज हैं, और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय का २१ कालेजों से सम्बन्ध है। इसी प्रकार लन्दन विश्वविद्यालय भी ६ इन्स्टीट्यूटस और ७० कालेजों से सम्बन्धित है और ये कालेज लन्दन क्षेत्र में एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित है।

इंगलैंड मे १० प्रान्तीय विश्वविद्यालय हैं। वेल्स यूनीवर्सिटी ५ कालेजों से सम्बन्धित है जो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर है और इंगलैंड मे ५ यूनीवर्सिटी कालेज हैं। यह सभी शिक्षा संस्थायें 'विश्वविद्यालय शिक्षा' प्रदान करती हैं।

इस समय यह भी प्रस्तावित किया जा रहा है कि 'इम्पीरियल कालेज

आफ साइन्स' को 'यूनीवर्सिटी आफ टैक्नोलोजी' बनाया जाय, जिससे टैक्नोलोजीकल अध्ययन क्षेत्र मे यह स्वतन्त्र रूप से अपनी डिग्री प्रदान कर सके।

इन विश्वविद्यालयों मे विद्यार्थी-जीवन मे भी विभिन्नता पाई जाती है। प्राचीन विश्वविद्यालयो मे छात्रो की अधिकतर सख्या अधिक समय तक छात्रावासों में रहती है। नवीन प्रान्तीय विश्वविद्यालयों मे अधिकतर छात्रो की संख्या 'डे-स्टूडेन्ट्स' की होती है जो छात्रावास मे नही रहते हैं और कुछ संख्या 'होल्स आफ रेजीडेन्स' मे स्थान पाती है।

विश्वविद्यालयों की आय के ४ मुख्य साधन हैं।

(१) दान द्वारा।

(२) सरकार से यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के द्वारा।

(३) स्थानीय शिक्षा अधिकारी की ग्रान्ट्स द्वारा।

(४) छात्रों की फीस द्वारा।

समय-समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयो के उप-कुलपति मिलकर विश्वविद्यालय-शिक्षा समस्याओं पर विचार कर उनका हल ज्ञात करते हैं। विश्वविद्यालय अध्यापकों की, 'एसोसियेशन' भी होती है तथा नेशनल यूनियन आफ स्टूडेन्ट्स' विश्वविद्यालयो मे अध्ययन करने वाले छात्रो के हितो की रक्षा करती है। 'यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी' विभिन्न विश्वविद्यालयों मे सम्पर्क स्थापित करने में सहायता देती है। परन्तु यह सत्य है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने कार्यों का स्वतन्त्र रूप से प्रबन्ध करता है। 'व्यक्तिगत स्वराज्य'[1] ब्रिटेन के विश्वविद्यालयो की मुख्य विशेषता है।

युद्ध से पहले लगभग ६,००० हजार विद्यार्थी प्रतिवर्ष इंगलैंड के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाते थे। इनमे से कुछ छात्र योग्यता के कारण विश्वविद्यालयों या कालेजों द्वारा दी हुई छात्रवृत्तियां पाने मे सफल होते थे। कुछ छात्र राज्य द्वारा (बोर्ड आफ एजूकेशन) द्वारा प्रदान की हुई छात्रवृत्तियां प्राप्त करते थे। कोई भी छात्र अपने क्षेत्र के 'स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी' से छात्र-वृत्ति दी जाने की प्रार्थना कर सकता था। यह आर्थिक-सहायता बहुधा छात्रों के संरक्षको की आय के अनुसार ही दी जाती थी। यह आर्थिक सहायता राज्य से छात्रवृत्ति द्वारा प्राप्त आय का पूरक होती थी, और कभी-कभी राज्य से छात्र-वृत्ति न प्राप्त करने वाले छात्रो को विश्वविद्यालय तक पहुँचने मे सहायता देती थी।

---

1. Individual Autonomy.

युद्ध के बाद इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन नवयुवकों तथा स्त्रियों को जो युद्ध के बाद सेना से वापिस आये थे, उन्हें भी विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्रदान करनी थी। बहुत से युद्ध से वापिस आने वाले व्यक्ति विश्वविद्यालय-शिक्षा पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। सरकार के अधीन एक 'नेशनल-स्कीम' ने इन सभी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया। 'व्यवसायों के लिए दी जाने वाली शिक्षा' का पूरा व्यय राज्य द्वारा ही दिया गया था। यूनीवर्सिटी-शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता का अनुभव अब प्रत्येक क्षेत्र में होने लगा था। इन सब बातों के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या अब पहले से दुगुनी हो गई थी। इस समय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की वार्षिक संख्या लगभग १८,००० है जो युद्ध के पहले की संख्या से लगभग दूनी है।

यह स्पष्ट है कि युद्ध से पहले की प्राप्त शिक्षा सुविधायें इन परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं हो सकती थी। शिक्षा-मन्त्री ने एक कमेटी स्थापित की जिसमें शिक्षा-मन्त्रालय के प्रतिनिधि, स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि तथा अध्यापकों की एसोसियेशन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। इन प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य विश्वविद्यालय-छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधायें प्राप्त कराने की विधियों पर विचार कर शिक्षा-मन्त्री को परामर्श देना था। इस कमेटी द्वारा दी हुई रिपोर्ट के आधार पर ही विश्वविद्यालय-शिक्षा में होने वाले सुधार आधारित हैं। व्यवसायों तथा औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन के लिए आवश्यक व्यक्ति विश्वविद्यालयों में प्रति वर्ष शिक्षा पाते हैं। सरकार ने इस दिशा में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की है। विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा प्रदान की हुई छात्र-वृत्तियां और स्थानीय-शिक्षा अधिकारी द्वारा दी हुई आर्थिक सहायता ने विश्वविद्यालय छात्रों की पर्याप्त सहायता की है। आक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज आदि प्राचीन विश्वविद्यालयों में आधुनिक युग में स्थापित प्रान्तीय विश्वविद्यालयों (लिवरपूल, डरहम, बर्निघम, मानचेस्टर लीड्स, शैफील्ड, ब्रिस्टल रीडिंग) की अपेक्षा विद्यार्थी-जीवन अधिक व्यय-पूर्ण है।

यह कहना उपयुक्त होगा कि इंगलैंड और वेल्स में योग्य विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के पूरे अवसर प्रदान किये जाते हैं। बहुत कम आय वाले संरक्षकों को कुछ अधिक आय वाले संरक्षकों की अपेक्षा शीघ्र अवसर मिलता है। कुछ लोगों के मत में इस देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि प्रति सप्ताह ७ या ८ पौंड कमाने वाले व्यक्ति के पुत्र को पूर्ण आर्थिक सहायता प्राप्त होने के कारण यूनीवर्सिटी शिक्षा अधिक सुगमता

से प्राप्त हो सकेगी और २००० पौण्ड प्रति वर्ष कमाने वाले व्यक्ति के पुत्र को विश्वविद्यालय की शिक्षा देने में इतनी सुगमता नही होगी जितनी कम आय वाले व्यक्ति को। इङ्गलैंड और वेल्स में 'शिक्षा अवसरो की समानता' मे विश्वविद्यालय शिक्षा सुविधायें भी सम्मिलित हैं और इन शिक्षा सुविधाओं के आयोजन में छात्रों के जन्म-जात कारण, आर्थिक तथा सामाजिक-स्थिति का कोई मूल्य नही है और किसी छात्र का निर्धन-गृह मे जन्म तथा उसकी निम्न सामाजिक-स्थिति, उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधक सिद्ध नहीं होती हैं। शिक्षा अवसरों की प्राप्ति केवल, छात्रों की 'योग्यता' तथा 'चरित्र' पर निर्भर है।

विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं, परन्तु 'विद्यार्थियों के पूर्ण-विकास के लिए सभी क्षेत्रो से पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। 'शक्ति' तथा उत्तरदायित्व का उत्तम रीति से वितरण हुआ है। कुछ लोग भ्रम के कारण यह समझ सकते हैं कि यह अच्छा होता कि विश्वविद्यालय राज्य से नियंत्रित होते और छात्रो को पूर्ण रूप से राज्य से ही आर्थिक सहायता मिलती। इस प्रकार की बातें इंगलैंड के शिक्षा शास्त्रियों को रुचिकर नहीं लगती हैं। उनके मन में विश्वविद्यालय जीवन मे इस प्रकार का केन्द्रीय नियन्त्रण और निर्देशन' पूर्ण रूप से विचारों तथा उनके प्रकट करने की स्वतन्त्रता को नष्ट कर देगा। उनके मत में विश्वविद्यालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है जिससे वे सत्य की खोज कर सकें। इसलिए विश्व-विद्यालय राज्य तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के हस्तक्षेप से मुक्त रहने चाहिए। सरकार भी जनता के साथ इस मत से सहमत रहती है, और इसे उचित समझती है। विश्वविद्यालय भी इसीलिए स्वतन्त्र रहते हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का इस क्षेत्र में स्पष्ट उत्तरदायित्व है कि अपने लन्दन स्थित 'केन्द्रीय-आफिस' द्वारा योग्य छात्रो का निर्धारण करने के बाद विश्वविद्यालयो की शिक्षा प्राप्ति मे उनकी सहायता करे। इसी प्रकार स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र मे योग्य छात्रो को विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करायें।

ब्रिटेन मे शिक्षा क्षेत्र में बहुत लचीलापन है और आवश्यकता के समय व्यक्तिगत विद्यार्थियों तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही है। यह बात महत्वपूर्ण है कि युद्ध-काल की भीषण-स्थिति के दबाव के कारण उत्पन्न हुई आवश्यकतायें भी पूरी होती रही थीं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में युद्धोत्तर-काल में छात्रों की दुगुनी संख्या के लिए शिक्षा आयोजन किया जा

सका था। एक-दूसरे के सहयोग से कार्य चलाते हैं। प्रत्येक विश्वविद्याल स्वतन्त्र है तथा १४६ स्थानीय शिक्षा अधिकारी जो अपने उत्तरदायित्व में स शासित हैं, और १८,००० विद्यार्थी प्रति वर्ष विभिन्न विभागों में अपनी आव श्यकतानुसार अध्ययन करते हैं। इन स्थितियों में यह आवश्यक है कि विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में उत्तम प्रकार का सहयोग हो।

ब्रिटिश विश्वविद्यालय मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किए जा सक हैं। (१) प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज। (२) ६ नवी प्रान्तीय विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना हुए १०० साल से अधिक नहीं हुए जैसे लन्दन, डरहम, लीड्स, बर्मिघम, लिवरपूल, मानचेस्टर, शैफील्ड ब्रिस्ट इत्यादि।

यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी शिक्षा-मंत्रालय के अधीन नहीं है, परन्तु स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है यह अवश्य है कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी में शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि, अवश्य होता है। यूनीवर्सिटी के प्रतिनिधि शिक्षा-मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधियों से मिलकर ही यह बनती है। परन्तु यह प्रतिनिधित्व मनोनयन (nomintation) द्वारा नहीं होता है। यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी उन व्यक्तियों की कमेटी है जो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, और उनका कर्तव्य होता है कि वे सरकार को समय समय पर विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं के विषय में परामर्श देते रहें और ट्रेजरी उन्हें यह कार्य देती है कि वे दिये हुये धन को विश्वविद्यालयों को वितरित करते रहें।

विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

जे० एस० फुल्टन ने कहा है कि इस दशक में विश्वविद्यालयों की छात्र संख्या १,७५,००० हो जायगी। उनका कथन है कि निरन्तर बढ़ती हुई संख्या में छात्र अब स्कूलों में अनिवार्य-शिक्षा आयु के पश्चात् रुकने लगे हैं। विश्व-विद्यालयों में अब स्त्रियों की संख्या अधिक बढ़ेगी। पाठकों को कदाचित् पता होगा कि आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में १६२० तक स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। यद्यपि नये विश्वविद्यालयों में ऐसा प्रतिबन्ध कभी नहीं था। एक और भी बात भविष्य के विषय में कही जा सकती है अब विश्वविद्यालयों के कोर्स का आधार विस्तृत होगा। केवल एक विषय में संकीर्ण किन्तु विशेष योग्यता की तैयारी कराना अब सम्भव नहीं होगा। भविष्य में स्नातक-कोर्स कदाचित् आक्सफोर्ड के दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र या कैम्ब्रिज के साहित्य, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कानून तथा अर्थशास्त्र (यह केवल उदाहरण के लिये दिये गए हैं) आदि जैसे हो जायगा। मि० फुल्टन महोदय का कथन है कि विश्वविद्यालय

शिक्षा सबके लिये नहीं है और संस्थाओं में बहुत से छात्र-छात्रायें इनके अतिरिक्त भी दूसरे क्षेत्रों मे अपनी शक्तियो की पूर्ण सफलता को प्राप्त होगे। जहाँ छाँट का अवसर इतना विस्तृत है वहाँ ठीक छाँट का कराना भी आवश्यक है। (Education in universities is not for every body; many young men and women will reach their fullest powers in other institutions. Where the choice is so rich, it is of the greatest importance that individauls should be helped to choose right.

आज विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा प्रोफेसरों के वेतन के सबन्ध मे संघर्ष चल रहा है। प्रोफेसरों का वेतन २६०० से ३६०० पाउन्ड, सीनियर लेक्चर तथा रीडर को २५२५ पाउन्ड तथा लेक्चर का १०५० से १८५० पाउन्ड तथा असिसटेन्ट लेक्चरर का वेतन ८०० से ९५० पाउन्ड प्रतिवर्ष माँगा जा रहा है। विश्वविद्यालयो के अध्यापकों का एसोसियेशन इस माँग को राज्य के सामने रख रहा है। उसका कथन है कि विश्वविद्यालयो के वेतन सिविल सर्विस के व्यक्तियों के जैसे होने चाहिये अन्यथा अच्छे योग्य व्यक्ति विश्वविद्यालयों में नहीं आयेंगे। यह बात ठीक भारतवर्ष की विश्वविद्यालयों की माँग के जैसी है जिस पर भारत की सरकार ने ध्यान देने की चेष्टा की है। यहाँ एक बात और कह दी जाय कि विश्वविद्यालयों के असिसटेन्ट लेक्चरर से अधिक वेतन इंगलैण्ड मे तकनीकी कालेजो के लेक्चरर पाते हैं। यह बात विश्वविद्यालय वालों को और भी चुभती है। आशा है शीघ्र ही उपर्युक्त ग्रेड उन्हें मिल जायगा क्योंकि वहाँ उनका एसोसियेशन शक्तिमान है।

अध्याय ६

औद्योगिक-शिक्षा

(Technical Education)

ब्रिटेन ने औद्योगिक-शिक्षा के महत्त्व को धीरे-धीरे समझा है। इसका मुख्य कारण है कि पहले प्रारम्भिक स्कूलों की आवश्यकता अधिक समझी गई, इसके पश्चात् माध्यमिक-स्कूलों की ओर ध्यान दिया गया; तत्पश्चात् औद्योगिक शिक्षा का महत्त्व समझा गया और उसकी ओर उचित ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्रान्ति के बाद औद्योगिक और व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना हुई। सन् १८२५ ई० में पहली बार औद्योगिक-शिक्षा प्रदान करने के लिए London Mechanics Institute की स्थापना हुई। प्रथम युद्ध के पहले ही औद्योगिक-शिक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। इस प्रकार की औद्योगिक-शिक्षा जूनियर टैक्नीकल स्कूलों में दी जाती थी। कुछ विशेष टैक्नीकल कालेजों में सायंकालीन कक्षायें लगती थीं और कुछ टैक्नीकल कालेजों तथा आर्ट्स-स्कूलों में पूर्ण समय शिक्षा दी जाती थी।

स्पेन्स कमेटी (१९३८) के अनुसार स्थापित जूनियर टैक्नीकल स्कूल्स संख्या में केवल २३० के लगभग हैं, और उनमें १०,००० छात्र अध्ययन करते हैं। औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में इन कालेजों का कार्य वास्तव में सराहनीय है। इन स्कूलों में बच्चे लगभग १३ वर्ष की अवस्था में प्रवेश पाते हैं और लगभग २ या ३ साल अध्ययन करते हैं। १९४४ के शिक्षा एक्ट के अनुसार इन स्कूलों

की संख्या और उनका महत्त्व और भी बढ जायगा। यह बात स्मरणीय है कि १९४४ का शिक्षा-एक्ट सभी बच्चों के लिए माध्यमिक-शिक्षा का आयोजन करता है। यह शिक्षा-आयोजन इस समय १५ वर्ष की अवस्था तक के बच्चो के लिए है, उचित समय और सुविधा प्राप्ति के अनुसार बाद मे १६ साल की अवस्था तक बढ़ा दी जायगी। इस प्रकार जूनियर टैक्नीकल स्कूल माध्यमिक स्कूलों मे परिवर्तित हो जायेंगे जो छात्रों को ११ साल की अवस्था में प्रविष्ट करेंगे जो बच्चों को ४ या ५ साल के समय तक रखेंगे। ये स्कूल बच्चो को सामान्य शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ 'औद्योगिक-शिक्षा' भी प्रदान करेंगे। वास्तव में औद्योगिक शिक्षा' भी इनका मुख्य उद्देश्य है। पहले इन स्कूलो मे कम छात्र पढते थे परन्तु अब पर्याप्त सैकिन्डरी टैक्नीकल स्कूल्स स्थापित होने चाहिए जिससे 'टैक्नीकल शिक्षा' पाने के उपयुक्त छात्रो को अधिक सख्या मे प्रविष्ट कर सकें। 'सैकिन्डरी टैक्नीकल स्कूल्स' अब माध्यमिक-शिक्षा की 'त्रिभागीय-प्रणाली' का एक भाग है।

सायकालीन कक्षाओ मे छात्रों को प्रत्येक विषय पढ़ाया जाता है और ये कक्षायें विभिन्न इमारतों में होती हैं। जूनियर कक्षाओं मे वे लड़के और लडकियाँ शिक्षा पाते हैं जिन्होंने 'प्रारम्भिक-स्कूल' को लगभग १४ साल की अवस्था मे छोड दिया है। इन कक्षाओ को कभी-कभी 'ईवनिंग-कन्टीन्यूऐशन क्लास' भी कहते हैं। इन कक्षाओं मे उपस्थिति 'ऐच्छिक' होती है लेकिन कुछ लोग अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों के लिए यह शर्त रखते हैं कि वे इन कक्षाओ मे अनिवार्य रूप से अध्ययन करने जाय। इन कक्षाओ मे अंग्रेजी, गणित तथा विभिन्न प्रकार के 'औद्योगिक और व्यापारिक विषय पढ़ाये जाते हैं। परन्तु सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार जब स्कूल छोड़ने की अवस्था पहले १५ साल तथा बाद में १६ साल करदी जायगी, तो 'सायकालीन' जूनियर कक्षाओं की, आवश्यकता नहीं रहेगी।

औद्योगिक-शिक्षा मुख्य रूप से प्रदान करने वाली सीनियर और एडवान्स 'ईवनिंग कक्षायें हैं। ये कक्षायें 'टैक्नीकल-इंस्टीट्यूट या टैक्नीकल-कालेजो मे लगती हैं। इनमे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का उद्देश्य कभी-कभी औद्योगिक व्यापारिक-विषयों के अध्ययन के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन जारी रखना तथा विदेशी भाषा का सीखना भी था। कुछ विद्यार्थी परीक्षा पास करने के उद्देश्य से भी जाते थे परन्तु अधिकतर व्यावसायिक जीवन मे प्रविष्ट होने के लिये अध्ययन करते थे। इन कक्षाओं मे कला तथा औद्योगिक-डिजाइनें पढ़ाई जाती थीं।

इन 'टैक्नीकल-कालेजों' मे दिन मे पूरा समय शिक्षा-प्राप्त करने वाले

विद्यार्थी भी होते हैं। इस कोर्स की अवधि दो या ३ वर्ष तक की होती है। कुछ विद्यार्थी सप्ताह के कुछ दिनों ही अपने रोज़गार देने वाले मालिकों की आज्ञा से अध्ययन करने आते हैं। आधुनिक-युग में सभी मिल-मालिक इस बात की आवश्यकता का अनुभव करते हैं कि उनके अधीन काम करने वाले व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की औद्योगिक-शिक्षा प्राप्त करें और काम करने वाले व्यक्तियों को औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस समय लगभग ८० टैक्नीकल-कालेज हैं जो ६,००० छात्रों को शिक्षा देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तम प्रकार के टैक्नीकल-कालेजों की स्थापना हुई है। 'मान चेस्टर कालेज आफ टैक्नोलौजी तथा बर्मिंघम में बनाये गये नये कालेज इसके उदाहरण हैं। 'इसेक्स' की स्थानीय-शिक्षा अधिकारी ने दो नये टैक्नीकल-कालेजों की स्थापना की है। कुछ टैक्नीकल-कालेजों से सम्बन्धित माध्यमिक-विद्यालय तथा स्कूल आफ आर्टस भी हैं। इन विद्यालयों में अधिक ध्यान टैक्नीकल विषयों की ओर दिया जाता है। टैक्नीकल कालेज और सैकिण्डरी-स्कूल इस प्रकार सहयोग से कार्य करते हैं कि सैकिन्डरी स्कूल टैक्नीकल कालेजों की प्रयोगशालाओं और शिक्षण-सामग्री का उपयोग करते हैं।

कुछ टैक्नीकल-कालेज अपने क्षेत्र मे पाये जाने वाले कारखानों, उद्योगों और व्यापारों के सहयोग से कार्य करते हैं। लङ्काशायर और मानचेस्टर सूती-व्यवसाय के केन्द्र हैं, इसलिये इस प्रदेश मे स्थित टैक्नीकल कालेज 'सूती-उद्योग' शिक्षा पर अधिक जोर देते हैं। शैफील्ड नगर जो लोहे और फौलाद के उद्योग का केन्द्र है, यहाँ अधिक महत्त्व इस उद्योग से सम्बन्धित शिक्षा पर है। स्टोक शहर जो चीनी-मिट्टी के व्यवसाय का केन्द्र है, वहाँ अधिक महत्त्व (Ceramics) से सम्बन्धित औद्योगिक-शिक्षा का है। अधिकतर खानें पाये जाने वाले क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय-परिस्थितियाँ ही टैक्नीकल कालेजो द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का निर्णय करेंगी। इन टैक्नीकल कालेजों मे कार्य करने वाले अध्यापकों को पर्याप्त उद्योगों का क्रियात्मक-अनुभव होता है।

यह स्पष्ट है कि युद्ध से पहले दी जाने वाली 'औद्योगिक-शिक्षा' में सुधार की आवश्यकता थी। यह शिक्षा-योजना अपर्याप्त थी अधिकतर 'औद्योगिक-शिक्षा' सांयकालीन-कक्षाओं में दी जाती थी जहाँ पर दिन भर कार्य करने के बाद विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे जिनको विशिष्ट अध्यापक पढ़ाते थे। विद्यार्थियों पर इस प्रकार मानसिक दबाव पड़ता था क्योंकि इनने घण्टों कारखानों में काम करने के बाद रात्रि के दस बजे तक अध्ययन करना

विद्यालयों के लिए कठिन कार्य था। बहुत से विद्यार्थियो ने इस कठिन कार्य को किया और उन्होने महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर ख्याति प्राप्ति की। परन्तु यह स्पष्ट था कि सांयकालीन कक्षायें केवल उस दशा में चलाई जांय जहाँ शिक्षा के दूसरे साधन उपलब्ध न हों।

१६४४ के शिक्षा एक्ट के अनुसार इस परिस्थिति मे पर्याप्त सुधार होगा। इस एक्ट के अनुसार काउन्टी कालेजो की स्थापना होगी जिनमें १८ वर्ष की अवस्था तक के विद्यार्थी दिन मे आंशिक-समय-शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। स्थानीय-शिक्षा अधिकारी को दिये हुए अधिकारो के अनुसार पूर्ण समय औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियो को बिना व्यय औद्योगिक शिक्षा दी जा सकेगी। इस प्रकार मालिकों को अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की औद्योगिक-शिक्षा से अधिक लाभ होगा क्योकि इस शिक्षा की प्राप्ति के बाद उनकी कार्य-क्षमता अधिक हो जायगी।

इस प्रकार सैकिन्डरी टैक्नीकल स्कूल, काउन्टी-कालेज, टैक्नीकल कालेज तथा विश्वविद्यालय सभी सहयोग-पूर्ण-भावना से कार्य करेंगे। इस प्रकार की प्रदान की हुई शिक्षा का आधार यद्यपि औद्योगिक होगा, परन्तु इन व्यक्तियो का दृष्टिकोण उदार तथा उन्नत होगा जो वास्तव मे शिक्षित व्यक्ति के मुख्य गुण हैं।

विश्वविद्यालय और टैकनोलोजीकल संस्थाओ के कार्य स्पष्ट हैं। विश्वविद्यालय वैज्ञानिक भाग पर अधिक जोर देते हैं और टैकनोलोजीकल संस्थायें क्रियात्मक-ट्रेनिङ्ग को अधिक महत्वपूर्ण समझती हैं परन्तु औद्योगिक शिक्षा-क्षेत्र मे यह कार्य सहयोग से चलता है। औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओ के प्रतिनिधि टैकनीकल कालेजों के विभागों को समय-समय पर परामर्श देते हैं। सलाहकार-समितियाँ भी कालेजो को सलाह देती तथा पथ-प्रदर्शन का काम करती हैं।

अध्याय १०

अध्यापक-प्रशिक्षण

किसी भी शिक्षा-प्रणाली की सफलता मुख्यतः अध्यापकों पर निर्भर रहती है। यद्यपि स्कूल-भवन, अच्छा संगठन और दूसरी शिक्षा सामग्री की उपेक्षा नही की जा सकी, परन्तु सफलता का अधिकांश भाग अध्यापकों पर ही निर्भर रहता है। अध्यापकों के सहयोग से ही शिक्षा-प्रगति तथा उन्नति सम्भव हो सकती है। १९४४ के शिक्षा एक्ट के अनुसार लगभग ३ लाख अध्यापकों की और आवश्यकता होगी, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं और चुनाव में अधिक विस्तार कर दिया गया है। द्वितीय महायुद्ध के कारण भी अधिक अध्यापक प्राप्त नही हो सके और उनकी नियुक्ति में बाधा पड़ी। दूसरे व्यवसायों जैसे व्यापार, उद्योग आदि में अधिक वेतन मिलने के कारण लोग उन्ही व्यवसायों में नौकरी पाना पसन्द करते हैं।

साधारण रूप से दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थायें इंगलैंड और वेल्स में हैं। (१) ट्रेनिंग कालेज जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा स्वेच्छा-प्रेरित संस्थाओं द्वारा चलाये गये हैं। ये कालेज १८ साल या उससे ऊपर की आयु वाले छात्रों को दो साल की शिक्षा प्रदान करते है। उन छात्रों को जिन्होंने किसी ग्रामर-स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है तथा जिन्होंने उपयुक्त योग्यता की परीक्षा पास की है, ट्रेनिंग कालेजो मे प्राय इन छात्रों के लिए दो साल का

कोर्स होता है। शिक्षा और शिक्षण-व्यवसाय जैसे—क्रियात्मक शिक्षण (प्रैक्टिस इन टीचिंग) सम्मिलित रहते हैं। कुछ छात्र दो साल का कोर्स समाप्त करने के बाद विशेष योग्यता के लिए एक साल का कोर्स और लेते हैं। इन ट्रेनिंग कालेजों के अतिरिक्त गृह विज्ञान (डोमेस्टिक-साइन्स,) अध्यापको के लिए ट्रेनिंग कालेज, शारीरिक-शिक्षा के लिए ट्रेनिंग कालेज तथा कला-कौशल आदि के लिए भी ट्रेनिंग कालेज है। इस प्रकार के ट्रेनिंग कालेज लगभग १३० हैं। दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयो तथा कालेजो द्वारा स्थापित प्रशिक्षण विभाग हैं तथा इन्हीं विश्वविद्यालयों तथा कालेजो से सम्बन्धित हैं। इनमे प्रविष्ट होने वाले छात्र पहले ही तीन साल यूनीवर्सिटी-डिग्री प्राप्त करने मे व्यतीत कर चुकते हैं। इन प्रशिक्षण-विभागो में १ साल की व्यावसायिक-प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इस प्रकार के विश्वविद्यालयो द्वारा स्थापित लगभग २३ विश्वविद्यालय प्रशिक्षण-विभाग हैं।

द्वितीय युद्ध के बाद कुछ Post-war emergency Training Colleges (युद्धोत्तर आकस्मिक आवश्यकता पूरक प्रशिक्षा विद्यालय) भी स्थापित किये गये हैं। ये कालेज सेना तथा अन्य प्रकार की राष्ट्रीय-सेवा के हेतु स्त्री-पुरुषों के लिए चलाये गये हैं जो शिक्षण-व्यवसाय पसन्द करते हैं। इन कालेजो मे १ साल की शिक्षा दी जाती है। विशेष योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए ट्रेनिंग का समय बढ़ा दिया जाता है। इस कोर्स की समाप्ति के बाद २ साल का परीक्षा-काल होता है जिसमे अध्यापकों के काम की देख-भाल की जाती है। इस प्रकार के ट्रेन्ड अध्यापको तथा पूर्ण योग्यता प्राप्त अध्यापको के चुनाव मे कोई अन्तर नहीं होता है। इस योजना द्वारा अधिक संख्या मे अध्यापकों का प्रबन्ध किया जा रहा है, क्योकि लड़ाई के समय मे अध्यापन कार्य के लिए व्यक्तियों का चुनाव सम्भव नहीं हो सका था। इन 'इमरजेन्सी-कालेजों' का प्रबन्ध स्थानीय शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा-मंत्रालय के प्रतिनिधि की स्थिति से किया है जिनका सारा खर्च सरकारी कोष से दिया गया है। इन कालेजो मे पढ़ाने वाले अध्यापकों का चुनाव सब प्रकार के स्कूलों मे पढ़ाने वाले अनुभवी अध्यापकों मे से किया गया है (इनमे सेना के अनुभवी अध्यापक भी सम्मिलित है)। इस प्रकार के कालेजों की संख्या लगभग ५ है। मेडीकल कारणों से हटाये गये सेना के व्यक्तियों तथा सेकिन्डरी स्कूलो मे अध्यापिका बनने वाली स्त्रियो को भी ट्रेनिंग दी जाती है।

शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय, स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा और भी संस्थाये प्रत्येक प्रकार के अध्यापकों के लिए, जिनमे टैक्नीकल और कामर्शियल

स्कूल के अध्यापक भी शामिल हैं, विविध प्रकार के छोटे-छोटे कोर्सों का प्रबन्ध करती हैं।

विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग कालेज तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी मे निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो, इसके लिए Area Training Organisation A. T. O. (क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं) की स्थापना की गई है। ये तीनों सहयोगी प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षा केन्द्र स्थापित करते हैं जो शिक्षा सम्बन्धी रुचि तथा शिक्षा क्रियाओ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस स्थान पर ट्रेनिंग पाने वाले छात्र, ट्रेनिंग कालेज के प्राध्यापक और उस क्षेत्र के अध्यापक मिलकर शिक्षा समस्याओं पर विचार करके उनका हल ज्ञात करते हैं। यह एरिया ट्रेनिंग ओरगेनाईजेशन्स बहुधा यूनीवर्सिटी केन्द्रों से सम्बन्धित करके ही स्थापित किये जाते हैं। कई ट्रेनिंग कालेज मिलकर भी ऐसे केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं।

यह स्मरण रहे कि ट्रेनिंग कालेज बहुधा स्थानीय-शिक्षा अधिकारी और स्वेच्छा-प्रेरित सस्था द्वारा स्थापित किये जाते हैं और प्रशिक्षण विभाग यूनीवर्सिटी या यूनीवर्सिटी कालेज से सम्बन्धित होते हैं।

ब्रिटेन शिक्षा-प्रणाली मे बहुधा चार प्रकार के अध्यापक हैं :—

पहले अधिकांश योग्यता प्राप्त अध्यापक हैं, इसका निर्णय शिक्षा-मंत्रालय द्वारा बहुधा होता है; और इस विषय पर शिक्षा-मन्त्री को परामर्श 'नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल' देती है। इस काउन्सिल मे स्थानीय शिक्षा अधिकारी और ट्रेनिंग संस्थाओ को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस प्रकार के योग्यता प्राप्त अध्यापक दो साल पूर्ण-समय ट्रेनिंग कालेज मे शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलो में पढाने वाले अधिकतर अध्यापक योग्यता प्राप्त (Qualified teachers) हैं।

दूसरी श्रेणी मे 'ग्रेजुएट-टीचर्स' हैं। ये स्कूल से विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होते हैं और विश्वविद्यालय कोर्स की समाप्ति पर डिग्री प्राप्त करने के बाद १ साल की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

तीसरी श्रेणी में विशेष विषयों के अध्यापक हैं। इन लोगो की कम से कम शिक्षा योग्यता 'जनरल सार्टीफिकेट आफ एजूकेशन' है। यह प्रशिक्षण उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है जो उस विषय के पढ़ाने के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ—गृह-विज्ञान अध्यापक होने के लिये आवश्यक है कि ३ साल तक अध्यापक ने गृह-विज्ञान कालेज में शिक्षा प्राप्त की हो। शारीरिक शिक्षा के लिए भी ठीक इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा कालेज में तीन साल शिक्षा पाना आवश्यक है, जिससे वह उस विषय मे विशेषज्ञ हो सके। कला के अध्यापकों

के लिए ४ साल की शिक्षा आवश्यक है। म्यूजिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अलग कालेज हैं।

चौथी श्रेणी के अध्यापकों को प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों मे पढ़ाने की अनुभूति नहीं है। उपर्युक्त तीन श्रेणी के अध्यापक ही केवल 'प्राइमरी' तथा 'माध्यमिक' स्कूलों में कार्य कर सकते है। 'अग्र-शिक्षा' के लिए अध्यापक बहुधा औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों से चुने जाते हैं इसलिए किसी विशेष प्रशिक्षण योग्यता का नियम इनके लिए कड़े रूप से लागू करना कठिन ही रहता है।

सभी अध्यापक पहली वर्ष प्रोबेशन पर नियुक्त किये जाते है और एक साल बाद अपनी स्थिति में स्थायी कर दिए जाते हैं। इस एक साल की अवधि मे उन्हें अच्छा कार्य दिखाना होता है।

मैकनायर कमेटी ने जिसकी रिपोर्ट १६४४ मे प्रकाशित हुई थी, अध्यापकों की प्रशिक्षण प्रणाली सुधारने के लिये महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। कुछ सिफारिशों को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अनुसार भविष्य मे सार्वजनिक स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षण-व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। शिक्षकों की सामाजिक स्थिति और उनकी नौकरी की शर्तों मे काफी सुधारक हो गया है। उनके वेतन-क्रम मे भी वृद्धि हो गई है। स्थानीय शिक्षा संस्थाओं को आदेश दिया गया है कि कि वे ग्रामर स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों मे भर्ती किये गये बच्चों को शिक्षा-सम्बन्धी अवसर देती रहें जिससे वे आगे चलकर अध्यापक बन सकें। सन् १६४४ के शिक्षा-एक्ट के अनुसार विवाहित स्त्रियों को भी अध्यापिका बनने की अनुमति दी गई है। सन् १६४४ के एक्ट से पहले विवाहित स्त्रियाँ अध्यापिका नहीं बन सकती थीं। प्रशिक्षण-कोर्स दो साल के स्थान पर तीन साल का कर दिया गया है परन्तु अभी स्कूलों मे शिक्षकों की कमी के कारण इस सुधार को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

आजकल विशेष परिस्थितियों मे बिना ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए लोगों को भी अस्थायी रूप से अध्यापक नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दे दी जाती है। यह स्वीकृति केवल ५ साल के लिए दी जाती है। ऐसे अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे ट्रेनिंग लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे जिससे अस्थायी सेवा काल के बाद योग्यता-प्राप्त शिक्षक बन जायेंगे। 'मान्यता' देने के पहले प्रत्येक अध्यापक को एक साल परीक्षा-काल बिताना पड़ता है।

शिक्षकों को वेतन उस वेतन-क्रम के अनुसार दिया जाता है जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी और अध्यापक संघ की संयुक्त कमेटी ने तय कर दिया है।

स्कूल के अध्यापक भी शामिल हैं, विविध प्रक
करती हैं।

विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग कालेज तथा स्क
सम्बन्ध स्थापित हो, इसके लिए Area Trai
(क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं) की स्थाप
प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षा केन्द्र स्थापित व
शिक्षा क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता
छात्र, ट्रेनिंग कालेज के प्राध्यापक और
समस्याओं पर विचार करके उनका ह
ओरगेनाईजेशन्स बहुधा यूनीवर्सिटी
किये जाते हैं। कई ट्रेनिंग कालेज f
सकते हैं।

यह स्मरण रहे कि ट्रेनिंग काले
स्वेच्छा-प्रेरित संस्था द्वारा स्थापित
र्वासटी या यूनीवर्सिटी कालेज से स

ब्रिटेन शिक्षा-प्रणाली में बहुध

पहले अधिकांश योग्यता प्राप्त
द्वारा बहुधा होता है; और इस
एडवाइजरी काउन्सिल' देती है।
और ट्रेनिंग संस्थाओं को प्रति
प्राप्त अध्यापक दो साल पूर्ण
प्राइमरी तथा माध्यमिक स्
प्राप्त (Qualified teacher

दूसरी श्रेणी में 'ग्रेजुए
होते हैं और विश्वविद्यालय
साल की व्यावसायिक शि

तीसरी श्रेणी में वि
कम शिक्षा योग्यता 'जन
उस विशेष उद्देश्य की
है। उदाहरणार्थ —गृह
तक अध्यापक ने गृह
के लिए भी ठीक इसी
आवश्यक है, जिससे

युवक-क्लबों और सामाजिक केन्द्रों की सेवा के लिए अपना पूरा समय देते हैं।

बर्नहम-कमेटी की सफलता के लिए शिक्षकों की सद्भावना, सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। समय-समय पर बर्नहम-कमेटी को कठिनायों का सामना करना पड़ता है, परन्तु यह सब समस्यायें सभी हल हो जाती हैं। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन पाँच मुख्य सिद्धान्तो पर निर्भर रहता है।

(१) वेसिक-क्रम जो पुरुष तथा स्त्रियो के लिए अलग-अलग है, जो सभी योग्यता-प्राप्त शिक्षकों के लिए लागू होता है।
(२) अध्यापक की योग्यता।
(३) ट्रेनिंग की अवधि।
(४) उत्तरदायित्व के अनुसार वेतन-वृद्धि।
(५) लन्दन क्षेत्र में नौकरी करने वाले व्यक्ति।

वेतन निश्चित करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

अध्यापक सामान्य रूप से १८ वर्ष की अवस्था पर स्कूलो से भर्ती किये जाते हैं और कम से कम २ वर्ष की शिक्षा और प्राप्त करते हैं जिसमें सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। स्कूलो मे पढ़ाने का क्रियात्मक अनुभव भी इसमे सम्मिलित है। अध्यापकों की भर्ती केवल स्कूलो तक ही सीमित नहीं है परन्तु बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ भी भर्ती होती हैं जिन्होने एक या दो साल उद्योग तथा व्यापार में कार्य किया हो। 'अग्र-शिक्षा' के लिए व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों से सीधी भर्ती होती है।

साधारण योजना तथा नीति बनाना 'नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल' के अधिकार मे है। यह विभाग शिक्षा-मन्त्री को दो विषयो पर परामर्श देता है (१) भर्ती की समस्या जिसमे कालेज मे विद्यार्थियो की कितनी संख्या प्रविष्ट हो जिससे नियमित रूप से अध्यापक मिल सकें।

(२) पाठ्यक्रम, प्रविष्ट होने का मापदण्ड और योग्यता प्राप्त अध्यापक के बनने के लिए आवश्यकतायें। प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयो मे अध्यापकों की संख्या इस समय २,३०,००० के लगभग है। युद्ध के बाद सेना से लौटे हुए व्यक्तियों को युद्धोत्तर आकस्मिक आवश्यकता-पूरक प्रशिक्षा विद्यालयों मे अध्यापको की शिक्षा देने के बाद शिक्षा व्यवसाय मे ले लिया गया।

इस समय इंगलैंड मे योग्यता प्राप्त अध्यापिकाओं की बहुत कमी है, इसके दो कारण हैं—(१) ५ वर्ष की अवस्था वाले बच्चो की आबादी मे वृद्धि, जिनके

पढ़ाने के लिये स्त्री अध्यापिकाओं की आवश्यकता है। (२) अधिकतर एमर-जेन्सी स्कीम में लिए जाने वाले पुरुष थे।

यूनीवर्सिटी-क्षेत्रों में स्थिति क्षेत्रीय प्रशिक्षण संगठनों का कार्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। वे शिक्षा-कार्य में प्रभावशाली सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इस संगठन में विश्वविद्यालय, उस क्षेत्र के ट्रेनिंग कालेज तथा स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। यह संस्था उस क्षेत्र के अध्यापक-प्रशिक्षण के सामान्य संगठन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार प्रत्येक ट्रेनिंग कालेज किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित रहता है जिसे 'इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन' के नाम से पुकारते हैं। इससे शिक्षा-क्षेत्र में गवेषणात्मक सुविधायें प्राप्त होती रहती हैं और अध्यापक प्रशिक्षण क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विकास होते रहते हैं। 'लन्दन इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन' इस प्रकार के A. T. O. का अच्छा उदाहरण है।

अध्याय ११

विशिष्ट सेवायें

(Special Services)

ब्रिटेन में लगभग पिछले चालीस वर्षों से यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है और शिक्षा-प्रणाली द्वारा इस उत्तरदायित्व का निर्वाह भली-भाँति किया जा सकता है। इस प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्ट सेवायें शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और शिक्षा-उद्देश्य के सफल होने में सहायता करती हैं। इन विशिष्ट सेवाओं में पाठशाला स्वास्थ्य सेवा, बच्चों को भोजन तथा दुग्ध दिये जाने का आयोजन, निर्धन विद्यार्थियों को जूते तथा वस्त्र दिये जाने का प्रबन्ध तथा शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिये विशिष्ट स्कूलों में विशेष शिक्षा-चिकित्सा इत्यादि का आयोजन सम्मिलित हैं।

भूखे, दुर्बल तथा रोग-ग्रसित बच्चे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते, इसलिये यह आवश्यक है कि उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाय। निर्धन बच्चों को सन्तुलित भोजन तथा दूध दिया जाय जिससे वे स्वस्थ रहकर ठीक प्रकार अध्ययन कर सकें। शारीरिक तथा मानसिक रूप से अयोग्य बच्चों को अन्य भाग्यवान बच्चों की सी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऐसे पिछड़े बच्चों के लिये स्पेशल एजूकेशन ट्रीटमेन्ट (विशेष-शिक्षा-चिकित्सा) की भी व्यवस्था की गई है।

प्रजातान्त्रिक-सिद्धान्तों के अनुसार इन बच्चों को भी उचित शिक्षा अवसर प्रदान किये जाने चाहिये जिससे वे अपनी शारीरिक तथा मानसिक योग्यता अनुसार उन्नति कर सकें।

इसके अतिरिक्त शिक्षालय स्वास्थ्य सेवा में विद्यार्थियों के दाँतों की रक्षा तथा सेवा और उनकी उचित भोजन-सेवा भी सम्मलित है।

(१) स्कूल चिकित्सा तथा दाँत सेवा :—१९४४ के शिक्षा एक्ट के अनुसार स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे शिक्षालयों में उपस्थित बच्चों के लिये निःशुल्क चिकित्सा निरीक्षण की व्यवस्था करें। विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क दाँत-सेवा का प्रबन्ध करें। इस कर्त्तव्य का पालन शिक्षालय चिकित्सा सेवा की स्थापना द्वारा किया जा सकता है जिसके अनुसार बच्चों का स्वास्थ्य-निरीक्षण तथा छोटे-छोटे रोगों की चिकित्सा की जा सकेगी। यदि आवश्यकता समझी जाय तो अस्पताल की सेवा तथा विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त की जा सके। यह मुख्य सिद्धान्त स्मरणीय है कि स्कूल में अध्ययन करने वाला बच्चा प्रत्येक प्रकार की चिकित्सा-सेवा प्राप्त कर सके, और उसके संरक्षकों को कुछ व्यय न करना पड़े। नियमित रूप से बालकों का स्वास्थ्य निरीक्षण हो और आँख, कान, दाँत गले की बीमारियों की दवा की जाय। राष्ट्र की उन्नति उसके भावी नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर है, इसलिये इन शिक्षालय चिकित्सा तथा दाँत सेवाओं का अधिक महत्त्व है। सन् १९४८ में स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना से शिक्षालय के बालकों को और अधिक सुविधायें प्राप्त हो गई हैं और शिक्षालय चिकित्सा गृहों में दंत चिकित्सा की पूरी-पूरी व्यवस्था रक्खी गई है। साधारणतः प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षालय चिकित्सा-गृह की स्थापना की गई है। प्रत्येक स्थानीय-शिक्षा अधिकारी का नियमित चिकित्सा निरीक्षण विभाग होता है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य है कि बालकों के स्वास्थ्य के हित में सभी प्रकार की डाक्टरी-परीक्षा तथा चिकित्सा का आयोजन करें। इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा बालकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रक्खा जाता है।

(२) शिक्षालय भोजन तथा दुग्ध-सेवा :—निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा भोजन के अभाव के कारण ठीक प्रकार नहीं हो पाती थी। सन् १९०६ से स्थानीय शिक्षा अधिकारी स्कूल में निर्धन बालकों को भोजन, दुग्ध की व्यवस्था करती थीं, जिससे बालक शिक्षा द्वारा पूरा लाभ उठा सकें। युद्ध के आरम्भ होने से पहले भोजन केवल उन बालकों को दिया जाता था जिन्हें स्वास्थ्य-दायक भोजन घर पर नहीं मिलता था और वे दोपहर के भोजन के लिये स्कूल से घर पर नहीं जा सकते थे। युद्ध के समय से शिक्षालय भोजन सेवा का बहुत

विस्तार हो गया है और सभी बालकों को यह सुविधा प्रदान की जाने लगी है जिससे बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। यह राज्य की नीति है कि स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुशासित सभी स्कूलों में बालकों को भोजन और दूध उनके संरक्षकों के बिना किसी व्यय के दिया जाय।

प्रत्येक स्थानीय शिक्षा-अधिकारी को एक विद्यालय भोजन-सेवा की स्थापना में विद्यालय भोजन व्यवस्थापक की नियुक्ति आवश्यक है जो इस भोजन-सेवा के लिये आवश्यक सुविधाओं तथा सामग्रियों की व्यवस्था करे। इस समय यह भोजन योजना सफल हो रही है, विद्यालयों में रसोई घरों की व्यवस्था भी करती है और इंगलैंड की सरकार विद्यालय भोजन व्यवस्था पर पर्याप्त धन-राशि व्यय करती है। बालकों के स्वास्थ्योन्नति के अतिरिक्त भी इस विद्यालय भोजन-व्यवस्था से उनमें दूसरे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। एक साथ भोजन प्राप्त करने से अच्छी आदतों का विकास होता है। इंगलैंड में विद्यालय भोजन व्यवस्था शिक्षा-सेवा का आवश्यक अंग बनी रहेगी।

(३) शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा-सेवा : इस शिक्षा-एक्ट द्वारा स्थानीय शिक्षा-संस्थाओं को आदेश दिया गया है कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए विशेष शिक्षा चिकित्सा का आयोजन करें, क्योंकि ऐसे बच्चे और साधारण बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते हैं। सन् १९४४ के शिक्षा ऐक्ट ने शिक्षा-मन्त्री तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को ऐसे असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए अधिकार प्रदान किए और 'विशेष स्कूलों की स्थापना' उनका कर्त्तव्य बनाया गया। कहने का अर्थ है कि बच्चों को उनकी अवस्था, योग्यता तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार इन दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए उचित शिक्षा अवसर प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य है। इस प्रकार के विशेष स्कूलों के आयोजन के लिए निकटवर्ती स्थानीय-शिक्षा अधिकारी का परस्पर सहयोग आवश्यक है। कभी एक स्थानीय शिक्षा-अधिकारी कम सुनने वाले (बहिरे) बच्चों के लिये स्कूल स्थापित कर सकती है और उसकी निकटवर्ती शिक्षा-अधिकारी अन्धे बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना कर सकती है। दोनों ही एक दूसरे के असमर्थ बच्चों के लिए सहयोग भावना से शिक्षा दे सकती हैं।

भिन्न प्रकार के बालक जिनके लिये 'विशिष्ट शिक्षक उपचार' की आवश्यकता है, निम्नांकित हैं—

(अ) 'अन्धे बालक वे हैं जो या तो देख नहीं सकते या उनकी दृष्टि इतनी

खराब है कि वे ऐसी प्रणाली से शिक्षा पाते है जिसमें दृष्टि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती उन्हें साधारणतया अन्धों के स्कूल में शिक्षा दी जाती है, जिसमें लिखना पढ़ना ब्रेल (उभरे हुए अक्षरों) माध्यम द्वारा सिखाया जाता है।

(ब) अपूर्ण दृष्टि-पात छात्र वे हैं जो अपनी खराब दृष्टि के कारण साधारण पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। यदि वह अधिक प्रयत्न करते हैं तो उनकी दृष्टि को हानि होने की सम्भावना रहती है।

(स) बहिरे तथा अपूर्ण बहिरे छात्र—इनकी शिक्षा के लिए विशेष विधियों अथवा सुविधाओं की आवश्यकता होती है तथा दोनों को अलग-अलग शिक्षालयों मे शिक्षा दी जाती है।

(द) कमज़ोर बच्चे—खुली हवा में स्कूलों का आयोजन इनके लिए किया गया है। इन बच्चों के स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। शिक्षकों का मत है कि आधुनिक प्रारम्भिक विद्यालय, शिशालय स्वास्थ्य, भोजन तथा दूध सेवा द्वारा सभी छात्र कुछ समय बाद स्वस्थ हो सकेंगे और ऐसे स्कूल अनावश्यक हो जायेंगे।

(य) मधुमेह से पीड़ित बच्चे—ऐसे छात्रों को छात्रावास में रक्खा जाता है। ऐसे छात्रावास बहुधा स्वेच्छा-प्रेरित संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। यह समस्या शिक्षा से इतनी सम्बन्धित नहीं है जितनी स्वास्थ्य तथा गृह से सम्बन्धित है। छात्रावास मे रखकर साधारण शिक्षालयों मे इनकी शिक्षा दी जाती है।

(र) शिक्षा मे औसत से नीचे वे छात्र हैं जो अपनी सीमित योग्यता के कारण उनकी शिक्षा साधारण बुद्धि वाले बच्चों के साथ नहीं हो सकती है। एक मन्द बुद्धि छात्र एक अधिक बुद्धि वाले बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा, तथा शिक्षण-विधि से लाभ नहीं उठा सकता है। उनके लिए सरल पाठ्य-क्रम तथा अधिक साक्षात् तथा सजीव शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। व्यवहार की समस्या प्रदर्शन करने वाले बालकों के लिए भी विशेष स्कूलों की स्थापना की गई है।

(ल) मृगी रोग सम्बन्धी छात्रों की व्यवस्था विशेष विद्यालयों मे की जाती है। मृगी रोग के वह छात्र जो व्यवहार-समस्या भी प्रदर्शित करते है, विशेष विद्यालय योजना उनके लिए आवश्यक है।

(व) असमंजित बच्चे जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि-कोण से असन्तुलित होते हैं—इन बालकों के लिए विशेष शिक्षा प्रकार की आवश्यकता है। यह व्यवहार समस्या भी दिखाते है तथा कभी-कभी

अपराध भी करते हैं। युद्ध के कारण बाल-अपराधों की समस्या ने उग्र-रूप धारण कर लिया था और यह आवश्यकता समझी गई कि ऐसे बच्चों का पथ-प्रदर्शन किया जाय। बाल अपराधों में मजिस्ट्रेट सामाजिक कार्य-कर्त्ता, शिक्षालय, मनोवैज्ञानिक, अभिभावक सभी से परामर्श लेकर कार्य करता है।

(स) शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों की शिक्षा-समस्या का प्रबन्ध विशिष्ट शिक्षालयों में किया गया है जिनको अस्पताल सहित विशिष्ट शिक्षालय कहते हैं।

(द) वाणी दोष युक्त बच्चे— ऐसे छात्रों के लिए स्थानीय शिक्षा अधिकारी वाणी चिकित्सकों का परामर्श तथा सेवा प्राप्त करते हैं। हकलाने तथा अन्य बोली के विकार वाले बच्चों को उनका दोष दूर करने मे सहायता करते हैं।

(य) अधिक असुविधा प्राप्त बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध शिक्षा-मन्त्रालय, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के सहयोग से होता है।

(४) मनोवैज्ञानिक सेवा : यह सेवा स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा विकसित की गई है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति करती है जो चीफ एजूकेशन अफसर के स्टाफ पर काम करता है जो बच्चो का पथ-प्रदर्शन करता है। व्यवहार-समस्या वाले बच्चो, मन्द-बुद्धि वाले बच्चों तथा बाल अपराधों की समस्याओ को सुलझाने मे मनोवैज्ञानिक से सहायता मिलती रहती है। यह वैज्ञानिक व्यावसायिक पथ-पदर्शन मे भी सहायता करता है। बच्चो की पथ-प्रदर्शन सेवा का शिक्षा-सेवा से घनिष्ट सम्बन्ध है।

वास्तव में शिक्षक को इस क्षेत्र का वास्तविक अनुभव होता है, और जहाँ विशेष कठिनाइयाँ समक्ष आती हैं, वहाँ पर उसे विशेषज्ञ की सलाह लेनी होती है और इसी उद्देश्य से बालक के विषय मे मनोवैज्ञानिको से सलाह लेनी पड़ती है और बच्चों को 'बच्चा पथ-प्रदर्शक' क्लिनिक मे भेजा जाता है। यह पथ-प्रदर्शन शिक्षा का आवश्यक अङ्ग है।

(५) शिक्षा में गवेषणात्मक कार्य : अनुसन्धान शिक्षा का आवश्यक अंग है, कोई भी शिक्षा-प्रणाली इस गवेषणात्मक कार्य के बिना उन्नति नहीं कर सकती। प्रत्येक विश्वविद्यालय का शिक्षा-विभाग इस शिक्षा-गवेषणा मे संलग्न रहता है। इंस्टीटयूट्स आफ एजूकेशन, एरिया ट्रेनिंग ऑरगेनाइजेशन्स ट्रेनिंग कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को निकट सम्पर्क में लाते हैं जिससे

शिक्षा गवेषणा कार्य को प्रोत्साहन मिलता रहता है। इंगलैंड और वेल्स विस्तृत रूप से शिक्षा विषयों पर खोज होती रहती है। विश्वविद्याल स्थानीय शिक्षा अधिकारियों तथा अध्यापकों के सहयोग से शिक्षा-गवेषणा लिए राष्ट्रीय-संस्था की स्थापना हुई है। इस संस्था को स्थानीय अधिकारि से आर्थिक सहायता मिलती है।

(६) युवकों को कार्य दिलाने की सेवा (यूथ एम्पलायमेंन्ट सर्विस) :- यह सेवा शिक्षा-मन्त्रालय तथा श्रम-मन्त्रालय का सम्मिलित उत्तरदायित्व है नवयुवक लड़के तथा लड़कियों को स्कूल छोड़ने के बाद औद्योगिक तथा व्याप रिक जीवन में प्रविष्ट होने के लिए पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। इसलि यह आवश्यक है कि एक ऐसी सेवा होनी चाहिए जो व्यावसायिक पथ-प्रदर्श करे और लड़कों तथा लड़कियों को उपयुक्त कार्य दिलाने में सहायता करे इस सेवा का नाम 'यूथ एम्पलायमेंन्ट सर्विस' है और श्रम-मन्त्रालय पर प्रभा डालती है, स्कूलों तथा शिक्षा-मन्त्रालय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी प भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में एक यूथ एम्पलायमेंन्ट अफसर होता है जिसकी सहायता के लिए उसके अधीनस्थ व्यक्ति होते हैं जो स्कूल छोड़ने वाले लड़कों तथा लड़कियों को परामर्श देते हैं। स्कूल में ही इन छात्र का इन्टरव्यू कर लिया जाता है।

नवयुवकों को उपयुक्त कार्य 'यूथ एम्पलायमेंन्ट-सर्विस' द्वारा दिलाया जाता है और १८ साल की अवस्था तक छात्रों की सहायता ये संस्थायें करती रहती हैं। यूथ एम्पलायमेंन्ट अफसर संक्षेप में अध्यापक तथा नौकरी पर रखने वाले मालिक के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य करता है। वह काम पर नियुक्त करने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क में रहता है और पता लगता रहता है किस प्रकार के नवयुवकों की उन्हें आवश्यकता है और उनके लिए क्या अवसर है। यूथ एम्पलायमेंन्ट अफसर स्कूलों के सम्पर्क में भी रहता है और स्कूल छोड़ने वाले लड़के जो काम तलाश कर रहे हैं का पता लगाता रहता है। यह उद्योग तथा व्यवसाय में अनुभवी व्यक्तियों को विभिन्न नौकरियों के भविष्य के बारे में बताते रहते हैं। प्रभावशाली 'यूथ एम्पलायमेंन्ट सर्विस' शिक्षा तथा व्यवसाय तथा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के मध्य 'सद्भावना' तथा 'सहयोग' भावना स्थापित करती है और लोगों को उपयुक्त व्यवसायों पर लगा देती है अर्थात् ये व्यक्ति अपनी योग्यताओं तथा रुचियों के अनुकूल किसी काम में लग जाते हैं। स्वास्थ्य या चरित्र के लिए हानिकारक या अनुप-युक्त कार्यों में ये लड़के नहीं लगते हैं। जहां तक सम्भव होता है राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। यूथ-एम्प्लामेंन्ट अफसर लड़के-लड़कियों

के नौकरी करने के आरम्भिक-काल मे उनके सम्पर्क मे रहते हैं। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि उन्हे सन्तोषजनक काम मिल गया है।

(७) शिक्षा-कल्याण-सेवा (एजूकेशन वेलफेयर सर्विस) . यहाँ उन पदाधिकारियो से सम्बन्ध है जो स्कूलों तथा घरों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। स्कूल अवस्था के बालकों को कारखाने इत्यादि मे कार्य करने आदि के प्रतिबन्धो को देखते हैं कि उनका पालन ठीक प्रकार किया जा रहा है या नही। प्रभावशाली कल्याण-सेवा वास्तव मे अपराधी तथा कुसगति बच्चों के सुधार मे बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। बच्चों के घरो से सम्पर्क में उनकी समस्याओ का समझ कर सुलझाया जा सकता है। स्कूल से भागने वाले बालक का शीघ्रातिशीघ्र पता लगना आवश्यक है। ऐसे बालक के सरक्षको तथा स्कूल अधिकारियो को भी इस बात का पता लग जाना चाहिए जिससे वे उसे बुरे साथियो की सगत से बचा सकें।

(८) नर्सरी स्कूल तथा नर्सरी कक्षायें : इसमे पृथक नर्सरी स्कूल २ से ५ साल की अवस्था वाले बालको के लिए सम्मिलित हैं। नर्सरी कक्षायें जो प्राइमरी स्कूलो से सम्बन्धित हैं। बहुधा ३ साल से ५ साल की अवस्था के बालको के लिए हैं। इनमे उपस्थिति सरक्षको की इच्छा पर निर्भर है। (अनिवार्य उपस्थिति नही है)। परन्तु स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य है कि वे आवश्यकता के क्षेत्रों मे इनकी स्थापना करें।

राष्ट्रीय-स्तर पर 'नर्सरी-स्कूल एसोसियेशन' नर्सरी स्कूलों के विकास को प्रोत्साहन देती रही है। इस समय कठिन आर्थिक परिस्थितियो के कारण नर्सरी स्कूल तथा कक्षायें उन बच्चो के लिए हैं जिनकी मातायें कार्य करती हैं या दूसरे कारणो से उन बच्चो की दिन मे देख-भाल की जानी चाहिए। नर्सरी स्कूल शिक्षा वास्तव में बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योकि बच्चो को रचनात्मक खेल व कार्यों मे लगे रहने की प्रवृति का विकास करती है।

वास्तव में 'विशेष-सेवा' का ब्रिटेन शिक्षा-प्रणाली में विशेष अर्थ होता है। पहले स्कूल चिकित्सा-सेवा, दाँत-सेवा तथा शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा-व्यवस्था का अर्थ था। परन्तु उपर्युक्त 'विशेष-सेवायें' भी शिक्षा-प्रणाली का आवश्यक अंग हैं क्योंकि इन सभी का प्रभाव स्कूलो पर पड़ता है।

अध्याय १२

१९४४ का शिक्षा-एक्ट

संसार के शिक्षा-इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट बहुत कम मिलते हैं, यह एक्ट इङ्गलैण्ड की राष्ट्रीय-शिक्षा प्रणाली में उन्नति का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस एक्ट ने शिक्षा-क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किये हैं, और इङ्गलैण्ड की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक-उन्नति के लिए आवश्यक पृष्ठ भूमि तयार की है। इस एक्ट को 'बटलर-एक्ट के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इस एक्ट का उस समय के बोर्ड आफ एजूकेशन के प्रेसीडेन्ट श्री० आर० ए० बटलर ने पालियामेंण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। इङ्गलैण्ड के सामाजिक तथा आर्थिक पुर्नानर्माण की ओर यह पहला कदम है। पिछले पृष्ठों में इस एक्ट की पृष्ठ भूमि के विषय में बताया गया है और इङ्गलैण्ड की उस समय की राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के विषय में उल्लेख किया गया है।

इस एक्ट द्वारा लाये गये प्रमुख परिवर्तन निम्नांकित हैं।

(१) इस एक्ट के अनुसार सन् १९०० में स्थापित 'बोर्ड आफ एजूकेशन' का स्थान मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन' ने ले लिया और इसके 'प्रेसीडेन्ट' को शिक्षा मन्त्री का नाम दिया गया।

सन् १९०० में बोर्ड आफ एजूकेशन की स्थापना में इसका प्रेसीडेन्ट "प्रेसीडेन्ट आफ दी बोर्ड आफ एजूकेशन कहलाया।

सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार "शिक्षा मन्त्रालय" हुआ इसके अध्यक्ष "शिक्षा-मन्त्री"

(२) शिक्षा-मन्त्री का कर्त्तव्य इंगलैण्ड तथा वेल्स निवासियों के हेतु शिक्षा की उन्नति करना है।

(३) शिक्षा-मन्त्री का कर्त्तव्य इङ्गलैण्ड की शिक्षा को राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना तथा यह देखना कि स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा में राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं।

(४) शिक्षा-मन्त्री, सभा-सचिव तथा ऐसे अफसरों की नियुक्ति करें जिनको आवश्यक समझें।

(५) शिक्षा-मन्त्री प्रति वर्ष संसद के समक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और संसद के समक्ष पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

(६) दो केन्द्रीय परामर्श परिषद (Two Central Advisory Councils) का कार्य शिक्षा-मन्त्री को शिक्षा-विषयों पर परामर्श देना होगा। उनमें से एक सभा इङ्गलैण्ड के लिये तथा दूसरी वेल्स के लिये होगी।

(७) 'काउन्टी' के लिये स्थानीय शिक्षा अधिकारी का नाम 'काउन्टी काउन्सिल' होगा तथा काउन्टी-बरो के लिये अधिकारी का नाम 'काउन्टी बरो काउन्सिल होगा।

(८) यदि शिक्षा-मन्त्री उचित समझे तो वे 'जोइन्ट-बोर्ड' भी स्थापित कर सकते हैं।

(९) सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था तीन भागों में की जायगी—
(अ) प्रारम्भिक, (ब) माध्यमिक, (स) उच्च-शिक्षा।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों की सीमा के अन्दर आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये उत्तम-शिक्षा का प्रबन्ध करें जो उस क्षेत्र की जनसख्या के लिये पर्याप्त हो।

(१०) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा अग्रिम-शिक्षा के लिये अपने क्षेत्र में उचित आयोजन करे। ऐसे शिक्षालय शिक्षा-स्तर तथा शिक्षा सामिग्री दृष्टि से पर्याप्त हो।

(११) स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित शिक्षा विद्यार्थियों की आयु, योग्यता तथा अभिरुचि के अनुसार होनी चाहिये।

(अ) प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षण अलग-अलग विद्यालयों में दी जाय।

(ब) २ से ५ वर्ष के बालकों के लिए 'नर्सरी स्कूलों की स्थापना।
(स) शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के लिये विशेष विद्यालयों का आयोजन तथा उनके लिये विशिष्ट-शिक्षा चिकित्सा का प्रबन्ध अर्थात् ऐसी सरल शिक्षा-विधियों से पढ़ाना जो उनके उपयुक्त हों।

(द) जिन बालकों के लिये छात्रावास में रहकर शिक्षा-प्रदान करने की आवश्यकता समझी जाय, उनके लिये छात्रावास की उचित व्यवस्था करना।

(य) 'एलीमेन्टरी' शब्द की जगह पर 'प्राइमरी शब्द का प्रयोग किया गया है।

(र) स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुपालित 'आरम्भिक' तथा 'माध्यमिक विद्यालय, जो शिशु-शिक्षालय' या 'विशेष विद्यालय' नहीं हैं, काउन्टी-स्कूल कहे जायेंगे।

यदि इस अधिकारी के अतिरिक्त किसी और संस्था ने उनकी स्थापना की है तो उन्हें स्वेच्छा-प्रेरित स्कूल (Voluntary Schools) कहा जायगा।

(११) स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपनी-अपनी शिक्षा आवश्यकताओं के अनुसार 'विकास-योजना' बनाकर एक नियत-अवधि में शिक्षा-मन्त्री को प्रस्तुत करेंगे।

(१२) स्वेच्छा-प्रेरित संस्थाओं के स्कूलो की निम्नांकित तीन श्रेणियाँ होंगी।

(अ) नियन्त्रित स्कूल—वह स्वेच्छा-प्रेरित संस्थाओं द्वारा चलाये स्कूल हैं जिन्हे स्थानीय शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से अनुपालित करती है। भवन बनाना, उसकी मरम्मत इत्यादि का पूर्ण व्यय देती है। केवल इनके प्रबन्धकों को अध्यापक-नियुक्ति तथा धार्मिक-शिक्षा सम्बन्धी कुछ अधिकार दिये जाते हैं।

(ब) सहायता प्राप्त स्कूल : जिनमें प्रबन्धक अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं, धार्मिक शिक्षा के लिये उत्तरदायी होते हैं तथा आधा खर्च भवन-निर्माण तथा मरम्मत मे करते हैं।

(स) विशेष समझौते वाले स्कूल : स्थानीय शिक्षा-अधिकारी से भवन-निर्माण, परिवर्तन और सुधार व्यय प्राप्त करते हैं।

(१३) शिक्षा-मन्त्री द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार ही अनुपालित शिक्षालयों की शिक्षालय स्थिति, भवन, खेल के मैदान आदि होंगे।

यह आवश्यकतायें सभी स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को मान्य होंगी।

(१४) प्राइमरी स्कूल के प्रबन्धक 'मैनेजर' तथा माध्यमिक, स्कूलो के प्रबन्धक 'गवर्नर' कहलायेंगे।

(१५) प्रत्येक संरक्षक का कर्तव्य होगा कि अनिवार्य स्कूल अवस्था के बच्चे को उसकी अवस्था, योग्यता और अभिरुचि के अनुसार शिक्षा दिये जाने का आयोजन करें।

५ से १५ वर्ष की अवस्था तक के बालकों के लिये शिक्षा तथा निःशुल्क है।

५ से ११ वर्ष तक 'प्रारम्भिक शिक्षा'
११ से १५ " 'माध्यमिक शिक्षा'
१५ से १८ वर्ष तक 'अग्रिम शिक्षा'।

(१६) स्थानीय शिक्षा अधिकारी १५ से १८ साल के बालको के लिये पर्याप्त अग्रिम शिक्षा का आयोजन करें।

(अ) अनिवार्य शिक्षा-आयु से अधिक अवस्था वाले बालको के लिए पूर्ण या आंशिक समय को शिक्षा आयोजन करें।

(ब) सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी क्रियाओं का आयोजन जो इनकी आवश्यकता के अनुकूल हों।

(स) 'अग्रिम-शिक्षा' के लिए काउन्टी कालेजो की स्थापना करना तथा १५ से १८ साल के नवयुवको की पूर्ण या आंशिक समय की शिक्षा इनमे हाजिरी आवश्यक है।

(१६) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वे नियमित रूप से बालको की स्वास्थ्य परीक्षा करायें और निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन करें।

(२०) स्थानीय शिक्षा अधिकारी अपने द्वारा अनुपालित स्कूलों मे शिक्षामन्त्री द्वारा बनाये हुए नियमों के अनुसार दूध तथा भोजन का आयोजन करेंगे।

(२१) स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुपालित शिक्षालयो मे गरीब बालकों के लिये कपड़ों की व्यवस्था करना, जिससे वे ठीक प्रकार अध्ययन कर सकें।

(२२) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि उनके क्षेत्र मे दी जाने वाली प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा अग्रिम शिक्षा मे पर्याप्त मनोरंजक,

सामाजिक तथा शारीरिक व्यायाम क्रियाओं के लिए सुविधायें सम्मिलित हैं।

(२३) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह मेडीकल अफसर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य कपड़ों की सफाई के हित के लिये निरीक्षण कराये।

(२४) स्थानीय शिक्षा अधिकारी अधिक दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क यातायात की सुविधाओं का प्रबन्ध करें।

(२५) शिक्षा-मंत्री 'स्वतन्त्र-विद्यालयों' के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे और इन विद्यालयों का निरीक्षण उचित समय पर हुआ करेगा।

(२६) जहाँ तक सम्भव होगा विद्यार्थी अपने संरक्षकों की इच्छानुसार ही पढ़ाये जायेंगे। शिक्षा-मन्त्री तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे।

(२७) स्थानीय शिक्षा अधिकारी छात्र-वृत्तियों तथा अन्य साधनों द्वारा विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।

(२८) स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा मन्त्री की अनुमति से शिक्षा-गवेषणा के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(२९) स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा मन्त्री की अनुमति से किसी भी विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बन्धित कालेज को *अग्रिम-शिक्षा सुधार* के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(३०) *स्थानीय शिक्षा अधिकारी* को 'चीफ ऐजूकेशन अफसर' की नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

(३१) बर्नहम-कमेटी की सिफारिश शिक्षा-मन्त्री द्वारा स्वीकार हो जाने पर प्रत्येक शिक्षा अधिकारी उसी के अनुसार अध्यापकों को वेतन देगी।

(३२) प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी शिक्षा मन्त्री को आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करेगी।

(३३) उचित साधन प्राप्त होते ही अनिवार्य-आयु सीमा १५ वर्ष के स्थान पर १६ वर्ष करदी जायगी।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुपालित किसी भी विद्यालय मे शिक्षा-शुल्क नहीं लिया जायगा।

(३४) धार्मिक-शिक्षण तथा सामूहिक-प्रार्थना प्रत्येक शिक्षालय के लिए अनिवार्य कर दी गई। किसी भी विद्यार्थी को सामूहिक प्रार्थना से मुक्ति पाने की व्यवस्था रक्खी गई है।

(३५) सन् १९४४ के शिक्षा-एक्ट ने 'द्विगंस्य नियन्त्रण' सम्बन्धी सम-

झौता स्थापित किया। स्वैच्छिक-शिक्षालयों के तीन वर्ग बना दिये गये। (क) नियन्त्रित, (ख)सहायता प्राप्त (ग) विशिष्ट समझौते वाले। ये शिक्षालय विशेष शर्तों के अनुसार शिक्षा-मंत्रालय तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते है।

सन् १६४४ के शिक्षा-एक्ट की किन्ही शिक्षा-दर्शो में आलोचनायें की गई हैं। आलोचको के मत मे यह एक्ट सफल नही हो सका है क्योकि अनिवार्य आयु सीमा १६ साल तक नहीं बढ़ाई गई है।

'काउन्टी कालेजों की स्थापना की योजना भी अधिक सफल नही हो सकी है।

इस एक्ट के समर्थकों के मत में आलोचनायें निराधार हैं। उचित समय, आर्थिक साधन प्राप्त होते ही ये सभी बातें कार्यान्वित की जायेंगी। अध्यापको की कमी को भी अधिक प्रशिक्षण संस्थाये खोलकर पूरा किया जा रहा है। समर्थको के मत में इस एक्ट ने उस सुधार का पथ तैयार कर दिया है जिससे इंगलैंड अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा-उन्नति करता रहेगा।

परिशिष्ट—१

१९४६ का शिक्षा-एक्ट

इस शिक्षा-एक्ट ने १९४४ के शिक्षा-एक्ट की धाराओं को स्पष्ट तथा संशोधित किया और २२ मई सन् १९४६ को इसे राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। इसकी मुख्य धारायें यह हैं :—

(१) स्थानीय शिक्षा अधिकारी को विशेष परिस्थितियों में एक नियन्त्रित शिक्षालय के ऐसे विस्तार के व्यय देने का अधिकार होगा जो वास्तव में एक नवीन शिक्षालय की स्थापना के बराबर हो।

(२) स्थानीय शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्वेच्छिक स्कूलों के लिए अस्थायी रूप से स्थान प्रदान कर सकते हैं।

(३) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वे नियन्त्रित स्कूल के शिक्षालय-भवन बनवायें, तथा उन्हे मरम्मत का कार्य कराने का भी अधिकार होगा।

(४) स्थानीय शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य हैं कि अनुशासित छात्रावास शिक्षालय तथा नर्सरी स्कूल के विद्यार्थियों को बिना मूल्य लिए हुए वस्त्र प्रदान करें। इसके लिए संरक्षकों की आर्थिक दशा की जाँच करना आवश्यक नहीं है।

(५) अपने क्षेत्र से बाहर यात्रा करने वाले डिवीजनल-एक्जीक्यूटिव अफसरों को यात्रा व्यय प्रदान करें।

(६) स्वेच्छिक स्कूलों के मैनेजर या गवर्नर स्कूल-भवन के अतिरिक्त किसी भाग को किराये पर उठाये जाने की आमदनी को स्थानीय शिक्षा अधिकारी को देंगे।

(७) अलग-अलग विभाग रखने वाले स्कूल यदि दो या अधिक भागों मे विभाजित किए जाँय तो उनके काउन्टी और वोलेन्ट्री स्कूल नाम बने रहेंगे।

(८) सभी सामूहिक प्रार्थना कार्य स्कूल की सीमा के अन्दर होंगे। यदि १४ दिन की पहली सूचना दे दी गई है तो स्कूल-सीमा के बाहर भी सामूहिक प्रार्थना की जा सकती है।

वास्तव मे १९४६ का एक्ट पहले १९४४ के शिक्षा-एक्ट की बहुत सी धाराओं को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस एक्ट ने स्थानीय शिक्षा अधिकारी को अधिक अधिकार दिये जैसे—नियन्त्रित स्कूलों के स्कूल-भवन को बढ़ाये जाने का अधिकार दिया गया।

(९) अध्यापक, कमेटी या सब-कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं—जैसे किसी क्षेत्र में मानसिक दोष वाले बच्चों को कमेटी की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। अर्थात् स्थानीय राज्य-विधान १९३३ में इसके द्वारा संशोधन हुये कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह अध्यापक हो अथवा अन्य प्रकार के पद पर नियुक्त हो वह किसी भी स्थानीय संस्था की सभा का सदस्य होने का अधिकार रखता है। चाहे उसकी नियुक्ति :—

क—राज्य आज्ञानुसार शिक्षा के हेतु।

ख—मस्तिष्क अभाव की रक्षा हेतु।

ग—जनता पुस्तकालय विधान के प्रबन्ध हेतु हुई हो।

(१०) 'पाठशाला-भवन' का अर्थ होगा कोई भी भवन अथवा भवन का कोई भी भाग जो पाठशाला के काम में लाया जावे जिसमें चौकीदार का निवास-स्थान, खेल का मैदान, चिकित्सा-निरीक्षण जगह, भोजन वितरण की सुविधा हेतु जगह सम्मिलित नही है।

परिशिष्ट—२

सन् १९४८ का शिक्षा-एक्ट

इस एक्ट की विशेषता यह है कि इसने प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की परिभाषा में संशोधन किया।

प्राइमरी शिक्षा—'वह शिक्षा है जो उन विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल है, जिन्होंने अभी तक १०½ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।' १०½ वर्ष की आयु के बाद उन्हें जूनियर स्कूलों में शिक्षा देना उपर्युक्त है।

माध्यमिक शिक्षा—वह शिक्षा है जो १०½ की आयु से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों के उपयुक्त होती है जिसको अधिक आयु वाले छात्रों के साथ पढ़ाना उचित है। इस एक्ट के अनुसार अधिक योग्य विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालयों में ६ माह पहले भी भेजे जा सकते हैं।

शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने इस एक्ट की कड़ी आलोचना की है। उनकी आलोचना का आधार है कि इतनी कम आयु में इतनी शीघ्रता से बच्चों की विशेष रुचि तथा योग्यता को ज्ञात करना सम्भव नहीं है। स्मरण रहे हैडो-कमीशन रिपोर्ट ने यह अवस्था ११+ बतलाई थी। ११+ की अवस्था के बाद बच्चे भिन्न-भिन्न माध्यमिक विद्यालयों में भेजे जाते थे। स्काटलैंड में माध्यमिक विद्यालयों में भेजे जाने की अवस्था १२+ है।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी प्रत्येक ऐसे बच्चे को जो उसके द्वारा संचालित पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करता है, उस पाठशाला के छात्रालय के छात्र को

नि.शुल्क वस्त्र प्रदान करेगा। विशिष्ट पाठशाला वाले छात्रो के लिए भी वस्त्रो का प्रबन्ध करना होगा।

यदि संरक्षकों पर इस कारण अभियोग लगाया जाता है कि उनका बालक नियमित रूप से पाठशाला मे उपस्थित नही होता तो सरक्षको को बाध्य किया जायगा कि वे पाठशाला आयु तक अवश्य ही अपने बालको को शिक्षा दिलायें। यदि मुक्ति चाहें तो संरक्षक पूरा-पूरा प्रमाण दें।

स्थानीय शिक्षण संस्था को शिक्षा-निमित्त भूमि क्रय अधिकार प्राप्त है।

परिशिष्ट—३

जनरल सार्टीफिकेट आफ एजूकेशन

[General Certificate of Educaton]

सन् १९५१ में स्कूल-सार्टीफिकेट तथा हायर सार्टीफिकेट परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक स्कूलों में 'जनरल-सार्टीफिकेट आफ एजूकेशन' की संस्थापना की गई। स्कूल-सार्टीफिकेट तथा हायर-सार्टीफिकेट परीक्षाओं की समाप्ति कर दी गई। यह नई परीक्षा शिक्षा-मंत्री ने माध्यमिक परीक्षा परिषद् (सन् १९४७) की रिपोर्ट की सिफारिशों पर की थी। यह परिषद् विश्वविद्यालयों, अध्यापकों तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी। इस परीक्षा में वह छात्र भी बैठ सकते हैं जो स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते हैं। विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित परीक्षण संस्थायें इस परीक्षा के संचालन की उत्तरदायी हैं।

इस परीक्षा की विशेषतायें ये हैं—

(१) सभी विषयों में पर्चे तीनों स्तरों पर बनाये जाते हैं। 'साधारण, 'उच्च' तथा छात्र-वृत्ति' स्तरों पर परीक्षा के पर्चे बनाये जाते हैं।

(२) सभी विषय वैकल्पिक होते हैं और इस परीक्षा के लिए न्यूनतम तथा वर्ग-सम्बन्धी आवश्यकताएं नहीं थोपी जाती हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल वही छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हों जिनको सफलता के पर्याप्त अवसर हों।

किसी ऐसे छात्र का परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाता है जिसकी अवस्था उस वर्ष की पहली सितम्बर को १६ वर्ष से कम होती है।

परीक्षार्थियों को लगभग ४० या उससे अधिक विषय चुनने की स्वतन्त्रता 'साधारण-स्तर' पर रहती है। उच्च तथा छात्र वृत्ति स्तर पर छात्र ३० विषयों में से कोई परीक्षा-विषय चुन सकता है। साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त छात्र कला, गायन, हस्तकला, गृह सम्बन्धी तथा व्यापारिक विषय भी ले सकता है। लिखित तथा क्रियात्मक दोनों ही परीक्षायें ली जा सकती हैं।

विश्वविद्यालयों तथा व्यवसायों ने 'जनरल सार्टीफिकेट आफ एजूकेशन' के आधार पर अपनी प्रारम्भिक परीक्षाओं की आवश्यकताओं को फिर से निश्चित किया है। इंगलैंड और वेल्स के ग्रामर विद्यालयों के अधिकाश छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। विदेशों में भी कुछ संस्थायें इस परीक्षा को लेती हैं जिससे बाहर रहने वाले इंगलैंड के नागरिक इसमें बैठ सकें।

परीक्षा लेने वाली संस्थायें विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित रहती हैं।

Chief Education Officer—स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी द्वारा वेतन प्राप्त मुख्य अफसर—

Community Centre—मुख्य रूप से प्रौढ़ों के लिए सामाजिक, मनोरंजक तथा शिक्षा-सुविधाओं का केन्द्र। यह स्थानीय शिक्षा-अधिकारी या स्वेच्छा-संस्था द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

County College—स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित शिक्षालय जिसमें १५ से १८ वर्ष की अवस्था तक के नवयुवक पूर्ण समय या आंशिक-समय अध्ययन करते हैं।

Director of Education—यह चीफ ऐजूकेशन अफसर के दूसरे पद का नाम है।

Evening Institutes—अग्रिम शिक्षा के वे सायंकालीन शिक्षालय जो नवयुवकों को व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक शिक्षा देते हैं।

Her Majesty's Inspectors—शिक्षा-मन्त्रालय स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा दूसरी शिक्षा संस्थाओं में सम्पर्क स्थापित करने वाले शिक्षा मन्त्रालय द्वारा नियुक्त शिक्षालय-निरीक्षक।

Independent Schools—स्थानीय-शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा-मन्त्रालय से सहायता न प्राप्त करने वाले स्कूल।

Infants School—५ से ७ वर्ष के बच्चों के लिये स्थापित प्रारम्भिक विद्यालय।

Nursery Classes—३ से ५ वर्ष के लिए प्राइमरी स्कूलों से सम्बन्धित कक्षायें।

Nursery School—आत्म-निर्भर स्कूल जो २ वर्ष से ५ वर्ष के बच्चों के लिए है।

Preparatory School—८ से १३ वर्ष के बच्चों के लिए स्वतन्त्र तथा छात्रावासीय स्कूल जो पब्लिक स्कूल में प्रविष्ट पाने वाले बच्चों को तैयार करते हैं।

Public School—स्वतन्त्र, माध्यमिक छात्रावासीय स्कूल।

Training College—अध्यापक-प्रशिक्षण कालेज।

Special Schools—शारीरिक तथा मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का स्कूल।

Technical College—व्यावसायिक तथा अग्रिम-शिक्षा का मुख्य कालेज।

Voluntary School—स्वेच्छा प्रेरित संस्थायें जैसे धार्मिक या प
कारी संस्थाओं द्वारा स्थापित स्कूल।

Approved Schools—गृह-कार्यालय द्वारा अपराधी बच्चों के
स्वीकृत-स्कूल। ये स्कूल छात्रावास से सम्बन्धित होते हैं।

Local Education Authority—काउन्टी के लिये का
काउन्सिल तथा काउन्टी-बरो के लिये काउन्टी-बरो काउन्सिल स्थानीय शि
अधिकारी हैं।

Juvenile Court—अपराधी बच्चों के मुकद्दमे सुनने का न्यायालय

Children's Care Committees—बच्चों के कल्याण तथा भ
के लिये यह कमेटी है। स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाई हुई यह क
बच्चों को अच्छे घरों में प्रतिपोषकों के पास भी रखती है और बच्चों की
भाल करती है।

परिशिष्ट—५

एल० टी० परीक्षा प्रश्न-पत्र १९५४

(१) "ब्रिटिश-शिक्षा की विशेषता है कि राष्ट्र ने ऊपर से लादी हुई समानता को पसन्द नहीं किया है। स्व-इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रयत्न को राष्ट्र ने पसन्द किया है। प्रचलित संस्थाओं को धैर्य पूर्वक और व्यावहारिक-योग्यता के साथ सुधारा गया है और उन्हें शीघ्रता से बिना सोचे समझे नष्ट नहीं किया है। राष्ट्र का विभिन्न धर्मों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार है।" इस कथन की सत्यता को अंग्रेजी-शिक्षा के इतिहास से उदाहरण देकर सिद्ध करिये।

(२) ११ वर्ष से १७ वर्ष तक के छात्रों के लिये ब्रिटेन में कौन-कौन सी शिक्षा-संस्थायें हैं? प्रत्येक के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिये।

ग्रामर स्कूल तथा पब्लिक-स्कूलों में क्या अन्तर है।

(३) निर्धन विद्यार्थियों को इङ्गलैण्ड में क्या-क्या शिक्षा-सुविधायें प्राप्त हैं? भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का वर्णन करिये।

(४) १९४४ के शिक्षा एक्ट द्वारा शिक्षा में लाये गये परिवर्तनों का वर्णन करिये।

(५) निम्नलिखित में से चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—

(1) Approved Schools.

(2) L. E. A.
(3) Her Majesty's Inspectors.
(4) The General Certificate of Education.
(5) Juvenile Court.
(6) 1946 Education Act.
(7) Childrens' Care Committee.

एल० टी० परीक्षा १९५५

(१) १९४४ के शिक्षा कानून द्वारा सुधारे गये ब्रिटिश शिक्षा के मु दोष बताइये। इस शिक्षा-एक्ट की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालिये।

(२) ब्रिटेन की प्रारम्भिक-शिक्षा-प्रणाली के संगठन का पूर्ण विवर दीजिये और माध्यमिक-शिक्षा के लिये बच्चों को चुनने की प्रणाली का वर्ण कीजिये।

(३) ब्रिटेन में धार्मिक-शिक्षा की समस्या का समाधान किस प्रकार कि गया है ?

(४) ब्रिटेन की प्रौढ़-शिक्षा-व्यवस्था का पूर्ण विवरण दीजिये।

(५) किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखिये—
(क) पाठशाला से बाहर की क्रियायें।
(ख) शारीरिक और मानसिक दुर्बलता वाले बच्चों के लि शिक्षा-सुविधायें।
(ग) अग्रिम-शिक्षा।
(घ) 'पब्लिक-स्कूल्स।'
(ङ) द्वि-संख्य-प्रणाली।
(च) युवा-क्लब।

एल० टी० परीक्षा १९५६

(१) सन् १९४४ ई० के शिक्षा-विधान द्वारा लाये गए प्रमुख परिवर्तनों की व्याख्या कीजियें।

(२) इंगलैण्ड की प्रौढ़ शिक्षा के संगठन तथा प्रणालियों की विवेचना कीजिये।

(३) इंगलैण्ड की शिशु-शिक्षा तथा बाल-शिक्षा व्यवस्था का वर्णन

(४) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इंगलैंड ने अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्य में प्रविष्ट अध्यापकों की शिक्षा का पुनः संगठन किस प्रकार किया ?

(५) निम्नलिखित में से किन्ही दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

(i) School Medical Service.

(ii) Methods of Selection of pupils for Secondary Education.

(iii) Secondary Schools Examinations Council.

(iv) Child Guidance Clinics.

BIBLIOGRAPHY

Birchenough : *History of Elementary Education in England and Wales from*, 1800.

Colleges of Futher Education, Pamphlet No. 5, H. M. S. O.

Community Centres, H. M. S. O., 1944.

Education Ate 1944 ; H. M. S. O. Publications.

,, ,, 1946 ; ,, ,, ,,

,, ,, 1948 ; ,, ,, ,,

Education in Britain ; Central Office of Information, London.

Further Education ; Pamphlet No. 8. H. M. S. O.

H. C. Barnard : *History of English Education from 1760 to* 1944.

H. C. Dent : British Education.

,, ,, : *Education Act. 1944.*

,, ,, : Secondary Education for All.

I. L. Kandel : Studies in Comparative Education.

,, ,, : *History of Secondary Education.*

Ministry of Education, Pamphlet No. 2; A Guide to the Educational system of England and Wales.

,, ,, *Pamphlet No. 3., 'Youth's Opportunity'.*

Ministry of Education ; Pamphlet 1947, Examinations in Secondary Schools.

N. Hans : Comparative Education.
Norwood Committee Report, 1943.
Our Changing Schools, H. M. S. O. 1952.
P. Sandiford : Comparative Education.
Public Schools and National System Feeming Committee Report. (1944).
Report of the Royal Commission on Secondary Education (1896).
S. J. Curtis : A Short History of English Education in Britain since 1900.
Spens Report 1938.
Special Education Treatment, H. M. S. O. 1946.
Training of Teachers and Youth Leaders, H. M. S. O. (Mc. Nair Report, 1944).
The New Secondary Education, H. M. S. O. 1947.
The Year Book of Education, Evans Brothers.
U. N. E. S. Co. (Publications).

1. Compulsory Education in England.
2. Primary Teachers Training.
3. Compulsory Education in England & Wales.
4. The Education of Teachers in England, France and U. S. A.

W. E. D. Stephens : English Education.
W. P. Alexander : Education in England.

— :o: —